सप्तम माला, खण्ड 32, अंक 7, मंगलवार, 12 अक्तूबर, 1982/20 आश्विन 1904 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(दसवां सत्र)

खंड 32 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 7, मंगलवार, 12 अक्तूबर, 1982/20 आश्विन, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—29
* तारांकित प्रश्न संख्या : 123, 124, 127 और 131 से 137	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	29—229
तारांकित प्रश्न संख्या : 121 122, 125 126 128 से 130, 138 और 140 से 142	29—37
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1293 से 1367, 1369 से 1419, 1422 से 1520 और 1522 से 1524	37—229
सोमवार, 11 अक्तूबर, 1982 को संसद भवन के निकट हुई घटनाओं के बारे में वक्तव्य	
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	229
सभा पटल पर रखे गए पत्र	231
राज्य सभा से संदेश	232
राज्य सभा द्वारा पास किये रूप में विधेयक	232
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	234—252
रेलगाड़ियों में और रेलवे स्टेशनों पर घटनाओं में वृद्धि विशेष कर तिनसुखिया मेल में डकैती और बरेली स्टेशन पर हाथापाई का समाचार	
श्री मंगलराम प्रेमी	
श्री मल्लिकार्जुन	
श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी	
श्री जैनल बशर	
श्री भीखा भाई	
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	

* किसी नाम पर अंकित †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	252—256
(एक) उड़ीसा में कटक और भुवनेश्वर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को चौड़ा करने की आवश्कता	252
श्री लक्ष्मण मलिक	
(दो) नसबन्दी कराने वाली दम्पतियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्कता	253
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	
(तीन) रानीगंज से बांकुरा तक बरास्ता मिजा एक नई रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता	253
श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर	
(चार) नीलांचल और साबरमती एक्सप्रेस रेलगाड़ी को बरास्ता वाराणसी पुनः चलाने की आवश्यकता	154
श्री जैनुल बशर	
(पांच) तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन का प्रसार करने के लिए अतिरिक्त चिकित्सा सुविधायें देने की आवश्यकता	254
श्री सी० पलानी अप्पन	
(छः) हरियाणा में नलकूपों के लिए और बिजला देने की आवश्यकता	255
स्वामी इन्द्रवेश	
(सात) वम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल समाप्त कराने की आवश्यकता	255
श्रीमती प्रमिला दण्डवते	
(आठ) कृषि वैज्ञानिकों को प्रर्याप्त सुविधाऐं	256
श्री हरिकेश बहादुर	
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानिधि और बैंक (संशोधन) विधेयक	257
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री सतीश अग्रवाल	257
श्री एस० टी० के० जक्कायन	269
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	269
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	271
श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार	275
श्री चित्त बसु	276

विषय	पृष्ठ
श्री गिरधारी लाल व्यास	379
श्री प्रणव मुखर्जी	280
खंड 2 से 5 और 1	289
पास करने का प्रस्ताव	
श्री प्रणव मुखर्जी	
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	
सदस्य द्वारा आत्मसर्म्पण	292
(श्री पीयूष तिरकी)	
सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक	293—312
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री टी० आर० शमन्ना	293
श्री मूल चन्द डागा	297
श्री रामलाल राही	300
श्री सीताराम केसरी	302
खंड 2 से 16 और 1	
संशोधित रूप में पास करने का प्रस्ताव	
श्री सीताराम केसरी	
प्रो० एन० जी०रंगा	
कार्य-मन्त्रणा समिति	312
छत्तीसवां प्रतिवेदन	

लोक सभा

मंगलवार, 12 अक्तूबर, 1982/20 आश्विन 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

* (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मलित न किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगन्नाथ पाटिल।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के सर्क्यूलेशन की लेखा परीक्षा

*123. †श्री जगन्नाथ पाटिल :

श्री राम जेठमलानी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में प्रकाशित 17,170 समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में से केवल 230 समाचार पत्र और पत्रिकायें अपने-सर्क्यूलेशन की लेखा परीक्षा कराती है और 1090 दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं उनमें से केवल 105 दैनिक समाचार पत्र अपने सर्क्यूलेशन की लेखा परीक्षा कराते हैं ;

(ख) तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) अधिकतर समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के सर्क्यूलेशन की लेखा परीक्षा न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) कतिपय समाचार पत्रों की प्रसार संख्या की जाँए पड़ताल आडिट ब्यूरो आफ सर्कुलेशन जो समाचार पत्र प्रकाशकों, विज्ञापकों तथा विज्ञापन एजेंसियों द्वारा स्थापित एक गैर-सरकारी संगठन है, द्वारा की जाती है। 1981 में आडिट ब्यूरो आफ सर्कुलेशन की सदस्य संख्या 118 दैनिक समाचारपत्रों और 132 नियतकालिक पत्रों की थी।

(ख) और (ग) : समाचारपत्रों और नियतकालिक पत्रों की प्रसार संख्या की लेखा परीक्षा

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मलित दहीं किया गया।

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक या किसी अन्य प्राधिकारी से कराने का प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के अन्तर्गत कोई साविधिक प्रावधान नहीं है।

*(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मलित न किया जाये।

श्री जगन्नाथ पाटिल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने (बी) और (सी) में जो जवाब दिया है कि प्रैस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के अधीन ऐसी कोई आडिट करने की तरतीव नहीं हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कोई संशोधन करके ऐसी अडिट की सुविधा उपलब्ध कराने की साकार की इच्छा है कि नहीं ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : प्रश्न के जवाब में यह बताया गया है कि पी० आर० बी० एक्ट के अन्तर्गत जो रूल्स बने हैं, उसमें प्रावधान है कि न्यूज पैपर्स अपने सर्कुलेशन को आडिट करवा लें, इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आप पहले उत्तर को देख रहे हैं, उस उत्तर को बदला गया है और यह पाया गया है कि रूल्स में यह प्रावधान है कि हम सर्कुलेशन को आडिट करवायें।

जगन्नाथ पाटिल : जिनके आडिट बनते नहीं, तो उनके बारे में गवर्नमेंट क्या कार्यवाही कर सकती है ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : मैंने कहा है कि आडिट कराना जरूरी है, रूल्स के अन्तर्गत वह आडिट करवाते हैं। जब रिटर्न्स भरते हैं तो आडिटेड स्टेटमेंट रजिस्ट्रार के पास उनको दर्ज करना पड़ता है, बशर्ते कि उनका सर्कुलेशन 2,000 से ज्यादा हो।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : श्री हाल्दर।

श्री नीरेन घोष : महोदय आप इतने लम्बे हैं। मैं क्या कर सकता हूं ? प्रश्न यह है कि लेखापरीक्षित विवरण ...

अध्यक्ष महोदय : पहले श्री हाल्दर को अपना प्रश्न करने दीजिए।

श्री नीरेन घोष : आप हमेंशा ही हाल्दर के लिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि मेरे नाम का अर्थ है 'हलधर'।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि कुछ समाचारपत्रों ने अपनी लेखापरीक्षित विवरण नहीं भेजे हैं। 'नशनल हेरल्ड' शासकदल के स्वामित्व में है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस पत्र ने लेखापरीक्षित रिटर्न पेश कर दिए हैं और क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि इस समाचारपत्र ने अपने

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मलित नहीं किया गया।

दिल्ली कार्यालय के 400 कर्मचारियों और अपने लखनऊ स्थित संस्थान के अन्य सैकड़ों कर्मचारियों को वेतन नहीं दिए हैं और 'नेशनल हेरल्ड' के प्रबंधक प्रत्येकमाह भविष्य निधी की उनके वेतन में से कटौती करते हैं लेकिन वे इस राशि को जमा नहीं करा ते मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्हें इस बात की जानकारी है या नहीं।

श्री एन० के० पी० साल्वे : माननीय सदस्य महोदय का यह तर्क गलत है कि लेखापरीक्षिक कराने के प्रयोजन हेतु कोई विकल्प है अथवा उसका उल्लंघन किया गया है । जैसा मैंने बताया नियमों में इस बात का सांविधिक प्रावधान है कि 2000 से अधिक प्रसार वाले प्रत्येक समाचार-पत्र द्वारा रिटर्न और लेखापरीक्षित विवरण दर्ज कराने होते हैं ...

(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : प्रश्न के इस पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है कि क्या 'नेशनल हेरल्ड' ने लेखापरीक्षित रिटर्न प्रस्तुत कर दिए हैं अथवा नहीं ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हाल्दर, पहले आप मेरी बात सुनिए ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं। आप क्यों व्यवधान पैदा कर रहे हैं ?

श्री ईरा अनबरासु : उन्हें इसका अलग नोटिस देना चाहिए कि ...

(व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : उन्होंने नेशनल हेरल्ड में अपनी धनराशी का अंशदान किया है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है परन्तु आपके प्रश्न में समाचार पत्र विशेष का उल्लेख है ।

आप संबद्ध प्रश्न पूछिए मैं इसकी अनुमति दूंगा । वह इसके लिए तैयार नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं ? आप किसी समाचार पत्र विशेष से सम्बद्ध नोटिस दीजिए । मैं तर्क नहीं कर रहा और मेरा निवि-र्देश अन्तिम है । (व्यवधान) मुझे नियमों के अनुसार चलना है ।

श्री नीरेन घोष : महोदय, इन समाचारपत्रों के क्या नाम हैं जिन्होंने अपने लेखापरीक्षित लेखे अभी तक पेश नहीं किए हैं और क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि कभी दैनिक पत्र, उदाहरणार्थ हमारे राज्य की आन्नद बाजार पत्रिका, अखबारी कागज में अनियमितता करते हैं ? क्या अभी तक कोई कदम उठाए गए हैं क्या यह महज औपचारिकता है ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : जैसा कि मैंने बताया है, यह इस नियम के अंतर्गत एक सांविधिक आवश्यकता है कि 2,000 से अधिक प्रसार वाले प्रत्येक समाचार पत्र को समाचार पत्र पंजीयक के यहां एक लेखापरीक्षित विवरण जमा कराना होता है । किस समाचरपत्र ने यह

जमा कराया है अथवा नहीं । इसके लिए आपको, मुझे कुछ समय देना होगा । आप विशेष प्रश्न और करिए और मैं उसका उत्तर दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : वह आपको तत्काल उत्तर नहीं दे सकते ।

श्री नीरेन घोष : क्या लेखापरीक्षित लेखों में कोई अनियमितताएं पायी गयी हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए आप अलग प्रश्न करिए ।

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी समाचारपत्र पर,उन सांविधि क प्रावधानों को, जिनका उन्होंने उल्लेख किया है, पूरा न करने के लिए अभियोग लगाया गया है ? वे इसका उत्तर दें ।

श्री एन० के० पी० साल्वे : इसके लिए मुझे नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, प्रश्न को पढ़िए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे पढ़ लिया है ।

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : मैं एक निवेदन करता चाहता हूं । मंत्री महोदय को उत्तर देने हेतु अपनी अच्छी तैयारी करनी चाहिए । कम से कम आपको यह कहना चाहिए कि **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिए । आप अनावश्यक रूप से उत्तेजित हो रहे हैं । मैं अपना कार्य अच्छी तरह जानता हूं और मैं इसे करूंगा ।

मैं यहां यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि प्रश्न एक विशेष स्थिति में एक खास सन्दर्भ से सम्बद्ध है । यदि यह प्रश्न से बाहर आता है तो आपको इसके लिए पृथक नोटिस देना है । जब यह प्रश्न किसी समाचार विशेष से सम्बद्ध नहीं है तो मैं कैसे इसकी अनुमति दे सकता हूं ।

श्री सुनील मैत्रा कृपया प्रश्न को दोबरा देखिए—(क) क्या यह सच है कि ···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने देख लिया है । आप खड़े होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं । अगला प्रश्न । श्री गोयल ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या आप उत्तर से संतुष्ट है ?

अध्यक्ष महोदय : आपको अलग प्रश्न करना होगा । मैं उसकी अनुमति दूंगा ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह प्रश्न का एक भाग है ।

अध्यक्ष महोदय : आप विशेष प्रश्न कीजिए और विशेष उत्तर लीजिए । अगला प्रश्न । श्रीमन् गोयल आप अपना प्रश्न कीजिए । **(व्यवधान)** मैं किसी को टाल-मटोल नहीं करने दूंगा । श्री गोयल ।

अखबारी कागज की माँग और पूर्ति

*124. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में समाचारपत्रों को अखबारी कागज सम्बन्धी गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) देश में अखबारी कागज की वर्तमान स्थिति क्या है तथा मांग और पूर्ति के बीच कुल कितना अन्तर है ;

(ग) चालू वर्ष में अखबारी कागज कितनी मात्रा में आयात किया गया ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या आवश्यक उपाय किये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री आरिफ मौहम्मद खां) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : अखबारी कागज सलाहकार समिति ने अनुमान लगाया था कि चालू वित्तीय वर्ष (1982-83) के लिए अखबारी कागज की कुल खपत लगभग 3.60 लाख टन होगी इसमें से, 1.50 लाख टन देशी उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया था। 2.10 लाख टन की शेष मात्रा की पूर्ति राज्य व्यापार निगम के आयातित अखबारी कागज के बफर स्टाकों से 26000 टन लेकर तथा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 1.84 लाख टन आयात करके की जानी थी।

सितम्बर, 1982 के अन्त तक रिलीज किए गए आयातित और देशी दोनों प्रकार के अखबारी कागज की कुल मात्रा 1.46 लाख टन रही है जिसमें राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयातित 1.03 लाख टन तथा 43,000 टन देशी उत्पादन शामिल हैं।

देशी अखबारी कागज के 1,50 लाख टन के अनुमानित उत्पादन में, बिजली की कमी, श्रमिक अशान्ति, इत्यादि सहित अखबारी कागज की मिलों द्वारा सामना की जा रही विभिन्न समस्याओं के कारण कुछ कमी की आशंका है। इस कमी को समाचारपत्रों तथा नियतकालिक पत्रों द्वारा क्रीम वोव पेपर का उपयोग किए जाने की संभावना सहित अन्य स्रोतों से पूरा करना होगा। पर्याप्त आपूर्तियां सुनिश्चित करने के लिए अखबारी कागज के उत्पादन और वितरण का निरन्तर पुंनरीक्षण तथा मानिटर किया जा रहा है। राज्य व्यापार निगम से यह भी कहा गया है कि वह समाचारपत्रों को अखबारी कागज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अक्तूबर और सितम्बर, 1982 के बीच 1.20 लाख टन आयात करे तथा लगभग 30,000 टन बफर स्टाक बनाये।

अध्यक्ष महोदय : आपने इसे सभापटल पर रखा होता।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं, माननीय मन्त्री जी ने जो न्यूज-प्रिन्ट की नई पालिसी की घोषणा की है, जिसकी मांग बहुत समय से चलती आ रही थी, उसका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ जिस प्रकार का आपने उत्तर

दिया है, न्युज-प्रिन्ट एडवाजरी कमेटी की डिमाण्ड को देखकर जो 3.66 लाख टन आती है उस कैलकुलेशन के अनुसार इन्डीजिनस प्रौडक्शन, एस० टी० सी० के बफर स्टाक की रिलीज और इम्पोर्ट इन सभी के माध्यम से आपने वह बताने की कोशिश की है कि हम रिक्वायमेंन्ट को मीट करने की पोजीशन में हैं लेकिन क्या यह सही नहीं है कि हमेशा ही देश में न्यूज-प्रिन्ट की शार्टेज को लेकर उसकी क्वालिटी को लेकर और प्राइस को लेकर एक असंतोष रहा है ? आज़ हमारे देश में जो इण्डस्ट्रीज पेपर प्रोड्यूस कर रही है उसमें भी ड्राप की गुंजायश है, सरकार ने भी इस बात को माना है। इन ह लात को देखते हुए क्या मन्त्रालय यह निर्णय लेने की स्थिति में है कि जो बड़े अखबार हैं उनको तो डाइरेक्ट इम्पोर्ट करने की इजाजत दे दी जाए और एस० टी० सी० के द्वारा जो आप कैनेलाईजेशन करते हैं उसमें जो मध्यम और छोटे अखबार हैं उन्हीं को आप एस० टी० सी० के माध्यम से डिस्टीव्यूट करने के लिए कहें — इस सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है, यह मैं जानना चाहता हूं।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : जहांतक न्यूज-प्रिन्ट को प्रोवाइड करने का सवाल है, सप्लाई करने का सवाल है, अखबारों को हम लगातार देते आ रहे हैं और उसमें कोई क्रिटिकल प्राब्लम नहीं है।

अब रहा यह सवाल कि क्या बड़े अखबारों को डाइरेक्ट इम्पोर्ट करने की इजाजत दी जाए तो इस सम्बन्ध में मेरा आपसे यह निवेदन है कि एस० टी०सी० के थ्रू जो हम कैनेलाईजेशन कराते हैं उसके दो कारण हैं एक तो यह है कि आज दुनिया में कागज बहुत ज्यादा एवेलेबल है इसलिए बड़े अखबारों को वह मिल सकता है और वे डम्प कर सकते हैं लेकिन अगर हमारी दूरदर्शिता की नीति न रहे तो आने वाले दिनों में जब न्यूजप्रिन्ट की शार्टेज़ होगी तब उनको न्यूज-प्रिन्ट नहीं मिल पायेगा। इसलिए एक लांग-टर्म पालिसी को देखते हुए गवर्नमेंन्ट कैनेलाईजेशन का ऐसा इन्तजाम किया गया है कि हमारे अखबारों को कभी भी न्यूज-प्रिन्ट की शार्टेज न हो। दूसरी बात यह है कि बड़े अखबारों को हम डायरेक्ट इम्पोर्ट करने दें और छोटे अखबारों को न करने दें—इसका तो कोई रीजन हमारी समझ में नहीं आता। अगर करना है तो हर कोई करे और नहीं करना है तो कोई भी नहीं करेगा। न्यूजप्रिन्ट के इम्पोर्ट में विदेशी मुद्रा का भी एक जबर्दस्त फैक्टर रहता है। अभी जो पालिसी निर्धारित की गई है वह विदेशी मुद्रा को देखते हुए, पेपर की जरूरत को देखते हुए और सरकार के दायित्व को देखते हुए एक बहुत ठीक पालिसी अभी तक रही है, ऐसा हम मानते हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, न्यूज-प्रिन्ट का इम्पोर्ट और बफरस्पाप एस० टी० सी० क्रिएट करती हैं। न्यूज-प्रिन्ट की प्राइस के बारे में हमेशा शिकायत है कि एस० टी० सी० मनमाने ढंग से फिक्स करी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्राइस फिक्स करने के लिए एस० टी० सी० का क्या फार्मूला है, कौन-कौन से फैक्टस की कितनी-कितनी प्राइस आती है ? क्या यह सही है कि विशेषकर जो ओवरसीज सप्लायर हैं, जैसे बंगलादेश, कनाडा, यू० एस० साउथ कोरिया और चैकोस्लोवाकिया आदि, इनका रेट पांच हजार रुपए टन ही नहीं बल्कि 4.700 रु० टन से लेकर 4.800 रु० टन आता है, जबकि एस० टी० सी० जिन-जिन आधार पर 5,000 रु० टन चार्ज करती है ? क्या यह सही है कि एस० टी०सी० ने जो बफर स्टाक

पुराना इम्पोर्ट किया हुआ है उनकी प्राइस 7.600 रु० से 7.905 रु० कर दिया है ? ऐसी स्थिति के अन्दर मन्त्री महोदय क्या हाउस को एशोयर करेंगे कि एस० टी० सी० जो प्राइस तय करती है उसको पब्लिकली एनाउन्स करें। और भविष्य के अन्दर प्राइस तय करने के लिए न्यूज-प्रिन्ट के प्रोड्यूसर्स के रिप्रजेन्टेटिव को एस० टी० सी० के अन्दर शामिल करेंगे ?

श्री एन के० पी० साल्वे : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 140 इसी प्रश्न से संबंधित है। प्रश्न और इसका उत्तर इस प्रकार हैं।

"(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित अखबारी कागज़ के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी आधार के वारे में समाचारपत्र उद्योग ने असन्तोष प्रकट किया था ; और

(ख) क्या खरीद सम्बन्धी बातचीत में समाचार पत्र उद्योग को सम्बद्ध करने का विचार है ?"

इसका दिया गया उत्तर इस प्रकार है :

(क) जी, हां।

(ख) राज्य व्यापार निगम अखबारी कागज आयात अपनी अखबारी कागज खरीद समिति तथा इस मन्त्रालय की अखबारी कागज सलाहकार समिति के परामर्श से करता है। इन दोनों समितियों में सममाचारपत्र उद्योग के सदस्यों को पहले से प्रतिनिधित्वप्राप्त है।

हमने इस मन्त्रालय द्वारा गठित अखबारी कागज मूल्य निर्धारण समिति में समाचार-पत्र उद्योग के दो प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का अब निर्णय ले लिया है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाव नहीं आया है। एस० टी० सी० जो प्राइस तय करती है और रिलीज कर रही है और खास तौर से उसने बफर स्टाक की प्राइस बढ़ा दी है — क्या आप इसको उचित मानते हैं और पब्लिक इन्टरेस्ट के अन्दर यह प्राइस फैक्टर क्या है इसको आप एनाउन्स करना चाहेंगे ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : आप सही फर्मा रहे हैं। एस० टी० सी० को इजाजत नहीं है कि वह मनमाने ढंग से कीमत ले ले। जो कमेटीज वहां पर हैं; उनमें न्यूज पेपर इन्डस्ट्रीज के प्रतिनिधि भी हैं — ये सब मिलकर तय करते हैं कि किस कीमत पर आयेगा। जैसा आप न्यूज-प्रिन्ट की बाहर की कीमतों का जिक्र कर रहे हैं और यहां पर सस्ती हैं, इसमें दिक्कत यह है कि वैस्टर्न कन्ट्रीज में एक गलत है कि किसी भी कीमत पर इसको डम्प करने के लिए तैयार हैं। हमारी लांगटर्म पालिसी को सामने रखते हुए, जिस कीमत पर हमने आयात किया है, जिसका हमारा लांग-टर्म कान्ट्रैक्ट है, उसी आधार पर हम चलेंगे। एक दफा तो कमेटी को बैठाकर कीमत तय हो जाती है, उसी कीमत पर हम अखबारों को न्यूज-प्रिन्ट देते रहते हैं।

श्री अशफाक हुसैन : अध्यक्ष महोदय, अभी अखबारों से सम चार मिला है कि न्यूज-प्रिन्ट के डिस्ट्रीब्यूशन का नया तरीका सरकार इवाल्व कर रही है। वह तरीका यह है कि बजाय एस०

टी० सी० के जरिए डायरेक्ट डिस्टीब्यूशन के अब राज्य सरकारों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन किए जाने की बात सुनने में आई है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह जो नया तरीका अपनाया जा रहा है, क्या यह अखबार वालों की राय और मश्विरे से किया जा रहा है या जो नई पालिसी सरकार की बनी है, बिहार प्रैस बिल के तहत, या प्रदेश सरकार को एक शिकंजे में पकड़ कर दिया जा रहा है ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : अध्यक्ष महोदय, न्यूज-प्रिन्ट की जितनी नीतियां निर्धारित की जाती है ; वे तीन कमेटीज जिनका मैंने जिक्र किया है, शामिल की जाती हैं।

उर्वरक संयन्त्रों को सप्लाई किये गए घटिया किस्म के कोयले के कारण हुई हानि

*127. डा० ए० यू० आजमी : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तलचर और रामगुंडम उर्वरक संयन्त्रों को सप्लाई किये गए कोयले में 45 प्रतिशत राख होती है जबकि ये संयन्त्र 17 प्रतिशत राखयुक्त कोयले के प्रयोग के लिएं बनाये गए थे, परिणामस्वरूप अधिक कोयले से कम अमोनिया का उत्पादन होता है और लागत बढ़ जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि घटिया किस्म के कोयले के कारण गैस में अत्यधिक क्षयकारी सूक्ष्म-संघटक पाए गए और संयन्त्र के कुछ भाग चार महीने के भीतर ही पूर्णतया हो गए हैं :

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(घ) इसकी पुनरावृत्ति/क्षति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) तालचर तथा रामागुण्डमं में स्थिति कोयले पर आधारित उर्वरक संयन्त्रों को 21 से 22 प्रतिशत राख तथा 26 प्रतिशत से अनधिक राख तथा आर्द्रता वाले कोयले का उपयोग करने के लिए बनाया गया था। तालचर उर्वरक संयन्त्र को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले में औसतन 30 से 35 प्रतिशत राख की मात्रा की तथा कभी-कभी 35 प्रतिशत से अधिक राख होती थी। इससे उत्पादित किए जाने वाले प्रतिटन अमोनिया पर अधिक कोयले का उपयोग होने लगा जिससे उत्पादन लागत में वृद्धि हुई। रामागुण्डम संयन्त्र को आपूर्ति किया जाने वाला कोयला लगभग अपेक्षित विशिष्टताओं के अनुसार है।

(ख) कच्ची सिनथैसिस गैस में विभिन्न नाशक गैसों की विद्यमानता से कुछ उपस्कर खराब हो गए। नाशक गैसों को हटाने के लिए उपचारी उपाय पहले ही कार्यान्वित कर दिए गए हैं और प्रभावित उपस्कर बदल दिए गए हैं।

राख की उच्च मात्रा तथा सिलिका वाले घटिया किस्म के कोयले ने कोयला तैयार करने

वाले एकक तथा स्टीम जेनरेशन प्लांट और गैसीफिकेशन सेक्शन के कोयला तैयार करने वाले एकक के ग्राइंडिग मिल में अपशय की समस्याएं भी पैदा कर दी है।

(ग) तालचर संयन्त्र को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले में राख की मात्रा अधिक है जो गैसोफायर्स एवं स्टीम वायलरों के कार्यकरण में समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। यह राख उच्च घर्षणकारी स्वरुप की है और बौवल मिल्म की लाइनर प्लेटों तथा अन्य भागों की मियाद कम कर देती है और स्टीम जेनरेशन वायलरों में अधिक अपशय होता है। इसके अतिरिक्त, खुली खानों से आपूर्ति किए जाने वाले कोले में वर्षा ऋतु में नमी की मात्रा उच्च होती है जिससे संयन्त्र का प्रचालन प्रभावित होता है ।

(घ) तालचर संयन्त्र को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की किस्म को सुधारने से संबन्धित मामला मैसर्स सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि० के साथ उठाया गया है । अल्पकालिक उपाय के रुप में, शेल और पत्थरों को हटाने का काम आरम्भ किया गया है।

श्री ए० यू० आजमी : ताल्चर फर्टीलाजर्स पावर प्राब्लम की वजह से तकरीबन साढ़े पांच महीने मार्च से लेकर मिड अगस्त तक बन्द रहा और जब पावर एशोरेंस मिला तो शुरू करने के साथ ही कार्बन मोनोआक्साइड का लीकेज हुआ, जिससे दो जानें चली गई। एक काड्रेक्ट लेबरर और एक इन्जीनियर एस० एन० मिश्रा। क्या सरकार को इसकी जानकारी है और उसने क्या कार्यवाही की। इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हों, इसका क्या इन्तजाम किया गया है ?

श्री बसन्त साठे : अध्यक्ष महोदय, प्रंश्न में जो जानकारी दी गई है, उसमें इन हादसों का कोई जिक्र नहीं है। इसके लिए मुझे अलग से नोटिस चाहिए। आपने जो प्रश्न किया है, उसका मैंने पूरा विवरण आपकों जिस तरह से चाहिए था, दे दिया हैं। और कोई आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे नोटिस दीजिए।

श्री ए० यू० आजमी : हमें मालूम है कि इन्सानी जानों की कीमत आपके लिए नहीं है, मगर उनकी अहमियत हमारे लिए भी है,

श्री बसन्त साठे : लेकिन आप जानकारी तो दें। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कि जितने भी हादसे हों, सबकी जानकारी मुझे हों।

श्री हरिकेश बहादुर : तो झगड़ा क्यों कर रहे हैं आप लोग ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : ऐसी आशा की जाती है कि अब तक आपने इसका अध्ययन कर लिया होगा ।

श्री बसन्त साठे : जहां तक इस प्रश्न का सम्बंध है मैंने इसका अध्ययन कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा सवाल करिए।

श्री ए० यू० आजमी : अध्यक्ष महोदय, तालचर फर्टीलाईजर और रामागुंडम फर्टीलाइजर

तकरीबन 73 करोड़ का घाटा एफ० सी० आई० को सालाना देते हैं। इस बात से सरकार को इन्कार नहीं है। क्या यह घाटा इसलिए हैं कि दोनों फर्टीलाइजर्स अपनी इन्स्टाल्ड कैपेसिटी का सिर्फ 15 प्रतिशत ही उत्पादन दे सके हैं। या यह कि कोयले की जो सप्लाई होती हैं उसके बजाए 45 परसेंट एश कंटेंन का कोयला सप्लाई किया गया। या यह कि चैकोस्लोवाकिया से जो मशीनरी खरीदी गई, उसमें फारेन एक्सचेंज बचाने के चक्कर में सरकार ने मजबूत स्टेनलेस स्टील या कापर की जगह चीप एल्यूमिनियम का इस्तेमाल की हुई मशीनरी खरीदी ?

श्री बसंत साठे : अध्यक्ष जी, यह जो प्लांट हैं, इनमें जो कोयले की सप्लाई की गई, यह ठीक है कि जब जांच की गई थी तो उसमें एश कंटेंट जितना था, बाद में जब खदानों ने निकाला गया तो एश कंटेंट बहुत ज्यादा था और इसलिए खर्चा बढ़ जाता है। खर्चा दुगना हो जाता है।

दूसरा जैसा कि आपने जिक्र किया प्लांट में पावर फ्लक्चुएशन की वजह से, यदि पावर फ्लक्चुएशन होता है तो एल्यूमिनियम की ट्यूब्स वाली जो चकोस्लोवासियाा की मशीनरी है, फलक्चुएश की वजह से वे टयूब्स पंक्चर हो जाती हैं। क्योंकि एकदम से एक्सपेंशन हो जाता है और पावर फैल हो जाती है और फिर एकदम कान्ट्रेक्शन हो जाता है। तो स्मूथ वर्किंग में तो वह ठीक था पहले जब वह शुरू किया गया था। जब फर्टीलाइजर्स प्लांट लगाने की बात आती है, तो, उस वक्त राज्य सरकारें यह कहती हैं कि हम बराबर पावर देगें और हमारे राज्य में फर्टीलाइजर्स प्लान्ट लगाइए और कभी पावर के मामले में तकलीप नहीं होगी और जब लग जाता है, तो पावर ठीक से मिलती नहीं है। तालचर छः महीने से बन्द पड़ा है, पावर नहीं मिली और अभी भी फ्लक्चुएशन्स हैं चाहे वह रामागुण्डम हो और चाहे तालचर हो। यह जो मशीनरी है, जिसका आपने जिक्र किया, उसमें अगर कापर वाली ट्यूब्स की मशीनरी लेते, तो शायद तकलाफ न होती लेकिन उसका खर्च ज्यादा होता। इसलिए एक स्मूथ वर्किंग में तो एलूमिनियस चल सकता था। अब यह दिक्क्त पहले मालूम नहीं थी लेकिन अब यह दिक्कत पैदा हो गई है और अब यह सोचा जा रहा है कि पावर का कैप्टिव लगा दें हर एक जगह पर 60-70 करोड़ रुपये खर्च करके और फिर पावर दें और इन ट्यूबों को बदलें। तो ये मुसीबतें आ गई हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है।···(**व्यवधान**)···यह सारा सोचा जा रहा है कि ज्यादा खर्च करके प्लांट को ठीक करें जिससे वह बराबर चले लेकिन पावर के ऊपर अभी हमारा कब्जा नहीं है।

श्री बी० डी० सिंह : माननीय मन्त्री जी ने जो पार्ट (ए) में जवाब दिया है, उसमें यह कहा है "रामगुडंम संयंम को आपूर्ति किया जाने वाला कोयला लगभग अपेक्षित विशिष्टताओं के अनुरूप है। तो उसमें जब ठीक से क्वालिटी कोल सप्लाई हो रहा था, तो रामागुण्डम फर्टीलाईजर्स प्लांट में प्रोडक्शन को ठीक लेविल पर लाने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री बसन्त साठे : रामागुण्डम की मेन प्राब्लम पावर शार्टेज की है और जो अभी मैंने कहा कि पावर फलक्चुएशन से जो गैसीफिकेशन प्लांट और बाकी की ट्यूबें हैं उनमें जो पंक्चरिंग होता है, उसको रिप्लेस करने की और एडीशनल गैसीफायर और बायलर लगाने की अब जरूरत

है । ये तीन, चार प्रा ब्लम्स हैं, जो रामागुण्डम में कामन हैं और उनको ठीक करने की हम कोशिश कर रहे हैं और उसके ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 128 श्री रामलाल राही—श्री एस० एम० कृष्ण अनुपस्थित हैं। प्रश्न 129—श्री मोती भाई आर० चौधरी -श्री रवीन्द्र वर्मा अनुपस्थित हैं। प्रश्न 130-श्री के० मालन्ना-अनुपस्थित हैं आप मुझे सदैव परेशान क्यों करते है ?

प्रश्न 31-श्री जी नरसिंम्हा रेड्डी···वह उपस्थित हैं धन्यवाद ।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लि० के राज्य बिजली बोर्डों के नाम बकाया बिल

*131 **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड के भारी राशि के बिल राज्य बिजली बोर्डों की ओर भुगतान हेतु बकाया हैं ;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1980 को कितने बिल बकाया थे ; और

(ग) क्या राज्य बिजली बोर्डों ने भुगतान न करने के कारण बताए दिए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) 31.12.1980 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों की ओर भेल के लगभग 99 करोड़ रुपये की राशि के बिल बकायां थे जिसमें से कुछ राशि विवादस्पद भी थी ।

(ग) सामान्यतः राज्य बिजली बोर्डो द्वारा भुगतान न करने के कारण भारत हैवी इले० लि० को बता दिए जाते हैं । भुगतान बकाया पड़े रहने के मुख्य कारणों में ये शामिल हैं :

(1) भुगतान विवादास्पद हैं ।

(2) प्रेषण सूचीवार नहीं हैं और इसलिए जब तक निर्धारित समय नहीं हो जाता उनका भुगतान नहीं किया जाता है ।

(3) भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

(4) कभी-कभी बोर्डों की वित्तीय हालत उन्हें तत्काल भुगतान करने की अनुमति नहीं देती ।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : माननीय मन्त्री ने बिलों के भुगतान न किए जाने के कारणों में एक कारण "भुगतान विवादास्पद हैं" भी बताया है मेरे प्रश्न में मैंने मन्त्री महोदय से हमें कारणों का विवरण देने का स्पष्ट रूप से अनुरोध किया था। यह उत्तर कि भुगतान विवादास्पद हैं मेरे विचार से अस्पष्ट है । मैं जानना चाहता हूं कि बिजली बोर्डों और भेल के बीच विवाद से उनकी ठीक-ठीक आशय का है जिससे बिलों का भुगतान नहीं हुआ ।

श्री विक्रम महाजन : कई बार ऐसा होता है कि ठेके में दिए गए मूल्य वृद्धि के खंड के कारण बाधा पड़ती है ऐसा खण्ड सदा ही होता है। फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी वस्तु की पहले सप्लाई कर दी जाती है जिसकी पहली अवस्था में आवश्यकता नहीं होती अतः वे कहते हैं "इस समय यह वस्तु हमारे लिए बेकार है। हम इसका भुगतान क्यों करें ?" अतः ऐसे कुछ कारण हैं ।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या यह सच है कि विवाद के कारणों का एक कारण यह है कि भेल ने ऐसे उपकरण सप्लाई किए हैं जो खराब हैं और विद्युत बोर्डों के लिए वह अधिक उपयोगी नहीं हैं और इसलिए भुगतान नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो इस क्षेणी के मामलों का प्रतिशत कितना हैं और कितनी राशि का भुगतान नहीं किया गया है ?

श्री विक्रम महाजन : यह ठीक है कि कई बार उपकरण होते हैं, और यह भी एक कारण है। परन्तु "भेल" इसमें सुधार कर रहा हैं।

जहां तक राशि की मात्रा का संबन्ध है इसकी मात्रा निश्चित करना कठिन है कि इस विशिष्ट श्रेणी में कितनी धनराशि है ।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : मेरा प्रश्न इस श्रेणी में विवाद की मात्रा अथवा प्रतिशत के विषय में था ।

बिजली बोर्डों द्वारा बिजली उपकरणों के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड और विदेशी कम्पनियों को दिए गए क्रयादेश

*132. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या ऊर्जा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों ने बिजली उपकरणों की खरीद के लिए और केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीत ताप परियोजना के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड को कितनी राशि (रुपयों में) के क्रयादेश दिए हैं ;

(ख) उसी अवधि के दौरान उक्त मदों के लिए विदेशी कम्पनियों को कितनी राशि के क्रयादेश दिए गए ; और

(ग) इस समय भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड के पास उपकरणों के लिए कितने क्रयादेश बकाया पड़े हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत हैवी इलैक्ट्रिक लिमिटेड राज्य बिजली

बोर्डों तथा केन्द्र सरकार की अन्य एजेंसियों से ताप विद्युत उत्पादन उपस्कर के लिए प्राप्त आर्डरों का मूल्य नीचे दिया गया है :

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1979-80	99
1980-81	311
1981-82	1042

1981-82 के अन्त में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० के पास 2970 करोड़ रुपये के मूल्य के आर्डर बकाया थे । अगस्त, 1982 के अन्त में इसी से सम्बन्धित आंकड़े 3500 करोड़ रुपये थे ।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने अप्रैल, 1979 से मार्च, 1982 तक की अवधि के दौरान ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत उत्पादन उपस्कर तथा अन्य संबन्धित विद्युत उपस्कर के लिए 365.25 करोड़ रुपये की राशि के आर्डर भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० को दिए थे । राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा इसी अवधि के दौरान इसी प्रकार के उपस्कर के लिए विदेशी कम्पनियों को दिए गए आर्डरों की राशि 129.16 करोड़ रुपये थी । राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० को दिए गए समस्त आर्डरों में से सितम्बर, के अन्त में कुल 497.78 करोड़ बकाया थे ।

जनवरी, 1977 से ताप विद्युत उत्पादन सेटों के लिए स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाईकर्ताओं को दिए गए आर्डरों का ब्यौरा संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है ।

अनुबन्ध

जनवरी, 1977 से ताप-विद्युत उत्पादन यूनियों के लिए स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाईकर्ताओं को दिए गए आर्डरों का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण ।

क्रम सं0	राज्य तथा परियोजना का नाम	आर्डर देने की तारीख	क्या स्वदेशी है अथवा आयतित	यदि आयातित हैं तो आयात का स्रोत	अभ्यु-क्ति
1	2	3	4	5	6
	उत्तरी क्षेत्र				
	एक-हरियाणा				

1	2	3	4	5	6
	पानीपत चरण-दो 2×110	11/78 (वायलर)	स्वदेशी	—	—
		10/79 (टी॰ जी॰)×	—वही—		
	2. पानीपत चरण-तीन 1×210	3/80	—वही—	—	—
	दो-पंजाब				
	रोपड़ 2×210	8/80	—वही—	—	—
	तीन-राजस्थान				
	1. कोटा चरण-एक 2×110	1/78	—वही—	—	—
	2. कोटा चरण-दो 1×210	9/81	—वही—	—	—
	चार-उत्तर प्रदेश				
	1. परिछा 2×110	3/78	—वही—	—	—
	2. टांडा 4×110	3/78	—वही—	—	—
	3. अनपारा "ए" 3×210	3/78	—वही—	—	—
	4. ऊंचाहर 2×210	3/81	—वही—	—	—
	पश्चिमी क्षेत्र				
	एक- गुजरात				
	1. उकई-5 1×210	5/79	स्वदेशी	—	—
	2. वानकबोरी विस्तार 3×210	3/81	—वही—	—	—
	3. सिक्का 1×120	12/81	—वही—	—	—
	अहमदाबाद इलैक्ट्रिक कम्पनी 1×110	3/82	—वही—	—	—
	दो-मध्यप्रदेश				
	1. सतपुड़ा यूनिट 8 और 9 2×210	3/77	—वही—	—	—

1	2	3	4	5	6
2. कोरबा पश्चिम विस्तार यूनिट 3 और 4	2×210	3/79	—वही—	—	—
3. संजय गांधी ताप-विद्युत परि० बीरसिंहपुर	2×210	5/80	—वही—	—	—
तीन-महाराष्ट्र					
1. पारली विस्तार यूनिट-3	1×210	4/77	—वही—	—	—
2. भुसावल विस्तार	1×210	4/77	—वही—	—	—
3. कोराडी यूनिट-6		4/77	—वही—	—	—
यूनिट-7		3/78	—वही—	—	—
4. चन्द्रपुर चरण-एक	2×210	3/77 (टी० जी०*)	—वही—	—	—
		10/77 (बायलर)	—वही—	—	—
5. चन्द्रपुर चरण-दो	2×210	10/80	—वही—	—	—
6. पारली यूनिट-4	1×210	10/80	—वही—	—	—
7. ट्राम्बे	1×200	11/78 (वायलर)	—वही—	—	—
		9/78 (टी० जी०)×	के० डब्ल्यू० यू० (प० जर्मनी) बी० एच० ई० एल० द्वारा	—	—
दक्षिणी क्षेत्र					
एक- कर्णाटक					
रायचुर	2×210	8/78	—वही—	—	—
दो-तमिलनाडु					
1. टूटीकोरिन-3	1×210	9/77	के० डब्ल्यू०यू० (प० जर्मनी) बी० एच० ई० एल० द्वारा		—

1	2	3	4	5	6
	2. मेट्टुर 2 × 210	9/81	—वही—	—	—
पूर्वी क्षेत्र					
एक-बिहार					
	1. बरौनी यूनिट-7 1 × 110	2/78	स्वदेशी	—	—
	2. मुजफ्फरपुर 2 × 110	4/80	—वही—	—	—
	3. तेनुघाट 2 × 210	12/81	—वही—	—	—
दो-पश्चिम बंगाल					
	1. कोलाघाट विस्तार	6/81 (टी॰ जी॰)* बायलर का आर्डर अभी नहीं दिया गया है।	—वही—	—	—
	20 ईटागड़ (सी॰ ई॰ एस॰ सी॰)	11/78 (बायलर)	—वही—	—	—
	4 × 60	12/78 (टी॰ जी॰)*	आयातित	एन॰ आई॰ई॰ पारसन यू॰ के॰	यू॰ के॰ की सहायता के अन्तर्गत
उत्तर पूर्वी क्षेत्र					
एक-असम					
	1. बोंगाएगांव विस्तार यूनिट 3 और 4 2 × 60	10/78	स्वदेशी	—	—
	2. चन्द्रपुर विस्तार 1 × 30	12/80 (वायलर)	आयातित	मितसुबशी जापान	जापानी ऋण के अन्तर्गत
		12/80 (टी॰ जी॰)*	स्वदेशी		
केन्द्रीय सैक्टर					
एक- राष्ट्रीय-ताप विद्युत निगम					
	1. बदरपुरचरण-तीन 1 × 210	3/78	स्वदेशी	—	—

1	2	3	4	5	6
	2. सिंगरौली सुपर ता० वि० केन्द्र चरण-एक 3 × 210	8/79	—वही—	—	—
	3. सिंगरौली चरण-दो 2 × 210	8/78	—वही—	—	—
	4. कोरबा सुपर ताप-विद्युत केन्द्र चरण-एक 3 × 210	1/79	—वही—	—	—
	5. रामगुंडम सुपर ता० वि० केन्द्र चरण-एक 3 × 510	2/80	आयातित	अनसालडो इटली	विश्वव्यापी निविदाओं के आधार पर विश्व बैंक की आवश्यकता के अनुसार तकनीकी दृष्टि के अनुसार तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य न्यूनतम प्रस्ताव
	6. फरक्का सुपर ता० वि० केन्द्र चरण-एक 3 × 210	5/81	स्वदेशी	—	—
	7. सिंगरौली चरण-दो 2 × 500	3/82	—वही—	—	—
	8. रिहंद चरण-एक 2 × 500	5/82	आयातित	—	द्विपक्षीय यू०एस० सहायता/ऋण
	9. विंध्याचल चरण-एक 6 × 210	6/82	आयातित	—	द्विपक्षीय यू० एस० एस० आर० ऋण
	10. कोरबा सुपर ताप-विद्युत केन्द्र चरण-दो 3 × 500	8/82 (बायलर) (टर्बो जेनरेटरों के आर्डर दिए जाने हैं)	स्वदेशी		
	दो- नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन नेवेली दूसरी माइन कट 3 × 210	4/81	आयातित	फ्रैंकोतुसी	के एफ० यू०

1	2	3	4	5	6
		(टी० जी०)*		इटली	(पश्चिम जर्मनी) की सहायता की शर्तों के अनुसार तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य न्यूनतम प्रस्ताव पर आर्डर किया गया था ,
		10/80 (बायलर)	आयातित	ट्रांस-इलैक्ट्रो, हंगरी	
तीन- दामोदर घाटी निगम					
1. बोकारो "बी"	1×210	4/79 (बायलर) 9/77	स्वदेशी	—	—
		(टी० जी०)*	—वही—	—	—
2. बोकारो "बी" विस्तार					
	2×210	4/81	—वही—	—	—

*टी० जी० टर्बो जेनरेटर

श्रीमती गीता मुखर्जी : सर्वप्रथम, सभा पटल पर रखे गए विवरण के अन्तिम पैराग्राफ में यह कहा गया है ;

> "जनवरी 1977 से ताप विद्युत उत्पादन सेटों के लिए स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाईकर्ताओं को दिए गए आर्डरों का ब्यौरा अनुबन्ध के रूप में संलग्न दिया गया है।"

कृपा विवरण पर ध्यान दें इसमें कोई *अनुबन्ध* नहीं है। मुझे नहीं मालूम हो सकता है यह कहीं और चला गया हो। बहरहाल, दूसरा उत्तर भी विस्तृत नहीं हो बल्कि यह गोल मोल सा है। उदाहरणार्थ, मेरे प्रश्न के भाग (ख) में पूछा गया है :

> "उसी अवधि के दौरान उक्त मदों के लिये विदेशी कम्पनियों को कितनी राशि के क्रयादेश दिए गए ..."

किसके द्वारा दिये गये राज्य बिजली बोर्डों तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत परियोजनाओं द्वारा दिये गये इसका उत्तर यह दिया गया है :

"राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा इसी अवधि के दौरान इसी प्रकार के उपस्कार के लिए विदेशी कम्पनियों को दिए गए आर्डरों की राशि 129.16 करोड़ रुपये थी ।

यहां पर राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा विदेशी कम्पनियों को दिए गए आर्डरों का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः मैं आपका संरक्षण चाहती हूं ।

मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या मन्त्री को 29 अगस्त के "बिजनेस स्टेण्डर्ड", कलकत्ता में 'भेल' गम्भीर संकट के कगार पर शीर्षक समाचार की जानकारी है। समाचारपत्र के अनुसार कारणों में से एक कारण यह है :

"सुपर तापीय संयंत्रों के लिए संयंत्र और मशीनों के आयात के लिए सरकार को दूसरों पर भारी निर्भरता के कारण 1984.85 तक 'भेल' भयानक स्थिति (संकट) में पड़ जाएगा ।"

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आइए ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं इन दो वस्तुओं के बारे में सीधे ही प्रश्न करूंगी । यह समाचार उस संकट के विषय में है जो 1984.85 में उठेगा । समाचार में भी कहा गया है :

"कम्पनी के पास उपस्कर के लिए एक भी नया आर्डर नहीं है। कम्पनी 2000 करोड़ रुपये से अधिक के आर्डर से वंचित हो जाएगी क्योंकि विद्युत उपस्कर के लिए ठेके विदेशी कम्पनियों द्वारा लिए जा रहे हैं।"

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सीधे ही क्यों नहीं कहतीं कि क्या हो रहा है ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : इन बातों के सदर्भ में मैं कहना चाहती हूं कि राज्य विद्युत बोर्डों के विदेशी कम्पनियों को आर्डरों का पूरा ब्यौरा नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहती हूं कि विदेशी कम्पनियों को आदेशों के संबंध में वास्तव में क्या हो रहा है और क्या राज्य बिजली बोर्डों और कुछ केन्द्रीय उद्यमों द्वारा 'भेल' की बजाय विदेशी कम्पनियों को आर्डर देने के बारे में विभिन्न क्षेत्रों में लगाए गए आरोप सही हैं ।

श्री विक्रम महाजन : छठी योजना में लगभग 20,000 मेगावाट क्षमता स्थापित की की जानी थी । इस क्षमता 'भेल' 17,453 मेल को आबंटित की गई है ; मुस्किल से 11 प्रतिशत बाहर गई हो इसलिए यह आरोप बिलकुल गलत है जहां तक 'भेल' को आर्डर देने का संबंध है। जहां तक भारत सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराने का संबंध है, व्यावहारिक रूप से सम्पूर्ण राशि स्वदेश निर्माण क्षेत्र में लगी हुई है और मैंने इसका ब्यौरा दे दिया है। आयात बहुत कुछ ही मात्रा तक सीमित है, वह 11 प्रतिशत है। इसके दो या तीन मूल कारण हैं। (1) जब हम विश्व बैंक अथवा किसी अन्य ऐसे बैंक से धन लेते हैं तो हमें पूरे विश्व से निविदाएं मंगानी पड़ती हैं और क्रयादेश सबसे कम निविदा को दिया जाता है जब हमारे देश में हमारे पास धन नहीं है और हम विदेश से ऋण लेते हों तो उपस्कर लेने पड़ेंगे । उदाहाणार्थ, हमने रूस से

1000 मेगावाट का ताप केन्द्र लिया है हमने ऋण रूस से लिया है हमें रूस से उपस्कर खरीदने होंगे। ऐसे मामलों में स्वदेशी संसाधनों ने उपस्कर खरीदने के लिए धन उपलब्ध नहीं होता। इसी प्रकार हमने ब्रिटेन से ऋण लिया है ; उसमें भी उपस्कर खरीदने की शर्त है। अतः हम विद्युत उपस्कर लें। अथवा फिर न लें। वह धन राशि स्वदेशी संसाधनों से उपलब्ध नहीं है। अतः इसमें दो या तीन अपवाद हैं परन्तु मूलतः और पर्याप्त रूप से सभी आर्डर 'भेल' को गये हैं। 19,666 मेगावाट की क्षमता में से 17,453 मेवावाट स्वदेशी को अर्थात 'भेल' को गई है और विदेशी स्रोतों को केवल 11 प्रतिशत गई है मेरे विचार से माननीय सदस्य ने जिस बात का उल्लेख किया है वह सही नही है और सही स्थिति नहीं दिखाती है जहां तक नए आर्डरों का सम्बन्ध है, जब 7वीं योजना तैयार की जाएगी और संसाधन उपलब्ध होंगे तदनुसार आर्डर दिए जाएंगे। जहां तक राज्य बिजली बोर्डों का सम्बन्ध है, मैंने अनुबन्ध में ब्यौरा दे दिया है। यदि माननीय सदस्य के पास ब्यौरा नहीं है तो में पढ़ सकता हूं ; यह तीन पृष्ठ का विवरण है और इसमें राज्य बिजली बोर्डों और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा दिए गए क्रयादेशों की पूरी स्थिति दी गयी है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या यह सच है कि महाराष्ट्र की चन्द्रपुर परियोजना के लिए एक बहुराष्ट्रीय फर्म को आर्डर दिया गया है जबकि 'भेल' ने उससे कम मूल्य की 'कोटेशन' दी थी ?

श्री विक्रम महाजन : जैसा कि मैंने पहले कहा था, जहां तक ऋण सम्बन्ध है जैसा कि मैंने अपने पहले के उत्तर में कहा था यदि हम ऋण लेते हैं तो हम उनके उपस्कर खरीदने पड़ते हैं। स्थानीय स्वदेशी निर्मित उपस्कर के लिये ऋण उपलब्ध नहीं है यदि 'भेल' हमें ऋण देना चाहता है तो हम अपने सभी उपस्कर 'भेल' से खरीद लेंगे, परन्तु हम विद्युत क्षेत्र को डुबो नहीं सकते हैं। क्योंकि 'भेल' को आर्डर नहीं दिए जा सकते हैं ; और यह विशिष्ट आर्डर महाराष्ट्र द्वारा दिया गया है। मामला विचाराधीन है।

कालाबाजार में कोयले की बिक्री

*133. **श्री सुझाव यादव :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयले के मुहानों से ही कालाबाजार में इसकी बिक्री होने के बारे में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों का गत तीन वर्षों के दौरान (वर्षवार) सरकार को पता लगा है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन सभी मामलों में बीच जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री - (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) : जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामगोपाल रेड्डी : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 'जी, नहीं से उनका क्या अभिप्राय है ? नहीं से क्या अभिप्राय है कि उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह जी हां, कहने से कोई अन्य अर्थ लगा सकते हैं ?

श्री रामगोपाल रेड्डी : मेरी यह शिकायत है कि उन्होंने इसका उचित ढंग से उत्तर नहीं दिया है । मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्योंकि कोई शिकायतें नहीं मिली हैं, अतः वह यह समझते हैं कि सब ठीक-ठाक है—क्या वह स्वयं इन बातों की जांच कर सकते हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : मुझे खेद है प्रश्न मुहानों पर काला-बाजारी सम्बन्धी शिकायतों के संदर्भ में पूछा गया है । इसी पहलू पर विचार किया गया है । लेकिन मेरे माननीय मित्र हर तरह की सूचना देने के स्रोत रखते हैं, मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि जांच निश्चय ही की जाएगी ?

श्री रामगोपाल रेड्डी : यदि मैं जांच करूं तो क्या वह मुझे यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता देंगे ? खैर, क्या मुहाने पर कोई बिक्री हुई है अथवा नहीं ?

श्री पी० शिवशंकर : मुहानों पर बिक्री होती है ' मैं इससे इन्कार नहीं करता । यह बिक्री 'आफ-दी-शेल्फ' दृष्टिकोण की नीति के आधार पर है अर्थात पैसा दो और माल उठाओ । उस आधार पर यह सच है कि मुहानों पर बिक्री की जा रही है । पार्टी नकद भुगतान करके मुहाने से ही कोयला खरीदती है ।

छोटे समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को डी० ए० वी० पी० द्वारा विज्ञापन दिया जाना

*134. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में धन तथा स्थान (स्पेश) दोनों रूप में प्रादेशिक भाषाओं के समाचार पत्रों को डी० ए० वी० पी० द्वारा दिए गए विज्ञापनों का अलग-अलग ब्यौरा क्या

(ख) इसी अवधि के दौरान धन तथा स्थान दोनों रूप में हिन्दी तथा अंग्रेजी में दिए गए विज्ञापनों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि धन तथा स्थान दोनों रूप में मध्यम समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को तुलना में बड़े समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं के भाग की प्रतिशतता लगातार बढ़ती जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो डी० ए० वी० पी० के विज्ञापनों में छोटे समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का भाग बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विवरण

विज्ञापन और दृष्टि प्रचार निदेशालय के विज्ञापनों (सजावटी और वर्गीकृत दोनों को मिलाकर) में समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों का भाषा-वार हिस्सा

भाषा	1979-80		1980-81		1981-82	
	स्थान (कालम सेंटीमीटर)	राशि रु०	स्थान (कालम सेंटीमीटर)	राशि रु०	स्थान (कालम सेंटीमीटर)	राशि रु०
1	2	3	4	5	6	7
अंग्रेजी	9,30,349	1,07,90,826	10,83.787	1,19,39,208	10,75,043	1,18,42,645
हिन्दी	9,66,237	65,53,126	13,96,712	88,86,732	14,23,709	1,00,31,103
मराठा	2,33.583	16,28,511	3,33,845	21,78,824	3,29,084	21,34,718
मलयालम	1,33,988	16,01,758	1,60,282	17,31,333	1,64,602	19,76,027
उर्दू	4,14,44?	14,84,110	5,96,532	21,83,515	6,24,533	26,[illegible]1,522
गुजराती	1,95,673	14,13,569	2,59,544	17.98.732	2.43.358	21.23.436
बंगला	1.64.369	12.12.871	2.37.444	16.59.388	2.44.592	33.06.235
तमिल	1.05.401	9.14.151	1.35.589	11.65.766	1.62.691	13.60 852

1	2	3	4	5	6	7
तेलगु	95.757	7..05.252	1.33.326	9.36.596	1.38.740	10.7.6558
कन्नड़	1.16.715	7.03.438	1.14.755	7.73.542	1.11.622	8.16.183
पंजाबी	1.14.244	5.27.039	1.75.760	7·97.602	1.62.089	8.42.642
उड़िया	64.531	3.49.113	72.785	4.27.310	75.477	4.75.705
असमिया	48.977	2.43.840	66.186	3.34.534	52.035	3.48.039
सिंधी	31.356	1.17.938	37.486	1.34.711	42.475	1.68.621
मणिपुरी	13.768	37.894	16.200	45.573	14.545	44.223
मिजो खासी	13.811	33.170	18.665	44.874	10·363	29.336
संस्कृत	3.606	10.434	3.670	11.269	486	1.343
कोंकणी	1.382	4.278	1.917	6.037	172	478
नेपाली	—	—	—	—	60	213
कुल :	36.48.195	2.83.31.408	48.44.485	3.·0.55.546	48.75.676	3.92.39.879

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री आरिफ मौहम्मद खां) : (क) और (ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ग) और (घ) : छोटे और मझोले समाचारपत्रों/नियतकालित पत्रों का धन के रूप में (यद्यपि स्थान के रूप में नहीं) हिस्सा मुख्य वर्ष 1976-77 की तुलना में 1977-78 से 1979-80 तक उत्तरोत्तर कम हो गया था । तथापि, यह स्थिति पिछले दो वर्ष में उलट हो गयी है । विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापनों में लघु और मझौले समाचार पत्रों का धन के रूप में हिस्सा 1979-80 में 40.31 प्रतिशत से बढ़कर 1981-82 में 49.96 प्रतिशत तथा 1982-83 की प्रथम तिमाही में 56.88 प्रतिशत हो गया है ।

श्री के० राममूर्ति : अध्यक्ष महोदय, यह काफी सराहनीय बात है कि इस सरकार ने छोटे और मझौले समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं के लिए डी० ए० वी० पी० के माध्यम से सरकारी विज्ञापनों का कोटा बढ़ा दिया है यद्यपि इन छोटे तथा मझौले समाचार पत्रो में विज्ञापन का कोटा बढ़ा दिया गया है । तथापि मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि शक्तिशाली समाचार पत्रों जिनका विभिन्न भाषाओं विमेषकर हिन्दी और अंग्रेजी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के समाचारपत्रों माध्यम पर एकाधिकार है, को कुल प्रचार की कितनी प्रतिशतता दी गई है ।

सूचना और प्रासारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : प्रश्न यह है कि शक्तिशाली समाचार पत्रों को कुल विज्ञापनों में से कितने प्रतिशत विज्ञापन दिए जाते हैं । जब तक "शक्तिशाली समाचार पत्र" शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं किया जाता तब तक मेरे लिए उत्तर दे पाना बहुत कटिन होगा ।

श्री राममूर्ति : यद्यपि मंत्री ने कहा है कि वह शक्तिशाली समाचार पत्र' शब्दों की परिभाषा चाहते हैं तथापि यह पहले ही विद्यमान है और हमारी सरकार इन 'शक्तिशाली समाचारपत्रों' को अन्य क्षेत्रों में भी अपने नए प्रकाशन कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं दे रही है । फिर भी, मैं विवेषकर क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में जानना चा ता हूं जो सहायता और संरक्षण की पात्र हैं । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में प्रतिशतता को 50.5 से वढ़ाकर 75 करने के लिए कोई नई नीति तैयार की गई है अथवा तैयार की जायेगी ।

श्री एन० के० पी० साल्वे : 1977-80 के वर्षों के दौरान हमारी जो नीति थी उसमें परिवर्तन करने के फलस्वरुप, पहले ही डी० ए० वी० पी० के जो विज्ञापन छोटे समाचार पत्रों को दिये जाते हैं उनकी प्रतिशतता में काफी वृद्धि हुई है । जहां तक क्षेत्रीय भाषाओं का संबंध हैं, उनमें भी कफी वृद्धि हुई है । विशेषकर, 1979-80 में, बंगला में कुल प्रतिशतता 4.28 थी और यह बढकर 8.47 हो गई हैं । गुजराती में यह 4.49 थी जो बढ़कर 5.41 हो गई है । उर्दू में यह 5.24 थी जो वढ़कर 6.79 हो गई है । इसके अतिरिक्त, प्रतिशतता के हिसाब से अंग्रेजी के पात्रों में डी० ए० वी० पी० के विज्ञापन घटे हैं, और सभी भाषाओं में वृद्धि हुई है । साथ ही छोटे समाचार पत्रों को विज्ञापनों के बदले जो भुगतान किया जाता है उसमें भी वृद्धि हुई है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिए ड्रिल-पातों का आयात

*135. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिये ड्रिल-पोतों का और आयात करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या देश में स्थिति शिपयार्ड ड्रिल-पोत सप्लाई करने में असमर्थ है ; और

(ग) क्या ऐसे ड्रिल-पोतों के आयात का स्वदेशी उद्योग पर गंभीर असर नहीं पड़ेगा !

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां । वर्तमान पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का दो और व्यधन रिगों की खरीद का प्रस्ताव है ।

(ख) और (ग) : घरेलू शिपयार्डों ने अभी तक किसी व्यधन पोत का निर्माण नहीं किया है और उनके पास इस समय प्रोद्योगिकी नहीं है । तथापि, घरेलू शिपयार्डों को इच्छित विशिष्टताओं के अनुसार व्यधन पोतों की सप्लाई करने का हर अवसर प्रदान किया जायेगा और इन पहलुओं पर उचित रूप से ध्यान देने के बाद समय कार्यक्रम और आयात निर्धारित किये जायेंगे ।

श्री जगदीश टाइगर : भारत की, अपनी तेल क्षमता को 245,000 बैरल प्रतिदिन से बढाकर 1983 तक 320,000 बैरल प्रतिदिन करने की योजना है तभी तो छठी पंचवर्षीय योजना का परिव्यय 3600 करोड़ रुपये है और 1990 तक यह परिव्य बढ़कर 8,000 करोड़ से 11,000 करोड़रुपये तक हो जाएगा । स्वाभाविक है कि उन्हें तट-दूर प्लेटफार्मों और छिद्रण पोतों की जरूरत पड़ेगी । मेरा अनुमान है कि यह मांग लगभग 70 पोतों की है । उनके पास पहले ही 30 पोत हैं । चूंकि देश का नौवहन उद्योग यह मांग पूरी नहीं कर सकता, अतः आप इन पोतों को 4000 डालर प्रतिदिन की लागत पर विदेशों से खरीद रहे हैं क्योंकि आपका कहना है कि देश के नौवहन कम्पनी को एक पोत सुलभ कराने में 36 महीने लगते हैं जबकि सिंगापुर 9 महीने के भीतर एक पोत सुलभ करा देता है । परिणामस्वरूप, संभवतया, छठी पंचवर्षीय योजना ◦ निर्धारित अधिकांश धन देश का नौवहन उद्योग प्लेटफार्मों के लिए नहीं बल्कि छिद्रण पोतों के सम्बन्ध में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की मांग पूरी करने में समर्थ नहीं है ? मुझे गांव गोदी छिद्रण पोतों के निर्माण के लिए उपकरणों से सज्जित नहीं है ? जब वे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए प्लेटफार्मों का निर्माण कर रहे हैं तो वे मझगांव गोदी में छिद्रण पोतों का निर्माण क्यों नहीं कर सकते ।

श्री दलबीर सिंह : जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर के मुख्य भाग में बताया है, देश के पोत कारखानों ने अब तक किसी छिद्रण पोत का निर्माण नहीं किया है, क्योंकि उनके पास अपेक्षित प्रौद्योगिकी नहीं है । प्रौद्योगिकी प्राप्त कर लेंगे और छिद्रण पोत का निर्माण करने की स्थिति में आ जायेंगे तो हम उन्हें क्रयादेश दे देंगे । छटी पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के तेल की खोज के लिए 95 कुओं का छिद्रण करने की योजना है । ऐसे 70 कुए का 1980-85 की अवधि के दौरान छिद्रण किया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने पहले ही एक डी० पी० 5 पोत तीन वर्ष के लिए किराए पर ले लिया

खोजी छिद्रण कार्य की मांग पूरी करने के लिए उनका दो ओर छिद्रण पोत प्राप्त करने का विचार है।

चूंकि देश के पोत कारखानों के पास यह प्रौद्योगिकी नहीं है, अतः हम उन्हें क्रयादेश देंने की स्थिति में नहीं है।

श्री जगदीश टाइटलर : इनमें से अधिकांश प्रश्न इसलिए उठाए गए हैं कि हमारे पास विदेशी प्रौद्योगिकी नहीं है, जबकि आयात की गई अधिकांश अन्य चीजों के मामले में एक शर्त यह भी रखी जाती है कि विदेशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाए नौवहन के मामले में भी यह प्रौद्योगिकी प्रारम्भ से ही हमारे पास होनी चाहिए थी।

मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि बाद में जब तेल के और अधिक स्रोतों का पता चलेगा तो स्पष्ट है कि नई प्रौद्योगिकी और सामग्री के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आना पड़ेगा। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से की जा रही खरीद देश के उत्पादन के लिए खतरनाक है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार के विचार जानना चाहता हूं।

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : खेद है कि मेरे मित्र का प्रश्न स्पष्ट नहीं है। परन्तु मैं इसका उत्तर देता हूं। जब हम बाहर से 'ड्रिल शिप' ही खरीदते हैं तो प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण अन्य शर्तोंके साथ एक शर्त का भी ठेका करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल 'ड्रिल शिप' खरीदते हैं तो प्रौद्योगिकी के स्थानांतरणकी भी होती है। जहां तक, मझगांव डाक लिमिटेड और हिन्दुस्तान शियार्ड का सम्बन्ध है, आगे आने वाले समय में हमें ड्रिलशिप बनाने चाहिए। वास्तव में मेरी हिन्दुस्तान शिपयार्ड के चेयरमैन से अभी हाल ही में बैठक हुई है जिसमें मैंने विदेशों से प्रौद्योगिकी लेकर शिपयार्ड बनाने का सुझाव दिया है। अतः इस ओर हमारा है।

तहसील मुख्यालयों में सार्वजनिक टेलीफोन घरों की स्थापना

*136. **श्री रामप्यारे पनिका :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न विभागों से की जा रही मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार तहसील-मुख्यालयों में स्थित डाकघरों में अनिवार्य रूप में सार्वजनिक टेलीफोन घरों की स्थापना करने के अनुदेश जारी करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या है तथा जनता की इस मांग को कैसे पूरा किया जाएगा और इसमें कितना समय लगेगा;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) तहसील मुख्यालयों में जिन-ज्नि डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की सुविधा मौजूद है, वहां ऐसे सार्वजनिक

टेलीफोन घर खोलने की मौजूदा नीति में पहले से ही व्यवस्था की गयी है।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राम प्यारे पनिका : प्रश्न का उत्तर सुस्पष्ट है, अतः में मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार या योजना आयोग द्वारा निर्धारित सभी तहसील मुख्यालयों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना कब की जाएगी। मैं मन्त्री महोदय से निश्चित आश्वासन चाहता हूं।

श्री विजय एन० पाटिल : भारत सरकार का राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मुख्यालयों की कुल संख्या 1561 है। क्योंकि बिहार और बंगाल ने तहसील मुख्यालय निर्धारित नहीं किए हैं इसलिए इस संख्या में वे शामिल नहीं हैं। इनमें से 148 मुख्यालयों को अभी सार्वजनिक टेलीफोन सुविधाएं दी जानी हैं।

गहन कोयला समन्वेषण कार्यक्रम

*137. **श्री ईरा अनबरासु :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले के सुनिश्चित संसाधनों में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय खान आयोजना तथा डिजाइन संस्थान द्वारा तैयार किए गए गहन कोयला समन्वेषण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाई की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान के 1980 81 तक के विस्तृत समन्वेषण कार्यक्रम या कम्पनीवार और वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

ड्रिलिंग के मीटरों की कम्पनीवार संख्या

वर्ष	ना०ई०को०	ई०को०लि०	भा०को०	को०लि०	से०को०लि०	वे०को०लि०
1	2	3	4	5	6	7
1982-83	9000	54,000	50,000	40,000	90,000	253,000
1983-84	5000	38,000	77,000	50,000	95,000	319,000
1984-85	9000	109,000	82,000	70,000	90,000	360,000

1	2	3	4	5	6	7
1985-86	9000	130,000	80 000	80,000	86,000	268,000
1986-87	9000	113,000	80,0000	80,000	86,000	368,000
1987-88	9000	92,000	80,000	100,000	87,000	368,000
1988-89	9009	90,000	82,5000	100,000	86,500	368,000
1989-90	9000	90,000	82,500	100,000	86,500	398,000
कुल	72,000	759,000	614,000	620,000	707,000	2772,000

इससे 1989-2000 ई० में उत्पादन शुरू करने के लिए परियोजनाओं को लगभग 10 वर्ष की लीड टाइम मिल जाएगा।

(ख) इस समय केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लिमिटेड ने विस्तृत समन्वेषण कार्य के लिए केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लि० की लगभग 50 डिलें खनि सन्वेषण निगम की 100 ड्रिलें, राज्य सरकारेंकी 16 ड्रिलें (12 मध्य प्रदेष और 4 उड़ीसा की) तथा गैर सरकारी ठेकेदारों की लगभग 30 ड्रिलें लगा रही है। केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लि० मीडियम और डीप क्षमता ती लगभग 15 ड्रिलें और लेने का विचार कर रहा है और इन ड्रिलों के शीघ्र ही काम शुरू कर देने की सम्भावना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ ड्रिलों का हमेशा अनुसरण होगा, यह आशा है कि औसतन लगभग 200 ड्रिलें

श्री ईरा अनबरासु : इस कार्यक्रम में दक्षिण के कौन से राज्यों को शामिल किया गया है। दक्षिण भारत के राज्यों में कोयले का कितना और कहां-कहां पता चला है।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु।

श्री ईरा अनबरासु : कोयले की प्राप्ति के सम्बन्ध में मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया। अब मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछता हूं। क्या बेहतर कोयला खनन के लिए हमने आधुनिक मशींनों का आयात किया है या करने का विचार है।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : जहां तक बेहतर कोयला खनन के लिए मशीनों के आयात करने का सम्वग्ध है उन्हें इसके लिएं अलग प्रश्न पूछना चाहिए।

श्री मोती भाई आर० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कलोल और मेहसाना के तेल क्षेत्र में ज्यादा गहराई पर अच्छा कोयला मिल रहा है। क्या वास्तविक स्थिति है। क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर : जहां तक मेहसाना का सम्वन्ध है; यह सच हैं कि वहां

कोयले के बड़े भण्डारों की सूचना मिली है। हम गैस का प्रयोग करने पर विचार कर रहे हैं ताकि समस्त कोयले का उपयोग किया जा सके। खोज की जा रही है और पूरा ब्यौरा देना सम्भव नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हाजीपुर को पटना स्थानीय टेलीफोन व्यवस्था के अन्तर्गत लाना

121. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना में गंगा पर पुल बनाने के बाद हाजीपुर पटना का हिस्सा बन गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि पटना और हाजीपुर के बीच ट्रंक काल में भारी कठिनाई होती है ; और

(ग) क्या हाजीपुर को पटना स्थानीय टेलीफोन व्यवस्था के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं ; तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। पटना और हाजीपुर के बीच ट्रंक काल मिलने में कोई अधिक विलम्ब या कठिनाई नहीं हुई है। औसत रूप से अर्जेंट कालों में लगभग 15 मिनट और साधारण ट्रंक कालों में लगभग आधे घन्टे का विलम्ब होता है।

(ग) जी नहीं । हाजीपुर और पटना की अपनी अलग-अलग नगरपालिकायें हैं और ये शहर दो पृथक राजस्व जिलों में स्थित हैं। विभागीय नीति के अनुसार दोनों एक्सचेंज प्रणालियों के अपने अलग टेलीफोन स्थानीय इलाके हैं।

हड़ताल तथा तालाबन्दी के कारण हानि

*122. **श्री एम० वी० चन्द्रसेखर मूर्ति** :

श्री बी० वी० देसाई : क्या **श्रम और पुर्नावास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1982 के पहले पांच महीनों के दौरान हड़ताल तथा तालाबन्दी के कारण देश में 77 लाख जन-दिवसों की हानि निजी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक थी ?

श्रम ओर पुर्नावास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) श्रम ब्यूरों में 17-7-82तक प्राप्त रिपोटों के अनुसार जनवरी से मई, 1982 तक की अवधि के दौरान 76.5 लाख श्रम दिनों की हानि हुई।

(ख) जी, नहीं। जनवरी से मई, 1982 तक की अवधि के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र में नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या क्रमशः 8.1 और 68.4 लाख थी।

बंधुआ मजदूरों का पता लगाना और उनका पुनर्वास

*125 **श्री मती जयन्ती पटनानक :**

श्री पी० एम० सईद : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में बंधुआ मजदूरों का पता लगाने और उनके पुनर्वास के लिए विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों को विशेष मार्गनिदेश भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक इस कार्य के लिए विभिन्न उपाय किए हैं ;

(ग) इन राज्यों में से प्रत्येक ने पिछले तीन वर्षों में कितने बंधुआ मजदूरों का पता लगाया है ; और

(घ) इस अवधि में पाए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए इन राज्यों ने क्या विशेष उपाय किए हैं ?

श्रम और पुनर्वास (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

11 राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोटों के अनुसार, 30.6.82 की स्थिति के मुताबिक पता लगाए गए और मुक्त कराए गए बन्धुआ श्रमिकों की कुल संख्या 1,44,930 है, जिनमें से 84, 269 को पुनर्वासित किया जा चुका है। राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला अनुबन्ध संलग्न है। श्रम मन्त्रालय राज्य सरकारों को समय-समय पर अनुदेश जारी करता रहा है कि वे अपनी वर्तमान एजेंसियों के माध्यम से बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण करे बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाने के बारे में राज्य सरकारों को फरवरी, 1982 और मई, 1982 में जारी किए गएं नवीनतम अनुदेश इस प्रकार है :

(क) राजस्व विभाग द्वारा अर्थशास्त्र और सांख्यिकी ब्यूरो पिछले वर्गों के कल्याण के जोरल निदेशालय, आदिवासी अनुसन्धान ब्यूरो जैसी उपलब्ध एजेंसियों की सहायता से और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 32वे दौर के माध्यम से यूनिटों के लिए किए गए सर्वेक्षण के आधार पर परिवार सर्वेक्षण करके बंधुआ श्रमिकों का पता लगाया जाए।

(ख) बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाने का यह कार्य मकानस्थलों/मकानों के आवंटन के लिए लक्ष्य ग्रुपों का पता लगाने के लिए किए जा रहे सर्वेक्षणों/जनगणना के दौरान किया जाए।

(ग) ऐसे सर्वेक्षणों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण योजनाएं तैयार करने के कार्य के साथ समेकित किया जाए।

(घ) बन्धुआ श्रमिकों की विद्यमानता का पता लगाने के लिए पत्थर खानों और ईट भट्टों के सम्बन्ध में गहन अध्ययन और सर्वेक्षण किए जाएं और ऐसे सर्वेक्षण समय-बद्ध कार्यक्रम के भीतर पूरे किए जाने चाहिए।

(ङ) श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्यरत गैर सरकारी व्यक्तियों स्वैच्छिक एजेंसियों और विशिष्ट संस्थानों को इस कार्यक्रम के साथ सहयोजित किया जाए।

हमें बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात से उत्तर प्राप्त हुए हैं, जिनमें यह सूचित किया गया है कि उन्होंने बंधुआ श्रमिकों का नए सिरे से पता लगाने के लिए कदम उठाए हैं। राज्य सरकारों को निम्नलिखित के संबंध में भी अनुदेश जारी किए गए हैं :

(1) समाचार-पत्र की उन रिपोर्टों को सम्यक मान्यता दी जाए, जिनमें बंधुआ की विद्यमानता और उनकी समस्याओं के बारे में प्रकाश डाला जाता है।

(2) बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने और उन्हें पुनर्वासित करने की समस्याओं के बारे में बेहतर जागरूकता लाने के लिए प्रचार अभियान शुरू किया जाना चाहिए और जहां कहीं ऐसा अभियान पहले ही शुरू किया गया हो, उसे तेज किया जाना चाहिए।

(3) यह आवश्यक है कि जिला और उप-मण्डलीय स्तरों पर सतर्कता समितियों के कार्य-कलापों को मुख्य मन्त्री या विषय के प्रभारी मन्त्री की अध्यक्षता में गठित स्थायी समिति के स्तर पर मानीटर, समन्वित और मूल्यांकित किया जाना चाहिए।

राज्य सरकारों को 4 सितम्बर, 1982 को एक ब्लु प्रिंट भी भेजा गया है, जिसमें पुनर्वास के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत मार्गदर्शी रूप रेखा दी गई है। पुनर्वास के पन्द्रह संघटक निम्नलिखित नियमानुसार हैं :

(1) मकान-स्थल तथा कृषि भूमि का आवंटन ;

(2) भूमि विकास (जिसमें ऐसी भूमि की सिंचाई, जो पहले से उनके पास है, तथा आवंटन भूमि की सिंचाई शामिल है।

(3) कम लागत वाले घरों की व्यवस्था ;

(4) ऋण (खपत ऋण सहित) ;

(5) कृषि ;

(6) बागवानी ;

(7) पशु-पालन, दुग्धशाला, मुर्गी पालन ; सुअर-बाड़ा, चारे की पैदावार, आदि ;

(8) नया कौशल हासिल करने के लिए प्रशिक्षण, वर्तमान कौशल को विकसित करना ; टी० आर० वाई० एस० ई० एम० की भूमिका ;

(9) परम्परागत कला और दस्तकारी ;

(10) मजदूरी रोजगार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रवर्तन, आदि,

(11) स्वस्थ, चिकित्सा देखरेख और स्वच्छता, आदि ;

(12) लघु वन उत्पाद एकत्रीकरण और संसाधन, आदि ;

(13) अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति ;

(14) बंधुआ श्रमिकोंके बच्चों की शिक्षा ; और

(15) सिविल अधिकारी की सुरक्षा ;

चूंकि केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत प्रति बंधुआ श्रमिक पुनर्वास अनुदान की राशि 4,000/—रुपये तक सीमित है, अतः राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे ठोस कार्यक्रम, तैयार करे जिससे वे विभिन्न योजनाओं अर्थात समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशिष्ट काम्पोनेंट प्लान तथा आदिम जाति के लिए उपयोजना के स्रोतों का पूल कर सकें और केन्द्र द्वारा संचालित योजना के साथ कौशलपूर्ण एकीकृत कर सके ताकि बेहतर पुनर्वास किया जा सके ।

अब तक कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा दमन और दीव तथा असम की सरकारों से ही उत्तर प्राप्त हुए हैं । हालांकि कर्नाटक तथा तमिलनाडु की सरकार ने योजना का स्वागत किया है और बताया है कि वे आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही कर रहे हैं, अन्य तीन सरकारों ने सूचित किया है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बन्धुआ श्रम पद्धति विद्यमान न होने के कारण बन्धुआ श्रम पद्धति विद्यमान न होने के कारण बन्धुआ श्रमिकों का प्रश्न नहीं उटता ।

अनुबन्ध

विवरण जिसमें पता लगाए गए, मुक्त कराए गए और पुनर्वासित बंधुआ श्रमिकों की संख्या दी गई है ।

(30.6.1982 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	राज्य सरकारों द्वारा सूचित किए गए आंकड़े बंधुआ श्रमिकों की संख्या	
	पता लगाए गए और मुक्त कराए गए	पुनर्वासित
1. आंध्रप्रदेश	13,422	8,610

2. बिहार	7,651	4,503
3. गुजरात	63	62
4. कर्नाटक	62,699	31,189
5. केरल	829	452
6. मध्य प्रदेश	1,777	263
7. उड़ीसा	15,632	1,323
8. राजस्थान	6,047	6,027
9. तमिलनाडु	27,874	26,964
10. उत्तर प्रदेश	8,644	4,584
11. महाराष्ट्र	292	292
	1,44,930	84,269

गैर सरकारी क्षेत्र में टेलीविजन चैनल

*126 **श्री, रतन सिंह राजदा :**

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टेलीविजन निर्माता एशोसियेशन के अध्यक्ष ने गैर सरकारी क्षेत्र में टेलीविजन चैनल आरम्भ करने की अनुमति मांगी है ताकि टेलीविजन कार्यक्रमों को अधिक रूचिकर और प्रभावी बनाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सुचना और प्रसारण राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्रम विधियों में परिवर्तन

*128. **श्री रामलाल राही :**

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्यौगिक शान्ति तथा निर्वाध उत्पादन सुनिश्चित करने की दृष्टि से श्रम विधियों में आवश्यक परिवर्तन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के परिवर्तन करने का विचार है और तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) औद्योगिक सम्बन्धों विषयक कानून है औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और व्यवसाय संघ, 1926 । इस वर्ष के दौरान औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन किया गया है। और व्यवसाय संघ अधिनियम में संशोधन करने सम्बन्धी एक विधेयक लोक सभा के समक्ष विचारार्थ पड़ा है । इसके अतिरिक्त सरकार ने राज्य सभा में भी अस्पताल और अन्य अस्पताल और अन्य संस्थाएं (विवादों का निपटारा) विधेयक, 1982 में पेश किया है।

(ख) फिलहाल इन कानूनों के सम्बन्ध में संशोधन सम्बन्धी और किन्हीं प्रस्तावों पर गौर नहीं किया जा रहा ।

औषधियों के लिए दोहरी मूल्य नीति

***129. श्री मोती भाई आर० चौधरी :**

श्री रविन्द्र वर्मा : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार औषधियों के लिए दोहरी मूल्यनीति पर विचार कर रही है :

(ख) यदि हां, तो उसके आधार क्या हैं : और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत औषधियों के वर्गीकरण की कसौटी क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ईन्धन गैस में मिलावट

***130. श्री के० मालन्ना** : क्या ऊर्जा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पिछले एक वर्ष के दौरान ईन्धन गैस में मिलावट करने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में (राज्यवार) ब्यौरा क्या है और इस मामले में दोषी पाए गए व्यक्तियों/संघटनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) पेट्रोलियम विभाग में प्राकृतिक गैस या तरली-

कृत गैस (एल० पी० जी०) में मिलावट के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और केवल इन्हीं ईन्धन गैसों से यह विभाग सम्बन्धित है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन केन्द्रों का निर्माण

*138. **श्री ए० निलालोहिथादसन नाडार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय समूचे देश में कितने दूरदर्शन केन्द्रों का निर्माण चल रहा है और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उनका निर्माण कब तक पूरा होने की आशा है और उनको कब तक चालू किये जाने की आशा है, इसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) इस समय अहमदाबाद तथा त्रिवेन्द्रम में नए दूरदर्शन केन्द्रों तथा आसनसोल और पणजी में रिले केन्द्रों के निर्माण के लिए निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा, 20 स्थानों पर अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना का कार्य भी चल रहा है।

2. भवनों के मुक्कमल होने तथा परियोजनाओं के चालू होने की अनुमानित तारिखें इस प्रकार हैं :

क्रम संख्या	केन्द्र/परियोजना	भवनों के मुक्कमल होने की तारीख	परियोजना के चालू होने की तारीख
1	अहमदाबाद	जुलाई, 1983	1984-85
2	त्रिवेन्द्रम	अक्तूबर, 1983	1984-85
2	पणजी	नवम्बर, 1982	नवम्बर, 1982
4	आसनसोल	अप्रैल, 1983	1983-84

3. अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के लिए 20 स्थानों के नाम नीचे दिए गए हैं तथा ये एशियाई खेलों से पहले चालू हो जायेंगे :

(1) त्रिवेन्द्रम
(2) भोपाल
(3) पटना
(11) शलांग
(15) कोहिमा
(13) इटानगर

(4) शिमला (14) ऐजवाल
(5) भुवनेश्वर (15) देबरिया
(6) गंगटोक (16) जम्मू
(7) पोर्ट ब्लेयर (17) इन्दौर
(8) गोहाटी (18) सूरतगढ़
(9) इम्फाल (19) मालदा
(10) अगरतल्ला (20) काकीनाडा

आयातित अखबारी कागज का मूल्य निर्धारित करना

*140. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित अखबारी कागज के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी आधार के बारे में समाचारपत्र उद्योग ने असंतोष प्रकट किया था ; और

(ख) क्या खरीद सम्बन्धी बातचीत में समाचारपत्र उद्योग को सम्बद्ध करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे : (क) जी, हां।

(ख) राज्य व्यापार निगम अखबारी कागज का आयात अपनी अखबारी कागज खरीद समिति तथा इस मन्त्रालय की अखबारी कागज सलाहकार समिति के परामर्श से करता है। इन दोनों समितियों में समाचारपत्र उद्योग के सदस्यों को पहले ही प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

हमने इस मन्त्रालय द्वारा गठित अखबारी कागज मूल्य निर्धारण समिति में समाचार पत्र उद्योग के दो प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का अब निर्णय ले लिया है।

राजस्थान में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना

*141. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजथान में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र का स्थापना-स्थल निश्चित किया गया है : और

(ख) यदि हां, तो उक्त उवरक संयंत्र राजस्थान में किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चित्तौड़ में इंडायलिंग

*142. **श्री पी० रामगोपाल नायडू : क्या संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितौड़ में इन्डायलिंग स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) चितौड़ में एकल डायलिंग प्रायोगिक आधार पर पहले से ही कार्य कर रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बाल श्रमि ों की मजदूरी

1293. **श्रीमती माधुरी सिंह : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या सरकार का ध्यान कारखानों, फार्मों, होटलों में तथा कियोस्को आदि पर काम कर रहे बच्चों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) : क्या यह भी सच है कि बाल श्रमिकों को कानून के अनुसार निर्धारित न्यूनतम चेतन नहीं दिया जाता है ; और

(ग) : यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) : सरकार को काम-काज बालकों की समस्याओं की जानकारी है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में किसी अनुसूचित रोजगार में नियोजित बालकों के लिए न्यूनतम मजदूरी-दरों के निर्धारण के लिए व्यवस्था है। न्यूनतम मजदूरी दरों को निर्धारण करने और उन्हें लागू करने की जिम्मेवारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है, क्योंकि अधिकांश अनुसूचित रोजगार राज्य क्षेत्राधिकार में आते हैं। अनेक मामलों में इस प्रकार की मजदूरी दरें निर्धारित की गई है।

नेशनल केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड से प्लैटिनम की चोरी

1294. **श्री निहाल सिंह : क्या रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वम्बई नेशनल कैमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड से 77 लाख रुपये से अधिक मूल्य के प्लैटिनम की चोरी के बारे में की गई जांच-पड़ताल का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस मामले में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० से हुई लगभग 70 लाख रुपये के प्लैटिनम की चोरी की पुलिस

द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है। चूंकि पुलिस जांच-पड़ताल अभी पूर्ण नहीं हुई है अतः इस मामले में दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

हल्दिया में पेट्रो-केमिकल्स कांम्पलेक्स

1295. **श्री चिन्तामणि जैना** : *क्या ऊर्जा मन्त्री यह* बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में पेट्रो-कैमिक्ल काम्प्लैक्स के निर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान कर दिया है;

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लगता क्या है; और

(ग) इसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी तथा इसका कार्य कब शुरू हो जायेगा और इसमें उत्पादन कब तक आरम्भ हो जाएगा?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) हल्दिया में एक पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना के लिए 11 नवम्बर, 1977 को पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास. निगम को आशय पत्र जारी किया गया था। विभिन्न पेट्रो-रसायनों के निर्माण के लिए अधिक क्षमताओं की समस्याओं की व्यवस्था के लिए इसमें 19 दिसम्बर, 1980 को संशोधन किया गया था।

(ख) 1981 के मूल्यों के आधार पर अनुमानित लागत 660 करोड़ रुपये से 690 करोड़ रुपये तक है।

(ग) संशोधन आशय-पत्र में एथीलीन की उत्पादन क्षमता अधिक करके 100,000 मी० टन प्रति वर्ष करने की व्यवस्था है। इस अवस्था में निर्माण तथा उत्पादन प्रारंभ करने की संभावित तिथि के बारे में बताना संभव नहीं है।

सेवा- निवृत्त डाक-तार कर्मचारियों की पुर्निनयुक्ति

1296. **श्री एन० ई० होरो** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को डाक-तार कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए पुनः नियुक्त करने का निर्णय किया है:

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के कार्य लम्वित हैं और ऐसे कितने कर्मचारी राज्यवार लाभान्वित होंगे; और

(ग) किन-किन श्रेणियों में पुर्ननियुक्ति आवश्यक समझी गई है?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) सेवा निवृत्त डाक-तार कर्मचारियों को केवल लिपिकीय तथा प्रचालन कार्यों के

लिए नियमित रिक्तियों पर पुनः सेवा में रखा जा सकता है। चूंकि पुनः रोजगार कुछ निर्धारित शर्तों एवं नियमित रिक्तियों की उपलब्धता होने पर ही दिया जा सकता है इसलिए उन सेवा निवृत्त कर्मचारियों की जो इससे लाभान्वित होंगे संभावित संख्या बताना व्यवहार्य नहीं है।

(ग) पुनः रोजगार का प्रस्ताव सिर्फ डाक सहायकों छंटाई सपायकों, टेलीफोन प्रचालकों, टेलीग्राफिस्टों तथा टेलीफोन राजस्व लेखा लिपिकों इत्यादि के संवर्ग में ही किया गया है।

नई टेलीग्राफ पद्धति का शुरू किया जाना

1297. **श्री नवीन रवाड़ी : क्या संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नई टेलीग्राफ पद्धति "स्टोर एण्ड फारवर्ड" शुरू की गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह किन-किन नगरों में शुरू की गई है तथा इसके अन्तर्गत कैसा काम चल रहा है ; और

(ग) यदि यह सन्तोषजनक है, तो क्या सरकार इसे देश के अन्य भागों में भी शुरू करने के बारे में विचार करेगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। यह प्रणाली मद्रास और हैदराबाद केन्द्रीय तारघरों में चालू की जा चुकी है। फिलहाल यह आजमाइशी तौर पर चालू की गई है।

(ख) मद्रास स्थित एस० एफ० टी० प्रणाली मद्रास अण्णा रोड, मद्रास साम्बलम, मद्रास आई० टी० ओ०, बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली, बंगलौर, कायंबतूर, मदुरै, सेलम, तिरूचिरापल्ली, तूतीकोरिन और वेल्लूर के साथ कार्य कर रही है ।

हैदराबाद स्थित एस० एफ० टी० प्रणाली खैरतावाद (हैदराबाद) , सिंकदराबाद (हैदराबाद, कलकत्ता, पुणे, गुंटूर, काकीनाडा, कुर्नूल, नेल्लूर, निजामाबाद, राजमहेन्द्री, विजयवाडा, विशाखापटनम और वारंगल के साथ कार्य कर रही है।

अभी तक के परिणाम संतोषजनक रहे हैं।

(ग) परिणामों का मूल्यांकन अभी भी किया जा रहा है।

सोडा ऐश की माँग

1298. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय सोडा ऐश की मांग में बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सरकार द्वारा इसे देश में उत्पादन द्वारा पूरा करने हेतु क्या व्यवस्था की गई है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) अकार्बनिक रसायनों पर कार्यकारी दल द्वारा लगाये गये अनुमानों के अनुसार वर्ष 1982-83 के लिये सोडा ऐश की मांग 7,30 लाख टन है।

(ख) 6.95 लाख टन की विद्यमान स्थापित क्षमता के अलावा 11-06 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता अनुमोदित की गई है। अनुमोदित क्षमता का कार्यान्वियन हो जाने के पश्चात देश में सोडा ऐश का अधिशेष होने की आशा है।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिए राज्यों द्वारा मांगी गई सहायता

1299. **श्री अर्जुन सेठी : क्या श्रम और पुनर्वासम** न्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि राज्यों ने न्यूनतम मजूरी अधिनियम के उर्वरक उपबन्धों को कार्यान्वित करने सम्बन्धी प्रवर्तन तन्त्र को मजबूत करने के लिए 50-50 प्रतिशत के आधार पर केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) : यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदबई): (क) और (ख) : कुछ राज्यों/प्रशासनों की यह मांग रही है कि उनके राज्यों में प्रतर्वनतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए बराबर-बराबर आधार पर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। तथापि, केन्द्रीय योजना के प्रस्ताव को योजना आयोग ने पहले अनुमोदित नहीं किया था।

स्वचालित केन्द्रों वाले जिला/मुख्यालय

1300. **प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर : क्या संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार ऐसे जिला मुख्यालय कौन-कौन से हैं जहां चालू वित्तीय वर्ष सहित गत 3 वर्षों के दौरान स्वचालित केन्द्रों की स्थापना की गई है ;

(ख) राज्य-वार किन-किन जिलों में अभी तक यह सुविधा प्रदान नहीं की गई है ; और

(ग) प्रत्येक जिला-मुख्यालय के मामले में यह सुविधा किस-किस तारीख तक प्रदान कर दी जाएगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) यह जानकारी विवरण-1 में दी गई है।

(ख) और (ग) अपेक्षित जानकारी विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

पिछले तीन वर्षों के दौरान जिला मुख्यालयों में स्वचालित किए गए करचल एक्सचेंज

वर्ष	एक्सचेंज/राज्य का नाम	
1980-81	1. बिलासपुर	(मध्य प्रदेश)
	2. रोपड़	(पंजाब)
	3. फरीदकोट	(पंजाब)
1981-82	4. अहमदनगर	(महाराष्ट्र)
	5. पांडिचेरी	(संघ राज्य क्षेत्र-तमिलनाडू)
	6. नेल्लोर	(आन्ध्र)
	7. नागौर	(राजस्थान)
1982-83	8. दुर्ग	(मध्य प्रदेश)
सितम्बर, 83 तक	9. शोलापुर	(महाराष्ट्र)
	10. मथुरा	(उत्तर प्रदेश)
	11. नैनीताल	(उत्तर प्रदेश)

विवरण-2

जिला मुख्यालयों में (30-9-82 को) करचल एक्सचेंज और उनके स्वचालीकरण कार्यक्रम का विवरण।

क्रम सं०	दूर संचार सर्किल/राज्य	प्रारंभिक आबंटन	स्वचलीकरण की संभावना
1.	2.	3.	4.
	आन्ध्र		
1.	इलुरू	83-84	85-86
2.	कुरनूल	82-83	83-84
3.	निजामाबाद	82-83	84-85
4.	संगारेड्डी	81-82	82-83
	बिहार		
5.	औरंगाबाद	84-85	85-86

1	2	इ	4
6.	बेगुसराय	83-84	85-86
7.	बेतिया	81-82	83-84
8.	भागलपुर	82-83	84-85
9.	बिहार शरीफ	83-84	85-86
10.	दूमका	84-85	85-86
11.	गया	83-84	84-85
12.	गिरडीह	81-82	83-84
13.	हाजीपुर	84-85	85-86
14.	गोपालगंज	84-85	85-86
15.	मधुबनी	84-85	85-86
16.	नवादा	84-85	85-86
17.	पूर्णिया-गुलाब वाग	84-85	85-86
18.	सहारसा	81-82	83-84
19.	सीतामढ़ी	81-82	83-84
20.	सीवान	81-82	83-84
21.	माधोपुर	83-84	85-86
22.	खगड़िया	83-84	85-86
	गुजरात		
23.	अहवा	84-85	85-86
24.	भड़ोंच	83-84	85-86
25.	केरा	81-82	83-84
26.	हिम्मतनगर	83-84	85-86
27.	सुरेन्द्र नगर	82-83	84-85
28.	भुण	83-84	85-86
29.	जुनागढ़	82-83	84-85

1 3	3	4
जम्मू एवं कश्मीर		
30. लेह	81-82	84-85
31. कूपवाड़ा	83-84	85-86
32. कठुआ	84-85	85-86
33. कारगील	83-84	85-86
34. पुलवामा	82-83	84-85
35. राजोरी	82-83	84-85
कर्नाटक		
36. बीजापुर	83-84	85-86
37. गुलर्बा	83-84	84-85
38. कोलहर	82-83	84-85
39. मंडीया	83-84	85;86
केरल		
40. कलपेट्टा	83-84	85-86
मध्य प्रदेश		
41. बालाघाट	84-85	85-86
42. बेतूल	84-85	85-86
43. भिन्ड	84-85	85-86
44. छतरपुर	रेडीवरसन	84-85
45. धर	84-85	85-86
46. दतीया	84-85	85-86
47. गुणां	84-85	85-86
48. झबुआ	84-85	85-86
49. खरगौनी	84-85	85-86
50. मंडला	84-85	85-86

1	2	3	4
51.	नरसिंह	84-85	83-84
52.	पन्ना	84-85	85-86
53.	रतलाम	83-84	85-86
54.	राजगढ़	83-84	85-86
55.	रायसेन	84-85	85-86
56.	शाहदूल	81-82	83-84
57.	शिवपुरी	84-85	82-83
58.	सीधी	84-85	85-86
59.	शाहर्जीपुर	84-85	82-83
60.	अम्बीका पुर	84-85	85-86
61.	टीकमगढ़	84-85	85-86
	महाराष्ट्र		
62.	अलीबाग	79-80/81-82	83-84
63.	अकोला	80-81	82-83
64.	बुलडाना	81-82	83-84
65.	धूलिया	83-84	85-86
66.	परभानी	81-82	83-84
	उत्तर-पूर्वी दूरसंचार सर्किल		
	असम		
67.	डिबरुगढ़	83-84	84-85
68.	हाफलोंग	81-82	83-84
69.	जोरहट	83-84	84-85
70.	उत्तरी लखीमपुर	81-82	83-84
71.	नावगोंग	83-84	85-86
72.	सिलचर	83-84	84-85

1	2	3	4
73.	तेजपुर	83-84	85-86
	अरुणाचल प्रदेश (संघ राज्य क्षेत्र)		
74.	खोनसा	83-84	85-86
	मनीपुर		
75.	इम्फाल	81-82	1984
	मेघालय		
76.	जोवाइ	79-80	84-85
77.	तूरा	81-82 तक	84-85
78.	विलियन नगर	83-84	85-86
	नागालैंड		
79.	मूकोकचुंग	74-75 तक	84-85
80.	जूमीभूती	83-84	85-86
81.	तूइनसेंग	73-74	84-85
	त्रिपुरा		
82	अगरतला	80-81	82-83
83.	कैलाशनार	81-82	83-84
84.	राधाकिशोरपुर	81-82	83-84
	उत्तर-पश्चिमी सर्किल		
	हरियाणा		
85.	कुरुक्षेत्र	वसूल किया गया	84-85
86.	नारनौल	83-84	85-86
	हिमाचल प्रदेश		
87.	सोलन	81-82	83-84
88.	नाहन	84-85	85-86
89.	चम्बा	84-85	85-86

1 2	3	4
90. हमीरपुर	84-85	85-86
91. उना	84-85	85-86
92. बिलासपुर	84-85	85-86
93. कूल्लू	84-85	85-86
उड़ीसा		
94. बालासुर	81-82	83-84
95. बोलनगिर	81-82	83-84
96. धेनकानल	84-85	85-86
97. छतरपुर	84-85	85-86
98. कूंझर	84-85	85-86
99. कोरापट	84-85	85-86
100. बेरीपाडा	84-85	85-86
101. भूलबेनी	84-85	85-86
102. पुरी	81-82	83-84
103. सम्भलपुर	82-83	84-85
104. सुन्दरगढ़	84-85	85-86
राजस्थान		
105. वंसलबाड़ा	81-82	83-84
106. बूंदी	84-85	85-86
107. बाड़मेर	81-82	83-84
108. चित्तोड़ गढ़	82-83	84-85
109. चूरू	83-84 तक	85-86
110. डूंगरपुर	84-84	85-86
111. जलोर	84-85	85-86
112. जैसलमेर	84-85	85.86

1 2	3	4
113. झालावाड़	84-85	85-86
114. झुन-झुन	84-85	85-86
115. स्वाईमांधोपुर	84-85	85-86
116. सीकर	81-82-83	84-85
117. सिरोही	84-85	85-86
118. श्री गंगा नगर	82-83	84-85
119. टोंक	84-85	85-86
तमिलनाडू		
120. नागरकाइल	80ˇ81	82-83
121. चुड्डालोर	84-85	85-96
122. तंजावूर	82-83	84-85
123. तिरूनल वेली	80-81	82-83
उत्तर प्रदेश		
124. अलमोड़ा	81-82	82-83
125. बांदा	84-85	85-86
126. बिजनौर	81-82	83-84
127. चमोली	81-82	82-83
128. फतेहगढ़	83-84	85-86
129. फतेहपुर	84-85	85-86
130 गाजीपुर	84-85	85-86
131. झांसी	83-84	85-86
132. वजीतपुर	84-85	85-86
133. मथुरा	78-79	82-83
134. उरई	84-85	85-86
135. पौड़ी	84-85	85-86

1	2	2	4
136.	पिथौरागढ़	84-85	85.86
137.	सुलतानपुर	84-85	85-86
138.	उत्तर कांशी	81-82	83-84
139.	प्रतापगढ़	81-82	83-84
	पश्चिम बंगाल		
140.	बांकूरा	82-83	82-83
141.	बरहामपुर	83-84	85-86
1Ⴆ2.	चिसूरा	80-81	82-83
143.	जलपाईगुड़ी	83-84	85-86
144.	सूरी	1980	82-83

कलकत्ता टेलीफोन सिस्टम

1301. **श्री सनत कुमार** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता टेलीफोन सिस्टम की स्थिति अत्यधिक शोचनीय है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यकरण में, विशेष रूप से उपभोक्ता सेवा में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं ।

(ख) सेवा स्तर में सुधार लाने के लिये निरन्तर विभिन्न कदम उठाये जाने हैं जिनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

1. ऊपरी तारों की जगह इन्नलेटेड ड्राप वायर लगाना ।
2. विवरण परिपथ जाल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए जैली भरे केबिलों का प्रयोग ।
3. क्षति के होने पर उसका तुरन्त पता लगाने के लिये मुख्य, जंक्शन एवं गौण केबिलों का शुष्क वायु से दाबीकरण ।
4. क्षति को रोकने के लिये केबिलों को पी० बी० सी० नलिकाओं में बिछाना ।
5. सार्वजनिक उपयोगता वाले संगठनों, अस्पतालों एवं समाचार एजेंसियों आदि के लिए कार्य कर रहे महत्वपूर्ण टेलीफोनों का दैनिक परीक्षण ।

"जेक-अप रिंगों" की खरीद

1302. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री नवीन रवाणी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तटदूर पर तेल की खोज के लिए अधिक "जेक-अप रिंग" खरीदने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किस देश से और इस "जेक-अप रिंगों" की लागत क्या है ;

(ग) इसका किन-किन क्षेत्रों में खोज के लिए उपयोग किया जायेगा ; और

(घ) ऐसे रिंगों की वर्तमान संख्या क्या है और कब से कार्य कर रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग मरम्मत और विकास खुदाई के अपने कार्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो और जैक-अप रिगें प्राप्त कर रहा है। इसके अतिरिक्त तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग बम्बई हाई में गैस के धमाके से क्षतिग्रस्त हुए जैक-अप रिंग "सागर विकास" के स्थान पर अन्य रिंग या तो खरीदने अथवा किराये पर लेने के भी प्रयत्न कर रहा है।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने दो जैक-अप रिगों की खरीद करने के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित की हैं और प्राप्त की गई बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। अतः इस अवस्था में लागत तथा खरीद का स्रोत बताना सम्भव नहीं है।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा दो जैक-अप रिंगों का प्रयोग मुख्यतः बम्बई हाई में मरम्मत कार्यों के लिए ताकि उत्पादन को अनुकूल स्तर तक बनाये रखा जा सके और वर्षा के दौरान विकास खुदाई कार्य करने के लिए होगा।

(घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अभी तक छः जैक-अप रिंग खरीदे हैं। एक जैक-अप रिंग 'सागर विकास" हाल ही के धमाके में क्षतिग्रस्त हो गया है। दो खरीद किये गये जैक-अप रिंग अर्थात "सागर सम्राट" और "सागर प्रगति" को पश्चिम तट पर लगाया गया है। शेष तीन रिंग अर्थात "सागरशक्ति", "सागर गौरव" और "सागर ज्योति" पर अभी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को प्राप्त होने हैं। इसके अतिरिक्त गपांच जैंक-अप, रिंग जसमें दो गहरे जल वाले जैक-अप रिंग शामिल हैं, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के पास किराये पर हैं, पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों पर कार्यरत हैं।

मथुरा आगरा और उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य नगरों के लिए दूरदर्शन की सुविधायें

1303. **श्री डी० जी० सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा और आगरा तथा इनके आस-पास के क्षेत्र यथा भरतपुर, फिरोजाबाद हाथरस, अलीगढ़ आदि दूरदर्शन उपभोक्ताओं को दिल्ली अथवा अतिरिक्त व्यय पर दूरदर्शन सिगनल बूस्टरों के सहायता से भी दूर प्रसाररण प्राप्त नहीं है ;

(ख) क्या दूरदर्शन के 14 जनवरी 1982 के समाचार के अनुसार डाक-तार विभाग दिल्ली केन्द्र से आगरा को दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए सूक्ष्म तरंग-सुविधा देने की स्थिति में है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार आगरा में शीघ्र ही एक दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करने वाली है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है, तो उक्त दोनों शहरों के नाम तथा उनके आस-पास के लोग अपने दूरदर्शन सेटों पर दूर प्रसारण का लाभ किस प्रकार उठा पायेंगे विशेषकर एशियाई खेलों के दौरान ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) दिल्ली दूरदर्शन ट्रांसमीटर की वर्तमान सेवा परिधि 68 किलोमीटर है। दिल्ली में 2×10 किलोवाट के ट्रांसमीटर के स्थायी ढांचे के चालू हो जाने के बाद, सेवा परिधि बढ़कर 90 किलोमीटर हो जायेगी प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्र दिल्ली दूरदर्शन के ट्रांसमीटर की सेवा परिधि से बाहर पड़ते हैं।

(ख) और (घ) : आगरा दिल्ली-कलकत्ता माइक्रोवेव मार्ग में पड़ते है तथा इसको उन स्थानों में से एक स्थान चुना गया है जिनमें माइक्रोवेव के माध्यम से दूरदर्शन सेवा के माध्यम के विस्तार की भावी योजना के अन्तर्गत दूरदर्शन रिले-केन्द्र स्थापित किये जाने हैं। इसका कार्यान्वयन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

"गांधी" फिल्म को प्रमाण-पत्र

1304. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर रिचर्ड एटेनबरो की फिल्म, "गांधी" केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड बम्बई द्वारा स्वीकृत कर दी गई है ; यदि हां तो कब ;

(ख) क्या सेन्सर ने किन्हीं अंशों को निकालने या संशोधित करने का सुझाव दिया है ; यदि हां, तो ये अंश कौन से हैं ;

(ग) क्या प्रमाण-पत्र देने से पूर्व ये सभी संशोधन इसमें सम्मिलित कर लिए गए हैं ;

(घ) क्या इस फिल्म के हिन्दी संस्करण को इस बीच "डब" कर दिया गया है ; यदि हां, तो कहां, और इस पर कितना वास्तविक व्यय हुआ है ; और

(ङ) क्या भारत में अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही संस्करण एक साथ रिलीज किए जायेंगे, और यदि नहीं, तो इनमें से कौन-सा संस्करण पहले रिलीज किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं। फिल्म "गांधी" को प्रमाणीकरण के लिए केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के पास अभी तक नहीं भेजा गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) डब करने की प्रक्रिया चल रही है । डब करने में होने वाले व्यय का पता प्रक्रिया के पूरा होने के बाद चलेगा ।

(ड़) अंग्रेजी और हिन्दी के समाचारपत्रों को साथ-साथरिलीज करने का प्रस्ताव है ।

नोटरियों की नियुक्ति

1305 **श्री बी० एन० गाडगिल : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने **की** कृपा करेंगे कि :

(क) नोटरियों की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है ;

(ख) प्रत्येक नगर के लिए किस आधार पर नोटरियों की कुल संख्या के बारे में स्वीकृत प्रदान की जाती है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक नगर में नोटरियों की कुल संख्या में वृद्धि करने का है ।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) वे मापदण्ड जिनके आधार पर नोरियों की नियुक्तियां की जाती हैं, नोटरी अधिनियम , 1952 और नोटरी नियम नियम, 1956 में अधिकथित हैं ।

(ख) किसी नगर के लिए नोटरियों की संख्या का विनिश्चय, उसकी जनसंख्या, औद्योगिक और आर्थिक विकास तथा अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए संबन्धित राज्य सरकार के परामर्श से, उसकी आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है ।

(ग) देश भर में प्रत्येक नगर में नोटरियों की कुल संख्या में वृद्धि करने के किसी प्रस्ताव पर इस समय विचार नहीं किया जा रहा है ।

बम्बई में कपड़ा श्रमिकों की हड़ताल

1306. **श्री भीखा भाई : क्या श्रम और पुनर्बास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई जांच की है कि बम्बई में कपड़ा श्रमिकों की लम्बी हड़ताल से किन लोगों के स्वार्थ सिद्ध हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने लम्बी हड़ताल के कारणों का कोई गहन अध्ययन किया है ।

(ग) क्या यह सच है कि हड़ताल से पूर्व बम्बई के बाजारों में कपड़े का भारी स्टाक आ गया था ; और

(घ) क्या सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट मिली है कि इस लम्बी हड़ताल से श्रमिकों के बजाय उद्योगपतियों को लाभ पहुंचता है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) जी, नहीं । बम्बई के कपड़ा श्रमिकों की हड़ताल से पैदा हुई स्थिति के बारे में सरकार पूर्णतः अवगत है परन्तु वह कोई जांच अथवा अध्ययन करना आवश्यक नहीं समझती ।

(ग) सूती कपड़ा उद्योग में भण्डार इकट्ठा होना एक सामान्य बात रही है । टेक्सटाइल्स विभाग से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार बम्बई की मिलों सहित कपड़ा उद्योग में दिसम्बर, 1980 की तुलना में दिसम्बर, 1981 में अपेक्षाकृत अधिक भण्डार थे ।

(घ) जी, नहीं ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत

1307. **श्री चिंग वांग कोनयक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है और अखिल भारतीय औसत की तुलना में यह खपत कितनी है, और

(ख) इस क्षेत्र में बिजली की स्थिति में सुधार करने और इस राष्ट्रीय औसत पर लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान बिजली की प्रति व्यक्ति अखिल भारतीय खपत 134.82 यूनिट की औसत की तुलना में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 29.93 यूनिट थी ।

(ख) अधिक गांवों के विद्युतीकरण तथा पम्पसेटों के ऊर्जन आदि किए जाने से तथा वहां पर जब कानून और व्यवस्था की हालत बेहतर होगी तब प्रति व्यक्ति खपत बढ़ जाएगी ।

तीन बेंड के रेडियों/ट्रांजिस्टर सेटों पर से लाइसेंस शुल्क समाप्त करना

1308. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तीन बैंड के रेडियों/ट्रांजिस्टर सैटों पर से लाइसेंस शुल्क समाप्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

सूचरा और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नही ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में खाना बनाने की गैस के लिए कनक्शन देने में असंगति

1309. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में किशनगंज क्षेत्र में एल० पी० जी० की प्रतीक्षा सूची

में 1980 में पंजीकृत लोगों को खाना पकाने की गैस के लिए कनैक्शन दिए जा रहे हैं जबकि मेंलरेंस-त्रिवनर क्षेत्र में 1975 में प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत लोगों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी असंगति के कारण क्या हैं और इसे दूर करने के लिए क्या उपाय अपनाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) जी, हां। किशनगंज क्षेत्र में 1980 में किए गए और त्रिनगर में जनवरी, 1979 में किए गये पंजीकरण के प्रति एल० पी० जी० (कुकिंग गैस) कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

(ख) असमानता प्रत्येक स्थल पर प्रतीक्षा-सूचियों में दर्ज व्यक्तियों की संख्या में इस समय कार्यरत वितरकों की संख्या में और योजनाबद्ध वितरकों की संख्या आदि में भिन्नता होने के कारण हुई है। दीर्घकालीन प्रतीक्षा सूचियों वाले क्षेत्रों में और अधिक वितरकों की नियुक्तियां करने तथा प्रतीक्षा सूचियों को पुन: वितरण करने के लिए भी कदम उठाए जायेंगे ताकि असमानता कम की जा सके।

निचितपुर और टेन्टुलमरी में "रंगदारी टेक्स"

1310. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के क्षेत्र संख्या पांच में निचितपुर कोयला खान के कर्मचारियों और गुण्डों द्वारा स्थानीय बिक्री के मामले में 20/- रुपये प्रति ट्रक "रंगदारी टैक्स" के रुप में वसूल करते हैं ;

(ख) क्या यही कदाचार "टेन्टुलमरी- वेब्रिज" पर भी खुले रूप से चल रहा है ;

(ग) क्या गत छ: महीनों के दौरान इस कदाचार को रोकने के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के पास अनेक शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) ऐसी कोई भी शिकायत भारत कोकिंग लि० के प्रबन्ध मंडल को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) तुतुलमारी कोलियरी में किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की रिपोर्ट नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सोलर कुकरो के निर्माण के लिए लाइसेंस

1311. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोलर कुकरों के निर्माण के लिए उद्यमियों को कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं ;

(ख) अब तक कितने सोलर कुकर तैयार किए गए हैं ;

(ग) ऐसे कुकरों के लिए कितनी राज सहायता उपलब्ध है ;

(घ) सोलर कुकरों से मिट्टी का तेल अथवा जलाने की लकड़ी के प्रयोग को कम करने में किस सीमा तक सहायता मिली है ; और

(ङ) सस्ते मूल्य पर अच्छी किस्म के कुकर बनाने के लिए कौन सेप्रभावी कदम उठाने का विचार है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी' महासागर विकास तथा ऊर्जा मन्त्रालय के गेर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग के राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) सौर कुकर एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। सौर कुकरों के विनिर्माण व रियायती दरों पर बिक्री के लिए राज्य सरकारों के संगठनों/एजेंसियों द्वारा एक योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा नामित उन संगठनों, जिनके नमूने परीक्षण के बाद पास कर दिए गए हैं उनका विवरण संलग्न है राज्य सरकारों से उपलब्ध सूचना के अनुसार संगठित क्षेत्र में 30-6-1982 को समाप्त वर्ष तक 4188 सोलर कुकरों का उत्पादन किया गया उसके बाद जितने कुकरों का उत्पादन किया गया है उनकी सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। इसके अतिरिक्त अलग-अलग विनिर्माताओं द्वारा विभिन्न डिजाईनों के सौर कुकरों का विनिर्माण किया जा रहा है।

(ग) सौर कुकर औरं संबन्धित खाना बनाने के बरतनों की कीमत का 33/1/3 प्रतिशत आर्थिक सहायता के रूप में दिया जा रहा है। यह अधिक से अधिक 150 रुपये प्रति सेट तक हो सकती है।

(घ) यह अनुमान लगाया गया है कि छः व्यक्तियों के परिवार में सौर कुकर के नियमित प्रयोग से 600 कि० ग्रा० जलाने की लकड़ी या 500 कि० ग्रा० कोयला या 285 लीटर मिट्टी के तेल की वार्षिक बचत की जा सकती है।

(ङ) इस समय, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाल सौर कुकरों के नमूनों की जांच की जा रही है। गुणवत्ता को सुनिश्चिव करने के लिए ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग के अन्तर्गत सौर तापीय ऊर्जा केन्द्र में सौर कुकरों की सामुहिक जांच व निरीक्षण के लिए प्रबन्ध कराए जा रहे हैं। जैसे जैसे मांग वे उत्पादन के परिणाम में वृद्धि होती जायेगी, उसके अनुसार इनकी कीमतों में भी कमी होने की आशा है। सौर कुकरों के नये डिजाइनों को तैयार करने के लिए अनुसन्धान और विकास कार्य किया जा रहा है।

विवरण

रियायती दरों पर सौर कुकरों का विनिर्माण व वितरण करने के लिए प्राधिकृत संगठनों की राज्यवार सूची।

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश		संगठन
1. राज्य	—	(1) राजस्थान स्टेट एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, विराट भवन, 'सी' स्कीम जयपुर (2) राजस्थान खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर।
2. गुजरात	—	गुजरात एनर्जी डिवेल्पमेन्ट एजेंसी, बी० एन० चैम्बर्ज, थर्ड फ्लोर, आर० सी० दत्त रोड, वादोदरा- 490005
3. कर्नाटक	—	कर्नाटक इम्प्लीमेंट्स एण्ड मशीनरीज कम्पनी लिमिटेड, मैसूर रोड, बंगलौर-560- कम्पनी लिमिटेड, मैसूर रोड, बंगलौर-560026
4. हरिणाणा	—	हरियाणा स्टेट स्माल इण्डस्ट्रीज एण्ड एक्स पोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, सैक्टर 17-डी, चंडीगड़।
5. मध्य प्रदेश	—	मध्य प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज डिवेल्यमेंट कारोरेशन, भोपाल।
6. उत्तर प्रदेश	—	इण्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड रुरल टैक्नालोजी, 26, चेथन लाइन, इलाहाबाद (यू० पी०)
7. पंजाब	—	पंजाब स्टेट इण्डस्ट्रीयल डिवेल्पमेंट कारपोरेशन लि०, सैक्टर 17-ए, चंडीगड़-190017
8. उड़ासा	—	इम्प्लीमेंट्स फैक्टरी, सत्यनगर, भुवनेश्वर (उड़ीसा)
9. दिल्ली	—	(1) द सुपर बाजार कोआपरेटिव स्टोर्ज, कनाट पलेस, नई दिल्ली-110001 (2) दिल्ली स्माल इन्डस्ट्रीयल डिवेलपमेंट कारपोशन कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001

पूर्वोत्तर के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के गावों का विद्युतीकरण ।

1312. **डा० आर० रोथूअमा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क), अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के कितने नगरों/गांवों का आज तक विद्युतीकरण किया गया है

(ख) मिजोरम/अरूणाचल प्रदेश संघशासित प्रदेश के कितने नगरों/गावों का 1982-83 में विद्युतीकरण करने का विचार है; और

(ग) इन राज्यों/संघ शासित प्रदेश को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 1982--83 के लिए केन्द्र केन्द्र ने कितनी धनराशि आवंटित की है ?

ऊर्जा मन्त्र लय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के जिन शहरों/गांवों को अगस्त, 1982 के अन्त तक विद्युतीकरण कर दिया गया है, उनकी संख्या का व्यौरा इस प्रकार है :

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	शहरों की कुल संख्या	अगस्त, 1982 के अन्त तक विद्युतीकरण किए गए शहर	गांवों की कुल संख्या	अगस्त, 1982 के अन्त तक विद्युतीकृत किए गए गांव
मणिपुर	8	8	1,949	401
मेघालय	6	6	4,583	908
नागालैंड	3	3	960	469
त्रिपुरा	6	6	4,727	1,163(*)
अरूणाचल प्रदेश	4	4	2,983	473
मिजोरम	2	2	229	55

*30-6-1982 की स्थिति के अनुसार

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान अरूणाचल प्रदेश में 120 अतिरिक्त गांवों तथा मिजोरम क्षेत्र में 29 गांवों को विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव है। इन दोनों संघ शासित क्षेत्रों में सभी शहरों को पहले ही विद्युतीकृत कर दिया है।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए निधियों की निधियों की व्यवस्था राज्यों के सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाती है तथा ग्राम विद्युतीकरण निगम की वित्त व्यवस्था

से इसकी अनुपूर्ति की जाती है। प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में 1982-83 के दौरान कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए वित्त व्यवस्था स्रोतों के अन्तर्गत किया गया आवंटन नीचे दिया गया है।

(लाख) रुपयों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	विभिन्न स्रोतों के अन्तर्गत वित्तीय आबंटन			1982-83 के लिए कुल आवंटन
	सामान्य विकास कार्यक्रम	ग्रा० वि० नि० कार्यक्रय	न्यूनतम आवश्यकता	
मणिपुर	15.00	14.60	60.00	89.00
मेघालय	—	217.00	43.00	260.00
नागालैंड	67.00	30.00	34.00	131.00
त्रिपुरा	—	150.00	50.00	200.00
अरूणाचल प्रदेश	—	—	150.00	150.00
मिजोरम	60.00	—	40.00	100.00

मद्रास उर्वरक परियोजना का विस्तार

1313. **श्री डी० एस० ए० शिवाप्रकशम** : क्या रसायन और उवरक मन्त्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडू सरकार ने मद्रास उर्वरक परियोजना के विस्तार के लिए कोई अनुरोध पत्र भेजा है :

(ख) यदि हां, तो क्या कोई स्वीकृति आदेश जारी किया गया है : और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० ने कच्चे माल के रूप में नेफ्था पर आधारित उनकी परियोजना के विस्तार के लिए अनुमति देने के लिए इस मन्त्रालय से अनुरीध किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कच्चे माल सम्बन्धी नीति नेफ्था पर आधारित उर्वरक एकक को किसी तटीय स्थान पर स्थापित करने की अनुमति नहीं देती। नैफ्था का निर्यात करने के बजाय उसका कच्चे माल के रूप में उपयोग करने के लाभों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

सरकारी, सहकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों से सम्बन्धित उर्वरक कारखानों का कार्यकरण

1314. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सरकारी, सहकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के अन्तर्गत रसायनिक उर्वरक कारखानों की पृथक-पृथक वर्तमान संख्या क्या हैं :

(ख(उनके आरम्भ होने के समय से 31 मार्च, 1982 तक की अवधि के दौरान इन कारखानों का वर्ष-वार और कारखाने-वार लाभ और हानि का विवरण क्या है :

(ग) इन कारखानों का वर्ष-वार और कारखाने-वार क्षमता उपयोग का ब्यौरा क्या है :

(घ) सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं द्वारा और शेयर-होल्डरों द्वारा पृथक-पृथक रूप से इन कारखानों में कारखाने-वार अथवा एकक-वार लगाई गई पूंजी का ब्यौरा क्या है : और

(ङ) सरकारी क्षेत्र में भारी हानि के क्या-क्या मुख्य कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण पत्र I, II, III और I/I में दी गई है निजी क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों के निदेश लाभ और हानि आदि के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

[**ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 548,42**]

(ङ) ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्रीय उर्वरक कम्पनियों में हानियां मुख्यतया से पूर्णतया कम क्षमता उपयोग के कारण हुई है । 1980-81 में कोयले और फीड स्टाक की अपर्याप्त उपलब्धता, उपकरण और विद्युत समस्याओं के कारण क्षमता का कम उपयोग हुआ । वर्ष 1981-82 में उपकरण और विद्युत समस्याएं कम क्षमता उपयोग के मुख्य कारण थी उपकरणों का परिवर्धन/प्रतिस्थापना कैप्टिव विद्युत प्रजनन सुविधाओं की स्थापना आदि जैसे विभिन्न उपचारी कदम निरन्तर आधार पर उठाये जा रहे हैं ताकि सार्वजनिक क्षेत्रीय उर्वरक कम्पनियों के उत्पादन कार्यनिष्पादन और वित्तीय परिणामों को सुधारा जा सके ।

विदेशों में काम कर रहे भारतीय श्रमिकों को सहायता

1315. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या श्रम और **पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में काम कर रहे भारती श्रमिकों की काम करने सम्बन्धों प्रतिकूल अवस्था को देखते हुए उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं अथवा करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास उत्प्रवासी श्रमिकों के कामकाज और रहन-सहन की दशाओं में सुधार हेतु नियोजकों के साथ बात-चीत करने,तय न हुए मामलों को श्रम न्यायालयों में उठाने और विशिष्ट परिस्थितियों में उन्हें

उपप्रवास श्रमिकों को नियोजित करने वाले देशों की सरकारों के साथ उठाने के काम में उप्प्रवासी श्रमिकों को सहायता करते हैं। उत्प्रवास को विनियमित करने और उप्प्रवासियों को शोषण से संरक्षण प्रदान करने सम्बन्धी एक विधेयक विचार की अंतिम अवस्था में है।

जयपुर में गैस का स्फ ुटन

1316. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयपुर में रेल-रोड क्रासिंग के समीप एक स्थान से कई दिनों से गैस फ ुस्टितहो रही है ;

(ख) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान ने उस स्थान का सर्वेक्षण किया है ;

(ग) राज्य सरकार तथा विशेषज्ञों के इस मामले में क्या निष्कर्ष हैं ; और

(घ) जयपुर में गैस-फ्रुस्टन की नवीनतम स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

नलकूप से पानी गिरने से बिजली बनाना

1317. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नल कूपों से पानी गिरने से जल-विद्युत का उत्पादन करने की व्यावहारिक संभावना की जांच की गई है, जिससे कि कम से कम नलकूप चलाए जा सकें, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है : और

(ख) क्या औद्योगिक और कृषि कार्यों के लिए रक्षित डीजल-पावर सैटों को राज-सहायता देने का विचार किया गया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ट्युव वैलों की प्रतिष्ठापना भूजल स्रोतों से पानी खींचने के लिए की जाती है और पम्पों का प्रचालन करने के लिए डीजल या विद्युत शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले पम्पों के साइज का निर्धारण भू-तल तक पानी उठाने के आधार पर किया जाता है। ऐसे मामलों में पम्पों के निस्सरण की साइड पर उपलब्ध शीर्ष विद्युत की महत्वपूर्ण मात्रा उपलब्ध कराने की दृष्टि से बहुत ही छोटा होता है और पानी खींचने के लिए विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जीवन रक्षक औषधियों के निर्माण के लिये आशय पत्र जारी करना

1318. **श्री रामजीभाई मावाणि :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी जीवन रक्षक औषध कम्पनियां कितनी हैं जिनको 1 जनवरी, 1980 से 30 सितम्बर, 1982 के दौरान औषधियों के निर्माण के लिये आशय-पत्र जारी किये गये ;

(ख) उनकी योजनाओं, परियोजनाओं और प्राक्कलनों का ब्यौरा क्या है, और प्रत्येक का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान विदेशों से प्रत्येक प्रकार की जीवन रक्षक औषधियां कितनी मात्रा में आयात की गई और उनकी मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का विचार इसके महत्व को देखते हुए इन उद्योगों का राष्ट्रीकरण करने का विचार है ;

(ङ) यदि हां, तो कब और कैसे ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) जीवन रक्षक औषधों की कोई मानक सूची नहीं है। पहली जनवरी, 1980 से 30 सितम्बर, 1982 की अवधि के दौरान प्रपुंज औषधियों के उत्पादन के लिऐं 36 औषध उत्पादक कम्पनियों को आशय पत्र स्वीकृत किए गए हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इनकी योजनाओं, परियोजनाओं आदि के ब्यौरे अनुबन्ध-1 में दिए गए हैं।

ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2482/82

(ग) 1980-81 और 1981-82 में आयात की गई प्रत्येक प्रकार की आवश्यक औषध से संबन्धित आंकड़े अनुबन्ध-11 में दिए गए हैं

ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5482/82

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) किसी भी उद्योग के राष्ट्रीयकरण को सामान्य या विशेष स्वरूप के नीति निर्णयों पर आधारित करना पड़ता है। इसके आधार पर ऐसी कार्यवाही करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

डाक और तार कर्मचारियों को बोनस

1319. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक और तार कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सरकार द्वारा हाल में घोषित बोनस का ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार की उक्त घोषणा के बारे में डाक और तार कर्मचारियों की विभिन्न यूनियनों, फेडरेशनों और एसोसिएशनों की प्रतिक्रियाएं क्या है ;

(ग) बोनस का भुगतान कब और कैसे किया जाएगा ;

(घ) उक्त निर्णय से राजकोष पर कुल कितनी धनराशि का दबाव बढ़ेगा ; और

(ङ) गत पांच वर्षों के दौरान (वर्षवार) बोनस की कितनी-कितनी धनराशि दी गई ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान हुए उत्पादकता के आधार पर डाक-तार कर्मचारियों को उत्पादकता के आधार पर बोनस के बतौर 22 दिनों के वेतन की घोषणा की गई है और इस आशय के आदेश 29-9-82 को जारी कर दिए गए हैं। इसमें डाक-तार बोर्ड, संचार मंत्रालय के अन्तर्गत विदेश संचार सेवा तथा वायरलैस संगठन सहित डाक-तार विभाग के सभी कर्मचारी लाभान्वित होंगे, डाक-तार विभाग के वे सभी नैमित्तिक मजदूरी जो गत 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिनों अथवा उससे अधिक दिनों तक कार्यरत रहे हैं, वे भी अनुग्रह राशि के बतौर 150 रुपये के सैद्धांतिक वेतन पाने के लिए पात्र होंगे विभागेतर कर्मचारी भी 75 रुपये के मासिक वेतन के आधार पर तदर्थ भुगतान पाने के पात्र होंगे। अधिकतम 1600 रुपये पाने वाले कर्मचारी बोनस के हकदार हैं। वे कर्मचारी जो 750 रुपये से अधिक लेकिन 1600 रुपये तक का वेतन पाते हैं उनका उत्पादकता के आधार पर बोनस यह मानते हुए कि उनका वेतन 750 रुपये प्रति माह था के आधार पर परिकलित किया जाएगा इस योजना से ला न्वित होने वाले कुल संभावित कर्मचारी 8.9 लाख है जिनमें 2.9 लाख विभागेत्तर कर्मचारी भी शामिल हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में अभी लक कोई मत प्राप्त नहीं हुए है।

(ग) इसका नकदी भुगतान आगामी पूजा दशहरे के पर्व से पूर्व कर दिया जाएगा।

(घ) लगभग 21 करोड़ रुपये।

(ङ) उत्पादकता पर आधारित बोनस योजना 1979-80 में चालू की गई थी। इस उत्पादकता पर आधारित बोनस पर अदा की गई (वर्ष-वार) राशि नीचे दी गई है:-

वर्ष	राशि	विवरण
1979-80	14.48 करोड़ रुपये	15 दिन के वेतन की अनुग्रह राशि सद्-भावना स्वरूप दी गई।
1980-81	16.78 करोड़ रुपये	19 दिन का बोनस
1981-82	19.83 करोड़ रुपये	22 दिन का बोनस

महरौली के एक पेट्रोल पम्प द्वारा डीजल में मिलावट

1320. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डो-बर्मा पेट्रोलियम प्राधिकारियों ने दिनांक 30 अगस्त, 1982 को मिलावट के आरोप में महरौली के एक पेट्रोल-पम्प को सील कर दिया है और कथित मिलावटी डीजल का नमूना लिया और उसकी जांच की ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पेट्रोल-पम्प के मालिक के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) अन्धेरी चौक, महरौली के निकट एक आई० बी० पी० डीलर मैसर्स चन्द्रा चौहान सर्विस स्टेशन, महरौली द्वारा बेचे गए डीजल में पानी की विद्यमानता के सम्बन्ध में टेलीफोन पर एक शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 30-8-1982 को इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम के अधिकारी और उनके साथ पुलिस प्राधिकारी स्थल पर पहुंचे। उत्पादन के नमूने लिए गये थे और प्रयोगशाला अर्थात आई० ओ० सी० अनुसंधान और विकास केन्द्र, फरीदाबाद को परीक्षण के लिए भेजे गए थे। परीक्षण रिपोर्ट में एच० एस० डी० में पानी की 8·7 प्रतिशत की विद्यमानता बताई गई है और यह भी बताया गया है कि एच० एस० डी० विशिष्टता वाला नहीं पाया गया था । खुदरा बिक्री केन्द्र को सप्लाई बन्द कर दी गई थी और भण्डारण टेंक । प्रदान करने वाले यूनिट सील कर दिए गए थे ।

(ग) और (घ) कम्पनी (आई० बी० पी०) ने डीलर का स्पष्टीकरण मांगा था। डीलर का उत्तर अब आई० बी० वी० को प्राप्त हो गया है। इस मामले का निरीक्षण करने के लिए आई० बी० पी० के सतर्कता के प्रमुख अधिकारी, जिनका दर्जा पुलिस महानिरीक्षक का होता है, के अधीन एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। आई० बी० पी० द्वारा इस मामले में आगे कार्यवाही जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर की जायेगी। खुदरा बिक्री केन्द्र को सप्लाई बन्द कर दी गई है।

विद्युत संयंत्र उपकरण आयात करने के लिए गुजरात का अनुरोध

1321. **श्री आर० पी० गायकवाड :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात बिजली बोर्ड ने गुजरात के गांधीनगर ताप बिजलीघर के विस्तार के लिए सेटों का आयात हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है।

(ख) यह प्रस्ताव कब से विचाराधीन है ;

(ग) प्रस्ताव को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या किन्हीं अन्य बिजली बोर्डों को अपने बिजलीघरों के लिए सेटों का आयात करने की अनुमति दी गई थी। और

(ङ) यदि हां, तो गुजरात विजली बोर्ड के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) मई, 1982 में गुजरात बिजली बोर्ड ने गांधीनगर विस्तार परियोजना के लिए 2 0-210 मेगावाट की दो यूनिटों के लिए वित्तीय-व्यवस्था करने और उपस्कर की सप्लाई करने हेतु उनको प्राप्त स्वीडिशन-डैनिश संयुक्त बजटीय प्रस्ताव का उल्लेख किया था और ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए संभावित आधारों पर भारत सरकार से दिशा निर्देश मांगा था।

(ग) सरकारी ऋण, सप्लाईकर्त्ता ऋण और वाणिज्यिक ऋण के जरिए वित्त-व्यवस्था की संभाव्यताओं सहित विद्युत परियोजनाओं के लिए उपस्करों की सप्लाई हेतु विदेशों/ओवरसीज कंपनियों ने ऐसे कई प्रस्ताव किए हैं।

(घ) और (ङ) सरकार की वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत राज्य बिजली बोर्डों को इस बात का ध्यान रखे बिना कुछ उपस्कर स्वदेशी तौर पर निर्मित किए जाते हैं विद्युत उपस्करों के लिए विश्व-व्यापी निविदाएं आमंत्रित करने के लिए अनुमति दी जाती है। ऐसी विश्व-व्यापी निविदाओं के आधार पर विदेशी या भारतीय सप्लाईकर्त्ता का चयन, भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत शक्ति प्रदत्त समिति की संवीक्षा के अनुसार होता है जो कि सभी संगत पहलुओं पर विचार करती है। कर्नाटक विद्युत निगम लि० बंगलौर द्वारा स्थापित की जा रही वराही जल विद्युत परियोजना पर मणि बांध विद्युत घर के लिए उपस्करों के आयात के लिए शक्ति प्रदत्त समिति ने अभी हाल ही में अनुमति दी है। गुजरात बिजली बोर्ड के साथ अलग व्यवहार नहीं किया गया है

सोडा एश उद्योग में संकट

1322. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों द्वारा भारतीय बाजार में सस्ते मूल्यों पर, जो वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से किसी प्रकार भी सम्बद्ध नहीं हैं, सोडा-एश जमा कर देने के कारण देश के सोडा-एश उद्योग को संकट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसके परिणाम स्वरूप देश में उत्पादन को कितनी क्षति पहुंची और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) और (ख) सोडा ऐश आयात हेतु खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत है। निर्माता अभ्यावेदन दे रहे हैं कि ओ० जी० एल० के अन्तर्गत सोडा ऐश के बड़े पैमाने पर आयात और कम उठान के कारण स्टाक जमा हो रहा है और यदि आयातों पर प्रतिबन्द न लगाया गया तो उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तथापि, आल इण्डिया ग्लास मैन्यूफैक्चरस फेडरेशन और आल इण्डिया सिलिकेट मैन्यूफैक्चर एसोसिएशन जैसे उपभोक्ता संघ वर्तमान आयात नीति को चालू रखने का तर्क दे

रहे हैं। मांग और स्वदेशी उपलब्धता को घ्यान में रखे हुये आयात नीति निरन्तर समीक्षाधीन है।

तमिलनाडु सरकार द्वारा केन्द्र की स्वीकृति के लिए भेजी गई तापीय और पनबिजली परियोजना

1323. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन तापीय और पनविजली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो तमिलनाडु सरकार द्वारा केन्द्र के पास स्वीकृति भेजी गई है और जो स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं; और

(ख) उन स्वीकृत तापीय और पन-विजली संयन्त्रों का ब्यौरा क्या है जो गत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु सरकार द्वारा पूरी कर ली गई हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकित कि जाये रहे प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	जांच की स्थिति
. जल विद्युत स्कीमें		
पंडियार पुन्नापूझा	2×30	परियोजना रिपोर्ट की जांच कर ली गई है इसमें अन्तर्राज्यीय पहलु निहित है। जिनका केरल और तमिलनाडु के बीच अभी समाधान किया जाना है।
शनमुघनदी	1×30	तकनीकी जांच पूरी करली है इसमें अन्तर्राज्यीय पहलु है जिनका अभी समाधान किया जाना है।
चोलाटीपूझा	1×60	तकनीकी जांच पूरी करली है। स्वीकृति से पहले केरल राज्य की सहमति आवश्यक है। परियोजना रिपोर्ट को भी अद्यतन किया जाना है।
अपर अमरावती	1×30	तकनीकी जांच पूरी कर ली है। इसमें अन्त-

		राज्यीय पहलु शामिल हैं । जिनका समाधान किया जाना है ।
चिन्नार चित्ताड़ व्यपवर्तन स्कीम	9	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के आधार पर परियोजना अधिकारियों से संशोधित रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
पाइकारा जल विद्युत परियोजना भूमिगत बिजली घर	3 × 50	अभी हाल ही में प्राप्त हुई है और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है ।
ताप विद्युत स्कीमें		
उत्तरी मद्रास	5 × 210	कोयला लिंक अभी स्थापित नहीं किया गया है तमिलनाडु बिजली बोर्ड से कुछ ब्यौरे की प्रतीक्षा है ।
गैस टर्बाइन	6 × 50	समग्र ऊर्जा स्थिति की दृष्टि से स्कीम की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है ।
तुतीकोरिन ता० वि० केन्द्र विस्तार (चरण-III)	1 × 210 + 1 × 500	अभी तक कोयला लिंक स्थापित नहीं किया गया है । पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति की तमिलनाडु बिजली बोर्ड से प्रतीक्षा है ।

विवरण-2

पिछले पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में पूरी की गई जल विद्युत तथा ताप विद्युत परियोजनाओं की सूची

स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
जल विद्युत स्कीमें	
कुन्डा चरण-चार	1 × 50
	1 × 60
सुरुलियार	1 × 35
ताप विद्युत स्कीमें	
तुतीकोरिन चरण-एक	1 × 210
	1 × 210
तुतीकोरिन चरण-II	1 × 210

"एक्स वाइलेन्सों" का निर्माण

1324. **श्री ई० वालानन्दन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कोचीन तेल शोधन कारखाने में बेन्जीन और टोल्यून परियोजना के साथ एक्स-वाईलेंसों के निर्माण के लिए भी आवेदन दिया है ताकि वह ऐरोनोटिक उत्पादक करने में भी सक्षम हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) बैंजीन के निर्माण के लिए कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड में एक संयंत्र स्थापित करने के लिए संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

कपड़ा मिलों में हड़ताल

1325. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या बढ़ते हुए आन्दोलनों से जो सामान्यतः हिंसात्मक हो जाते हैं औद्योगिक संबंधों में अस्तिरता आई है, जिससे उत्पादन को हानि होती है ;

(ख) : क्या यह भी सच है कि पहले पांच महीनों के दौरान कपड़ा मिलों को, विशेष रूप से हरियाणा के फरीदाबाद, बल्लभगढ़ क्षेत्र में तथा महाराष्ट्र के बम्बई-थाणे-बेलापुर क्षेत्र में हड़तालों और तालाबन्दी के कारण भारी हानि उठानी पड़ी है ;

(ग) : यदि हां, तो औद्योगिक विवादों को हिंसात्मक होने से बचाने के लिए कानून और व्यवस्था संबंधी अधिकारियों तथा औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र के बीच प्रभावशाली समन्वय रखते हुए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ; और

(घ) : औद्योगिक अशान्ति, हिंसा तथा उत्पादन में बाधा को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या, विशेष रूप से ट्रेड-यूनियनों के सहयोग से मामले का निपटारा करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ;

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) (क) : जी, हां। यह सरकार के लिए चिन्ता का विषय है कि आन्दोलनात्मक कार्यकलापों के कारण हिंसा दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिससे उत्पादन में रुकावट उत्पन्न होती है।

(ख) हरियाणा में फरीदाबाद-बल्लभगढ़, महाराष्ट्र में बम्बई-थाने-बेलापुर, जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में हड़तालों और तालाबन्दियों की प्रवृत्ति है। हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण उत्पादन में हुई हानि से सम्बन्धित क्षेत्र-वार आंकड़े समाकलित नहीं किए जा रहे हैं।

(ग) : श्रम मंत्रालय के अनुरोध पर, तेाज्य सरकारों ने विशेष श्रम कार्य सैल स्थापित किए हैं, जिसमें श्रम और गृह विभाग के प्रतिनिधि हैं, जो ऐसी श्रमिक कार्यवाहियों से सम्बन्धित सूचना की जांच करते हैं, जिनसे औद्योगिक अशान्ति और अनुवर्ती हिंसा तथा उत्पादन में विघटन होने की सम्भावना होती है और वे इनके संबंध में उपचारी उपाय करते हैं।

(घ) : औद्योगिक सम्बन्धों की जांच करने के लिए श्रम मन्त्रालय में एक श्रम सम्बन्ध मानीटरिंग यूनिट स्थापित किया गया है, ताकि औद्योगिक अशान्ति को रोकने के लिए समय पर कार्यवाही की जा सके। देश में ट्रेड यूनियनों के केन्द्रीय संगठनों तथा नियोजक संगठनों से कहा गया है कि वे औद्योगिक अशान्ति के मामले में मानीटरिंग यूनिट को सूचित करें और औद्योगिक विवादों का शीघ्र निपटान कराने में उनकी सहायता प्राप्त करें।

ग्रामीण परिवारों के लिए सौर चूल्हे (कुकर)

1326. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सौर चूल्हों के लिए राज सहायता देने के बावजूद यह चूल्हे ग्रामीण परिवारों की समस्या का हल करने में सफल नहीं हुए हैं ; और

(ख) सरकार का विचार सौर चूल्हों (कुकर) को लोक प्रिय बनाने के लिए क्या उपाय करने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी महासागर विकास तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग के राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी नहीं। विनिर्माण, पूर्ति और वितरण, व्यवस्था सेवा और उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया के संबंध में अनुभव प्राप्त करने की दृष्टि में रखकर प्रारंभिक अवधि में शहरी क्षेत्रों में सौर कुकरों की रियायती बिक्री को शुरू कर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में उत्साहजनक अनुक्रिया और उससे उत्पन्न विनिर्माणगत क्षमता की स्थापना के आधार के परिणाम स्वरूप, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सौर कुकरों के उपयोग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) सौर कुकरों को लोकप्रिय बनाने में सरकार के जो कदम (प्रस्ताव) हैं। उनमें इन्हें उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के अतिरिक्त राज्य सरकारों को संचालित करने, ब्लाक स्तर सहित विभिन्न केन्द्रों में सौर कुकरों के प्रदर्शन का प्रबन्ध करना, बैंकों द्वारा ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराना, सौर कुकरों पर विवरणिकाओं का प्रकाशन कराना और उपयुक्त जन सूचना कार्यक्रमों को शामिल किया गया हैं।

राज्यों में हड़तालें

1327. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें पिछले दो वर्षों में हड़तालें हुई हैं और इन हड़तालों में कितने लोग गिरफ्तार हुए

(ख) इन हड़तालों के मुख्य कारण क्या थे ; और

(ग) इन हड़तालों के कारण कुल कितना नुकसान हुआ ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) श्रम ब्यौरों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 1980-81 के दौरान सभी राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों में (मेघालय, नागालेंड, दादर और नागर हवेली, लक्षदीप और मिजोरम को छोड़कर) हड़तालें हुई औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन, अवैध हड़ताल में भाग लेना कारावास सहित दंडनीय है। कानून में निवारक गिरफतारी व्यवस्था नहीं है।

(ख) हड़तालों के मुख्य कारण "मजदूरी और भत्ते," "वोनस" और "कार्मिक तथा छंटनी" सम्बन्धी विवाद हैं।

(ग) 1980 और 1981 के दौरान हड़तालों के कारण क्रमशः 120.2 और 177.3 लाख श्रम-दिवसों की हानि हुई।

राज्यों को अखबा ी कागज के आबंटन का विकेन्द्रीकरण

1328. **श्री सी० टी० दण्डपाणी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार राज्यों को अखवारी कागज आवंटन के विकेन्द्रीयकरण करने पर विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : राज्य व्यापार निगम तथा सम्बन्धित मिलों के माध्यम से आयातित/ देशी अखवारी कागज के वितरण की वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी। तथापि, राज्य व्यापार निगम के डिपो, जिसके माध्यम से अखबारी कागज का वितरण किया जाता है, की संख्या सीमित है, अतः वर्तमान सुविधाओं के अलावा' सहकारी समितियों तथा राज्य सरकारों की एजेंसियों के माध्यम से, जहाँ भी व्यवहार्य हो, आयातित अखबारी कागज के वितरण की सुविधाओं में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों के साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है।

त्रिपुरा विधान सभा के निर्वाचन

1329. **श्री चित्त बसु** : क्या विधि न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने हाल में यह सुझाव दिया है कि त्रिपुरा विधान सभा के निर्वाचन आगामी नवम्बर में नागालैण्ड की विधान सभा के निर्वाचन के साथ-साथ किए जाएं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है।

विधि, न्याय और कंपनी मन्त्री (श्री जगन्ननाथ कौशल) : (क) और (ख) निर्वाचन

आयोग ने बताया है कि त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा विधान सभा के साधारण निर्वाचन कराने के लिए एक कार्यक्रम सुझाया है जो 17 नवम्बर, 1981 से प्रारम्भ होगा तथा मतदान की तारीख 19 दिसम्बर, 1982 होगी और इस पर विचार किया जा रहा है।

समाचारपत्र उद्योग द्वारा अखबारी कागज का आयात

1330. **श्री मोहन पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचारपत्र उद्योग द्वारा सीधे अखबारी कागज आयात करने का कोई सुझाव है;

(ख) यदि हां, तो यह सुझाव किस एजेंसी से आया है; और

(ग) इस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) : जी, हां।

(ख) : अखबारी कागज सीधे आयात करने का सुझाव हाल ही में इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी द्वारा दिया गया था। प्रेस परिषद और द्वितीय प्रेस आयोग ने भी इस विषय पर कुछ सिफारिशें की हैं।

(ग) और (घ) मामले की जांच की गई थी और सरकार ने समाचारपत्रों को विदेशी सप्लायरों से अखबारी कागज सीधे खरीदने की अनुमति देना आवश्यक नहीं समझा। एक बैठक में जो इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने 26-8-1982 को भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मन्त्री के साथ की थी, प्रतिनिधियों ने इस बात से सहमति व्यक्त की थी कि अखबारी कागज के आयात का कैनेलाइजेशन जारी रहे। तथापि, उनका विचार था कि अखबारी कागज की खरीद, शिपिंग और मुल्य निर्धारण में समाचारपत्र उद्योग के गहन सहयोजन की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में उद्योग का गहन सहयोजन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई जा चुकी है।

चांदनी चौक में ट्यूब लाइट

1331. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरानी दिल्ली, विशेष रूप से चांदनी चौक क्षेत्र के अधिकारियों को सड़कों और गलियों में एक ट्यूब लगाने के आदेश दिए गए हैं वहां पर दो ट्यूब लाइटें लगाने का जबकि प्रावधान है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे आदेश जारी करने के क्या कारण हैं और उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्होंने ऐसे आदेश दिए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो वहां एक ट्यबू लाइट लगाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उन्हें वहां डब्ल ट्यूब लाईट लगाने के आदेश जारी किए जा रहे हैं?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) : जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (ग) जैसे ही ट्यूबें स्टाक में उपलब्ध ही जाएंगी दूसरी ट्यूब प्रतिष्ठापित कर दी जाएगी ।

औषधि उत्पादन में कमी

1332. **श्री डूगर लाल बैंठा** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि उत्पादन और नये पूंजी निवेश में भारी की आयी है : यदि हां तो कमी इसके क्या कारण हैं .

(ख) क्या सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार इस देश में काम कर रही 23 विदेशी कम्पनियों की इक्विटी पूंजी निवेश को कम किया गया है, यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है और इस निर्णय को लागू न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि विदेशी औषधि कम्पनियों की इक्विटी निवेश कम करने की उपयुक्त नीति की कार्यान्वयन न करने के कारण औषधि उद्योग के विस्तार और छटी योजना में औषधि उद्योग पर पूंजी निवेश का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

रसा न और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) अनुमान है कि प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशनों का उत्पादन 1980-81 में 240 करोड़ रु० तथा 1200 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1981-82 में क्रमशः 275 करोड़ रुपये तथा 1300 करोड़ रुपये हो गया है । तथापि, उत्पादन छठी योजना लक्ष्यों से अनुपात्रिक रूप से कम हुआ है । ओषध उद्योग में नए निवेशों के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना अभी उपलब्ध नहीं है । तथापि, 20 मुख्य भेषजीय कम्पनियों की वार्षिक रिपोटों का अध्ययन करने से यह पता लगता है कि 1980-81 की तुलना में 1981-82 के दौरान अचल सम्पत्ति में निवेश 12.3 प्रतिशत बढ़ा है ।

(ख) विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा उनके "फैरा" आवेदन पत्रों के निपटान के परिणाम स्वरुप विदेशी को कम करने से सम्बन्धित निर्णय के बारे में विस्तृत सूचना संलग्न विवरण में दी गई है जो लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2706 दिनांक 27.7.1982 के उत्तर में दी गई थी । जिन कम्पनियों द्वारा विदेशी शेयरों को कम करना अपेक्षित है उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यक निदेश जारी किए गए हैं और उनके पास ऐसा करने के लिए अभी भी समय है । (केवल मैंसर्स स्मिथ क्लिन एण्ड फ्रेंच को छोड़कर) इनमें से कुछ कम्पनियों ने इन निदेशों के विरुद्ध अभ्यावेदन दिए हैं और ये जांच के विभिन्न स्तरों पर हैं

(ग) जी नहीं ।

विवरण

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	वर्तमान विदेशी पूंजी	वह स्तर जहां तक फेरा के अधीन विदेशी पूंजी को कम किया जाना है।
1	2	3	4
1.	मैसर्स वायर (इन्डिया) लि०	51 प्रतिशत	कम्पनी विद्यमान स्तर को बनाए रख सकती है।
2.	मैसर्स बूट्स कं० (आई०) लिमिटेड	53 प्रतिशत	कम्पनी विदेशी पूंजी सहभागिता के विद्यमान स्तर को बनाए रख सकती है।
3.	मैसर्स बरोज वैलकम एण्ड कं० (इंडियन) प्रा० लि०	100 प्रतिशत	74 प्रतिशत
4.	मैसर्स सीबागेगी इंडिया प्रा० लि०	*68.4 प्रतिशत	10 प्रतिशत निर्यात बाध्यता के साथ 51 प्रतिशत
5.	मैसर्स सिनेमाइड इंडिया प्रा० लि०	55 प्रतिशत	10 प्रतिशत निर्यात बाध्यता के साथ 21 प्रतिशत
6.	मैसर्स ई मर्क(आई) प्रा० लिमिटेड	51 प्रतिशत	40 प्रतिशत
7.	मैसर्स ग्लैक्सा लैब्स(आई)	75.05 प्रतिशत	40 प्रतिशत
8.	मैसर्स हेक्स्ट फार्मेस लि०	50 प्रतिशत	कम्पनी विदेशी पूंजी सहभागिता के विद्यमान स्तर को बनाए रख सकती है।
9.	मैसर्स जानसन एण्ड जानसन लि०	75 प्रतिशत	10 प्रतिशत निर्यात बाध्यता के साथ 51 प्रतिशत
10.	मैसर्स मर्कशाप एण्ड डोम इन्डिया लि०	60 प्रतिशत	कम्पनी विदेशी पूंजी सहभागिता के विद्यमान स्तर को बनाए रख सकती है।
11.	मैसर्स आगेनोन(इन्डिया) लिमिटेड	49 प्रतिशत	कम्पनी विदेशी पूंजी सहभागिता के विद्यमान स्तर को बनाए रख सकती है किन्तु 10 प्रतिशत निर्यात बाध्यता होगी
12.	मैसर्स पाके डेविस (आई) लि०	83.33 प्रतिशत	कम्पनी ने 40 प्रतिशत तक कम करने का प्रस्ताव किया है।

1	2	3	4
13.	मैसर्स फाइजर लि०	70.20 प्रतिशत	10 प्रतिशत निर्यात बाध्यता के साथ 51 प्रतिशत।
14.	मैसर्स रोचे प्रोडक्ट्स लि०	89 प्रतिशत	74 प्रतिशत
15.	मैसर्स यूनिसैंक्यो लिमिटेड	49 प्रतिशत	40 प्रतिशत
16.	मैसर्स सेन्डोज (इन्डिया) लिमिटेड	60.14 प्रतिशत	कम्पनी विदेशी पूंजी सहभागिता के विद्यमान स्तर को बनाए रख सकती है।
17.	मैसर्स बार्नर हिन्दुस्तान लिमिटेड	50.3 प्रतिशत	कम्पनी ने 40 प्रतिशत कम कमी करने का प्रस्ताव किया है।
18.	मैसर्स मे एण्ड वेकर (आई) लि०	60 प्रतिशत	कम्पनी ने 40 प्रतिशत तक करने प्रस्ताव किया है।
19.	मैसर्स वायथ लैब्स लि०	74 प्रतिशत	कम्पनी विदेशी पूंजी सहभागिता के विद्यमान स्तर को बनाए रख सकती है।
20.	मैसर्स अलकली एण्ड कैमिकल कारपोरेशन आफ इन्डिया लि०	51 प्रतिशत	विद्यमान स्तर को बताए रखने की अनुमति दी गई।
21.	मैसर्स व्हीफन्स (इंडिया)	50 प्रतिशत (तथा एक शेयर)	विद्यमान स्तर को बनाए रखने की अनुमति दी गई।
22.	मैसर्स स्मिथ क्लाइन एण्ड फ्रेंच	100 प्रतिशत (पूर्ण रूप से विदेशी वाली स्वामित्व कम्पनी की ब्रांच)	40 प्रतिशत कम करने का निर्देश दिया गया। अध्यावेदन रद्द कर दिया गया है।
23.	मैसर्स रिचर्डसन हिन्दुस्तान	55.97 प्रतिशत	40 प्रतिशत तक कम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

*40 प्रतिशत तक कम करने का प्रस्ताव किया है।

अनुसन्धान और विकास के प्रावधान वाली औषधि निर्माता यूनिटें

1333. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने औषधि निर्माता यूनिटों के पास अनुसंधान और विकास के साधन हैं ; और

(ख) अनुसन्धान और विकास कार्य में वे कितनी धनराशि खर्च करते हैं और असली कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनका अधिकृत पूंजी निवेश दस लाख रुपये से अधिक है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) सूचना संकलित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कर्मचारी भविष्य निधि के अनुच्छेद 7 क और मिश्रित उपबन्ध अधिनियम 1952 को प्रसंवैधानिक घोषित करने वाला निर्णय

1334. **श्री रामावतार शास्त्री : श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 1981 में दिए गये उस निर्णय की जानकारी है जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि के अनुच्छेद 7 क और मिश्रित उपबन्ध अधिनियम 1952 को असवैंधानिक घोषित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त निर्णय के बावजूद भी क्षेत्रीय भविष्य नीति आयुक्त, बिहार 7 क के नोटिस जारी कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त निर्णय के पश्चात कितने नोटिस जारी किए गए हैं ओर उन स्थापनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें ये जारी किए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) जी, हां। निर्णय के कार्यान्बियन पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है।

(ग) और (घ) बिहार में होने वाले मामलों के सम्बन्ध में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी नहीं है, इसलिए क्षेत्रीय भविष्य निधि, और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 की धारा 7 क के अधीन लगातार नोटिस जारी करते रहे हैं। अतः उनके द्वारा जारी किए गए नोटिसों के सम्बन्ध में सूचना संगत नहीं है।

1976-77 से बिजली की कमी

1335. **श्री अमल दत्त** : क्या ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष 1976-77 से अब तक राज्य में यूनिट में बिजली की तुलनात्मक कमी प्रतिशत -वार क्या थी ;

(ख) बिजली की कमी को दूर करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) कहां तक योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं और ऐसी योजना के कब पूरा होने की आशा है ; और

(घ) क्या, पूर्णत: अथवा अर्धपूर्ण हालत में विद्युत संयंत्र आयात करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश में विद्युत की स्थिति पिछले वर्षों की तुलना में बहुत अच्छी है । तुलनात्मक कमी का प्रतिशत में तथा वर्ष 1976-77 से 1981-82 के दौरान राज्यों द्वारा उत्पादन की गई विद्युत यूनिटें, मिलियन यूनिटों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ख) और (ग) : 1979-80 में कमी लगभग 16.7 प्रतिशत थी । अप्रेल-सितम्बर, 1982 में यह कमी घट कर 8 प्रतिशत रह गई । देश में विद्युत की कमी को और कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 19666 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जोड़े जाने का प्रस्ताव है ।

(2) देश के वर्तमान ताप विद्युत केन्द्रों से अधिकतम उत्पादन करना । इस प्रयोजन के लिए, कमियों का पता लगाने तथा कमियों को दूर करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाए हैं और कृत्रिम बलों तथा भ्रमणशील दलों का गठन किया है । यह एक सतत प्रक्रिया है यथा स्कीम को पूरा करने के लिए समस्यावधि निर्धारित नहीं की जा सकती । ताप विद्युत उत्पादन में सुधार हुआ है ।

(3) फालतू बिजली वाले राज्यों से कम बिजली वाले राज्यों को विद्युत का अन्तरण । विभिन्न क्षेत्रों की विद्युत प्रणालियों को अन्त: सम्बद्ध कर दिया गया है तथा उनका समेकित रूप से प्रचालन किया जा रहा है ताकि किसी भी समय किसी भी राज्य/क्षेत्र में उपलब्ध फालतू बिजली को अन्य राज्यों/क्षेत्रों में विद्युत का अन्तरण सुनिश्चित किया जा सके ।

(घ) और (ङ) : विद्युत परियोजनाओं के लिए उपस्कर का सप्लाई हेतु, सरकारी ऋण, सप्लाईकर्ता के ऋण और वाणिज्यिक ऋणों के जरिये वित्त पोषण की सभाव्यताओं के साथ विदेशों/विदेशी कम्पनियों से विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । प्राप्त हुए प्रस्तावों पर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है ।

विवरण

राज्यवार/ प्रणालीवार वर्षवार ऊर्जा की कमी के ब्यौरे

अवधि: वर्ष 1976-77 से 1981-82

क्रम सं०	राज्य/ प्रणाली	वर्ष	कमी प्रतिशत	कमी मेगावाट आवर
1.	हरियाणा	1976-77	7·6	191
		1977-78	16·1	451
		1978-79	3.5	110
		1979-80	16.3	673
		1980-81	9.9	386
		1981-82	2·9	117
2.	हिमाचल प्रदेश	1976-77	8.9	30
		1977-78	+ 2.6	+8
		1978-79	5.4	17
		1976-80	11·7	42
		1980-81	+ 8·8	(+) 28
		1981-82	+ 0.3	(+) 1
3.	जम्मू और कश्मीर	1976-77	16.2	80
		1977-78	10.1	61
		1978-79	11·3	186
		1979-80	10.4	92
		1980-81	+ 12.2	(+) 107
		1981-82	+ 2.4	(+) 25
4.	राजस्थान	1976-77	0.7	20
		1977-78	9.9	329
		1978-79	5.0	188
		1979-80	11.7	5 3
		1980-81	9.4	413

1	2	3	4	5
		1981-82	15.5	777
5.	दिल्ली	1976-77	3.1	61
		1977-78	5.1	108
		1978-79	+ 1.1	(+) 25
		1979-80	5.2	135
		1980-81	+ 1.4	(+) 38
		1981-82	+ 2.3	(+) 72
6.	चण्डीगढ़	1976-77	4.7	8
		1977-78	5.4	10
		1978-79	+ 2.5	+5
		1979-80	2.3	5
		1980-81	+ 1.3	+3
		1981.82	+ 2.0	+5
7.	उत्तर प्रदेश	1976.77	2.2	236
		1977-78	16.5	3485
		1978-79	18.5	2429
		1978-80	22.8	3172
		1980-81	23.9	3342
		1981-82	22.2	3368
8.	पंजाब	1976-77	4.8	150
		1977-78	11.5	435
		1978-79	4.0	201
		1979-80	13.1	801
		1980-81	6.9	403
		1981-82	11.0	711
9.	एन॰ एफ॰ एफ॰	1976-77	4.5	62
		1977-78	38.9	522

1	2	3	4	5
		1978-79	+ 16.2	(+) 140
		1979-80	+ 2.5	(+) 21
		1980-81	9.8	80
		1981-82	27.6	225
10.	गुजरात	1976-77	1.1	74
		1977-78	5.5	414
		1978-79	+ 3.6	285
		1979-80	3.8	348
		1980-81	+ 1.2	(+) 112
		1981-82	+ 1.6	(+) 156
11.	मध्यप्रदेश	1976-77	4.0	188
		1977-78	6.5	344
		1978-79	143	875
		1979-80	15.4	1007
		1980-81	17.1	1213
		1981-82	8.6	609
12.	महाराष्ट्र	1976-77	5.5	759
		1977-78	15.7	2637
		1978-79	11.4	2019
		1979-80	19.1	3687
		1980-81	15.4	3131
		1981-82	19.1	4312
13.	गोवा	1976-77	22.8	54
		1977-78	28.1	77
		1978-79	20.6	60
		1979-80	24.4	79
		1980-81	13.6	56
		1981-82	32.6	155

1	2	3	4	5
14.	आन्ध्र प्रदेश	1976-77	20	95
		1977-78	4.4	229
		1978-79	2.0	115
		1979-80	9.5	6·22
		1980-81	4.1	290
		1981-82	+ 9.3	(+) 686
15.	कर्नाटक	1976-77	18.3	12.72
		1977-78	33.3	2660
		1978-79	25.1	2125
		1979-80	26.0	22.4
		1980-81	16.0	1345
		1981-82	8.0	686
		1981-82	2.1	366
16.	केरल	1976-77	3.6	98
		1977-78	2.0	58
		1978-79	2.6	81
		1979-80	4.8	159
		1980-81	+ 11.0	(+) 352
		1981-82	+ 9.2	(+) 328
17.	तमिइनाडु पाण्डीचेरी समेत	1977-77	10.9	984
		1977-78	7.6	735
		1978-79	1.0	106
		1979-80	8·7	989
		1980-81	2.4	270
18.	बिहार	1976-77	2.8	74
		1977-78	29.5	1096

1	2	3	4	5
		1978-79	32.4	1189
		1979-80	31.9	1161
		1980-81	39.9	1486
		1981-82	37.5	1516
19.	पश्चिम बंगाल	1976-77	9.4	520
		1977-78	18.9	1173
		1978-79	18.8	1169
		1979-80	16.4	1016
		1980-81	22.6	1502
		1981-82	22.2	1587
20.	उड़ीसा	1976-77	3.4	92
		1977-78	5.1	146
		1978-79	2.0	62
		1989-80	17.8	596
		1980-81	1.0	33
		1981-82	+) 5.8	+ 192
21.	डी० वी9 सी०	1966-77	+ 2.5	+ 101
		1977-78	12.4	590
		1978-79	9.0	443
		1979-80	27.7	1471
		1980-81	30.7	1685
		1981-82	14.9	815
22.	सिक्वम	1980-81	+ 26.9	(+) 7
		1981-82	25.0	9
23.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	1976-77	19.4	177
		1977-78	27.0	285
		1678-79	30.4	366
		1979-80	24.7	307
		1980-81	18.1	198
		1981-82	14.0	192

+अधिशेप इस बात का सूचक है किं पूरी की गई वास्तविक आवश्यकता प्रत्याशित आवश्यकता से अधिक है ।

उड़ीसा में बिजली की कमी

1336. **श्री हरिहर सोरन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीस, में बिजली की कमी के मुख्य कारण क्या है ;

(ख) सककार ने बाधाओं को दूर करने के किए क्या उपाय किए हैं ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उड़ीसा में विद्युत की स्थिति में सुधार होने की आशा है। यह अस्थायी कमी है और उड़ीसा में विद्युत की कमी का मुख्य कारण 1981-82 तथा 1982-83 के वर्षों के दौरान लगातार मानसून फेल हो जाना है जिसके परिणामस्वरूप वलिमेला तथा आन्ध्र प्रदेश में मचकुण्ड (मचकुण्ड में उड़ीसा का 50 प्रतिशत हिस्सा है।) के प्रमुख जल विद्युत जलाशयों में जल का प्रवाह कम रहा ।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश में उड़ीसा को अतिरिक्त विद्युत सप्लाई करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। उत्तरी क्षेत्र से बिहार के माध्यम से उड़ीसा को गैर व्यवस्था को व्यस्ततम समय में विद्युत की सप्लाई करने के लिए भी प्रयास कए जा रहे हैं, जब कभी प्रणाली ऐसी सप्लाई करने की स्थिति में होती है तलचेर में पुराने यूनिटों के बेहतर कार्यानिष्पादन तथा नए तलचेर-110 मेगाबाट के सुस्थिर कार्यनिष्पादन के परिणाम स्वरूप विद्युत उत्पादन में सुधार हुआ है।

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त पटना, बिहार के विरुद्ध शिकायत

1337. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पटना, बिहार, के विरुद्ध विभिन्न संसद सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों की जांच कर ली गई है, देखिये 14 जुलाई, 1982 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1068 का उत्तर ;

(ख) यदि हां, तो उन जांचों के परिणाम का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त जांच के अंतिम प्रतिवेदन के कब तक मिलने की आशा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) उक्त सभी शिकाययों की जांच की गई है।

(ख) जांच से पता चला है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार के आचरण में भ्रष्टाचार अथवा अनुचित इरादे का कोइ तत्त्व नहीं था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन

1338. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या विधि न्याय कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1982 में राज्यों के कानून मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के विचार का समर्थन और रिवोध किया था ; और

(ग) इसका विरोध किस आधार पर किया गया था और सरकार ने इस बारे-में क्या निर्णय लिया ।

विधि, और न्याय कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां, ।

(ख) सम्मेलन में पंजाव, महारास्ट्र, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश राज्य के विधि मंत्रियों ने अखिल भारतीय न्यायिक जांच ।

(ग) सेवा के पक्ष में अपने मत व्यक्त किए । तमिलनाडु के विधि मंत्री ने कहा कि उनका राज्य, मुख्य रूप से भाषा की कठिनाई के कारण ऐसी सेवा के गठन के पक्ष में नहीं है । उन्होंने यह आशंका भी व्यक्त की कि इससे राज्य सरकार की शक्तियों में कमी हो सकती है।

इस विषय में सभी राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के विचार पूछे गए थे, जो कई राज्यों से अभी प्राप्त होने हैं । इसके प्राप्त होने पर ही कोई विनिश्चय किया जायेगा ।

रंगीन टेलीविजन की शुरूआत

1339. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आगामी एशियाई खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन शुरू करने में कोई नई बाधाएं आ गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ये बाधाएं एशियाई खेलों का टेलीविजन में रंगीन प्रसारण करने में बाधक है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी नहीं। जैसा कि विचार है, एशियाई खेलों को रंगीन में टेलिकास्ट किया जायेगा ।

माइक्रोवेव टावर के माध्यम से दूरदर्शन की सुविधाएं

1340. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) माइक्रोवेव टावर के माध्यम से दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण में प्रति यूनिट कितना अतिरिक्त व्यय आयेगा,

(ख) ऐसे स्थानों की संख्या क्या है जहां से एशियाड से पहले माइक्रोवेव टावर के माध्यम से कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे और इन स्थानों के नाम क्या है ; और

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों में स्थापित माइक्रोवेव टावरों की सहायता से सम्पूर्ण देश में दूरदर्शन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री(श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) दूरदर्शन रिले प्रयोजनों के लिए डाक-तार के माइक्रोवेव टावरों का उपयोग करने की संभावना, अन्तर्निहित अतिरिक्त लागत सहित, की जांच दूरदर्शन और डाक-तार के एक संयुक्त कार्य दल द्वारा की जा रही है।

(ख) और (ग) दूरदर्शन कार्यक्रमों को रिले करने के लिए माइक्रोवेव सुविधा इस समय 12 दूरदर्शन अर्थात दिल्ली, मसूरी, श्रीनगर, अमृतसर, जलन्धर, बम्बई, पुणे, बंगलौर, मद्रास कलकत्ता, लखनऊ और कानपुर में उपलब्ध है। इस सुविधा का जयपुर के वर्तमान दूरदर्शन केन्द्र तथा पणजीं, पटना और इन्दौर के प्रस्तावित केन्द्रों में विस्तार शीघ्र ही कर दिए जाने की उम्मीद है।

बम्बई के कपड़ मजदूरों की हड़ताल

1341. **श्री ए० टी० पाटिल : क्या श्रम तथा पुर्नावस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) सरकार ने बम्बई में कपड़ा मजदूरों की लम्बे समय से चली आ रही हड़ताल को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए हैं ; और

(ख) कपड़ा उद्योग को हुए उत्पादन की हानि मजदूरों की हुई हानि, मालिकों, को हुई हानि और कपड़ा उद्योग पर निर्भर और व्यापार और उद्योग को हुई हानि के आंकड़े क्या हैं ।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहसिना किदवाई) (क) सरकार ने वस्त्र उद्योग से संबंधित समस्याओं की जांच करने और बम्बई सूती वस्त्र उद्योग में श्रमिकों की मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता, और अतिरिक्त मजदूरी की मंजूरी संबंधी विशेष मांगों की जांच करने के लिए त्रिपक्षीय समिति गठित करने का भी निर्णय किया है।

(ख) वस्त्र विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, बम्बई वस्त्र उद्योग में हड़ताल के कारण 30.6.82 के अन्त तक अनुमानित कुल हानि इस प्रकार है:—

श्रमिकों की मजदूरी की हानि	90 करोड़ रुपये

उत्पादन के मूल्य में हानि	450 करोड़ रुपये
मिलों का स्थायी व्यय	120 करोड़ रुपये

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, व्यापार और व्यवसाय में हुई हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता

दोषपूर्ण उपकरणों और दोषपूर्ण टेलीफोन कनैक्शनों के बारे में शिकायतें

1342. **श्री मोहम्मद असरार** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन के बारे में दोषपूर्ण उपकरणों और दोषपूर्ण कनैक्शनों की शिकायतें दूर करने के बारे में कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) खराब उपकरणों एवं दौषपूर्ण कनैक्शनों के संबंध में शिकायतों को कम करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाही की जा रही :—

(i) परिपथ जाल में 677 कोडवाला संशोधित टेलीफोन उपकरण प्रारम्भ किया जा रहा है ।

(ii) उपभोक्ताओं के अहाते में टेलीफोन संस्थापनों की आवधिक जांच की जा रही है और खराब उपकरणों को बदला जाता है ।

(iii) उपभोक्ताओं के अहातों में फिटिंग में लगे एलम्यूनियम के तारों के स्थान पर तांवे के तार लगाए जा रहे हैं ।

(i) दोष भार को कम करने के लिए ऊपरी तारों के स्थान पर इन्सूलेटिड ड्राप वायर लगाए जा रहे है ।

कोयला पट्टियों में गैर-सरकारी ठेका प्रणाली समाप्त करना

1343. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश को कोयला पट्टियों में गैर-सरकारी ठेका प्रणाली समाप्त करने के बारे में एक प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब रखा गया था और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रणाली का सम्पर्क माफिया गैंगों से है जिनको उच्च राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) सरकार की नीति यह है कि अब सभी नियमित काम विभाग द्वारा किए जाएं और ठेके केवल तदर्थ, आकस्मिक और रुक-रुक कर होने वाले कामों के लिए दिए जाएं। सिविल निर्माण कार्यों के मामलों तक में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जहां कहीं ऐसे काम कर सकते हैं वहां उन्हें वरीयता दी जाएगी।

(ग) और (घ) भा. को. को. लि. में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार की दृष्टि से कोयले के सड़क परिवहन के विभागीकरण की एक योजना शुरू की गई है। भा. को. को. लि. कोयले के परिवहन के लिए 400 से अधिक ट्रक सीधे प्रयोग कर रहा है और लगभग 50 ट्रक भूतपूर्व सैनिकों की परिवहन कंपनियों को दिए गए हैं।

प्रोड्यूसरों की पदोन्नति

1344. **श्री रामायण राय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री प्रोड्यूसरों की वरीयता के बारे में 10 अगस्त, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 434 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के कार्यक्रमों के स्तर में सुधार लाने के लिए प्रमुख लेखकों, संगीतज्ञों को नियुक्त न करने के क्या कारण हैं,

(ख) क्या सरकार का विचार नयी योजना में प्रोड्यूसरों को आकर्षित वेतनमान देने का है ताकि वास्तविक व्यवसायी नियुक्त किये जा सकें,

(ग) क्या उनको वर्तमान काडर में सिविल सर्वेन्ट बनाये जाने से पूर्व उनकी योग्यता और शैक्षिक अर्हताओं के अनुसार पदोन्नति दी जाएगी, और

(घ) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) आकाशवाणी में सभी नियुक्तियां कार्य की आवश्यकताओं के संदर्भ में और संगत भर्ती नियमों में निर्धारित अर्हताओं, अनुभव, इत्यादि के आधार पर की जाती हैं।

(ख) सरकार ने हाल ही में प्रोड्यूसरों, जो इस समय स्टाफ आर्टिस्ट संवर्ग में हैं, को नियमित सरकारी कर्मचारी के रूप में मानने का निर्णय लिया है बशर्ते कि वे इसके लिये अपना विकल्प दें और उनकी छानबीन, इत्यादि हो जाए। छानबीन के बाद उन प्रोड्यूसरों को, जिन्होंने सरकारी कर्मचारी बनने के लिए विकल्प दिया है, नियमित सरकारी कर्मचारियों की वर्तमान आयुक्त श्रेणियों में खपाया जायेगा।

(ग) और (घ) जिन प्रोड्यूसरों से नियमित सरकारी कर्मचारी बनने के लिये विकल्प दिया है, उनके लिये पदोन्नतियां, जो उनके विकल्प से पहले देय हो गई, बन्द नहीं की गई हैं।

हिन्दी कार्यक्रमों में वृद्धि

1345. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या **सूचना और प्रसामण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली, देहरादून, मोदीनगर, मेरठ और फरीदाबाद में किए गए एक सर्वेक्षण से इस बात की पुष्टि हुई है कि लगभग 70 प्रतिशत दर्शक टेलीविजन में हिन्दी कार्यक्रम देखते हैं परन्तु हिन्दी कार्यक्रम का समय 70 प्रतिशत से कम है और

(ख) क्या सरकार का विचार हिन्दी कार्यक्रम का समय बढ़ाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) दिल्ली-देहरादून क्षेत्र में 1980 में किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला कि 70 प्रतिशत से अधिक लोग हिन्दी की फीचर फिल्में तथा फिल्म आधारित कार्यक्रम देखते हैं। मोदीनगर, मेरठ और फरीदाबाद में किया गया सर्वेक्षण औद्योगिक तथा अन्य विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए था। हिन्दी के कार्यक्रमों को सितम्बर 1982 में निकाली गई अवधि 67 प्रतिशत है।

(ख) जी, नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

महाराष्ट्र में ग्रामीण विद्युतीकरण

1346. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने राज्यों द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए नई परियोजनायें चलाने के लिए लगभग 11 करोड़ रुपये की ऋण सहायता मंजूर की है,

(ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त धनराशि सरकार को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी और इस धन राशि में से कितनी योजनाओं को और किन-किन स्थानों में वित्तीय सहायता की जाएगी, और

(ग) वर्ष 1980 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा महाराष्ट्र में शुरू की गई कितनी योजनायें पूरी हुई हैं और राज्य में अभी कितने क्षेत्र का विद्युतीकरण होना है तथा क्या ग्राम विद्युतीकरण निगम ने अभी तक शामिल न किये गये इस क्षेत्र का विद्युतीकरण करने के लिए कोई समयबद्ध योजना तैयार की है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने अगस्त 1982 में 8 राज्यों में 62 नई परियोजनाओं के लिए 11 करोड़ रुपये के ऋणों का अनुमोदन किया है।

(ख) 11 करोड़ रुपये में से 112.344 लाख रुपये की राशि महाराष्ट्र के लिये स्वीकृत 6 स्कीमों के लिए है। इसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम सं०	स्कीम का नाम/स्थान	श्रेणी	ऋण की राशि (लाख रुपये में)
1.	सतारा जिले के सतारा, कोरे गांग, वैंजोली, महाबलेश्वर, तालुक	एच० बी०	20.045

1	2	3	4
2.	बीढ़ जिले की बीढ़, गोदावरी, अस्ती तथा पटोदी तहसीलें	एच० बी०	4.549
3.	सोबानपुर जिले की पांच तहसीलें	एच० बी०	12.776
4.	जालना जिले की 3 तहसीलें	एच० बी०	8.121
5.	शोलापुर जिले की 4 तहसीलें	एच० बी०	42.311
6.	शोलापुर जिले की 3 तहसीलें	एच० बी०	24.542
			जोड़ 112.344

(ग) बर्ष 1979-80 तक निगम नें महाराष्ट्र में 310 परियोजनाएं स्वीकृत की थीं। इन परियोजनाओं का लक्ष्य 10,221 गांवों का विद्युतीकरण करना था। इन 310 परियोजनाओं में से 67 परियोजनाओं की अवधि पहले ही पूरी हो चुकी है तथा इन्हें बन्द किया जाना है। अन्य परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। उपर्युक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत 31-3-82 तक 7853 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। महाराष्ट्र में गांवों के विद्युतीकरण की स्थिति निम्नानुसार है :—

(1)	गांव की कुल संख्या	—	35,778
(2)	31-3-82 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकरण गांवों की सख्या	—	28,851
(3)	विद्युतीकरण किए जाने वाले गांवों की संख्या जिनके लिए ग्रा० वि० नि० ने पहले ही स्कीमें स्वीकृत कर दी हैं।	—	4,508
(4)	शेष	—	2,419

राज्य की संदर्शी योजनाओं के अनुसार पर्याप्त साधन उपलब्ध होने पर महाराष्ट्र में सभी गांव 1985-86 के अन्त तक विद्युतीकृत हो जायेंगे।

पांडिचेरी से तटदूर मिला तेल/गैस

1347. **श्री तारिक अनवर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांडिचेरी से तटदूर तेल/गैस का पता चला है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दो वर्ष के तजानगर ुदाई और अनुसन्धान के बाद तेल और गैस का पता लगा है ;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का विचार परियोजना को और तेज करने का है ताकि तेल और गैस जल्दी निकाली जा सके ; और

(घ) क्या उनके मन्त्रालय का विचार शीघ्र तेल निकालने के लिए इस परियोजना पर विदेशी सहयोग लेने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) जी, हां ।

(घ) जी, नहीं ।

कोयला क्षेत्रों का विकास

1348. **श्री मनमोहन टडु :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने कोयला क्षेत्रों के विकास के लिए प्रयास किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो चालू योजना अवधि में विभिन्न कोयला कम्पनियों के अन्तर्गत अब तक कितने क्षेत्रों को विकसित किया है और उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं ;

(ग) छठी योजना की शेष अवधि में किन कोयला क्षेत्रों को पुनर्गठित और विकसित किया जाएगा ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्री) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) : व्यवहारतः लगभग सभी ज्ञात कोयला क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है, जैसे सिंगरोली, रानीगंज, राजमहल, तालचर, इब वैली, नार्थ करनपुरा, वर्धा, पेंच-कान्हन, सी० आई० सी० कोरबा, ईस्ट बोकारी, मुग्मा सानपुर, काम्प्टी-उमरेर, गोदाबरी वैली और नार्थ ईस्टर्न क्षेत्र की कोलफील्ड्स ।

केवल गोदावरी वैली कोलफील्ड्स सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० के अधिकार क्षेत्र के अधीन आता है, अन्य कोलफील्ड्स का विकास कोल इण्डिया लि० के अधीन हो रहा है ।

श्रम के क्षेत्र में शक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वय के लिए स्थायी समिति

1349. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या सरकार ने श्रम के क्षेत्र में विभिन्न संस्थानों में प्रशैक्षणिक अनुसंधान और

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वय के लिए सरकारी अधिकारियों की एक स्थायी समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थायी समिति का गठन और उसके निर्देश पद क्या हैं ; और

(ग) समिति ने अपने कार्य में क्या प्रगति की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) श्रम से सम्बन्धित क्षेत्रों में शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामले में विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने स्थायी समन्वय समिति गठित की है ।

(ख) इस समिति में अध्यक्ष तथा 13 सदस्य है। इसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं

(i) श्रम से सम्बन्धित क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामले में विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना ;

(ii) विभिन्न संस्थानों के कार्यकलापों का जायजा लेना और सामाजिक-आर्थिक प्रबंध की उभरने वाली गतिशीलता का सामना करने के लिए उचित वैकल्पों को ढूंढने के लिए कार्यवाही करना तथा नए दृष्टिकोणों की कल्पना करना जो वर्तमान परिस्थिति में अधिक अनुकूल हो ;

(iii) श्रम से सम्बन्धित क्षेत्रों में अनुसंधान, प्रशिक्षण और अन्य कार्यक्रमों के लिए नए दृष्टिकोणों की परिकल्पना करके नवीन और सृजनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया को संयुक्त रूप से शुरू करना ।

(iv) वर्तमान सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने तथा विभिन्न संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास करना ताकि वे एक दूसरे के साधनों पर निर्भर रह सके तथा विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः स्वीकृत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनके कार्यकलापों को अनुपूरित करना ।

(ग) इस समिति की पहली बैठक 21 अक्तूबर, 1982 को होनी निश्चित हुई है ।

न्यायालय फीस का समाप्त किया जाना

1350. **श्री सूरजभान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत जून मास में उन्होंने यह कहा था कि न्यायालय फीस "न्याय पर कर है" अतः इसे समाप्त किया जाना चाहिए और इससे होने वाली आय राज्य को प्राप्त होने वाली कुल आय का औसत केवल एक प्रतिशत है ;

(ख) इन दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या उनका विचार कम से कम संघ राज्य क्षेत्रों में अपने सुझाव का अविलम्ब कार्यान्वित करते का है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन नाथ कौशल) : (क) से (ग) : जून, 1982 में हुए विधि मंत्रियों के सम्नेलन में, मैंने अपने उदघाटन भाषण में न्यायालय फीस के प्रश्न के प्रति निर्देश करते हुए यह कहा था कि यह केवल धन का प्रश्न नहीं है कि क्या मुकदमा लड़ने वाला व्यक्ति इसकी व्यवस्था कर सकता है या नहीं बल्कि यह सिद्धांत का प्रश्न है, अर्थात प्रश्न यह है कि क्या न्याय पर कर लगाया जाए। मैंने इस बात का भी उल्लेख किया था कि न्यायालय फीस से होने वाली आय औसतन किसी राज्य के कुल करणों से होने वाली प्राप्तियों का लगभग एक प्रतिशत होती है। मैंने विधि मन्त्रियों से यह आग्रह किया था कि वे न्यायालय फीस को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करें और आय का कोई दूसरा स्रोत ढूंढने का प्रयास करें क्योंकि न्यायालय फीस राजस्व का विषय नहीं है। मैंने विधि मन्त्रियों से अनुरोध किया था कि वे इस विषय में कोई उपयुक्त विनिश्चत करें जो सभी व्यक्तियों के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु संविधान के उपबन्धों की भावना के अनुरूप ही। सम्मेलन में इस विषय पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ था। सम्मेलन का यह मत था कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह उचित होगा कि न्यायालय फीस को समाप्त करने की बजाए उसे युक्ति संगत बनाया जाय। सम्मेलन ने न्यायालय फीस को युक्ति संगत बनाए जाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए और अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करने के लिए एक समिति बनाई है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की है जिस पर विधि मन्त्रियों के आगामी सम्मेलन में विचार किया जाना है। इस प्रकार सम्पूर्ण विषय उस समिति के विचाराधीन है।

बंगलौर और गुलबर्गा के लिए टेलीविजन सुविधाएं

1351. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इस बात का आश्बासन दिया है कि बंगलौर में शीघ्र ही एक पूर्ण दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किया जाएगा ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि बंगलौर और गुलबर्गा दोनों जगहों पर दूरदर्शन सुविधाएं उपलब्ध होंगी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त सुझाव को शीघ्र कार्यान्वित करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) : जी, हां। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बंगलौर में पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। कार्य चालू है। तथापि एक नवम्बर, 1981 मे बंगलौर में अन्तरिम सेवा

चालू कर दी गयी है। सितम्बर, 1977 से गुलबर्गा में एक किलोवाट का एक ट्रांसमीटर पहले ही कार्य कर रहा है।

विविध भारती पर गाए गए गानों की रायल्टी के रूप में दी गई राशि

1352. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विविध भारती पर गाए जाने वाले प्रत्येक गाने के लिए फिल्म निर्माता को रायल्टी के रूप में एक रुपया प्रति गाना की दर से भुगतान किया जाता है ;

(ख) क्या "सैंटर्ड डेट" कार्यक्रमों और सुगम संगीत शास्त्रीय कार्यक्रमों में गाए गए पश्चिमी गानों के लिए 9 रुपये प्रति गाने की दर से भुगतान किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मौहम्मद खां) : (क) जी, हां। जिस दर पर भुगतान किया जाता है वह एक रुपया प्रति गीत प्रति प्रसारण है।

(ख) जी, नहीं। हर प्रकार के पाश्चात्य संगीत के -लिए एक घंटे के प्रसारण के लिए 3पौंड की दर से भुगतान किया जाता है। यह लगभग 45 पैसे प्रति मिनट बैठेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रानीगंज में टेलीफोन खराबियों के बारे में शिकायत

1353. **श्री सुनील मैत्रा : क्या संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) देश के सबसे बड़े कोयला खान केंन्द्रों में से एक रानीगंज में कितने टेलीफोन केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) प्रत्येक केन्द्र में कितनी लाइनें काम करती हैं ;

(ग) 1981 और 1982 में आज तक इन टेलीफोन केन्द्रों को टेलीफोन खराबियों की कितनी शिकायतें मिलीं ;

(घ) इस प्रकार की कितनी शिकायतों को देखा गया और टेलीफोनों को ठीक किया गया

(ङ) कितनी शिकायतें निपटायी नहीं गई ; और

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तीन टेलीफोन एक्सचेंज।

(ख) इन तीनों एक्सचेंजों में काम कर रहे कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है :

1. बाहुला एक्सचेंज 282

2.	जमुरीहाट एक्सचेंज	95
3.	रानीगंज एक्सचेंज	943

(ग) इन तीनों एक्सचेंजों में प्राप्त दोष की शिकायतों की कुल संख्या निम्न प्रकार से है :

	1991 के दौरान	फरवरी 1982 से सितम्बर 1982 तक
1. बाहुला एक्सचेंज	1848	1386
2. जमुरीहाट एक्सचेंज	627	470
3. रानगंज एक्सचेंज	6204	4603

(घ) 1981 में और सितम्बर, 1982 तक कुल निपटाई गई शिकायतें तथा ठीक किए गए टेलीफोनों की संख्या इस प्रकार है :

1. बाहुला एक्सचेंज	3214
2. जमुरीहाट एक्सचेंज	1067
3. रानीगंज एक्सचेंज	10777

(ङ) उन शिकायतों की संख्या जो निपटाई नहीं गई :

1. बाहुला एक्सचेंज	20
2. जमुरीहाट एक्सचेंज	30
3. रानीगंज एक्सचेंज	80

(च) उन शिकायतों को केबिल दोष/विद्युत खराबी/उपभोक्ताओं के अहाते का बन्द रहना/रात्रि व्यवधान आदि के कारण नहीं निपटाया जा सका। इनमें से अधिकांश शिकायतों को बाद में अक्तूबर 1982 के प्रथम सप्ताह में दूर कर दिया गया है।

दूसरे प्रेस आयोग की शिफारिशें

1354. **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूसरे प्रेस आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार का क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मौहम्मद खां) : (क) और (ख)

द्वितीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है। रिपोर्ट को, उस पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ, चालू सत्र के संसद में समक्ष रखने का प्रस्ताव है।

आसाम के कछार जिले में पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को भूमि आबंटन हेतु पट्टे जारी करना।

1355. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० टी० ए० योजना तथा सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य योजनाओं के अन्तर्गत आसाम के कछार जिले में पूर्वी बंगाल के कितने शरणार्थियों को पुनर्वासित किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि आबंटियों को कोई पट्टा नहीं जारी किया गया है यद्यपि उनको सरकारी भूमि आबंटित की गयी थी और उन्हें पुनर्वास के लिए सरकारी ऋण दिया गया था ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पट्टे न मिलने के कारण सरकार और वित्तीय संस्थाओं से विभिन्न ऋण और सहायता प्राप्त करने में भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं ; और

(घ) इसे नियमित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) हमने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है जिसकी हम अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्राप्त होने पर इसे उपलब्ध करा दिया जाएगा।

मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा रेडियो टेलीफोन की स्थापना

1356. **डा० बसंत कुमार पण्डित** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में परीक्षण के तौर पर सौर ऊर्जा से चलने वाले "मल्टी-लिंक रेडियो टेलीफोन स्थापित किए गए हैं, यदि हां, तो इसके कार्य निष्पादन और इस टेलीफोन सेवा का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन परीक्षणों के सफल होने पर सरकार का विचार मध्य प्रदेश राजस्थान और अन्य पिछड़े राज्यों के जिलों में सौर ऊर्जा रेडियो टेलीफोन स्थापित करने का है ; और

(ग) वर्ष 1982 में के अन्त तक कितने सौर रेडियो टेलीफोन लग जायेंगे और वर्ष 1983 और 1984 में कितने तथा कहां-कहां सौर ऊर्जा रेडियो टेलीफोन लगाये जायेंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) सौर बैटरी उन स्थानों में संस्थापित की जाएगी जहां पर वाणिज्यिक विद्युत सप्लाई उपलब्ध नहीं है।

(ग) बहु मार्गीय रेडियों प्रसार योजना के अन्तर्गत वर्ष 82-83 के लिए 12 चुने हुए इलाकों में 46 स्थानों पर सौर फलक प्रदान किए गए हैं। वर्ष 1983 व 84 के दौरान जहां सौर विद्युत सप्लाई प्रदान करनी है वहाँ पर नए संस्थापनों की योजना के बारे में अभी अन्तिम नहीं लिया गया है।

साइलेन्ट घाटी परियोजना

1357. **श्री वी० एस० विजय राघवन :**

श्री ई० बालानन्दन : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में साईलेंट घाटी पन बिजली परियोजना सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं। साइलैंट वैली जल विद्युत परियोजना पर प्रो० एम० जी० के० मेनन, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में केन्द्र-राज्य की संयुक्त समिति की रिपोर्ट की अभी भी प्रतीक्षा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई के कपड़ा मजदूरों की हड़ताल और मजदूरों को भरण-पोषण भत्ता

1358. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री शिवशरण शर्मा : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार उद्योगपतियों मजदूरों और केन्द्रीय श्रम मन्त्रालय के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करके कपड़ा मिल मजदूरों की नौ महीने पुरानी हड़ताल को समाप्त करने का है ;

(ख) क्या सरकार हड़ताल पर गये मजदूरों को भरण-पोषण भत्ता और अन्य सुविधायें दे रही है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

(घ) क्या इस हड़ताल को इस तथ्य के कारण जारी रहने दिया जा रहा है कि विदेशी बाजार में भारतीय कपड़े की कोई मांग नहीं है और लोगों में फाइन कपड़ा खरीदने की कोई क्रय-शक्ति नहीं है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) सरकार ने वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित समस्याओं की जांच करने बम्बई सूती वस्त्र उद्योग में श्रमिकों की

मकान किराया भत्ता, सवारि भत्ता और अतिरिक्त मजदूरी सम्बन्धी विशेष मांगों की जांच करने के लिए त्रिपक्षीय समिति गठित करने का भी निर्णय किया है।

(ख) और (ग) कानून में हड़ताल पर श्रमिकों के लिए निर्वाह भत्ते की व्यवस्था नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बल्क औषधियों का आयात

1356. **प्रो० अजीत कुमार मेहता : क्या रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81, 1981-82 और 1982-83 (आज तक) के दौरान बल्क औषधियों का का आयात कितना बढ़ा।

(ख) बल्क औषधियों के आयात में वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) औषधियां आयात करने की नीति से देश में औषध उद्योग के विकास पर कहां तक प्रतिकूल पड़ा है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) 1979-80 और 1981-82 के दौरान प्रपुंज औषधों के आयात का सी० आई० एफ० मूल्य निम्न प्रकार है :

वर्ष	आयातका सी० आई० एफ० मूल्य
	(रु० करोड़ों में)
1979-80	95.27
1980-81	87.24
1981-82	105.06

जैसा कि उपरोक्त आंकड़ों से पता लगता है आयात परिवर्ती प्रदृत्ति दर्शाता है *

(ग) आयात नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात के लिए संपूर्ति आयात करने तथा निर्यात के लिए पंजीकृत करारों पर आयात करने की व्यवस्था है। 1981-82 के दौरान औषधों तथा भेषजों के निर्यात में भी वृद्धि हुई है (80- 81 में 76.16 करोड़ से 81-82 में 95-40 करोड़) और इससे संपूर्ति आयातों में वृद्धि हुई होगी।

सरकार ससय-समय पर आयात नीयि का पुनरीक्षण करती है। ऐसे पुनरीक्षणा पुनरीक्षणों

में, स्वदेशी उत्पादकों के सुझावों पर भी विचार किया जाता है। ऐसे पुनरीक्षण के परिणाम-स्वसा, जहां कहीं आवश्यक होता है सरकार आयात नीति में उपयुक्त परिवर्तन करती है।

बड़े नगरों में टेलीफोनों के बिल तैयार करने की नई प्रणाली शुरू करना

1360. **श्री जैनुल बशर :** क्या संचार मन्त्री बड़े शहरों में टेलीफोनों के लिए नई बिलिंग प्रणाली शुरू करने के बारे में 3 अगस्त 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या-3906 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परबर्ती द्विमासिक बिलों में पहले के दो महीगों की कम कालों का लाभ उपभोक्ताओं को देने के लिए टेलीफोनों की द्विमासिक बिलिंग के लिए 200 कालों की छूट देने के स्थान पर वर्षवार के लिए 1200 मुफत कालों की पूल संख्या पर विचार करने में टेलीफोन विभाग के रास्ते में क्य' कठिनाइयां है ; और

(ख) क्या अधिक कालों की किन्ही बकाया राशि को किसी भी समय शामिल करने के लिए टेलीडोन विभाग को अधिकार हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) प्रत्येक द्वि-माकिस अवधि के लिए 200 कालों की छूट देना शुल्क-दर सूची के अनुसार है। इसके अलावा, एक बिल-अवधि की न की गई नि:शुल्क कालों दूसरी विल-अवधि में ले जाने से काफी हिसाब किताब रखना पड़ेगा, जिससे अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत भी पड़ेगी।

(ख) सीमांकन अधिनियम, 1963 के अधीन विभाग 30 वर्ष के भीतर तक अपने दावे पेश कर सकता है। अत: विभाग टेलीफोन शुल्क की बकाया राशि का कोई दावा तक पेश कर सकता है, जब तक वह सीमांकन अधिनियम, 1963 के अधीन कालातीत नहीं हो जाता।

वायरस बुखार की दवाओं के मूल्यों में वृद्धि और उनकी अनुबन्धता

1361. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**
श्री दौलत राम सारण : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न दवाओं के मूल्यों में वृद्धि और राजधानी में संक्रामक वायरस बुखार के फैलने के साथ ही इन दवाओं की अनुपलब्धता की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके मूल्यों में वृद्धि को रोकने और उचित मूल्यों पर दवायें उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

रसायन और उरर्वक मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) वायरस बुखार का सामना करने के लिए कोई विशिष्ट दवाई नहीं है। बुखार, वदन-दर्द तथा सिर दर्द का केवल लाक्ष्यणिक इलाज बताया गया है और इनका इलाज एनलजेस्टिक्स और एंटिपापरक्स की तरह के पैरासिटा-मोल एनलजिन और एस्पिरिन से किया जा सकता है। इन फार्मूलेशन वाले औषधों के मूल्यों में

सरकार ने हाल ही में न तो कोई वृद्धि की है तथा न ही सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यों से उच्चतर मूल्यों पर उनकी बिक्री के बारे में राज्य औषध नियन्त्रकों से कोई शिकायत ही प्राप्त हुई है। उत्पादकों के पास पर्याप्त स्टाक है और उन्होंने राजधानी में अतिरिक्त सप्लाई भेजने की व्यवस्था की है।

पांच उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

1362. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने पांच उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है ?

(ख) यदि हां, तो वे किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे, इन संयंत्रों पर लगभग कितनी लागत आयेगी और इन संयत्रों को कब तक पूरा करने का कार्यक्रम है ?

(ग) क्या ये संयंत्र सरकारी क्षेत्र में होंगे अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में और क्या किसी बाहरी देश से अथवा कम्पनी से कोई सहयोग अथवा वित्तीय और तकनीकी सहायता मांगी जा रही है ; यदि हां, तो उन देशों और कम्पनी के क्या नाम हैं ; और

(घ) प्रत्येक सयंत्र की क्षमता कितनी होगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे(: (क) जी हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश में चार संयंत्र निम्नलिखित स्थानों में स्थापित किये जायेंगे बबराला (जिला बदायूं,) औनाला (जिला बरेली) , शाहजहांपुर (जिला शाहजहाँपुर) और जगदीश पुर (जिला सुलतानपुर) मध्यप्रदेश में एक संयंत्र विजयपुर (जिला गुना) में स्थापित किया जाएगा। इन संयंत्रों की लागत तथा पूरे होने की समय-सूची के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) मध्यप्रदेश के संयंत्र को सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जाने की संभावना है। अन्य संयंत्रों की मलकियत के संबंध में या इन परियोजनाओं की वित्तीय व्यवस्थाओं क संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(घ) इन संयत्र में से प्रत्येक की 1350 टन प्रति-दिन अमोनिया की कामना होने की सम्भावना है ।

उर्वरक उत्पादन की वद्धि में बाधा पड़ने के कारण

1363. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने बताया है कि बिजली की कमी और कोयले की घटिया किस्म के कारण

उर्वरक उत्पादन की वृद्धि में बाधा पहुंच रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन बाधाओं को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या उत्पादन का छठी योजना का तथ्य प्राप्त हो जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां । विद्युत समस्याओं ने कुछ उर्वरक संयंत्रों में उत्पादन को प्रभावित किया है। इसके अलावा कुछ अन्य संयंत्रों में कोयले की घटिया किस्म कम उत्पादन का एक कारण है ।

(ख) उर्वरक संयंत्रों को उचित किस्म के कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। अस्थिर विद्युत सप्लाई से प्रभावित संयंत्रों में कैप्टिव विद्युत प्रजनन सुविधाएं या तो स्थापित की जा रही है अथवा उन पर विचार किया जा रहा है।

(ग)जी, नहीं ।

मध्य प्रदेशके मुरेना जिले में पैट्रो-रसायन काम्पलेक्स की स्थापना

1364. **श्री बाबूलाल सोलंकी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मथुरा तेल शोधक पेट्रो-रसायन की पद्धति पर नया पेट्रो-रसाथन काम्पलैक्स स्थापित करने का बिचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसका कार्य कब तक शुरू हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) उस पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं । तथापि, मुरैना जिले में 15,000 मी० टन प्रतिवर्ष थैलिक एनिहाईड्राइड के निर्माण हेतु एक संयंत्र स्थापित करने के लिए मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को एक आशय-पत्र जारी किया गया है। 15,000 मी० टन प्रतिवर्ष पौलिएस्टर स्टेपल फाइबर के निर्माण हेतु मध्य प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड को भी एक आशय-पत्र जारी किया गया था । इस संयंत्र का सही स्थान निगम द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

कर्मचारी राज्य बीमा में जमा धनराशि का उपयोग

1365. **श्री राजेश पायलट :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा में कितनी वार्षिक जमाराशि प्राप्त हो रही है ;

(ख) अब तक इस निधि में से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है ; और

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा निधि में धनराशि संजित होने/उपयोग न होने के, यदि कोई न हो. तो क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम की आय और व्यय की स्थिति इस प्रकार थी :—

वर्ष	आय	व्यय	बचत/घाटा
	(रुपये करोड़ों में)		
1979-80	169.79	159.19	(+) 10.60
1980-81	193.22	188.06	(+) 5.16
1981-82	183.84	200.66	(—) 6.82

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की निधियों का निर्माण बीमे के इस सिद्धान्त को ध्यान में रखकर किया गया है कि भविष्य की सम्भाव्य घटनाओं संबंधी व्यय की पूर्ति के लिए पर्याप्त आरक्षित धन होना चाहिए। इन धन-राशि का उपयोग, अन्य बातों के साथ-साथ; बीमारी आशक्तता और मृत्यु की सूरत में बीमाकृत व्यक्तियों को आवधिक भुगतान करने, निगम के कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति लाभों का भुगतान करने और समस्त देश में निगम के भवनों के निर्माण और उनके रखाव पर होने वाले खर्च को वहन करने के लिए किया जा रहा है।

राँची बिहार में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करना

1366. **श्रीमती सुमति उरांव सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में रांची. बिहार में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में कार्यवाही आरम्भ करने के लिए तैयार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री आरिफ मौहम्मद खां) : (क) और (ख) इन्सेट योजना के अन्तर्गत रांची में 10 किलोमीटर का एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रेषण उपकरणों के लिए आर्डर दे दिया गया है। इस परियोजना के 1984-85 में चालू करने का कार्यक्रम है। इस ट्रांसमीटर की सेवा परिधि 70 किलोमीटर होगी और यह 4,900 गावों में फैली 29.55 लाख ग्रामीण जनसंख्या सहित 35.9 लाख जनसंख्या को सेवा प्रदान करेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

शोधनशालाओं के विस्तार की लागत में वृद्धि

1367. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्तार कार्यक्रम में विलम्ब के कारण शोधनशालाओं के विस्तार की लागत में तेजी से वृद्धि हुई है ;

(क) क्या विलम्ब के परिणाम स्वरूप पेंट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो विस्तार कार्यक्रम के निर्धारित कार्यक्रम से पिछड़ जाने के क्या कारण हैं !

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) निम्नलिखित शोधनशाला विस्तार प्रयोजनाएं कार्यान्वियनाधीन हैं :—

(1) बम्बई स्थित भारत पैंट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की शोधनशाला का 5.25 एम० टी०पी० ए० से 6 एम० टी० पी० ए० तक विस्तार ;

(2) कोचीन शोधनशाला लिमिटेड का 3.30 एम० टी० पी० ए० से 4.50 एस० टी० पी० ए० तक विस्तार ;

(3) हिन्दुस्तान पैंट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की विशाखापत्नम स्थित शोधनशाला का 1.50 एम० टी० पी० ए० से 4.50 एम० टी० पी० ए० तक विस्तार ; तथा

(4) मद्रास स्थित मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड का 2.8 एम० टी० पी० ए० से 5.6 एम० टी० पी० ए० तक विस्तार।

इन सभी प्रायोजनाओं के 1984-85 तक पूरा हो जाने की आशा है तथा इन प्रायोजनाओं की अनुमोदित लागत के अन्तर्गत समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाये जा रहे हैं।

मथुरा तथा कोयाली शोधनशालाओं में गौण संसाधन सुविधाओं को शुरू करने में विलम्ब हुआ है। यह विलम्ब मुख्यतः महत्वपूर्ण उपकरणों की सप्लाई में देरी के कारण हुआ है। इस कारण 82-83 में अब तक मूल अनुमानों से अधिक पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करना आवश्यक हो गया है।

कर्नाटक में नई बिजली परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव

1369. **श्री एस० एम० कृष्णा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में, वहा सदैव बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये निकट भविष्य में नई बिजली परियोजनायें स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तापीय और पनबिजली दोनों क्षेत्रों में इस प्रकार के संयंत्रों की संख्या कितनी है ; और

(ग) राज्य की आगामी पांच वर्षों की अनुमानित मांग कितनी है और इसे किस तरह

पूरा करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राज्य में पांच जल विद्युत परियोजनाएं तथा एक ताप विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है, जो छठी योजना में 1195 मेगावाट तथा सातवीं योजना में 759 मेगावाट का लाभ प्रदान करेंगे ।

(ग) ग्यारहवें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण द्वारा अगले पांच वर्षों के लिए राज्य में अनुमानित विद्युत की भावी मांग नीचे दिए गए अनुसार है :

	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
ऊर्जा की आवश्यकता (मिलियन यूनिट)	12167	13262	14456	15757	17175
व्यस्ततम कालीन भार (मेगावाट)	1988	2166	2360	2571	2801

इस समय कर्नाटक की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 1740 मेगावाट है जैसा कि ऊपर सूचित किया गया है निर्माणाधीन परियोजनाएं 1955 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता प्रदान करेंगी । इसमें से 405 मेगावाट क्षमना चालू की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त, राज्य को केन्द्रीय परियोजनाओं से 429 मेगावाट का हिस्सा प्राप्त होगा ।

उर्वरकों का उत्पादन

1370. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरकों का घरेलू उत्पादन कितना रहा और उपरोक्त अवधि के दौरान इन उत्पादों का कितनी मात्रा में आयात किया गया है, और

(ख) आवश्यकता के अनुसार अपना उत्पादन बढ़ाने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उर्वरकों का आयात रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

(आंकड़े लाख टन न्यूट्रिएन्टस में)

	1980-81		1981-82	
	नाइट्रोजन	फास्फेट (पी० 2 ओ० 5)	नाइट्रोजन	फास्फेट (पी० 2 ओ० 5)
उत्पादन	21.64	8.41	31.44	9.49

आयात	15.10	4.52	10.54	3.43

(ख) नाइट्रोजनयुक्त और फास्फेटिक उर्वरकों की मांग और स्वदेशी उत्पादन के बीच अन्तर को पर्याप्त रूप से कम करने की दृष्टि से क्षमता के पर्याप्त विस्तार की योजना बनाई जा रही है। चूंकि देश में पोटाश का कोई भण्डार नहीं है अत: पोटाशिक उर्वरकों की समस्त मांग को आयातों द्वारा पूरा किया जाता है।

आंध्र प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों को आल वेदर टेलीफोन केन्द्रों द्वारा ब्लाक मुख्यालयों से जोड़ना

1371. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य आंध्र प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों को आल वेदर टेलीफोन केन्द्रों द्वारा ब्लाक मुख्यालयों से जोड़ दिया गया है ?

(ख) यदि नहीं, तो जिन क्षेत्रों को इससे नहीं जोड़ा गया है उनके नाम क्या है ; और

(ग) क्या सभी जिला मुख्यालयों में टेलीप्रिंटर सुविधाएं हैं और यदि नहीं, तो ये सुविधाएं कब तक शुरू की जाएंगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। इस परिकल्पना के साथ कि जब माननीय सदस्य ने सभी मौसम टेलीफोन एक्सचेंजों से जोड़ने की चर्चा की तो उनका तात्पर्य इस संपर्क प्रणाली का सभी मौसमी परिस्थितियों में दिन-रात उपलब्धता से था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आन्ध्र प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में टेलीप्रिंटर सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों का विकास

1372. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या संचार यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डिया टेलीफोन इण्डीस्ट्रीज ने इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों का विकास किया है जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग में लाया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में उस तरह के सम्मेलन स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो 1981-83 में ऐसे कितने सम्मेलन स्थापित किये जायेंगे और वे किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय टेलीफोन उद्योग (आई० टी० आई०) ने दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र (टी०

आर० सी०) के सहयोग से 10 लाइनों (9+2+1) के छोटे इलैक्ट्रांनिक एक्सचेंज का विकास किया है। आई० टी०. आई० इन एक्सचेंजों का निर्माण कर रहा है। आई० टी० आई० ने निम्न-लिखित एक्सचेंजों का विकास भी किया है :

(एक) 50 लाइनों का इलैक्ट्रानिक निजी स्वचल शाखा एक्सचेंज जिसके उत्पादन के लिये स्वीकृति दे दी है।

(दो) 50/200 लाइनों के इलैक्ट्रानिक छोटे स्वचल एक्सचेंज, जिनका क्षेत्रीय परीक्षण किया जाना है।

(तीन) 100/2000 लाइनों के इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज जो प्रयोगशाला मूल्यांकन के अधीन है।

(ग) 1982-83 में नहीं

निर्वाचन आयोग द्वारा सुझाए गए निर्वाचन संबंधी परिवर्तन

1373. **श्री बी० वी० देसाई : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन संबंधी परिवर्तनों के लिए अपने प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये प्रस्ताव भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा दिए गए प्रस्तावों से भिन्न हैं ;

(ग) यदि हां, तो ये प्रस्ताव भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रस्तावों से किस प्रकार भिन्न हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने इन सभी प्रस्तावों पर विचार किया है और सरकार इन प्रस्तावों को संभवतः कब तक स्वीकार कर लेगी।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन नाथ कौशल) : (क) जी हां। निर्वाचन आयोग से 30 सितम्बर, 1982 को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ) इन प्रस्तावों में आयोग के सचिवालय के विषय में और अधिक विशेषाधिकारों और रक्षोपायों के लिए संविधान के संशोधन तथा निरर्हता के एक आधार के रूप में "दल बदल" को सम्मिलित करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के संशोधन से संबंधित दो नई सिफारिशें हैं। आयोग से अब जो अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें भूतपूर्व सुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा भेजे गए प्रस्तावों से कुछ अन्तर और विचलन हैं। प्रस्तावों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए उनका उचित और सावधानी पूर्वक अध्ययन किए बिना स्पष्ट और विनिर्दिष्ट रूप से यह बता सकना संभव नहीं होगा कि इन प्रस्तावों की प्रकृति और उनके विषय क्षेत्र में ठीक-ठीक क्या अन्तर है। इस सम्बन्ध में कोई समय सीमा बताना भी संभव नहीं होगा क्योंकि इन पर मन्त्रिमण्डल समिति को विचार करना होगा तथा राजनैतिक दलों के साथ और आवश्यकता पड़ने, पर राज्य सरकारों के साथ भी विचार विमर्श करना होगा।

बिड़थी पन बिजली परियोजना के प्रभाव

1374. **श्री वी० बी० देसाई :**

श्री टी० आर० शमन्ना : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़थी पन ब्रिजली परियोरना, जो पश्चिम घाट में सिरसी के पास आरम्भ की जानी थी, से जनसंख्या के सामाजिक और आर्थिक ढांचा छिन्न-भिन्न हो जाएगा क्योंकि इसमें वन भूमि का एक वहुत बड़ा भाग शामिल किया जाएगा क्योंकि जिससे 90 किस्म के पक्षियों और दुर्लभ वन्य पशुओं को खतरा हो जाएगा ;

(ख) क्या आर्थिक दृष्टिकोण से किए गए एक अध्ययन के अनुसार इस परियोजना के लाभ और लागत का अनुपात योजना आयोग के मानदण्डों से कहीं कम है और परिणामस्वरूप यह परियोजना आर्थिक तौर पर व्यवहार्य नहीं है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कर्नाटक सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था।

(घ) क्या भारी आलोचना को देखते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य को इस परियोजना की स्थापना न करने को कहा गया था : और

(ङ) यदि हां, तो कर्नाटक सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (ो विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) बेड़थी (गंगावली) जल विद्युत परियोजना 2 × 105 मेगावाट को परिस्थिति विभाग द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से स्कीम को स्वीकृति दिए जाने के पश्चात योजना आयोग द्वारा अप्रैल, 1979 में पहले ही स्वीकृति दे दी गई है। तथापि राज्य सरकार ने सूचित किया है। कि उत्तर कनाडा जिले के लोगों द्वारा आन्दोलन किए जाने के कारण, जिनको आशंका है कि परियोजना के चालू हो जाने पर उस क्षेत्र का परिस्थितिक सन्तुलन प्रभावित हो जाएगा, बेड़थी (गंगावली) जल विद्युत परियोजना में प्रगति नहीं हो रही है तदनुसार राज्य सरकार ने इन आशंकाओं को दूर करने के लिए और अध्ययन करने हेतु कर्नाटक बिजली वोर्ड के सेवानिवृत्त अध्यक्ष श्री एच० बी० नारायण राव की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया है।

हाल ही के पत्र में परियोजना प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में आगे कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा इस मामले पर निर्णय किए जाने के पश्चात ही की जाएगी।

परियोजना को स्वीकृति देते समय वार्षिक निश्चित ऊर्जा उत्पन्न 1040 मिलियन यूनिट होने तथा प्रति यूनिट 14.4 पैसे उत्पादन लागत आने का अनुमान लगाया गया था। उत्पादन की यह लागत ताप विद्युत केन्द्रों से होने वाले उत्पादन की लागत की तुलना में बहुत ही कम है।

पी० सी० ओ० वाले ब्लाक मुख्यालय

1375. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के 5011 ब्लाक के सभी ब्लाक मुख्यालयों को पी० सी० ओ० उपलब्ध

करा दिए गए हैं क्योंकि सरकार ने ब्लाक मुख्यालयों को इस सुविधा के लिए श्रेणी स्टेशना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उन ब्लाक मुख्यालयों के नाम और संख्या क्या है जिन्हें अभी तक यह सुविधा नहीं मिली है ; और

(ग) शेष ब्लाक मुख्यालयों को किस संभावित तारीख तक पी० सी० ओ० उपलब्ध करा दिए जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं। संभवतः माननीय सदस्य का आशय देश के समुदाय विकास ब्लाकों से है।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) शेष ब्लाक मुख्यालयों में सार्वजनिक टेलीफोन घर वित्तीय । सामग्री अड़चनों को एवं अन्य प्राथमिकताओं को मद्देनजर रखते हुए योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर प्रदान किए जाएंगे।

विवरण

सार्वजनिक टेलीफोन घर रहित ब्लाक मुख्यालयों की संख्या एवं नाम।

क्रम सं० ब्लाक मुख्यालय का नाम

बिहार सर्किल

1. वड़ागांव
2. इन्पारगढ़
3. बाहरगोरा
4. मझगांव
5. सतगांव
6. तंडवा
7. विरनी
8. मधुवन
9. ठकहारा
10. भण्डना

जम्मू एवं कश्मीर सर्किल

11. अन्तोली
12. वगतिकानीपुर

क्रम सं० ब्लाक मुख्यालय का नाम

13. फतापुरा
14. मालून
15, नामला
16. नावपनेही

मध्य प्रदेश सर्किल

17. कोइलवेडा
18. उरछा
19. वदरफनगर

उत्तर पूर्वी सर्किल (अरुणा प्रदेश)

20. कलकतंग
21. नाफरा दुरागांव
22. लम्ला
23. तिंगबू मुक्तू
24. पक्का केसांग
25. वामेंग
26. युयांताजो
27. रागा
28. पालिन
29. सागली
30. ताली
31. कातोरिंग
32. नयापिन
33. हूरी
34. नोघो
35. तलिहा
36. गेंशीगेंरी
37. लिरोम्बा
38. येचुका
39. तूतिंग

40. पागिन
41. मेरियांग
42. यिंगकियोंग
43. राम्वगो
44. बाकरो
45. पियहापुलियांग
46 हवाईइ
47. दम्लुक
48. हुनलुक्रोनलिया
49. पंगशनवाखा

असम

50- करारा
51. फुलेरताल
52. महाकल
53. भुरवंधा
54. वेकरगराह
55. सिनमारा
56. रजवेटा
57. कोकापाचर
58. वेरंगवारी
59. यूनीपगाई
60. तीतागुड़ी

मणिपुर

61. तामेई
62. हावरंगसावल

मेघालय

63. रेसूवेलपाड़ा
64. दम्बा रेंगिग

मिरोरम

65. रंगनुकाम

66. थिंगसुलथिवाह
67. न्गोपा
68. खवजाल
69. लुंगदार
70. लुंगेसेन
71. वंएमुन
72. लोकी चेरा

नागालेंड

73. वार्कचिग

त्रिपुरा

74. वोगफा
75. तुलियानपासा

उड़िसा र्सकिल

76. पोदिया
77. दसमठपुर
78. बंधुगांव
69. रामनगुड़ा
80. कुहुमुलुगु
81. खोयरपुट
82. कूपज प्रसाद

उत्तर प्रदेश र्सकिल

83. भेलवा
84. चिनयालीसौन
85. धारी
86. दिलारी
87. ऐक्का
88. मूरी
89. निबूरा
90 सलहारपुर
91. यमकेश्वर

पश्चिम बंगाल सर्किल

92. वेदराबाद
93. वेलूरघाट
94. बगाबा
95. छतिनासोल
96. चांदीपुर
97. घापेर
98. गिदनी
99. मजिलिसपुर
100. रोहिणी

हिमाचल प्रदेश में पी० सी० ओ० की स्थापना

1376. **प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्यां हैं जिनके लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष (आज तक) के दौरान पी० सी० ओ० स्थापित करने के लिए डाक और तार अधिकारियों को श्रेणी स्टेशन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए हैं : ;

(ख) उनमें से ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जिनके लिए पी० सी० ओ० (I) स्वीकृत कर दिए गए हैं (II) स्वीकृति के निए विचाराधीन है ; और

(ग) स्वीकृत पी० सी० ओ० के प्रत्येक मामले में उनकी स्थापना की सम्भावित तारीख क्या है और उन पी० सी० की स्वीकृति की संभावित तारीख क्या है जो विचाराधीन है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) ऐसे स्थानों के नाम नीचे दिए गए हैं :

(1) थिल

(2) चमुखा

(3) करौर

(4) पिपलू

(5) जंगल बैरी

(6) करोहा

(ख) (I) निम्नलिखित स्थानों के लिए सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने की मंजूरी दे दी गयी हैं :

(1) करौर

(2) चमुखा (स्थानीय)

(3) जंगल बैरी

(4) पिपलू (स्थानीय)

(5) करोहा (स्थानीय)

(ii) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि सार्वजनिक टेलीफोनघरों की मंजूरी दे दी गयी है।

(ग) जंगल बैरी में सार्वजनिक टेलीफोनघर पहले से ही कार्य कर रहा है। अन्य सार्वजनिक टेलीफोनघर आवश्यक रांज सामग्री प्राप्त होने पर चालू वित्तीय वर्ष में स्थापित किए जाने की संभावना है।

थिल के मामले में मंजूरी नहीं दी जा सकती क्योंकि यह न्यूनतम राजस्व शर्तों को पूरा नहीं करता।

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड

1377 **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में 20 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1981 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार के आरोपों की जांच पूरी हो गई है।

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ; और

(ग) इस कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उपमन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) प्रश्नास्पद जाचें आयोग द्वारा अभी पूर्ण नहीं की गई हैं।

(ख) तथा (ग) उत्पन्न नहीं होते।

टेलीविजन कार्यक्रमों के बारे में लोगों के विचारों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण

1378. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीविजन पर दिखाये जा रहे कार्यक्रमों के बारे में विभिन्न भागों के टेलीविजन दर्शकों की राय जानने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो उन टेलीविजन कार्यक्रमों के बारे में लोगों के विचार क्या हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रत्येक सर्वेक्षण/अध्ययन के निष्कर्ष कार्यक्रम विशेष के लिए विशिष्ट होते हैं जिनमें कार्यक्रमों के बारे में मन्त्रात्मक प्रतिक्रियाएं तथा गुणात्मक आक्लन दोनों शामिल हैं। ये सर्वेक्षण/अध्यतन निम्नलिखित के बारे में बुनियादी आंकड़े उपलब्ध करते हैं :

(1) दर्शशकों की संख्या तथा आयु, शिक्षा, व्यवसाय, इत्यादि के रूप में उनकी सरचना ;

(2) कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं तथा भाषा, समय की उपयुक्तता, आवृत्ति, अवधि; कार्यक्रम विषय, रूप, कार्यक्रमों का समग्र प्रस्तुतीकरण तथा उपयोगिता, इत्यादि के बारे में दर्शकों की राय ;

(3) समस्याओं का पता करके विभिन्न विकासीय टेलीकास्ट (कृषि, स्वास्थ्य, स्वच्छता, इत्यादि) के लिए अनुसंधान समर्थन करके कार्यक्रम नियोजन/समय निर्धारण इत्यादिके बारे मेंआंकड़े सप्लाई करना ।

दवाओं का अवैध उत्पादन

1379. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री ग्रह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दवाओं के अवैध उत्पादन के विरुद्ध सरकार ने पिछले छः महीने में क्या कार्यवाही करने का विचार किगा है ,

(ख) ऐसी गतिविधियों में लगे लोगों के विरुद्ध कितने मामले दायर किए गए हैं ; और

(ग) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है,

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) नई औषध नीति के अनुसार यह निधारित किया गया था कि किसी भी अनाधिकृत उत्पादन अर्थात औद्योगिक लाइसेंसों, सी० ओ० वी० लाइसेंसों, अनुमति पत्रों या जी० जी० टी० डी० पंजीकरणों के प्राधिकार के बिना किए गए उत्पादन को नियमित नहीं किया जायेगा। अक्तूबर 1981 में एक नीति निर्णय लिया गया था और निम्न प्रकार घोषित किया गया था :

"फार्मूलेशनों के लिए स्थापित क्षमता को मान्यता देने में केवल अधिकृत उत्पादन की संगणना की जायेगी। औद्योगिक लाइसेंस में दिए गए निर्देशों की तुलना में जहां किसी बल्क औषध अथवा फार्मूलेशन के उत्पादन में प्रयोग की जा रही बल्क औषध में कोई परिवर्तन नहीं है वहां ऐसे फार्मूलेशन के लिए स्थापित क्षमता को मान्यता दी जायेगी। अतः विनियमन के लिए नामों लेवलों शक्ति पैक आकार और खूराक की किस्मों में परिवर्तनों को अयोग्यता नहीं समझा जायेगा। किन्तु औद्योगिक अनुमोदिनों के अन्तर्गत न आने वाले फार्मूलेसों या संरचना में परिवर्तन वाले फार्मूलेशनों और/या नई बल्क औषधों के प्रयोग वाले फार्मूलेशनों के निर्माण को विनियमन के लिए अयोग्य समझा जायेगा।"

विभिन्न एककों द्वारा औषधों के अधिकृत उत्पन्न के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करने की

दृष्टि से हाल ही में एक अन्तर्गत मन्त्रालय कार्यकारी दल गठित किया गया है। ऐसे कार्यकलापों में लिप्त रहने के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध गत 6 माह के दौरान कोई अभियोग नहीं बचलाया गया है।

वोदरा पश्चिम बंगाल में तेल की खोज करने के लिए सोवियत संघ के साथ करार

1380. **श्री मोहनलाल पटेल :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं और एक सोवियत दल वोदरा, पश्चिम बंगाल में अन्वेषी तेल कुए पर कार्य करेगा;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ;

(ग) अन्वेषी कार्य कब आरम्भ होने की सम्भावना है ; और

(घ) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) (क) जी, हां। पश्चिम बंगाल में वोदरा नामक स्थान पर एक अन्वेषी कूप की खुदाई करने के लिए सोवियत विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और यू० एस० एस० आर० की मैसर्स टैक्नाएक्टपोर्ट के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गये हैं।

(ख) करार के अधीन यू० एस० एस०.आर० की मैसर्स टैक्नोएक्टपोर्ट तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्मिकों के साथ काम करने के लिए 15 महीनों की अवधि के लिए 35 सोवियत विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्ति करेगी। इन विशेषज्ञों को दो देशों के बीच अन्तसरकारी करारों के अधीन सोवियत विशेषज्ञों को स्वीकार्य दरों के अनुसार मासिक परिश्रमिक एवं भत्ता दिया जायेगा कूप की खुदाई करने के लिए सभी उपकरण और माल की व्यवस्था तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा की जायेगी।

(ग) आशा है, खुदाई कार्य दिसम्बर, 1982 के अन्त तक आरम्भ हो जायेंगे।

(घ) करार की शर्तों के अनुसार 35 सोवियत विशेषज्ञों की सेवाओं पर लागत 3,90, 11 रूबल होगी।

सहकारी समितियों के माध्यम से एल० पी० जी० का वितरण

1381. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कि क्या सरकार का सहकारी समितियों के माध्यम से एल० पी० जी० खाना पकाने की गैस का विवरण करने का विचार है

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : जी, नहीं। एल० पी० जी० खाना की गैस के वितरण की केवल सहकारी समितियों के माध्यम से व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, सहकारी समितियों तेल कम्पनियों द्वारा सामान्य वर्ग के

अन्तर्गत समय-समय पर जारी किए गए विज्ञापनों के संदर्भ में तेल कम्पनियों को आवेदन करने के लिए स्वतन्त्र हैं

चोटी के दस औद्योगिक घरानों की परिसंपत्तियाँ बिकी और लाभ

1382. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या विधि और कम्पनी कार्य मन्त्री 13 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 763 के उत्तर के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के दौरान चोटी के दस औद्योगिक घराने की परिसम्पत्तियां, बिक्री और लाभ क्या थे ; और

(ख) क्या वे 31 दिसम्बर, 1981 की स्थिति दर्शाने वाले एक और विवरण को सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) तथा (ख) बहुत सी कम्पनियों के वर्ष 1981 के तुलन-पत्र अभी प्राप्त किए जाने हैं और इस प्रकार से वर्ष 1981 में चोटी के दस घरानों (परिसम्पत्तियों के अनुसार) की अभी पहचान की जानी है। चोटी के 10 औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों, व्यापारावर्त और लाभों के ब्यौरे और प्रश्न में विनिर्दिष्ट विवरण-पत्र II की सभी तुलनपत्रों को प्राप्त करने के पश्चात ही अन्तिम रूप दिया जा सकता है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम का संशोधन

1383. **श्री रामविलास पासवान :**
श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री सुभाष यादव :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का औद्योगिक विवाद अधिनियम में कुछ और परिवर्तन करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई विधान लाने का विचार है और यदि हां, तो कब तक ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) सरकार ने इस वर्ष औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन किया है। सरकार औद्योगिक सम्बन्धों को प्रभावित करने वाले कतिपय विवादास्पद मामलों की जांच कर रही है, जिनमें अन्य मामलों के साथ-साथ यूनियन की सदस्य संख्या के सत्यापन की पद्धति, वार्ताकारी एजेंटों की

परिकल्पना और औद्योगिक सम्बन्धों के लिए उपयुक्त तन्त्र शामिल है। इस मामलों पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया हैं।

पंजाब में बिजली की स्थिति

1384. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजावमें विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की स्थिति अत्यधिक विगड़ गई है और इससे उत्पादन में काफी कमी आ गई है ; और

(क) यदि हां, तो भाखड़ा ग्रिड से **पंजाब को** अधिक बिजली आबंटित करने के लिए तथा पड़ौसी राज्यों से, जो अपनी अतिरिक्त बिजली दे सकते हैं, उसे पंजाब को देने के लिए सरकार का क्या कदम उठानें का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) पंजाव में विद्युत सप्लाई की स्थिति कुल मिलाकर सन्तोषजनक रही थी। तथापि, सितम्बर, 1982 के अन्त में धान की फसल को पकने के लिए राज्य में किसानों को पर्याप्त विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करने की दृष्टि से ओद्योगिक क्षेत्र के मामले में सप्लाई नियन्त्रित करनी पड़ी थीं। पंजाब में सितम्वर, 1982 में वर्षा न होने के कारण ऐसा करना आवश्यक हो गया था।

(ख) राज्यों, इसकी विद्युत आवश्यकता को पूरा करने में सहायता देने की दृष्टि से राज्य को भाखड़ा के इसके भाग से अतिरिक्त विद्युत लेकर भाखड़ा नंगल काम्पैलक्स से तथा केन्द्रीय क्षेत्र के बदरापुर और सिंगरौली ताप बिजली केन्द्रों से भी सहायता की गई।

केरल द्वारा विद्युत क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष सहायता के लिए अनुरोध

1385. **श्री ए० निलालोहिथादसन नाडार** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य बिजली बोर्ड ने वर्ष 1982-83 तथा छठी योजना अवधि के बचे हुए भाग के लिए विद्युत क्षेत्र के अन्तर्गत धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सरकार से विशेष सहायता का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो मांगी गई विशेष सहायता का ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) केरल राज्य विद्युत बोर्ड से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, बिजली मन्त्री, केरल से पुयानकुट्टी लोअर पेरियार परियोजनाओं को विदेशी सहायता के लिए प्रस्तुत करने हेतु एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। ये परियोजनाएं अभी विदेशी सहायता हेतु प्रस्तुत किए जाने के लिए तैयार नहीं है। इन परियोजनाओं पर अभी निवेश की मंजूरी दी जानी है।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता उनकी वार्षिक योजनाओं के लिए ब्लाक ऋणों और ब्लाक

अनुदानों के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित फामूले के आधार पर दी जाती है। यह सहायता प्रत्येक राज्य को उनकी पूरी योजना के आधार पर दी जाती है और किसी क्षेत्र की विशिष्ट परियोजना के लिए नहीं दी जाती है।

बिजली के विकास के लिए केरल द्वारा वित्तीय सहायता का अनुरोध

1386. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य बिजली बोर्ड ने बिजली के विकास के अपने त्वरित कार्यक्रम के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो अनुरोध का ब्यौरा क्या और अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राज्यों को उनकी वार्षिक योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा मन्जूर किए गए फार्मूला के आधार पर ब्लाक ऋणों और ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है। यह सहायता प्रत्येक राज्य को उनकी पूरी योजना के लिए दी जाती है और किसी सैक्टर की विशिष्टपरियोजना/संगठन के लिए नहीं दी जाती है। केरल राज्य बिजली बोर्ड से कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

एफ० ए० सी० टी० द्वारा कैप्रोलेक्टम परियोजना की स्थापना

1387. **श्री ए० नोलालोहिथादसन नाडार** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री ने यह कहा था कि प्रस्तावित कैप्रोलैक्टम परियोजना एफ० ए० सी० टी० द्वारा कोचीन में स्थापित की जायेगी,

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई सूचना भेजी गई है, और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं,

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां। प्रस्तावित परियोजना उद्योग मण्डल में स्थापित की जा रही है।

(ख) परियोजना के लिए,मजदूरी 24 अप्रैल,1982 को जारी की गई थी और यह शर्त लगाई गई थी कि संयंत्र को कच्चे मल की आपूर्ति करने के ढंग का निर्णय सरकार द्वारा अलग से लिया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि श्रमिकों के लिए मजुरी का निर्धारण

1388. **श्री रामलाल राही : क्या श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कृषि श्रमिकों की संख्या क्या है और क्या सरकार का उनकी मजुरी निर्धारित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी दैनिक मजूरी क्या होगी ; और

(ग) यदि इन श्रमिकों के विषय में कोई प्रस्ताव नहीं है, तो उसके कारण क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) 1981 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, देश में कृषि श्रमिकों की संख्या 554.3 ला (अनिंतम) है। कृषि रोजगार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुसूची के भाग !! के अन्तर्गत आता है। कृषि रोजगार में अधिकांश श्रमिक राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। केन्द्रीय सरकार और सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने (चार राज्यों को छोड़कर) कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की हैं ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें अकुशल श्रमिकों के लिए कृषि में रोजगार के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें दी गई हैं और वे कारण दिए हैं कि चार राज्यों में मजदूरी दरें निर्धारित क्यों नहीं की गई ।

विवरण

कृषि (अकुशल श्रमिकों के लिए) में न्यूनतम मजदूरी जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई है और राज्य सरकारों/ प्रशासनों द्वारा सूचित की गई है।

राज्य का नाम	लागू होने की तारीख	मजदूरी की दरें	टिप्पणियां
केन्द्रीय सरकार	21.8.82	6.75 रु० से 10,00रु० क्षेत्रों के अनुसार	
आंध्र प्रदेश	7.2.1981	4.25 रु० से 10,00 रु० प्रतिदिन क्षेत्रों के अनुसार ।	
असम	28.12.1981	8.00रु० से 9.00 रु० प्रतिदिन बिना भोजनके या 7.00 रु० प्रतिदिन एक समय के भोजन के साथ, व्यवसाय के अनुसार।	
बिहार	12.4.1982	5 किलोग्राम धान या उसी मूल्य का कोई अन्य अनाज इसके अतिरिक्त एक समय का नाश्ता या 8.50 रु० नकद ।	
गुजरात	2.10.1982	9.00 रु० प्रतिदिन या 3,200/-प्रति वर्ष	

1	2	3	4
हरियाणा	1.5.1982	14.00 रु० प्रतिदिन या 10.00 प्रतिदिन भोजत के साथ।	
हिमाचल प्रदेश	1.4.1982	8.25 रु० प्रतिदिन	
जम्मू व कश्मीर		अभी तक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं की गई।	राज्य सरकार द्वारा भूमि सुधार जैसी की गई कुछ कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए, यह महसूस किया जाता है कि नियोजकों और श्रमिकों में मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और श्रमिकों का शोषण नहीं किया जाता।
कर्नाटक	1.3.1982	5.00 रु० से 7.50 प्रतिदिन कार्य की श्रेणीं भूमि के प्रकार के अनुसार।	
केरल	1.8.1980	7.45 रु० प्रतिदिन आंसान काम के लिए तथा 9.20 रु० प्रति दिन कठिन काम के लिए।	न्यूनतम मजदूरी में आगे संशोधिन के लिए सरकार को सलाह देने हेतु 30.10.81 को एक समिति का गठन किया गया था।
मध्य प्रदेश	1.1.1982	7.00रु० और विशेष भत्ताप्रतिदिन जो अर्धवार्षिक संकलित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध।	
महाराष्ट्र	1.11.1978	4.00 रु० से 5.50 रु० प्रतिदिनक्षेत्रों के अनुसार।	आगे संशोधन की सलाह देने के लिए 11.3.81 को सलाहाकार समिति का गठन किया गया।
मणिपुर	1.11.1980	8.00रु० प्रतिदिन	
मेघालय	1.3.1980	7.50रु० दोपहर के भोजन के साथ प्रतिदिन।	न्यूनतम मजदूरी के संशोधन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

1	2	3	4
नागालैंड	11.2.1981	7.00रु० प्रतिदिन	न्यूनतम मजदूरी के संशोधन पर राज्य सरकार विचार कर रही है।
उड़ीसा	दिसम्बर, 1980	5.00रु० प्रतिदिन	मसौदा प्रस्ताव 16.4.82 को अधिसूचित किए गए।
पंजाब	1.1.1982	11.रु० प्रतिदिन भोजन के साथ या 14.00 रु० प्रतिदिन बिना भोजन के।	
राजस्थान	1.4.1982	8.05 से 9.00रु० प्रतिदिन क्षेत्रों के अनुसार।	
सिक्किम		राज्य में अभी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 लागू नहीं किया गया है।	
तमिलनाडु	15.9.1979	5.00 रु० से 7.00रु० प्रतिदिन संक्रियाओं के प्रकार के अनुसार, पूर्वी थंजावुर को छोड़कर जहां मजदूरी दरें तमिलनाडु कृषि श्रमिक उचित मजदूरी अधिनियम 1969 के अनुसार निर्धारित की गई हैं।	न्यूनतम मजदूरी के आगे संशोधन के लिए 2.3.82 को समिति गठित की गयी थी।
त्रिपुरा	1.8.82	8.00रु० प्रतिदिन	
उत्तर प्रदेश	9.1.1981	6.50रु० प्रतिदिन क्षेत्रों के अनुसार।	
पश्चिम बंगाल	तारीख का पता नहीं	व्यस्क-10.5 प्रतिदिन बालक-7.29 प्रतिदिन	आगे संशोकन के लिए प्रस्ताव अधिसूचित किए गए हैं।
अडमान और निकोबार	14.7.82	8.00रु० प्रतिदिन	

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	1.6.1981	9.00रु० से 10.00 रु०प्रतिदिन	ये दरें कार्यकारी आदेशों के अधीन निर्धारित की गई थीं ।
चंडीगढ़ प्रशासन	12.4.1981	14.00रु० प्रतिदिन या 11.00 रु० भोजन के साथ ।	
दादर तथा नागर हवेली	15.4.1976	5.50 रु० प्रतिदिन	न्यूनतम मजदूरी के आगे संशोधन के सुझाव के लिए सलाहाकार समिति का गठन किया गया है ।
दिल्ली प्रशासन	1.3.1982	11.60रु० प्रतिदिन	
गोवा-दमन और द्वीव	13.8.1982	600 रु० प्रतिदिन	
मिजोरम		कोई संगठित श्रमिक नहीं हैं । विद्यमान दर 10.00रु० प्रतिदिन या इसके आस-पास है ।	
पांडिचेरी (I) माही तथा यमन क्षेत्र	1.5.1976	4.75रु० से 9.00 प्रतिदिन क्षेत्रों के अनुसार तथा कार्य के स्वरुप के अनुसार ।	
(I) पांडिचेरी तथा कराइकल	24.1. 1981	5.00रु० 7.80रु० प्रतिदिन क्षेत्रों तथा कार्य के स्वरुप के अनुसार ।	कराइकल क्षेत्र में संशोधन हेतु आगे प्रस्ताव 12.1.1982 को अधिसूचित किए गए ।
लक्षद्वीप		संघशासित क्षेत्र में कोई कृषि श्रमिक नहीं है ।	

महाराष्ट्र में 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए स्विस बहुराष्ट्रीय फर्म

1389. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा कि : ।

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में 1000 मेगावाट बिजली के उत्पादन संयंत्र के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक स्विस बहुराष्ट्रीय फर्म से बातचीत चल रही है,

(ख) क्या यह भी सच है कि मशीनों के लिए कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई थी और स्विस फार्म का एक प्रतिनिधि उस बैठक में उपस्थित था जिसमें इस बात पर विचार विमर्श किया गया था कि कौन-सी मशीनें आयात की जायेगी,

(ग) क्या बी० एच० ई० एल० ने 1980 में उक्त संयंत्र के लिए निविदा भेजी थी और उनकी निविदा स्विस फर्म द्वारा दी गई निविदा से कम थी,

(घ) क्या यह भी सच है कि यदि यह ठेका बी० एच० ई० एल० की बजाय स्विस फर्म को दिया जाता तो भारत को 200 करोंड रुपये की हानि होगी; और

(ङ) यदि हां, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा उक्त बहुरास्ट्रीय फर्म के साथ ऐसा सौदा करने के क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र (2 × 500 नेगावाट) के लिए उपस्कर की सप्लाई के लिये महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को भारत हैवीइलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बजट संबंधी प्रस्ताव सहित तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र बिजली बोर्ड के स्टिजरलैण्ड और पश्चिम जर्मनी के निर्माताओं के कन्सोटियम से उपस्कर के आयात के प्रस्ताव का समर्थन किया है।

(ख) विदेशी कम्पनियों ने प्रस्ताव अपनी ओर से पहल करके भेजे हैं। महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने विभिन्न स्पष्टीकरण/ पुष्टियां प्राप्त करने के लिए सभी तीनों प्रस्तावों पर सम्बन्धित पार्टियों के साथ विचार-विमर्श किए थे।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने बताया है कि भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड से संबंधित प्रस्ताव 1981 में लगभग उसी समय प्राप्त हुआ था जब अन्य दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। महाराष्ट्र राज्य बोर्ड के अनुसार यदि यूनिटों को चालू किए जाने की अवधि को ध्यान में रखा जाये तो भारत हैवीइलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का प्रस्ताव अधिक मंहगा है।

(ङ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा निम्न कारण बताए गए हैं :—

1. परियोजना को शीघ्र चालू करना,

2. विद्युत उपस्कर की उपलब्धता,

3. बाहरी ऋणों द्वारा योजना स्रोतों की अनुपूर्ति करना।

उपस्कर प्राप्त करने के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति

1390. **श्री भीखा भाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अन्त-नियमों में ऐसा कोई विशेष क्लाज नहीं है जो अनुसूचित जातियों/जनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वार्डों में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नामजद करने पर रोक लगाता हो ;

(ख) यदि, तो सरकारी क्षेत्र में विश्वास रखने वाले उद्योग, वाणिज्य प्रशासन, मजदूर संघों अथवा सामाजिक क्षेत्रों से प्रमाणित योग्यता वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के इन व्यक्तियों को गैर-सरकारी/अंशकालिक निदेशकों के रूप में नामजद न करने के कारण क्या हैं ;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय के पास अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के असाधारण व्यक्तियों को नामजद करने की कोई सिंफारिशें लम्बित पड़ी हुई हैं और यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया है, और

(घ) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और उनकी अनुषंगी कंपनियों के नाम क्या हैं जिनके बोर्डों में गैर-सरकारी/अंशकालिक निदेशक नामजद किए जाने हैं और उनका सेवाकाल क्या होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को गैर सरकारी/अंशकालिक निदेशकों के रूप में नामजद करने के बारे में विचार करने के लिए सरकार टाल-मटोल नहीं करेगी यदि खाली स्थान होने पर प्रश्न में बताये गए विभिन्न क्षेत्रों में से विचार करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध होते हैं ।

(ग) और (घ) विद्युत विभाग और कोयला विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन किसी भी सार्वजनिक उपक्रम में किसी भी निदेशक की नियुक्ति का प्रस्ताव लम्बित नहीं पड़ा है । इस-लिए गैर सरकारी/अंशकालिक निदेशक को नामजद किए जाने का प्रश्न नहीं उठता । पैट्रोलियम विभाग, जो कि ऊर्जा मंत्रालय का एक भाग है उसके अधीन सार्वजानिक उपक्रम के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना

1391. **श्री नवीन रवाणी** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों ने इस बात की बहुत अधिक मांग की है कि उस क्षेत्र के गरीब लोगों के फायदे के लिए, उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ दक्षिण में स्थापित की जाए,

(ख) यदि हां, तो यह मांग कब से सरकार के पास लम्बित पड़ी है, और

(ग) उस पर केंद्र द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री जगन नाथ कौशल) : (क) से (ग) तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों ने अपने-अपने राज्य की राजधानियों में उच्चतम न्यायलय की न्यायपीठ की स्थापना का सुझाव दिया है। ये अनुरोध भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को भेजे गए थे। संविधान के अनुच्छेद 130 में उपबन्ध है कि "उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ठ होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करे।" इस सम्बन्ध में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सरकारी क्षेत्र संयत्रों को कोकिंग कोल की सप्लाई

1392. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :**
श्री बापूहाहिब परुलेकर :
श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (इण्डिया) देश में इस्पात संयन्त्रों, बिजलीघरों, सीमेंट कारखानों और रेलवे को उनकी मांग के अनुसार कोयले की नियमित सप्लाई करता है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान इन उद्योगों में से प्रत्येक की वार्षिक मांग कितनी थी,

(ग) क्या इन उद्योगों की कोयले की कुल मांग को पूरा किया गया था, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके प्रमुख कारण क्या हैं और इन कारणों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

समाचार पत्रों के संगठनों द्वारा पालेकर अवार्ड का कार्यान्वयन

1393. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) 30 सितम्बर, 1982 तक कितने समाचार पत्र संगठनों ने पालेकर अवार्ड को कार्यान्वित नहीं किया है ;

(ख) ऐसे कुल कितने संगठनों हैं जिन्होंने अब तक इस अवार्ड को कार्यान्वित कर दिया हैं ;

(ग) क्या कुछ संगठनों ने इस अवार्ड को आंशिक रुप से कार्यान्वित किया है ; और

(घ) उन संगठनों के नाम क्या हैं जिन्होंने अवार्ड को कार्यान्वित नहीं किया है अथवा जिन्होंने उसे आंशिक रूप में कार्यान्वित किया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग)

राज्य सरकारों/प्रशासनों से अब तक प्राप्त हुई सूचना के अनुसार पालेकर अधिकरणों की सिफारिशों पर जारी किए गए केन्द्रीय सरकार के आदेशों को 498 समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों ने पूर्णतः और 39 ने आंशिक रूप से लागू किया है और 232 समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों ने उन्हें लागू नहीं किया है ।

(घ) इस संबंध में एक विवरण अतारांकित प्रश्न संख्या 1451 के उस उत्तर के साथ संलग्न किया गया है जो सभा में 12 अक्तूबर, 1982 को दिया गया है ।

इन्सेट की विफलता के कारण रंगीन टेलीविजन खरीदने वालों में निराशा

1394. **श्री के० मालन्ना** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि इन्सेट के विफल हो जाने से रंगीन टेलिविजन सेट खरीदने वाले लोग जो इस समय प्रतीक्षा सूची में है, निराश हो सकते हैं क्योंकि उन्हें मनोरंजन के पर्याप्त कार्यक्रमों को देखने से वंचित होना पड़ेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : जी, नहीं । ट्रांसमीटरों, जिनको इन्सेट-1 ए के खराब होने से पहले इसके माध्यम से सेवा प्रदान की जा रही थी या जिनकी सेवा करने का प्रस्ताव था, के माध्यम से कार्यक्रमों के प्रेषण के लिए इन्टेलसेट को किराए पर लेने का निर्णय लिया गया है ।

कोयला खान श्रमिकों को स्वास्थ्य कार्ड जारी करने हेतु व्यवस्था करना

1395. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सभी कोयया खान श्रमिकों को स्वास्थ्य कार्ड जारी करने हेतु व्यवस्था की है ;

(ख) क्या यह शीघ्र उपयोग के लिए इस प्रणाली के लिए इलेक्ट्रानिक मशीनों को प्रयोग में लाया जायेगा ; और

(ग) कोयला खानों में श्रमिकों के लिए "स्वास्थ्य कार्ड" प्रणाली के बारे में अन्य ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

कोदाईकनाल में दूरदर्शन केन्द्र

1396. **श्री के० टी० कौशलराय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोदाईकनाल के लिए दूरदर्शन केन्द्र की स्वीकृति कब दी गई थी ; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को भूमि कब सुपुर्द की गइ थी ; और

(ग) क्या नवम्बर, 1982 के तीसरे सप्ताह में एशियाई खेलों के आरम्भ होने से पूर्व दूरदर्शन केन्द्र प्रसारण के लिए तैयार हो जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) कोडेकनाल में दूरदर्शन रिले केन्द्र मई, 1980 में स्वीकृत किया गया था।

(ख) 2.03 एकड़ का स्थान अप्रैल, 1981 में सौंपा गया था। शेष भाग का अभी अधिग्रहण किया जाना है।

(ग) कोकड़ैनाल में दूरदर्शन रिले केन्द्र के 1883-84 के दौरान चालू होने की उम्मीद है।

औषधियों की माँग/उत्पादन

1397. **श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्यवार कुल कितने औषधि निर्माण उद्योग औषधियों का उत्पादन कर रहे हैं ; और

(ख) उनके द्वारा देश की औषधि की मांग किस हद तक पूरी की जा रही है और इन उद्योगों का सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में अलग-अलग ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक उद्योग में अलग-अलग उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) : देश में औषध निर्माता कम्पनियों की कुल संख्या लगभग 3000 होने का अनुमान है। इनकी राज्यवार संख्या उपलब्ध नहीं है। इनमें से चार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम है और इनके अलावा एक कम्पनी ऐसी है जिसका प्रबन्ध आई० (डी एण्ड आर०) अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा किया जा रहा है।

गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक और नीजि क्षेत्र में बल्क औषधों और फार्मूलेशनों का उत्पादन और आयात नीचे दिए गये हैं :

	बल्क औषध (करोड़ में)			फार्मूलेशन (करोड़ में)		
	1979-80	1880-81	1981-82	1979-80	1980-81	1981-82
सरकारी क्षेत्र	59	63	65	72	80	112
अन्य(लघु क्षेत्र के एककों सहित)	167	177	210	1078	1120	1188
आयात (सी० आई० एफ० मूल्य)	95	87	105	2	10	2

शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा रखी गई भविष्य निधियों को केन्द्रीय नविष्य निधि आयुक्त को स्थानान्तरित करना

1398. प्रो० **नारायण चन्द पाराशर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा रखी गई भविष्य निधियों को केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कर्मचारियों के बाद उनके द्वारा उनकी मृत्यु के बाद द्वारा इस प्रकार के केन्द्रीयकरण के कारण सामने आने वाली उनके आश्रितों कठिनाइयों कें बारे में जानकारी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार प्रस्ताव निर्णयों पर पुनर्विचार करेगी और यथापूर्ण स्थिति बनाए रखेगी तथा विद्यमान प्रक्रियाओं को सुचारु बनायेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 को 6 मार्च, 1982 से शैक्षणिक वैज्ञानिक, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थानों में लागू किया गया है। अतः शैक्षणिक संस्थानों के भविष्य निधि लेखों को सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को स्थानान्तरित करना होगा।

(ख) सरकार को सेवा निवृत्ति के पश्चात कर्मचारियों के लिए या उनकी मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों के लिए किसी प्रकार की कठिनाइयां दिखाई नहीं देतीं, क्योंकि भविष्य निधि लेखें संस्थाकार रखें जायेंगे। और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निपटाए जायेंगे।

(ग) प्रश्न हीं नहीं उठता।

टेलीफोन के पुर्जे बनाने की फाउण्डरियाँ स्थापित किया जाना

1399. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में टेलीफोन के पुर्जे बनाने की कुछ फाउंडरियां स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो छटी पंचवर्षीय योजनावधि में टेलीफोन के पुर्जे बनाने की कितनी फाउण्डरियों की स्थापना की जानी है और ;

(ग) वे कहां-कहां स्थापना की जानी है ; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां,

(ख) एक।

(ग) खड़ापुर (पश्चिमी बंगाल)।

(घ) भूमि अधिग्रहण कर ली गई है और सिविल निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है। संयन्त्र और मशीनरी की सप्लाई भी प्रारम्भ हो गयी है।

महानगरों हेतु टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए विदेशी फार्मो को क्रयादेश दिया जाना

14. 0. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने महानगरों हेतु टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए कुछ विदेशी फर्मो को क्रयादेश दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्रयादेश किन विदेशी फर्मो को दिए गए हैं ;

(ग) कितने टेलीफोन एक्सचेजों के लिए क्रयादेश दिए गए हैं। और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) चार महानगरों के लिए क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंज, एस०पी०सी० स्थानीय एक्सचेंज एस०पी०सी ट्रंक स्वचल एक्सचेंज और एसपीसी टेलेक्स एक्सचेंजों की सप्लाई के लिए निम्नलिखित फार्मो को आर्डर पेश किए गए थे :

1. मैसर्स निप्पन इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड, जापान

1. मैसर्स सी इटोह एण्ड कम्पनी लिमिटेड, जापान

3. मैसर्स मित्सुविशी कार्पोरेशन, जापान

4. मैसर्स निश्गो इवाई कार्पोरेशन, जापान

5. मैसर्स सीमेंस ए० जी० पश्चिम जर्मनी

(ग) पिछले सात वर्षों के दौरान 62 एक्सचेंजों के लिए आर्डर पेश किए गए थे।

(घ) विभिन्न महानगरों के लिए आर्डर की गई एक्सचेंज उपकरण की लाईनों की संख्या नीचे दी गई है :

महानगर का नाम	क्रासबार एक्सचेंज	एस०पी०सी० टी० ए० एक्स	एस०पी०सी० स्थानीय एक्सचेंज	एस०पी०सी० टेलेक्सएक्सचेंज
1. बम्बई	1,90,000 लाइनें	8,000 लाइनें	60,000 लाइनें	6,700 लाइनें
2. मद्रास	10,000 लाइनें	4,000 लाइनें	10,000 लाइनें	3,700 लाइनें

1	2	3	4	5
3. दिल्ली	1'10,000 लाइनें	8,000 लाइनें	90,000 लाइनें	3,964 लाइनें
4. कलकत्ता	27,000	4,000 लाइनें	15,000 लाइनें	3,000 लाइनें

सरकारी कम्पनियों द्वारा लेखा परीक्षित लेखे प्रस्तुत किया जाना

1401. **श्री रतन सिंह राजदा :**

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या बिधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कम्पनियों को प्रति वर्ष सम्बद्ध विभाग को समुचित रूप से लेखा-परीक्षित लेखे प्रस्तुत करने होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन कम्पनियों द्वारा पिछले वर्ष उपरोक्त नियम का उल्लंघन किया गया ; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी अ'जाद) : (क) कानून के उपवन्धों के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों को केन्द्रीय या राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग को अपने लेखा परीक्षित लेखे प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।

तथापि, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 220 का अनुसरण करते हुए, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों को सम्मिलित करते हुए, सभी पंजीकृत कम्पनियों को वार्षिक महा सभा की बैठक को सम्पन्न करने की तारीख से 30 दिनों के अन्दर सम्बन्धित कम्पनी रजिस्ट्रार को अपने लेखा परीक्षिक तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि लेखा प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(ख) तथा (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए उत्पन्न नहीं होता।

उत्तर प्रदेश को बिद्युत परियोजनाओं के लिए विशेष सहायता

1402. **डा० ए० यू० आजमी :**

श्री जगपाल सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए केन्द्र से विशेष सहायता की मांग की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि सरकार द्वारा उस पर कोई निष्कर्ष लिया गया है को वह क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने वर्ष 1982-83 के दौरन जल विद्युत ताप यूनिटों के नवीकरण कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ रुपये

की विशिष्ट सहायता के लिए अनुरोध किया था । तथापि, योजना आयोग ने 405.16 करोड़ रुपये की कुल विद्युत योजना में से इस कार्य के लिए 19 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के लिए आवंटन किया है।

दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी

1403. **श्री ए०यू०आजमी :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी का अगला अंग्रेजी संस्करण कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी के अगले संस्करण को मुद्रण चल रहा है और नवम्बर, 1982 में इसके जारी किए जाने की सम्भावित है।

मध्य प्रदेश में कोरबा स्थान पर तीसरे उर्वरक संयन्त्र की स्थापना के बारे में अनिश्चितता

1404. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में कोरवा स्थान पर, जहां पर परियोजना की स्वीकृत की सम्भावना को लेकर कम से कम 20 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है, तीसरे उर्वरक संयन्त्र की स्थापना के बारे में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) संसाधनों को कठिनाई के कारण कोरवा उर्वरक परियोजना पर 1974 में कार्य धीमा कर दिया था और बाद में बन्द कर दिया गया था। सरकार, रामागुण्डम और तालचर में कोयले पर आधारित उर्वरक संयन्त्रों, जो दि० 1-11.80 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर चुके हैं, के सुस्थिर संचालन से पर्याप्त अनुभव उपलब्ध हो जाने के पश्चात कोरवा उर्वरक परियोजना पर कार्य पुनः प्रारम्भ करने के प्रश्न पर विचार करने का प्रस्ताव रखती है।

ट्रेड यूनियन कानून में सन्शोधन

श्री राम लाल राही : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या ट्रेड यूनियन कानूनों में परिवर्तन करने पर सरकार तथा ट्रेड यूनियनों में कोई विवाद है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विवाद को शीघ्र निपटाने हेतु कुछ कानूनी उपाय करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित कानूनी उपायों का क्या रूप है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) सरकार को

व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 1982 में परिवर्तन करने के लिए कतिपय सुझाव प्राप्त हुए थे। संसद में विधेयक पर कार्यवाही करते समय इस पर विचार किया जाएगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विद्युत प्रजनन मशीनरी का आयात

1406. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :**

श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत उत्पादन में काम आने वाली भारी मशीनों का देश में ही निर्माण किया जाता है,

(ख) यदि हां, तो उनका आयात करने के लिए किए गए निर्णय का क्या कारण है, और

(ग) देश में बनाई गई मशीनों के उपयोग करने में क्या कठिनाईयां हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) विद्युत उपस्कर की प्राप्ति के लिए प्रमुख रूप से स्वदेशी साधनों पर विश्वास किया किया जा रहा है। तथापि, विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए उपलब्ध साधनों में वृद्धि करने की दृष्टि से चुने गए मामलों में आयात का सहारा उन मामलों में लिया जाता है जबकि बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय साधनों से सहायता के लिए परियोजना को सम्बद्ध कर दिया जाता है अथवा जब किसी विशेष किस्म के उपस्कर पहले ही आयात कर लिए गए हों और स्कीम का विस्तार करने के लिए उसी किस्म के अतिरिक्त उपस्कर की आवश्यकता हो।

(ग) चालू योजना के अन्दर प्रतिष्ठापित किए गए अधिकांश उपस्कर स्वदेशी हैं।

ब्रह्मपुत्र नदी पर विद्युत संयन्त्र

1407. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :**

श्री बापू साहिब परुलेकर : मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रहमपुत्र नदी पर विद्युत उत्पादन संयन्त्र स्थापित करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके किस तारीख से कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है, और

(ग) प्रत्येक क्षेत्र को कितनी बिजली की सप्लाई की जायगी और उनके नाम क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) मुख्य ब्रह्मपुत्र) जो ऊपरी पहुंचों में देहंग नदी कहलाती है) पर एक बहुउदेद्शीय परियोजना के अन्वेषण का कार्य ब्रह्म-

पुत्र असम सरकार को बाढ़ नियन्त्रण आयोग द्वारा पस्सी घाट के 50 कि० मी० प्रतिप्रवाह पर अरूणाचल प्रदेश में आरम्भ किया गया था। इन अन्वेषणों को हाल में स्थापित ब्रह्मपुत्र बोर्ड कर रहा है। राष्ट्रीय जल बिद्युत निगम (ऊर्जा मन्त्रालय के अधीन) भी इस सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र कर रहा है। विद्युत शक्यता लगभग 14000/15000 मेगावाट है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित सरकार के साथ विचार-विमर्श प्रारम्भ किया जा रहा है।

खाना पकाने की गैस प्रयोक्ताओं को शिक्षित करने का निर्णय

1408. **श्री के० मालन्ना :**

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने दिल्ली में मोरी गेट में खाना पकाने की गैस के सिलेन्डर के फटने से सात व्यक्तियों के मारे जानें की बात को ध्यान में रखकर खाना पकाने की गैस प्रयोक्ताओं को गैस सिलेन्डरों के उपयोग करने के सम्बन्ध में शिक्षित करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके मन्त्रालय ने गैस सिलडरों का उपयोग करने के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए विज्ञापन देने हेतु क्या सुझाव दिए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कुकिंग गैस (एल० पी० जी०) के उपभोक्ताओं को शिक्षा देने का कार्यक्रम जो पहले से ही प्रचलित है, तेल कंपनियों द्वारा निम्न प्रकार से तेज किया गया है :—

क. एल० पी० जी० कनेक्शन को सुरक्षापूर्वक हैंडल करने के लिए ग्राहकों को प्रशिक्षित डिलीवरी आदमियों द्वारा परामर्श दिया जाना,

ख. प्रत्येक नये कनेक्शन के साथ एक अनुदेश कार्ड जिसमें किसी प्रकार के रिसाव के समय कार्रवाई करना बताया गया है, दिये जाते हैं। इन कार्डों में विस्तृत सुरक्षा अनुदेश और एल० पी० जी० उपकरण के प्रयोग के लिए क्या किया जाना और क्या नहीं किया जाना दिये गये हैं,

ग. वितरक समय समय पर अथवा अकेले में अथवा सामूहिक रूप में तेल कंपनियों के सत्रिय मार्गदर्शन सिद्धान्तों के अनुसार गृहिणियों को एकत्र करते हैं और अन्य समस्याओं के अतिरिक्त, एल० पी० जी० का सुरक्षापूर्वक प्रयोग करने पर परिचर्चा करते हैं और उपभोक्ताओं द्वारा सुरक्षा पद्धतियों के अपनाये जाने को दोहराया जाना है,

घ. सुरक्षा पर एल० पी० जी० के उपभोक्ताओं को शिक्षा देने के लिए छोटी फिल्में/सिनेमा स्लाइड्स आयोजित किये जाते हैं,

ङ. इस काम के लिए दूरदर्शन के माध्यम से सेवाओं को प्रयोग लाने की योजनाएं आरम्भ की जा रही हैं, और

च. तेल उद्योग बार्टलिंग संयन्त्रों और वितरकों के स्थानों पर, डिलीवरी आदमियों और उपभोक्ताओं द्वारा एल० पी० जी० के प्रयोग के सम्बन्ध में सुरक्षा पर मार्गदर्शन सिद्धान्तों का एक व्यापक सेट कार्यान्वयन के लिए तैयार कर रहा है।

फर्टिलाइजर्स (प्लानिंग एण्ड डेवलेपमेंट) इंडिया लिमिटेड में अब शक्ति का उपयोग

1409. **श्री के० मालन्ना :** क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फर्टिलाइजर्स प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लि० में वैज्ञानिकों सहित जब शक्ति के बेकार पड़े रहने के बारे में सूचना मिली है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है, और

(ग) इसे फिर से सक्रिय बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में ब्यौरा क्या है,

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैस पर आधारित उर्वरक संयन्त्रों की स्थापना के लिए विदेशी कंपनियों का समूह

1410. **श्री के० मालन्ना :**

श्री हरिनाथ मिश्र : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विदेशी कंपनियां जो उर्वरक प्रौद्योगिकी में विश्व में अगुआ है और सार्वजनिक क्षेत्रों की परामर्शदाता कंपनी ने देश में गैस पर आधारित संयंत्रों की स्थापना हेतु एक सार्थ समूह बनाने का प्रयास किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं,

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) सरकार इस प्रकार के किसी प्रस्ताव से अवगत नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीविजन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ करना

1411. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री ई० बालानन्दन : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्य टेलीविजन में राष्ट्रीय कार्यक्रम के आरम्भ करने पर आपत्ति कर रहे हैं,

(ख) उपरोक्त कार्यक्रम के लिए कितना समय रखा गया है और प्रत्येक मद के लिए मद-वार अलग-अलग कितना समय रखा गया है, और

(ग) प्रत्येक दूरदर्शन केन्द्र में स्थानीय कार्यक्रम के लिए कुल कितना समय शेष रहता है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग)

1. राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रस्ताव पर राज्यों के सूचना मन्त्रियों के 3 जुलाई, 1982 को हुए सम्मेलन में विस्तार से विचार विमर्श किया गया था। इस विचार का लगभग सभी राज्यों द्वारा स्पष्ट रूप से स्वागत किया गया था।

2. राष्ट्रीय कार्यक्रम को रात 8.30 बजे से रात 10.00 बजे तक डेढ़ बजे के लिए टेलीकास्ट किया जा रहा है ताकि दो घण्टे के मुख्य अवलोकन समय (रात 7.00 बजे से रात 9.00 बजे तक) में से डेढ़ बजे घण्टे का मुख्य चैक क्षेत्रीय कार्यक्रमों को उपलब्ध हो। राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 15-8-1982 और 14-9-1982 के बीच प्रस्तुत किए गए विभिन्न कार्मक्रमों के टेलीकास्ट समय का मोटा ब्यौरा इस प्रकार है :—

रूप	कार्यक्रमों/मदों की संख्या	अवधि	
		घण्टे	मिनट
नाटक	6	2	50
परिचर्चा	7	2	50
प्रश्नोत्तर	3	1	30
डाकुमेंट्री	6	1	30
संगीत	22	7	20
खेल कूद	9	3	50
नृत्य	6	2	40
अन्य	16	7	20
	75	30	00

3. दूरदर्शन केन्द्रों के कुल टेलीकास्ट में भी वृद्धि की गई है ताकि क्षेत्रीय कार्यक्रमों के टेलीकास्ट समय में कटौती न हो।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये विश्व बैंक से ऋण

1412. **श्री सुभाष यादव :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये विश्व बैंक से कोई ऋण प्राप्त किया हैं।

(ख) देश के प्रत्येक राज्य के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये ऋण की कितनी धनराशि निर्धारित की गई है, और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने गावों को बिजली दिये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश में ग्राम विद्युतीकरण के विस्तार और सुधार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक भारत सरकार को 304.5 अमरीकी डालर देने को सहमत हो गया है ।

(ख) प्रत्येक राज्य के लिये अन्तिम रूप प्रारक्षित ऋण की राशि नीचे बताए अनुसार है :—

राज्य	राशि
	(मिलियन डालर)
1. आंध्र प्रदेश	29.36
2. बिहार	21.70
3. गुजरात	16.23
4. हरियाणा	8.37
5. कर्नाटक	10.21
6. केरल	3.90
7. मध्य प्रदेश	43.79
8. महाराष्ट्र	30.21
9. उड़ीसा	14.85
10. पंजाब	20.93
11. राजस्थान	20.65
12. तमिलनाडु	10.95
13. उत्तर प्रदेश	33.44
14. पश्चिम बंगाल	19.41
	284.00

ग्राम विद्युतीकरण के लिये	100
केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान	
अनाबंटित	15.00
विश्व बैंक की फीस	4.50
जोड़	304.50

(ग) उपर्युक्त ऋण के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई गांव विद्युतीकृत नहीं किया जाएगा क्योंकि ग्राम विद्युतीकरण परियोजना के लिये सामग्री वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान प्राप्त होगी

व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना

1413. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान व्यक्तिगत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा, आदि को युक्ति-युक्त बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर श्रमिकों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना सहित वर्तमान समाज सुरक्षा योजनाओं को युक्ति-युक्त बनाने और यदि संभव हो, तो उनके बदले कोई व्यापक समाज सुरक्षा योजना बनाने के प्रश्न पर सरकार कुछ समय से विचार करती आ रही है परन्तु इस मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।

बिजली की कटौती से गम्भीर रूप से प्रभावित उद्योग

1414. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न केवल दिल्ली बल्कि औद्योगिक केन्द्रों जैसे बम्बई कलकत्ता, अहमदाबाद, मद्रास, बंगलौर, आदि में भी निरन्तर बिजली की कटौती तथा उसके फेल होने से उद्योग पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि इस प्रकार भी बिजली की कटौतियों को पूरी तरह दूर नहीं किया जा सकता तो यह सुनिश्चित करने हेतु कि वे कम से कम हों, के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आय और राजस्व की हानि न हो ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश में विद्युत सप्लाई की

स्थिति में सुधार हुआ है तथा कर्नाटक और तमिलनाडु में लागू विद्युत कटौतियां पूरी तरह हटा ली गई थी ; दिल्ली सहित देश के अन्य भागों में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार हुआ है। तथापि, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान में अभी भी विद्युत की कमी है।

सामान्यतः अल्प मात्रा की कमी से औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ता तथा इन कटौतियों को उद्योग गैर-अनिवार्य भारों पर लेते हैं व्यस्ततमकालीन समय में क्षमता की कमियों के कारण मांग कटौतियां पर्याप्त मात्रा में औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव नहीं डालती हैं क्योंकि उद्ययोग अपनी मांग को सौपानबद्ध करने का प्रयास करते हैं।

(ख) विद्युत परियोजनाशों के निर्माण की प्रगति की उपयुक्त मार्नाटरिंग करके विद्युत उत्पादन क्षमता में अधिकतम वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उपस्कर की सुपुर्दगी में तेजी लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों तथा उपस्कर सप्लाईकर्त्ताओं के बीच समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही हैं। बाधाओं का पता लगाने तथा जहां आवश्यक हो उपचारात्मक उपाय करने के लिए समय-समय पर समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। वर्तमान विद्युत केन्द्रों में आवश्तक संशोधन करके विद्युत केन्द्रों के कार्यानिष्पादन में सुधार करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं तथा अन्तर्राज्यीय/ अन्तक्षेत्रीय पारेषण लिंकों को सुदृढ किया जा रहा है ताकि देश में ताप विद्युत प्रणालियां एकीकृत रूप में प्रचालित की जा सकें और आपात बन्दियों की स्थितियों में विद्युत का आदान-प्रदान किया जा सके।

हरियाणा और दिल्ली में ईंट भट्टो और खदान मजदूरों के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त आयोग की रिपोर्ट

1415. **श्री के० ए० राजन:** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली तथा हरियाणा में दिल्ली के ईंट भट्टों तथा पत्थर खदान मजदूरों की स्थिति का पता लगाने हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गए आयोग ने यह बताया है कि इन रोजगारों में सभी मजदूर कानूनों का उलंघन किया जाता है और बंधुआ मजदूर की सी स्थिति उनमें विद्यमान है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार का आयोग नियुक्त किए जाने और उस आयोग द्वारा न्यायालय को रिपोर्ट पेश किए जाने के बारे में सरकार को जानकारी है। इस मामले में आगे कार्यवाही उक्त न्यायालय के निर्णयों पर निर्भर करेगी।

उत्तर-प्रदेश के मिर्जापुर जिले के डाकघरों में डाक टिकटों और अन्य डाक लेखन सामग्री का अभाव

1416. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन चार महीनों में देश के अनेक डाकघरों में टिकटों, पोस्ट कार्डों और अन्य डाक लेखन सामग्री का अभाव रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन वस्तुओं को डाकघरों में मुहैया करने में सरकार को कोई कठिनाई हो रही है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के गांवों में स्थित डाकघरों में मद-वार सप्लाई की गई डाक लेखन सामग्री का सप्लाई सम्बन्धी ब्यौरा प्रस्तुत करेगी ; और

(ख) डाक सामग्री की कमी के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) जी नहीं । हाल में इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) पिछले चार महीनों में मिर्जापुर के ग्रामीण एवं शहरी डाकघरों में डाक-पशुओं की सप्लाई और बिक्री के आंकड़े इस प्रकार हैं :

	सप्लाई (रु०)	बिक्री (रु०)
पोस्ट कार्ड	32,000	1,10,000
अन्तर्देशीय पत्र कार्ड	89,250	2,95,000
उभरी मुद्रा वाले लिफाफे	74,000	44,874,25
रजिस्ट्री लिफाफे	4,725	1,033.00
हवाई पत्र	5-400	850.00
डाक टिकट	5,49,´00	3,55,153.20

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वाणिज्यिक चैनलों के लिए अल्पावधि सुविधायें

1417. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर वाणिज्यिक चैनल के लिए प्रदान की जाने वाली अल्पावधि सुविधाओं के बारे में कृत्रिम बल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या इसी कृत्रिम बल ने दूरदर्शन पर पृथक वाणिज्यिक चैनल के लिए दीर्घावधि योजना के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) (क) से (ग) : दूर-दर्शन पर प्रायोजित कार्यक्रम चालू करने की योजना तैयार करने तथा दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई में उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अल्पकालिक योजना तथा दूरदर्शन पर विज्ञापनों के लिए स्वतंत्र स्टूडियो सुविधाओं तथा अलग चैंनल स्थापित करने की आवश्यकता को कवर करते हुए दीर्घकालिक योजना दोनों के बारे में सिफारिशें देने के लिए एक कृतिक दल गठित किया गया था। कृतिक दल ने केवल अल्पकालिक योजना के बारे में ही सिफारिशें दी हैं। प्रायोजित कार्यक्रमों, जिन्हें बम्बई-पुणे, दिल्ली-मसूरी और जलंधर-अमृतसर केन्द्रों से टेलीकास्ट किया जायेगा, को चालू करने को योजना को स्वीकृति दे दी गई है और इस बारे में आदेश जारी कर दिये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत ये कार्यक्रम अन्य दूरदर्शन केन्द्रों से भी टेलीकास्ट किए जा सकेंगे। अलग विज्ञापन नचैल के लिए दीर्घकालिक योजना के बारे में रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

चीन के हाइड्रो डेवलपमेंट के मॉडल की उपयुक्तता की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट

1418. **श्री ईरा अनबारासु :**
श्री एस० ए० दोराई :
श्री एस० ए० दोराई सेवस्तियन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन के, हाइड्रो-पावर डेवलेपमेन्ट के मॉडल की उपयुक्ता का अध्ययन करके को लिए स्थापित विशेषज्ञ दल जिसकी अपनी रिपोर्ट को एक महीने के अन्दर अन्तिम रूप से तैयार करने के लिए कहा गया था, कि वैठक अभी तक कभी नहीं हुई है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है,

(ग) क्या चीन की छोटे पावर जनरेशन यूनिटों के मॉडल पर स्थापना हेतु केन्द्र ने सभी भूवैज्ञानिक तथा हाइड्रोलिक आंकड़े पहले ही एकत्र कर लिये हैं,

(घ) अब तक कितनी राज्य सरकारों ने लघु और माइक्रोपन बिजली परियोजनाओं के लिये योजनाये तैयार की हैं, और

(ङ) सारे देश में इस प्रकार की पावर जनरेशन यूनिटे स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) चीन में लघु जल विद्युत स्कीमों के विकास का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय विद्युतप्र ाधिकरण ने अपने अधि-कारियों को भेजा है। के० वि० प्रा० का विचार यह है कि इस संबंध में उनके द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी, भारत में इस बारे में जो किया जा रहा है, उससे और देश में इस बारे में उपलब्ध पूर्ण तकनीकी जानकारी से भिन्न नहीं है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के संदस्य (जल विद्युत) की अध्यक्षता मे ऊर्जा मंत्रालय द्वारा गठित की गई समिति ने लघु जल विद्युत परियोरनाओं

को तैयार करने के लिए विस्तृत मार्ग दर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं। उपयुक्त परियोजना प्रस्तावों को शीघ्रता से तैयार करने में सहायता के लिए ये मार्ग दर्शी सिद्धान्त कभी राज्य सरकारोंऔर बिजली बोर्डों को भेजे गए हैं ।

20-सूत्री कार्यक्रम में मिनी/माइक्रो जल विद्युत स्कीमों के विकास के बारे में जोर दिया गया है। यिद्युत मंत्रियों के अभी हाल में हुए सम्मेलन में मिनी/ माइक्रो जल विद्युत स्कीमों के वारे में प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजने के लिए सभी राज्यों से अनुरोध किया गया है। राज्य प्राधिकारियों से मिनी/माइक्रो जल विद्युत उत्पादन में शीघ्रता से विकास के लिए निश्चित स्कीमें तैयार करने के लिए भी अनुरोध किया गया है। राज्य प्राधिकारी इन परियोज़नाओं के लिए उपयुक्त स्थलों का पता लगाने के लिए कार्यवाई कर रहे हैं।

धनादेशों (मनीआडर्स) का प्राप्त न होना

1319 श्री ए० नीजालोहिथादसन नाडार : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को गत वर्षों के दौरान धनादेशों (मनीआर्डरों) के प्राप्त न होने प्राप्त में अनधिक विलम्ब के वारे में कितनी शिकायतें मिली हैं ;

(ख) सरकार द्वारा उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन मामलों को निपटाने के लिए विभाग में विद्यमान मशीनरी क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) विभाग को पिछले दो वर्षों (000-1 और 01-02) में भुगतान न करने तथा विलम्ब से भुगतान करने की शिकायतों सहित मनीआर्डर सेवा के वारे में 6,57,020 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उसी अवधि के दौरान 6,65,479 मनीआर्डर शिकायतें (इसमें कुछ पहले से ही प्राप्त शिकायतें शामिल हैं) निपटाई गई थीं। कुल संचालित मनीआर्डर परियात की अपेक्षा मनीआर्डर सेवा से सम्बन्धित शिकायतों का प्रतिशत 0.3 से भी कम निकलता है। नियमानुसार प्रत्येक ऐसी शिकायत की पावती भेजी जाती है, उसकी जांच पड़ताल के दौरान भुगतान न करने का पता चलता है वहां पुनः मनीआर्डर जारी करके भुगतान किया जाता है। जानबूझ कर भुगतान न करने या भुगतान में हुए बिलम्ब के लिए दोषी पाए गये कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तथा पुनरावृत्ती को रोकने के लिए उपचारा उपाय किए जाते हैं। विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक शिकायतों से निपटाने के लिए विभाग में एक सुब्यस्थित शिकायत केन्द्र है।

राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय

1422. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के बाड़मेर, और जोधपुर में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय और टेलीफोन केन्द्र इस वर्ष के दौरान तथा साथ ही साथ दो वर्षों के दौरान किए गए हैं ;

(ख) उनमें से किन-किन स्थानों में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय तथा टेलीफोन केन्द्र चालू किए गए हैं ;

(ग) स्वीकृत किए गए सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय तथा टेलीफोन केन्द्रों को कब तक चालू किया जाएगा, और

(घ) उन्हें चालु होने में हुए बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों में जिन स्थानों पर 1980-81, 81-82 एवं 82-83 में सार्वजनिक टेलीफोन घर एवं टेलीफोन एक्सचेंज मंजूर किए गए हैं उनके नाम विवरण-1 में दिए गये हैं।

(ख) जिन स्थानों पर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर एवं टेलीफोन एक्सजचें चालू किए गए हैं उनके नाम विवरण-2 में दिए गये हैं।

(ग) हालांकि निर्धारित तारीख बताना सम्भव नहीं है परन्तु मन्जूर किए गये लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर तथा टेलीफोन एक्सचेंज उत्तरोत्तर चालू किए जा रहे हैं बशर्ते कि/ उपस्कर उपलब्ध होता रहे है।

(घ) व्यवहार्यता अध्ययन, तकनीकी आर्थिक कारण, परियोजनाओं की मन्जूरी स्टोर प्रापण आदि जैसी कुछ पूर्व अपेक्षित औपचारिकाओं के लिए एक निश्चित समय आवश्यक होता है। भी विलुम्ब को कम करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

विवरण-1

1980-81, 81-82 एवं 82-83 के दौरान राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों में लम्बी दूरी के टेलीफोनघर एवं टेलीफोन एक्सचेंज मग्जूर किए जाने वाले स्थानों की सूची

जिले का नाम	मन्जूरी का वर्ष	उन स्थानों के नाम जहां लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर की मन्जूरी दी गई है	उन स्थानों के नाम जहां टेलीफोन एक्सचेंज की मन्जूरी दी गई है
बाड़मेर	1980-81	शून्य	1. सिंदगी
	1981-82	1. बैंतूभीमजी	शून्य
		2. छाबा	
		3. होड़	
		4. आदिल	
		5. सवाईपदम सिंह	

		6. खंडूम	
		7. कोरना	
		8. खंडाप	
		9. रावतसर	
		10. सानावारा	
		12. भूनिया	
		13. शिवकार	
		14. नेकराज	
		15. बांदरा	
		16. धोड़ू	
		17. भर्तिया	
		18. नगर	
		19 बारातारा	
		20. विसारतिया	
		21. लीलसेर	
		22. नोकरा	
	1982-83	1. जयसिंहधर	शून्य
		2. खोकर	
जैसलमेर	1980-81	1. लोडास्की	1. नछना
		2. बालूसिंह धानी	2. लाथी
	1981-82	शून्य	शून्य
	1982-83	शून्य	शून्य
जोधपुर	1980-81	शून्य	1. झनवार
			2. धूंद्रा
			3. सलवास
			4. चारूंडा
			5. बिसालपुर
	1981-81	1. पाली	1. अनंदपुर कालू
		2. भीकमकौर	2. नीगज

	3. निवारा	3. रासीगांव
	4. नोसार	4. कैरू
	5. जाखन	5. सितरावा
	6. गोराबिशूनी	
	7. झालामांड	
	8. पनासर	
	9. सयरू	
	10. सेतरावा	
	11. छामू	
	12. घस्मिया	
	13. बावरी	
	14. खाओरा	
	15. सलवानकलां	
	16. पालसानी	
	17 सोआलिया	
	18. दंगीबास	
	19. सोलंकीयातला	
	20. माटोरा	
	21. भिटांडा	
	22. पिलबा	
	23. गगनी	
	24. नाथराऊ	
	25. सतूलाना	
1981-82	1. चन्दसामा	1. लूनी

विवरण-2

1980-82 के दौरान राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों के लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर एवं टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने वाले स्थानों की सूची

जिले का नाम	उन स्थानों के नाम जहां लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलोफोन घर चालू किए गए हैं।	उन स्थानों के नाम जहां टेलीफोन एक्सचेंज चालू किए गए हैं।
बाड़मेर	1. बैतूभीमजी	1. सिंदरी

	2. होडू	
जैसलमेर	1. बालूसिंहकीधानी	1. लाथी
जोधपुर	1. भीकमकोर	1. झालवार
	2. गोराविशूनी	3. धूटेरा
	3. झालामांड	3. सलवास
	4. सितरावा	4. आनंदपुर कालू
	5. छामू	5. बारंडा
	9. खाओरा कोर्ड	6. नीमज
	7. सोलंन्कीयातला	7. बिसालपुर

बाड़मेर टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित बनाया जाना

1473. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाड़मेर टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज में बदलने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इसको कब चालू किया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) बाड़मेर करपल एक्सजेंज को 500 लाइन के स्वचल एक्सचेंज में परिवर्तित करने के लिए उपस्कर प्राप्त हो गए हैं। इसके 1983-84 के दौरान स्वचालीकरण होने की सम्भावना है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा राजस्थान के जैसलमेर जिले में कुए खोदना

1424. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जिला जैसलमेर के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां तेल और गैस प्राप्त करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से कुओं की खुदाई का कार्य शुरू किया ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या प्रति हुई है और क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में निम्नलिखित स्थानों पर व्यधन प्रचालन प्रारम्भ किये हैं :

1. मनेहरा टिब्बा	5. खरोतार
2. भाकरी टिब्बा	6. भूआना
3. विकारन नई	7. घोटारू
4. शूमरवाली तलाई	

(ख) अभी तक 16 कूप खोदे गए हैं तथा 17वें कूप घोटारू में वर्तमान में व्यधन कार्य चल रहा है। इस क्षेत्र में हाईड्रोकार्बनों के वाणिज्यिक स्तर के भण्डार प्राप्त नहीं हुए हैं।

उतरान में पुरानी व लघु विद्युत यूनिटों के स्थान पर 120 कि० वा० यूनिटों को लगाना

1425. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात बिजली बोर्ड ने उतरान में पुरानी तथा लघु यूनिटों के स्थान पर 76.80 करोड़ रूपये की भारी लागत की 120 कि० वा० यूनिट अधिष्ठापित करने के लिए परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की, है और

(ख) परियोजना रिपोर्ट कब से लम्बित पड़ी है, और

(ग) इस परियोजना को स्वीकृत न किए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) पुराने तथा छोटे यूनिटों को प्रतिस्थापित करने के लिए उत्राण में 1 × 120 मेगावाट के विद्युत संयन्त्र की स्थापना के लिए तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के सम्बन्ध में एक स्कीम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास है और राख निपटान की व्यवस्था, राख निपटान के लिए भूमि की उपलब्धता आदि के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण राज्य बिजली बोर्ड द्वारा आवश्यक सूचना देने के बाद ही तकनीकी-आर्थिक स्वीकृत के लिए उक्त प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जा सकता है।

गुजरात में उद्योगों को सप्लाई किये गए गैस की कीमत में वृद्धि

1426. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों से 1000 घन मीटर गैस के लिए गुजरात सरकार को कितना स्वामित्व अदा किया जा रहा है ;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात में उद्योगों द्वारा उपयोग में लायी जा रही गैस की कीमत बढ़ा दी है ; यदि हां, तो कितनी और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा काफी लाभ कमाया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो उस मूल्य वृद्धि का आधार क्या है ; और

(ङ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को पिछले तीन वर्षों में कितना लाभ हुआ ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान अदा की गई रायल्टी निम्न प्रकार है :

वर्ष	दर 1000 घन मीटर
1978—79	रुपये 16.47
1979—80	„ 20.95

1980—81 „ 20.45

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का गुजरात क्षेत्र से प्राप्त गैस का मूल्य, जिसका हिसाब बैकल्पिक ईन्धन की प्रतिस्थापित लागत पर लगाया गया, के आधार पर बढ़ाने का विचार है।

(ग) और (घ) — जी' हां। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग लाभ कमा रहा है और इसे अपने त्वरित अम्वेषी और विकास कार्यक्रम के व्यय को पूरा करने के लिए और अधिक निधियों की जरूरत है।

(ङ) तेल एवं प्राकृति गैस आयोग का गत तीन वर्षों का लाभ निम्न प्रकार है :

	1980—81	1979—80	1978—79
	(रुपये करोड़ों में)		
कर से पूर्व लाभ	46.57	107.23	81.52
कर के पश्चात लाभ	46.57	45.23	72.52

1981—82 के लिए लेखे निश्चित किये जाने हैं।

गुजरात मुख्य नगरों की टेलीफोन व्यवस्था का विस्तार

1427. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के मुख्य नगरों अर्थात अहमदाबाद, बड़ोदा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर आदि में छठी योजना के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार का कार्यक्रम क्या है ;

(ख) इन नगरों को अन्य राज्यों के महत्वपूर्ण नगरों अर्थात दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पूना, मद्रास आदि के साथ सीधी डायल प्रणाली से जोड़ने का कार्यक्रम क्या है ; और

(ग) टेलीफोन व्यवस्था के नगर-वार तथा वर्ष-वार विस्तार के आंकड़े क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ग) छठी योजना के दौरान गुजरात के मुख्य शहरों के विस्तार के लिए वर्षवार कार्यक्रम विवरण 1 में दिया गया है।

(ख) अहमदाबाद, बड़ोदा, सूरत और राजकोट भारत के मुख्य शहरों से पहले से ही उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा द्वारा जुड़े हुए हैं। शेष के लिए जानकारी विवरण-2 दी गई है।

विवरण—1

छठी योजना के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार का कार्यक्रम

एक्सचेंज	30.2.92 को सज्जित क्षमता	निम्न वर्षों के दौरान बढ़ाई जाने वाली लाइनों की संख्या			टिप्पणी
		82-83	83-84	84-85	
1. अहमदाबाद	65000	1900	10000	12000	83-84 में नवरंगपुरा में 10000 लाइनों का नया आया-

1	2	3	4	5	6	7
						तित एक्सचेंज 84-85 में रेलवेपुरा—Iv में 10000 लाइनों का नया आयातित एक्सचेंज
2.	बड़ौदा	18000	100	—		10200 84-85 में अल्कापुरी में 7000 लाइनों का नया आयातित एक्सचेंज
3.	सूरत	21400	—	—	1200	84-85 में सूरत टेक्सटाइल मार्किट में 10000 लाइनों का नया आयातित एक्सचेंज
4.	राजकोट	12300	100	5300	5000	83-84 में राजकोट यूनिट III में 5000 लाइनों का नया आयातित एक्सचेंज
5.	भावनगर	6000	600	—	1500	
6.	जामनगर	6300	300	900	1500	
7.	नडियाड	3600	—	—	900	

विवरण—2

गुजरात के महत्वपूर्ण नगरों को भारत के महत्वपूर्ण शहरों से एस० टी० डी० द्वारा जोड़ने का कार्यक्रम

1. भावनगर	1984 - 85 में पारेषण
2. जामनगर	माध्यम पूरा होने पर अहमदाबाद टी० ए० एक्स० से जोड़े जाने हैं।
3. नडियाड	अहमदाबाद टी० ए० एक्स० और टैण्डम के माध्यम से प्वाइन्ट टू प्वाइन्ट आधार पर पहले से ही अहमदाबाद से जुड़ा है। अतिरिक्त पैनल उपलब्ध होने पर अन्य शहरों को भी यह सुविधा प्रदान की जाएगी।

निजी विद्युत संयंत्रों की तूलना में सरकारी विद्यु त संयंत्रों का क्षमता का उपयोग

1428. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी निकायों के स्वामित्य में ताप, जल, डीजल तथा अणु विद्युत ऊर्जा केन्द्रों के नाम क्या हैं,

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में प्रत्येक संयंत्र का कितने प्रतिशत क्षमता उपयोग किया गया।

(ग) इसी अवधि के दौरन्न निजी क्षेत्र के 5 प्रमुख द्युित संयंत्रों की तुलना में इनके क्षमता उपयोग के आंकड़े क्या हैं ; और

(घ) विद्यु त संयत्रों के क्षमता उपयोग में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्राजय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) पिछले वर्षों की तुलना में विद्युत उत्पादन में सुधार हुआ है। राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले ताप विद्युत जल विद्युत डीजल और परमाणु विद्युत उत्पादन केन्द्रों का ब्यौरा तथा वर्ष 1979-80,1980-81 981-82 तथा 1982-83 (अप्रैल-अगस्त) का संयंत्र भार अनुपात उपाबन्ध-एक से तीन में दया गया है। ताप विद्युत तथा न्यूक्लींय विद्युत केन्द्रों का क्षमता समुपयोजन अनेक पहलूओं पर निर्भर करता है यथा मांग का स्वसूप, जल विद्युत केन्द्रों से उपलब्ध व्यस्ततमकालीन सहायता, ईन्धन की गुणवत्ता तथा उपस्कर की हालात, प्रचालन और अनुरक्षण की गुणवत्ता आदि। जल विद्युत केन्द्र का डिजाईन सामान्यतः व्यस्ततम सहायता देने के लिए बनाया जाता है तथा वद्युत उत्पादनों का स्वरूप ऋतुओं के अनुसार बदलता है। अतः जल विद्युत केन्द्रों के कार्या-निष्पादन का निर्धारण करने के लिए क्षमता सनुपयोजन एक अच्छा पैमाना नहीं है :

[ग्रन्थालय में रखे गए - देखिये संख्या एल० टी० 5483/ 82]

(ग) इस अवधि के दौरान केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों के स्व मित्व वाले ताप विद्युन तथा जल विद्युत केन्द्रों का अखिल भारतीय औसत संयंत्र भार अनुपात का ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार हैं :

क्रम संख्या	वर्ष	संयंत्र भार अनुपात			
		केन्द्रीय/राज्य		निजी	
		ताप विद्युत	जल दियुवत	ताप बिद्युत	जल विद्युत
1.	1979-80	43.0	47.9	66.4	54.0
2.	1980-81	43.1	46.2	64.9	60.8
3.	1981-82	45.3	47.0	69.1	55,5
4.	1982-83	50 (लगभग)	47.8	70.5	62.5

ताप विद्युत का निजी क्षेत्र में अधिक संयंत्र भार अनुपात होने के कारण ये हैं :

(1) रेणुसागर में, अतिरिक्त बायलर उपलब्ध है।

(2) ट्राम्बे दियुत केन्द्र काफी लम्बी अवधि के लिए आयल फायरिंग पर प्रचालित किया जाता है।

(घ) देश में ताप विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं :

(1) संयंत्र सुधार कार्यक्रम तैयार करने और उसे आरम्भ करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को सहायता।

(2) सुरक्षात्मक अनुरक्षण तकनीकें अपनाना।

(3) स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतों से फुटकर पुर्जों की सप्लाई की व्यवस्था करना।

(4) पर्याप्त गुणवत्ता तथा मात्रा में कोयले की व्यवस्था करना।

(5) कमियों का पता लगाने तथा शीघ्र सुस्थिर करने और बेहतर कार्यनिष्पादन करने के लिए कार्यक्रम तैयार करने के लिए 2000/201 मेगावाट की यूनिट के लिए कृतिक बलों की स्थापना करना।

(6) ताप विद्युत संयंत्रों के लिए इन्जीनियरों और प्रचालन तथा अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

सिंगरेनी कोयला खान की कुछ खानों से कोयला गुम होना

1429. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री अमर राय प्रधान :

श्री सूरजभान : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस समाचार रिपोर्ट की और दिलाया गया है कि सिंगरैनी कोयला खानों की रामकृष्ण पुरम तथा मन्दामेरी खानों से उत्पादित लगभग 4 करोड़ रुपए के मूल्य का 2 लाख टन कोयला गुम हो गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस कोयले को स्थानिय अधिकारियों द्वारा खानों के जंगल के भण्डारों से गैर-कानूनी ढंग से बेचा गया है ; और

(ग) इस संबंध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है और क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

बन्धुआ मजदूर और उनका पुनर्वास

1430. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :**

श्री फूल चन्द्र वर्मा :

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

श्री पी० के० कोडियन :

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने एक संस्थान के माध्यम से बंधुआ मजदूरों का पता लगाने का काम किया है;

(ख) यदि हां, तो उस संस्थान का नाम क्या है और उसके निष्कर्षों का क्या ब्यौरा है;

(ग) ऐसे कितने बंधुआ मजदूर हैं जिनको पुनर्वासित नहीं किया जा सका है; और

(घ) उन्हें कब तक पुनर्वासित कर लिया जाएगा ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) 1978-79 में, गांधी शान्ति प्रतिष्ठान ने बंधुआ श्रमिकों की विद्यमानता के संबंध में 10 राज्यों में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण में मंत्रालय द्वारा संचालित संस्थान नामतः राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली को प्रारम्भिक अवस्थाओं के दौरान सहयोजित किया गया था।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 30.6.1982 की स्थिति के अनुसार पता लगाए गए और मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों की कुल संख्या 1,44-930 है, इनमें से 84,269 को पुनर्वासित किया गया है और शेष मुक्त कराए गए 68,661 बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित किया जाना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मुक्त कराए गए 35,828 बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इन बंधुआ श्रमिकों के संबंध में पुनर्वास योजनाएं तैयार करें और इन योजनाओं को श्रम मंत्रालय को भेजें, ताकि वे अनुदान के लिए केन्द्रीय हिस्से की मंजूरी दें और अनुदान रिलीज करें।

विद्युत संयंत्रों की स्थापना को प्राथमिकता

1431. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :**

श्री फूलचन्द वर्मा :

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विद्युत संयंत्रों की स्थापना को प्राथमिकता दिए जाने का निर्णय लिया है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस नीति के अनुसार कोई राज्यवार योजना बनाई है, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय सरकार ने देश में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है । छठी योजनाअवधि के दौरान 19666 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़े जाने का कार्यक्रम है । प्रतिष्ठापित क्षमता में राज्यवार वृद्धि विवरण में दी गई है ।

विवरण

छठी योजना में प्रतिष्ठापित क्षमता में राज्यवार वृद्धि

उत्तरी क्षेत्र	जल विद्युत	ताप विद्युत/न्यूक्लीय		जोड़
हरियाणा	174	280	—	454
हिमाचल प्रदेश	38	—	—	38
जन्मू और कश्मीर	—	—	—	—
पंजाब	462	210	—	672
राजस्थान	276	220	—	496
उत्तर प्रदेश	282	1690	—	1972
चण्डीगढ़	—	—	—	—
दिल्ली	—	—	—	—
केन्द्रीय	60	1260	220	1540
उत्तरी क्षेत्र (जोड़)	1292	3660	+220	5172
पश्चिम क्षेत्र	1	2	3	4
गुजरात	125	1050	—	1175
मध्यप्रदेश	108	1380	—	1488
महाराष्ट्र	224	2420	—	2644
केन्द्रीय	—	630	—	630
पश्चिम क्षेत्र (जोड़)	457	5480	—	5947

दक्षिणी क्षेत्र	1	2	3	4
आन्ध्रप्रदेश	885	210	—	1095
कर्नाटक	775	420	—	1195
केरल	125	—	—	125
तमिलनाडु	420	210	—	630
दक्षिण क्षेत्र	1	2	3	4
लक्ष्य द्वीप	—	—	—	—
केन्द्रीय	—	1050	470	1520
दक्षिणी क्षेत्र (जोड़)	2205	1890 +	470	4565

पूर्वी क्षेत्र	1	2	3	4
बिहार	65	660	—	725
उड़ीसा	340	220	—	560
पश्चिमी बंगाल	58	1310	—	1368
डी० वी० सी०	40	420	—	460
सिक्किम	—	—	—	—
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—
केन्द्रीय	—	210	—	210
पूर्वी क्षेत्र का (जोड़)	503	2820 +	—	3323

उत्तर पूर्वी क्षेत्र	1	2	3	4
असम	50	358	—	408
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
मणिपुर	—	—	—	—
मेघालय	—	—	—	—

1	2	3	4	5
मिजोरम	—	—	—	—
नागालैंड	1	—	—	5
त्रिपुरा	5	—	—	—
केन्द्रीय /एन० ई० सी०	255	—	—	255
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (जोड़)	311	358	—	669
अखिल भारत (जोड़)	4768	14208 + 690		19666

क्षेत्रीय भविष्य निधि आययुक्त पटना (बिहार) के विरुद्ध संसद सदस्यों द्वारा शिकायतें

1432. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पटना, बिहार के विरुद्ध 5 जून, 1982, 9 जुलाई, 1982, 8 अगस्त, 1982 और 9 सितम्बर, को सरकार को अपनी लिखित शिकायतें भेजी थीं ;

(ख) यदि हां, तो उन शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार का पूरी तरह से जांच करने के लिए उन सभी शिकायतों को केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंपने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहसिना किदवई) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचिम किया है :—

(क) यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार, पटना के विरुद्ध लिखित शिकायतें भेजी थीं ।

(ख) और (ग) श्री एच० मोंडल, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के विरुद्ध स्टाफ कार के दुरुपयोग, कतिपय प्रतिष्ठानों को अधिनियम, की परिधि के बाहर निकालने, दण्डात्मक हर-जानों में कमी करते, ठेकेदारों के प्रतिष्ठानों को अलग-अलग कोड नम्बर देने, इत्यादि के संबंध में अनेक आरोप प्राप्त हुए थे । ये शिकायतें जाँच-पड़ताज हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उप निदेशक (सतर्कता) को भेजी गई थीं, जो अपरी जांच पूर्ण कर चुके हैं । इस जांच से यह पता चला है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार के आचरण में भ्रष्टाचार अथवा अनुचित इरादे का कोई तथ्य नहीं है । संसद-सदस्य का पत्र दिनाँक 9 सितम्बर, 1982 हाल ही में प्राप्त हुआ है और उसमें लगाए गए आरोपों की अलग से जांच की जा रही है ।

भविष्य निधि अंशदान के भुगतान में दोषी प्रतिष्ठान

1433. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या श्रम पुनर्वास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधिन आने वाले कितने प्रतिष्ठान एक लाख अथवा इससे अधिक रुपयों की भविष्य निधि अंशदान आदि के मामले में दोषी पाए गए हैं, और उनमें से कितने प्रतिष्ठान 20 लाख से अधिक रुपयों का भुगतान न करने के दोषी हैं ; और बिहार के ऐसे दोषी प्रतिष्ठानों का ब्यौरा क्या है ; ।

(ख) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार ने गत तीन वर्षों के दौरान इन दोषी प्रतिष्ठानों का स्वंय व्यक्तिगत रुप से दौरा किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन्होंने कितनी बार दौरा किया और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालथ में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31.3.1982 को 527 प्रतिष्ठानों (छूट न प्राप्त प्रतिष्ठान 487 और छूट प्राप्त 70) ने एक लाख या इससे अधिक के भविष्य निधि अंशदानों का भुगतान नहीं किया है। उन प्रतिष्ठानों की संख्या 59 (छूट प्राप्त 36 और छूट प्राप्त 23) हैं, जिन्होंने 20 लाख से अधिक राशि का भुगतान करना है। विहार राज्य में दोषी प्रतिष्ठानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग): दोषी प्रतिष्ठानों के निरीक्षण का कार्य संबंधित क्षेत्रों भविष्य निधि निरीक्षकों को सौंपा गया है। ये निरीक्षक दोषी प्रतिष्ठानों का समय-समय पर निरीक्षण करते हैं।

विवरण

विवरण जिसमें विहार राज्य में 31.3.82 की स्थिति के अनुसार छूट ने प्राप्त और छूट प्राप्त उन प्रतिष्ठानों के ब्यौरे दिए गए हैं, जिन्होंने एक लाख और इससे अधिक की भविष्य निधि देय राशि का भुगतान करना है। (इसमें भविष्य निधि अंशदान की बकाया राशि, प्रशासनिक प्रभार, दांडिक हर्जाने आदि शामिल हैं)

क्रमांक	प्रतिप्ठान का नाम	भविप्य निधि की बकाया राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3
	छूट न प्राप्त	
1.	नेश्नल जूट मैन्यूपैक्चररस कारपोरेशन लि० यूनिट आर० बी० एम० एच०, कटिहार ।	61.09
2.	कटिहार जूट मिल्स लिमिटेड, कटिहार।	59.88

1	2	3
3.	मैसर्स डोमचन्च मेन माइका फैक्टरी आफ सी.एम.आई।	09.52
4.	मैसर्स ईस्टर्न मैंगनीजं एण्ड मिनरल्स लि०, (सिस्टर कन्सरन आफ सी० एम० आई०)	03.00
5.	मैसर्स टिसरी माइका फैक्टरी, गिरीडिह	02.91
6.	मैसर्स बिहार शुगर वर्कस, पचरुखी।	11.40
7.	बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट गोराल (वैशाली)	05.51
8.	मैसर्स रिलांयन्स पत्रयर व्रिक्स एण्ड पोटरी कं० लि०, धनवाद।	18.89
9.	मैसर्स गया अक्सटाल्ज (प्रा०) लि०, गया।	03.12
10.	मैसर्स खांडेलवाल ग्लास वर्कस, धनवाद।	01.36
11.	मैसर्स टाटा नगर फाउन्डरी कं० लि०, जमशेदपुर।	01.97
12.	मैसर्स कतरास कैरामिक्स एण्ड रिफ्रैक्ट्रीज (प्रा०) लि०, धनवाद।	05.11
13.	मैसर्स आरथर वटलर, मुजफफरपुर	01.17
14.	मैसर्स प्रदीप लैम्प वर्कस, पटना	06.34
15.	मैसर्स जयश्री उद्योग, पटना	02.31
16.	मैसर्स छावीरानी एग्रो इन्डस्ट्रीयल इन्टरप्राजिज लि०, रोहतास	01.85
17.	मैसर्स कुमारधुवी इन्जीनियरिंग वर्कस लि० धनावाद	03.88
18.	मैसर्स धनावाद सैंट्रल को आप्रेटिव बैंक	01.92
19.	मैसर्स विहार ब्रह एण्ड फतवाह सैंट्रल को आप्रेटिव बैंक विहारशरीफ	02.28
20.	मगध सैंट्रल को आप्रेटिव बैंक, गया	01.68
21.	मुजफ्फरपुर हाजीपुर सैंट्रल को आप्रेटिव बैंक लि०	01.77
22.	गोपलगंज सैंट्रल को आप्रेटिव बैंक गोपालगंज	01.11
	छुट प्राप्त(भविष्य निधि अंशदानों की राशि जो न्यासी बोर्डों कोसमय पर हस्तान्तरित नहीं की गई।)	
23.	मैसर्स बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड	01.69

1	2	3
24.	मैसर्स मोतीपुर शुगर फैक्टरी एण्ड केन फार्म, मुजफ्फरपुर	17.12
25.	मैसर्स बिहार फायर-ब्रिक्स एण्ड पाटरीज लि०, धनवाद	06.88
26.	न्यूज पेपर एण्ड पब्लिकेशन (प्रा०) लि०	07.43

टेलीफोन उपस्कर की खरीद के लिए विदेशी फर्मों के पास पड़े आर्डर

1434. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जिन फर्मों को टेलीफोन उपस्कर की खरीद के आर्डर दिये गये थे उनका क्या नाम है और इन आर्डरों के बदले कितनी सप्लाई प्राप्त हुई है ; और

(ख) आर्डरों के साथ कम्पनी बार कितनी अग्रिम राशि दी गई ?

संचारमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) निम्नलिखित फर्मों को आर्डर दिये गए थे :

(1) मैसर्स जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी लि०, लंदन ।

(2) मैसर्स निप्पन इलैक्ट्रिक कम्पनी, जापान ।

उनसे प्राप्त सप्लाई का विवरण निम्न प्रकार है :—

मैसर्स जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी लि० लंदन

टेलीफोन उपकरण प्रणाली 100 टाइप 10,000

मैसर्स निप्पन इलैक्ट्रिक कम्पनी लि० जापान

टेलीफोन उपकरण प्लान 104	20,000
उपरोक्त का विस्तार	20,000
प्लान 103	3,500
विस्तार 103	6,500

(ख) इन फर्मों को अग्रिम राशि नहीं दी गई है ।

योजना आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत की गयी पन बिजली परियोजनाएं

1435. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तान पुरी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के लिए स्वीकृत की गई पनबिजली परियोजनाओं के नाम तथा ब्यौरे क्या हैं, और

(ख) इन परियोजनाओं पर कितनी राशि व्यवत की जा रही है और ये परियोजनायें पंच-वर्षीय योजना के दौरान कब तक पूरी की जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश और अन्य प्रमुख पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माणाधीन तथा योजना आयोग द्वारा स्वीकृत जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	क्षेत्र	स्थान	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अद्यतन अनुमानित लागत लाख रुपयों में	चालू होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
1.	आन्ध्र	हिमाचल प्रदेश	15	2143	1984-85
2.	बिनवा	—वही—	6	984	1983-84
3.	भावा	—वही—	120	7500	1986-87
4.	रोंगचोंग	—वही—	2	97	1984-85
5.	गाज	—वही—	10.5	1.287	1985-86
6.	थिरोड	—वही—	3	434	1985-86
7.	बानेर	—वही—	6	720	1985-86
8.	देहर विस्तार (बी० टी० एम० बी०)	—वही—	330	7830	1983-84
9.	पोंग विस्तार (बी० टी० एम० बी०)	—वही—	120	4579	1982-83
10.	साल (एन एच० पी० सी०) (केन्द्रीय क्षेत्र)	जम्मू व कश्मीर	345	44276	1985-87
11.	करनाह	—वही—	2	738	1984-85
12.	स्टाकना	—वही—	4	1645	1983-84
उत्तर पूर्वी क्षेत्र					
13.	उमियम-उमत्रु चरण-2	मेघालय	60	3879	1985-86

1	2	3	4	5	6
14.	कोपली (एनई० ई० पी० सं० ओ०)	—वही—	150	11886	1983-85
15.	सेरलुई	मिजोरम	1	103	1985-86
16.	महारानी	त्रिपुरा	1	167	1985-86
17.	गुमटी विस्तार	—वही—	5	430	1982-83
18.	दिखू	नागालैंण्ड	1	155	1983-84
19	लोकटक (एन० एच० पी० सी०)	मणिपुर	105	9942	1982-83

टिप्पणी :— उपरोक्त के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में बस्तो विस्तार (15 मेगावाट)- तथा केन्द्रीय क्षेत्र में रास्ट्रीय जल वि० निगम द्वारा निर्माण की गई बैरा स्यूल ज० वि० परि० (180 मेगावाट) को वर्तमान पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान चालू किया गया ।

हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल पम्पों का आवंटन

1436. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल-पम्पों के आवंटन के लिए पिछले चार वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों पर ईन्टरव्यू लिये गये हैं ;

(ख) कितने पेट्रोल पम्पों का आबंटन किया गया है और आवेदकों को कितने पेट्रोल पम्प अभी आबंटित किये जाने हैं ; और

(ग) शेष पेट्रोल पम्पों के आबंटन में विलम्ब के क्या कारण हैं ।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गत चार वर्षो में हिमाचल प्रदेश में जिन स्थानों पर पेट्रोल । डीजल फुटकर बिक्री एजेंसियां देने के लिए साक्षत्कार लिये गए थे, निम्न प्रकार से बताये जाते हैं :

1.	दमतल	8.	विलासपुर
2.	कांगड़ा	9.	रानीखेत
3.	परवानू	10.	बैजनाथ
4.	ज्वालामुखी	11.	घाली

5.	नरकंडा	12.	भुंतर
6.	छोटा शिमला	13.	मलानी
7.	रोहरू		

(ख) घाली, परमानू, बिलासपुर और रानीखेत को छोड़कर अन्य सभी मामलों में एजेंसियां दी गई हैं।

(ग) विलम्ब मुख्यतः (1) उपयुक्त उम्मीदवार के ना मिलने के कारण पुनः विज्ञापन देने की आवश्यकता पड़ने ; और (2) कुछ मामलों में चयन प्रक्रिया के विरुद्ध शिकायतों के कारण हुआ है।

आकाशवाणी, रांची द्वारा आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रमों के आबंटित समय

1437. **श्री एन० ई० होरो** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के राँची केन्द्र प्रतिमास आदिवासी भाषा कार्यक्रम अर्थात मुंदरी, संथाली, हो खारिया और औराव भाषाओं के लिए भाषा-वार कितना समय आवंटित किया जाता है ;

(ख) इसी केन्द्र में नागपुरी, मैथिल और भोजपुरी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए प्रति मास कितना समय आबंटित किया जाता है ; और

(ग) आकाशवाणी, रांची से छोटानागपुर की आदिवासी और क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार बुलेटिन प्रसारित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मौहम्मद खां) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) छोटा नागपुर क्षेत्र में लगभग 29 जनजातियां हैं जो लगभग 36 बोलियां बोलती हैं। बोलियों का बहुमूल्य होने के कारण आकाशवाणी, राँची से छोटा नागपुर की किसी भी आदिवासी और क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार बुलेटिन प्रसारित करना व्यवहार्य नहीं है। तथापि, उस केन्द्र द्वारा हिन्दी में मूल रूप से प्रसारित किए जाने वाले तथा रिले किए जाने वाले बुलेटिन उक्त केन्द्र के सेवा क्षेत्र में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों द्वारा समझे और सुने जाते हैं।

विवरण

आकाशवाणी, रांची द्वारा आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा के कार्यक्रमों के लिए आबंटित समय के बारे में ब्यौरा

क्रम संख्या	बोली/क्षेत्रीय भाषा का नाम	साप्ताहिक अवधि
1.	मुन्दरी	50 मिनट

2.	संथाली	45 मिनट
3.	हो	30 मिनट
4.	ओराओं	55 मिनट
5.	नागपुरी	60 मिनट

नोट :

खारी बोली के कार्यक्रम को आकाशवाणी, रांची से प्रसारित लोक साहित्य की मासिक पत्रिका में शामिल किया जाता है।

आकाशवाणी रांची से भोजपुरी या मैथिली में कोई भाषित कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जाता। यथापि इन बोलियों में लोक संगीत को अन्य केन्द्रों की भांति रांची द्वारा समय-समय पर प्रसारित किया जाता हैं।

जीवन रक्षक औषधियों की खरीद पर व्यय

1438. **श्री एस० एम० कृष्ण :**

श्री डूमर लाल बैठा : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 और 1882-83 के दौरान आज की तारीख तक विदेशों से जीवन रक्षक औषधियों की खरीद पर कुल कितनी राशि व्यय की गई,

(ख) क्या इस राशि में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है,

(ग) क्या भारतीय कम्पनियों और विदेशी फर्मों को इन औषधियों के उत्पादन के लिए आशय पत्र जारी किए जाने के बावजूद ये कम्पनियों और फर्में इनका आयात कम करने में अधिक सहायक नहीं हैं, और

(घ) यदि हां, इस सम्बन्ध में कम्पनी वार ब्यौरा क्या है,

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) औषध और भेषज उद्योग सम्बन्धी समिति (हाथी समिति के नाम से प्रसिद्ध) ने दवाईयों की अनिवार्यता उनकी आवश्यकता तथा उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 116 दवाइयों की शिनाख्त की, जिनका इसके विचार में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में डाक्टरी इलाज में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इन 116 दवाइयों में प्रपुंज औषधों/सक्रिय संघटकों की संख्या लगभग 91 है। हाथी समिति ने 29 नई जीवन रक्षक दवाइयों की भी एक सूची बद्ध दी जिन का इस समय भारत में आयात किया जा रहा था। हाथी समिति द्वारा सूची की गई 216 दवाइयों और जीवन रक्षक फार्मु-लेशनों सहित तैयार फर्मूलेशनों में उपयोग किए गए प्रपुंज औषधों/सक्रिय संघटकों के आयात का 1981-82 के दौरान सी० आई० एफ० मूल्य 21.29 करोड़ रु० है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर में विर्दिष्ट औषधों के आयात का कुल सी० आई० एफ परिवर्तित हुआ है जैसाकि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है :

वर्ष	आयात का सी० आई० एफ० मूल्य (रु० करोड़ों में)
1979-80	26.37
1980-81	29.88
1981-82	21.29

(क) और (घ) 91 प्रपूंज औषधों/सक्रिय संघटकों का स्वदेशी उत्पादन 1908-81 के दौरान 120 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1981-82 के दौरान लगभग 126.00 करोड़ रु० हो गया। सभी प्रपुंज ओषधों के कम्पनी-वार उत्पादन के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। तथापि, वर्ष 1981 82 और चालू वर्ष के दौरान अनेक आवश्यक प्रपुंज औषधों का उत्पादन बढ़ा है। इन औषधों में से कुछ का उत्पादन करने वाले एककों की संख्या भी बढ़ी है।

विद्युत क्षेत्र के कार्य निष्पादन की मध्यावधि पुनरीक्षा

1439. **श्री वी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उनके मन्त्रालय को चालू वर्ष के दौरान कम से कम 55 प्रतिशत संयन्त्र भार अनुपात प्राप्त करने को कहा है,

(ख) क्या विद्युत क्षेत्र के कार्य निष्पादन के मध्यवधि पुनरीक्षा के दौरान योजना आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि राज्य क्षेत्र द्वारा चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की ओर ध्यान दिया जायें

(ग) क्या योजना आयोग के केन्द्र और राज्य दोनों क्षेत्रों द्वारा छठी योजना के दौरान अपेक्षित 3000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधनों की मांग की जांच कर ली है,

(घ) क्या निधि की समग्र कमी के कारण, योजना आयोग ने यह सुझाव दिया है कि जो परियोजनायें करीब-करीब पूरी होने वाली हैं उनको पूरा किया जाये और नई परियोजनायें चालू न की जायें,

(ङ) योजना आयोग का यह सुझाव किस सीमा तक स्वीकार किया गया है, और

(च) चालू वर्ष के दौरान और छठी योजना के दौरान किन-किन परियोजनाओं के पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 1982-83 की वार्षिक योजना के अनुसार चालू वर्ष के लिए ताप विद्युत केन्द्रों का संयन्त्र भार अनुपात 49 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

(ख) सरकार सदैव निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने पर बल देती रही है।

(ग) से (ङ) छठी योजना में निर्माणाधीन स्कीमों को पूरा करने के लिए तथा सांतवीं योजना से आगे लाभ देने वाली नई परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त निधियों का विद्युत विभाग ने मूल्यांकन किया है और योजना आयोग को भेज दिया गया है। इन प्रस्तावों पर योजना आयोग की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

(च) 1980-81 तथा 1981-81 के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं की सूची उपाबन्ध एक और दो में दी गई है। छठी योजन की निर्माणाधीन ताप विद्युत और जल विद्युत परियोजना की सूची उपाबन्ध तीन और चार में दी गई है

[ग्रन्थालय में रखे गये-देखिए संख्या एल० टी० 5484/82]

माइक्रो हाईडल परियोजना से लिए ऋण सुविधा का दिया जाना

1440. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय माइक्रो हाईडल क्षेत्र के लिए वही ऋण सुविधा दिए जाने की योजना तैयार कर रहा है जो ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए प्रदान की जाती है,

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपने एक पत्र में राज्य बिद्युत मन्त्रियों से उन माईक्रो हाईडल परियोजनाओं की सूची प्रस्तुत करने को कहा है जो उनके अपने-अपने राज्य में शीघ्र आरम्भ की जा सकती है,

(ग) क्या यह भी सच है कि उनका मन्त्रालय छठी योजना अवधि के दौरान विद्युत उपलब्धता में वृद्धि के लिए अधिकाधिक परियोजनायें शामिल करने को अति इच्छुक है,

(घ) क्या यह माइक्रो हाईडल परियोजना प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल की गई है और उनके मन्त्रालय के पत्र का उतर किन-किन राज्यों ने दिया है, और

(ङ) इन माइक्रो हाईडल परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार और भारतीय ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कितनी सहायता प्रदान की जायेगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) 20 सूत्री कार्यक्रम में लघु/माईक्रो जल विद्युत स्कीमों के विकास पर बल दिया गया है। राज्य प्राधिकारियों से लघु माइक्रो जल विद्युत उत्पादन करने के लिए सम्भावित स्थानों का पता लगाने और निश्चित स्कीमों को शीघ्र विकसित करने के लिए अनुरोध किया गया है। अभी हाल के राज्यों के विद्युत मन्त्रियों के सम्मेलन के बाद, उर्जा मन्त्री ने भी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को इस मामले में पत्र लिखा है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भी राज्यों को उपयुक्त परियोजना प्रस्तावों की शीध्रता से तैयार करने में सहायता देने के विचार से राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे हैं। ऊर्जा मन्त्रालय छठी

योजना अवधि के दौरान लघु और माईक्रो जल विद्युत परियोजना से यथा सम्भव अधिक विद्युत शक्यता जोड़ने के लिए उत्सुक है।

(ङ) यह विचाराधीन है।

सोवियत रूस की सहायता से खानों का विकास

1441. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भारत में खानों के विकास के लिए आर्थिक और तकनीकी दोनों प्रकार की सहायता के लिए सोवियत रूस का सहायता लेने का प्रयत्न किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की आर्थिक सहायता की पेशकश की गई है ; और

(ग) करार की शर्तों का ब्यौरा क्या है तथा सोवियत रूस को राशि की वापसी किस प्रकार की जायेगी और इस सम्बन्ध में भारत को कितना लाभ प्राप्त होगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) सोवियत संघ ने 520 मिलियन टन का एक रूबल ऋण 4 निर्दिष्ट कोयला परियोजनाओं और भारत के अन्य सेक्टरों में परियोजनाओं के लिए दिया है।

कोयला सेक्टर के लिए ऋण का उपयोग मुख्यतः सोवियत संघ में वने उन उपकरणों का आयात करने के लिए किया जाना था जो कोयला परियोजनाओं और भूवैज्ञानिक समन्वेषण के लिए देश में उपलब्ध नहीं हैं।

किसी विशिष्ट परियोजना के लिए उपयोग में लायी गई ऋण राशि 2/1/2 प्रतिशत के साथ समान वार्षिक किस्तों द्वारा 17 वर्षों में वापस की जानी है। ऋण पर ब्याज उपयोग में लाने की तारीख से देय हो जाएगा। पहली किस्त ऋण का उपयोग हो जाने के तीन वर्ष बाद देय है। बाद की किस्तें देय वर्ष के अनुवर्ती प्रत्येक वर्ष की पहली तिमाही में देय है। ब्याज की अन्तिम किस्त मुख्य ऋण की अन्तिम अदायगी के साथ ही देय है। चार निर्दिष्ट परियोजनाएं पूरी होने पर कोयला भंडारों के शाफ्ट सिंकिंग में और भूवैज्ञानिक समन्वेषण में, कोककर और पावर ग्रेड कोयले का उत्पादन बढ़ जाएगा।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा प्रकासित प्रकाशन

1442. श्री मूल चन्द डागा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री तह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 के दौरान उनके मन्त्रालय द्वारा किस प्रकार के प्रकाशन प्रकाशित किए गये और इन प्रकाशनों की भाषा, तारीख और उनके प्रकाशन का प्रयोजन क्या था, उन पर प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय की गई, उनसे कितनी आय हुई और कितने प्रकाशन अभी भी वितरित किए जाने हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि उनके विभाग द्वारा प्रकाशित प्रकाशन का उपयोग ठीक-ठीक

नहीं हो पाता है और यह प्रकाशन संसद, सदस्यों विधान सभा सदस्यों और स्वायत्त तक निकायों नहीं पहूंचते ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मौहम्मद खां) : (क) प्रकाशन विभाग तथा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय हिन्दी, अंग्रेजी और सभी मुख्य भारतीय भाषाओं में मुद्रित साहित्य प्रकाशित करते हैं। प्रकाशन विभाग लोगों को देश, इसकी कला एवं संस्कृति इतिहास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इत्यादि के बारे में जानकारी देने के लिए 21 पत्रिकाओं सहित विभिन्न पुस्तकें और प्रकाशन करता है। उदाहरण के तौर पर प्रख्यात व्यक्तियों की जीवनियां "आधुनिक भारत के निर्माता" पुस्तक माला के अन्तर्गत प्रकाशित की जाती हैं। पत्रिकाओं का उददेश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, देश की विकासीय गतिविधियों और सांस्कृतिक विरासत के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ाना है।

एक विवरण, जिसमें 1981-82 के दौरान प्रकाशित प्रकाशनों के नाम, उनकी भाषा, साहित्य की किस्म प्रकाशन की तारीख और प्रकाशन लागत दी हुई है सदन की मेज पर रख दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 5485/82]

किसी वर्ष विशेष में रिलीज किये प्रकाशन विभाग को प्राप्त हुआ कुल राजस्व 47.02 लाख रुपये था।

(ख) जी, नहीं। प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले प्रकाशनों को लोगों को उसके सात विक्रय भंडारों तथा देश भर में इसके 3,000 थोक और परचून एजेंटों के माध्यम से बेचा जाता है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले साहित्य को प्रचार की आवश्यकताओं और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ,संसद सदस्यों और विधायकों तथा विशिष्ट पाठकों को वितरित किया जाता है।

प्रसारण के लिए सूक्ष्म तरंग टावर इस्तेमाल

1443. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे कितने स्थान हैं तथा उनके नाम क्या हैं जिनके लिए सूचना और प्रसारण विभाग ने दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए सूक्ष्म तरंग टावर का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी है और इस सम्बन्ध में मन्त्रालय ने किन-किन स्थानों के लिए अनुमति दे दी है ;

(ख) क्या सूक्ष्म तरंग के जरिए दूर प्रासरण हेतु कोई अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी और उनमें से प्रत्येक पर कितनी अतिरिक्त राशि व्यय करनी पड़ेगी ; और

(ग) क्या सूक्ष्म तरंग टावरों का देश भर में दूर प्रसारण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय ने सूक्ष्म तरंग मार्गों के सूक्ष्म तरंग टावरों पर टेलीफोन प्रसारण हेतू एक सामान्य

प्रक्रिया के बतौर टेलीफोन एन्टीना लगाने की सम्भावना के बारे में पूछताछ की थी। एक प्रारम्भिक जांच से पता चला कि सूक्ष्म तरंग यू० एच० एफ० एवं वी० एच० एफ० दूर संचार प्रणालियों जो ऐसे फार्गों पर स्थापित की जाती है। सूचना के साथ इलैक्ट्रो-मैगनेटिक अवरोधन की सम्भावना बनी रहती है। एवं प्रसारण मन्त्रालय के तकनीकी विशेषज्ञों के एक संयुक्त कार्यकारी दल द्वारा मामले का अध्ययन किया जा रहा है। संचार मन्त्रालय ने पटना में सूक्ष्म तरंग टावर पर प्राद्योगिक तौर पर कम भार का टेलीविजन एन्टीना लगाने के बारे में सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय का सुझाव स्वीकार कर लिया है। विकिरण एवं इलैक्ट्रो मैगनेटिक अवरोधन की मात्रा का विस्तृत अध्ययन यह एन्टीना स्थापित किए जाने के बाद किया जायेगा। सूचना एवं प्रसारण इनसैट की सुविधा सहित रिसीव रिल सिस्टम लगाने की सम्भावना का पता लगा रहा है जिसमें टी० वी० रिसीव आलती टर्मिनल एवं कम पावर वाले टी० वी० ट्रांसमीटर की सुविधाएं होंगी। इस सम्बन्ध में सुचना एवं प्रसारण मन्त्रालल ने संलग्न विवरण में दिए गए 30 नगरों में सूक्ष्म तरंग टावरों पर इस प्रणालियों के टी० वी० एन्टीना लगाने के प्रस्ताव की जांच करने का अनुरोध किया था। बाद में हुए विचार-विमर्श में यह स्पष्ट कर दिया गया था गाद में हुए विचार -विमर्श में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि कार्यकारी दल द्वारा तकनीकी अध्ययन के परिणाम मिलने के बाद ही उक्त जांच की जाएगी।

(ख) जी, हां। उपग्रह और/अथवा सूक्ष्म तरंग रेडियों चैनल से टी० वी० संकेत सीधे प्राप्त करने के लिए उपस्कर तथा उसके साथ ड्रापिंग उपस्कर ट्रांसमीटर, विशेष जुड़नार के साथ एन्टीना वेव गाइड/फ़ीडर लेविल, पावर संयन्त्रक एवं उपस्कर के लिए उपयुक्त स्थान की आवश्यकता पड़ेगी लागत का ब्यौरा तकनीकी अध्ययन पूरा होने के बाद तैयार किया जाएगा।

(ग) मामले का विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है;

विवरण

नगरों की सूची

1. त्रिवेन्द्रम
2. गोहाटी
3. आसनसोल
4. कोडीकाल
5. वाराणसी
6. विजयवाड़ा
7. मुरजिदावाद
8. भुवनेश्वर
9. रांची
10. राजकोट
16. इटानगर
17. एजबाल
18. पटना
19. भोपाल
20. किनका
21. गंगतौक
22. इन्दौर
23. कोटा
24. सूरत
25. आगरा

11. गोरखपुर	26. चीनको
12. इम्फाल	27. सूरतगढ़
13. कोहिमा	28. जम्मू
14. अगरतल्ला	29. पोर्ट ब्लेअर
15. शिलांग	30. पाडेचेरि
15. शिलांग	30. पांडिचेरी

गांधी प्रशान्ति प्रतिष्ठान द्वारा बंधुआ मजदूरों का सर्वेक्षण

1444. **श्री नवीन रवाणी :**

श्री पी० के० कोडियन : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय श्रम संस्थान की सहायता से गांधी शान्ति प्रतिष्ठान ने कुछ राज्यों में सर्वेक्षण किया और यह पाया कि देश में अभी 22 लाख बन्धुआ मजदूर है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है और सर्वेक्षण किन-किन राज्यों में किया गया है ।

(ग) इस समस्या को सुलझाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ।

(घ) क्या इस प्रकार की कोई शिकायत मिली है कि मुक्त किए गए मजदूरों का पुनर्वास कार्य संतोषजनक नहीं रहा है, मुक्त किए जा चुके मजदूरों को देश के अधिकांश भागों में पुनर्वास अभी किया जाना है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) गांधी शांति प्रतिष्ठान ने 1978-79 में दस राज्यों अर्थात गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश बिहार, महाराष्ट्र उड़ीसा, राजस्थान, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण किया । यह सर्वेक्षण इस उद्देश्य के लिए चूने गए उपर्युक्त दस राज्यों में कुल 4,50,119 ग्रामों से लिए गए आकस्मिक नमूनों पर आधारित था । अण्ततः 4,50,119 ग्रामों से 1000 ग्रामों को चुना गया । इस सर्वेक्षण के लिए सांयोगिक संख्या से शुरू होने वाले प्रत्येक राज्य के ग्रामों की जनगणना सूची में प्रत्येक 450 वां ग्राम चुना गया था । इस सर्वेक्षण ने 26.17 लाख बंधुआ श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाया । प्रारम्भिक अवस्था के दौरान, राष्ट्रीय श्रम संस्थान न इस सर्वेक्षण के साथ सम्बद्ध था ।

(ग) निम्नलिखित कारणों से ऋण-ग्रस्तता होती है :

(i) मजुरी रोजगार के अवसरों की कमी,

(ii) भूमिहीनता और परिसम्पतिहीनता,

(iii) कृषि भूमि से जहां कहीं भूमि उपलब्ध है, सामान्यतः कम पैदावार होना ;

(iv) रीति-रिवाज और विकास सम्बन्धी आवश्यकताएं जिनके कारण कर्जदार द्वारा लेनदार से ऋण लिया जाता है।

ऋण-ग्रस्तता की समस्या के पूर्ण-उन्मूलन के उददेश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कई योजनाएं शुरू की गई हैं विशेषकर—

(i) भूमिहीनों को भूमि का आबंटन,

(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगारों कार्यक्रम द्वारा व्यापक मजदूरी रोजगार की व्यवस्था ;

(iii) उन लाभानुभोगिकों का पता लगाना जो गरीबी में सबसे अधिक गरीब हैं और एकीकृत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उनकी सहायता करना ;

(iv) कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी-दरों की पुनरीक्षा करना उन्हें कारगर ढंग से लागू करना,

(v) अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों के विकास के लिए कार्यक्रम तेज करना।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार ने 1978-79 से केन्द्र द्वारा संचालित एक योजना चलाई है जिसके अन्तर्गत बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को बराबर-बराबर अनुदान के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना में प्रति बंधुआ श्रमिक 4,000/- रु० की पुनर्वास अनुदान की व्यवस्था है, जिसमें से आधी राशि केन्द्रीय अंश के रूप में दी जाती है। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे केन्द्र द्वारा संचालित योजना को वैसी ही अन्य सदृश योजनाओं, अर्थात् एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष काम्पोनेंट प्लान और आदिमजाति उप-प्लान तथा संबंधित राज्य सरकारों की अन्य चालू योजनाओं के साथ एकीकृत करें। पुनर्वास कार्यक्रमों की श्रम मन्त्रालय के अन्तर-मंत्रालयिक कार्यकारी ग्रुप द्वारा लगातार पुनरीक्षा की जाती है। इस ग्रुप में योजना आयोग, गृह और ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को पुनर्वास कार्यक्रमों की मौके पर पुनरीक्षा करने के लिए राज्यों में भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में ऐसे दौरे किए गए हैं। इन क्षेत्रीय दौरों की रिपोर्टों के आधार पर राज्य सरकारों को त्रुटियों को, यदि कोई हों, दूर करने और योजनाओं को समय पर बनाकर तथा विभिन्न क्षेत्रीय, एजेंसियों के साथ समन्वय द्वारा उचित निष्पादन द्वारा पुनर्वास की गति को तेज करने का परामर्श दिया जा रहा है।

राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 30.6.1982 तक पता लगाये गए तथा मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों की कुल संख्या 1,44,930 है जिसमें से 84,269 को पुनर्वासित किया गया है। इस प्रकार मुक्त कराए गए 60,661 बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित किया जाना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मुक्त कराए गए 35,828 बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे पुनर्वास योजनाएं बनाएं और उन्हें मंजूरी के लिए और अनुदान की केन्द्रीय राशि को देने के लिए श्रम मन्त्रालय को भेजें।

गुजरात में विद्युत भार पर प्रतिबन्ध

1445. **श्री नवीन रवाणी :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई परियोजनाओं के चालू होने और स्वीकृति दिए जाने में संभावित देरी के कारण गुजरात में विद्युत भार पर अभी कुछ और समय तक प्रतिबन्ध लगे रहने की सम्भावना है,

(ख) भार पर प्रतिबन्ध कब से लागू है और इससे कौन-कौन से जिले प्रभावित है, और

(ग) नयी परियोजनाओं को स्वीकृति देने में हो रही देरी के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) गुजरात में विद्युत की स्थिति पिछले वर्ष के सितम्बर मास की तुलना में काफी अच्छी है। तथापि, कुछ और महीनों के लिए कुछ भार प्रतिबन्ध जारी रहने की सम्भावना है।

(ख) जब विद्युत प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं तो किसी विशेष जिले तक सीमित नही होते। ये सारे राज्य के लिए लागू होते हैं। उच्च वोल्टता वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं पर द्युित कटौतिया अप्रैल, 1982 से लागू है।

(ग) नई परियोजनाओं को स्वीकृत करने से सम्बन्धित कोयला लिंकेज, जल उपलब्धता, राख का निपटान, पर्यावरण स्वीकृति आदि जैसे कुछ अनिर्णीत मामले हैं जिन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृत दिये जाने से पहले निपटाया जाना है। इसके पश्चात् इन प्रस्तावों पर योजना आयोग द्वारा निवेश अनुमोदन के लिए कार्यवाई की जाएगी।

राज्य विद्युत बोर्डों और गैर-सरकारी उद्यमों की प्रति यूनिट कीमत

1446. **श्री ए० टी० पाटिल :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेची गई प्रति यूनिट बिजली पर राज्य विद्युत् बोर्डों की औसतन संस्थापना लागत/प्रचालन व्यय क्या है और गैर-सरकारी क्षेत्र के विद्युत उद्यमों की औसतन लागत से किस प्रकार तुलनीय है, और

(ख) निम्नांकित को रोकने अथवा न्यूनतम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है :

(एक) पारेषण हानियां,

(दो) ऊर्जा चोरी,

(तीन) कम राशि का बिल वनाया जाना, और

(चार) मीटर के बिना बिजली की सप्लाई ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है

और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) राज्य बिजली बोर्डों के सम्पूर्ण कार्य निष्पादन का प्रमुख दायित्व राज्यों का है। प्रश्न में उठाए गए विभिन्न मुद्दे राज्य बोर्डों/राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यक्रम तैयार करने के लिए व्यवसायी व्यक्तियों की नियुक्ति

1447. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन में विशेषज्ञों को वारीयता देने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम तैयार करने के लिए विशेषज्ञ और निपुण व्यक्ति का एक अलग संवर्ग बनाया जायेगा ;

(ग) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यक्रम तैयार करने के लिए केवल व्यवसायिक व्यक्तिों को ही नियुक्त करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उसे कार्यान्वित किया जायेगा और इस संवर्ग में किस-किस संवर्ग को शामिल किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) (क) और (ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों ही कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार उन व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं जो विभिन्न पदों के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखते है। दोनों हीं माध्यमों में नियमित कार्यक्रम संवर्ग तथा स्टाफ आर्टिस्ट सवर्ग में इस प्रकार के अधिकारी हैं जो कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा उनको तैयार करने का काम करते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ऊर्जा के लिए चावल की भूसी पर राष्ट्रीय वर्कशाप

1448. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय उतपादिकता परिषद् के तत्वावधान में ही नई दिल्ली में आयोजित की गई ऊर्जा के लिए चावल की भूसी पर त्रिदिवसीय राष्ट्रीय वर्कशाप ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी महासागर विकास तथा ऊर्जा मन्त्रालय के गैर पारम्प-

रिक ऊर्जा स्रोत विभाग के राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) चावल की भूसी से ऊर्जा पर राष्ट्रीय कार्यशाला की महत्वपूर्ण शिफारिशें ये हैं :

1. उपभोक्ताओं द्वारा उपयुक्त डिजायनों का चयन करने के लक्ष्य से चावल की भूसी को जलाने के लिए विद्यमान भट्टी के डिजायनों का मूल्यांकन ।

2. भट्टियों की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए प्रयास ।

3. चक्रवात किस्म की भट्टियों के विनिर्माताओं को प्रोत्साहन ।

4. चावल की भूसी के तरलित तथा निलंबित दहन के लिए आदि प्ररुपों के डिजाइन और विकास का मानकीकरण ।

5. राख (फ्लाइ ऐश) तथा फ्लू गैसों से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए विविधयां ।

6. उत्पादों को नियंत्रण करने और हानियों में कमी लाने के लिए मैकेनिकल ड्रायर्स (यांत्रिक शुष्ककों) को प्रोत्साहन ।

6. चावल मिलों को अपनी अपनी ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चावल की भूसी का उपयोग ।

8. गमक शक्ति के उत्पादन के लिए तथा उत्पादक गैस के निर्माण पर चलाने के लिए आंतरिक दहन इन्जिनों के विकास के लिए उत्पादक गैस का उत्पादन करने के लिए अनुसंधान तथा विकास ।

9. उन संयंत्रों को स्थापित करने के लिए जो चावल की भूसी तथा अन्य कृषि और वन अवशिष्टों का उपयोग करके ब्रिकेटों का उत्पादन नहीं करते हैं, को प्रोत्साहनों की व्यवस्था ।

10. विभव रसायनों जैसे आक्तालिक एसिड और एमारफस सिलिका के लिए चावल की भूसी का उपयोग करने के लिए अनुसंधान तथा विकास ।

11. विकास कार्यों के लिए उत्पादों के एकीकृत उपयोग के विचार से विशाल धान उत्पादक क्षेत्रों में चावल मिल कम्पलेक्स की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन ।

12. चावल की भूसी से सम्बन्ध प्रौद्योगिकियों के लिए आंकड़ा आधार तैयार करना, ताकि उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए व्यापक प्रसार के लिए तथा कोई अभिकरण अभिनिर्धारित किया जा सके ।

इस तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला द्वारा की गई सिफारिशों की गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

ग्रामीण क्षेत्रों की सरकारी कालोनियों में बसे शरणार्थियों के अधिकार

1449. **श्री चित्त बसु :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी कालोनियों में बसे शरणार्थियों के भूखण्डों पर मालिकाना अधिकार और हक देने के सम्बन्ध में 1974 में एक योजना स्वीकृत की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना से कितने शरणार्थियों के परिवारों को लाभ पहुंचा है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को शहरी क्षेत्र में भी लागू करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोयांगो) : (क) जी, हां ।

(ख) पश्चिमी बंगाल में शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लगभग 1.40 लाख परिवारों को लाभ पहुंचने की आशा है राज्य सरकार से यह जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि अब तक वास्तव में कितने परिवारों को पट्टे दे दिए गए हैं ।

(ग) योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र भी आते हैं । 1974 में जारी की गई हिदायतों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों की कालोनियों में पुर्ण-स्वामित्व और शहरी क्षेत्रों की कालोनियों में प्रति 100 वर्ग गज अथवा उसके अंश के लिए 1/-रु० प्रति वर्ष नाम मात्र भूमि किराए पर मालिकाना अधिकार और हक दिए जाएंगे ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बहु-उद्देशीय बांधों और पन-बिजली परियोजनाओं के लिए सुगम ऋण के लिए कनाडा के साथ हुई प्रारम्भिक वार्ता

1450. **श्री चित्त बसु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहु-उद्देश्यीय बांधों और पन-बिजली उत्पादन के लिए कनाडा से पर्याप्त मात्रा में सुगम ऋण प्राप्त करने के लिए आरम्भिक बातचीत आरम्भ की है, और

(ख) यदि हां, तो इस वार्ता का क्या अन्तिम परिणाम निकला ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) कनाडा के एक जल विद्युत परियोजना निर्धारण दल ने 1981 में भारत का दौरा किया था । वित्तीय पैकेज की विस्तृत शर्तें कनाडा ने अभी तक सूचित नहीं की है । विस्तृत शर्तें प्राप्त हो जाने और उनकी पूरी तरह से जांच हो जाने के बाद ही अन्तिम निर्णय लिया जा सकता है ।

पालेकर पंचाट का कार्यान्वयन

1451. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालेकर पंचाट सभी राज्यों में पूरी तरह से लागू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों और स्थानों पर इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) राज्यसरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा समय-समय पर दी गई सूचना के अनुसार, 498 समाचारपत्र प्रतिष्ठानों ने पालेकर अधिकरणों की सिफारिशों के बारे में केन्द्रीय सरकार के आदेशों को पूरी तरह लागू किया है।

(ग) एक विवरण संलग्न है, जिसमें राज्यों के अनुसार उन समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने सिफारिशों को लागू नहीं किया है या आंशिक रूप से लागू किया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया-देखिए संख्या एल० टी० 5486/82]

आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों में विशेषज्ञों का अलग संवर्ग

1452. **श्री रामावतार राय :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यूज रीडर को 650-1200 के वेतनमान में नियुक्ति किया जाता है और पहले ग्रेड में थोड़े से वर्षों तक काम करने के बाद 1100-1600 के वेतनमान में पदोन्नत कर दिया जाता है ;

(ख) न्यूज रीडर के समान 650-1200 के वेतनमान में नियुक्त किए गए अन्य व्यवसायियों संगीतज्ञों और प्रोड्यूसरों को पदोन्नत न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी संवर्ग के लिए एक ही मानदण्ड निर्धारित करने का है चाहे वे संविदा अथवा नियमित कर्मचारी के रूप में काम करें ; और

(घ) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी और दूर-दर्शन केन्द्रों में विशेषज्ञों का एक अलग संवर्ग बनाने और स्टाफ आर्टिस्टों को दो भागों में बांटने के अपने पूर्व निर्णय की पुनरीक्षा करने का है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) (क) जी हां।

(ख) प्रोड्यूसरों और संगीतज्ञों जैसी विभिन्न श्रेणियों के लिए पदोन्नति के अलग अवसर विद्यमान हैं। सम्बन्धित भर्ती नियमों के अनुसार, प्रोड्यूसर वरिष्ठ प्रोड्यूसर, उप मुख्य प्रोड्यूसर और मुख्य प्रोड्यूसर के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र हैं। संगीतज्ञों का शुल्कमान म्यूजिक आडिशन बोर्डों द्वारा किए गए उसके श्रेणीकरण के आधार पर पुनः निश्चित किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) आकाशवाणी और दूरदर्शन में विशेषज्ञों का एक अलग संवर्ग बनाने या स्टाफ आर्टिस्टों को दो श्रेणियों में रखने तथा स्टाफ आर्टिस्टों के विकल्प, उनकी छानबीन इत्यादि जैसी कतिपय औपचारिकताओं के अधीन रहते हुए उनको पेंशन देने के सरकार के निर्णय की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विशेषज्ञों की पदोन्नति

1453. **श्री रामायण राय : क्या सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिपुटी चीफ प्रोड्यूसरों और चीफ प्रोड्यूसरों की नियुक्ति किसी क्षेत्र में इनकी विशेष योग्यता के कारण की जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्टेशन निदेशकों के पद पर पदोन्नति सहायक स्टेशन निदेशक के पद से की जाती है किन्तु उसके लिए किसी रूप में अथवा क्षेत्र में विशेष योग्यता को जरूरी नहीं माना जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रोड्यूसर के लिए किसी क्षेत्र में विशेष योग्यता होने के नाते एक संगीत प्रोड्यूसर को ड्रामा प्रोड्यूसर के पद पर पदोन्नत नहीं किया जा सकता और केवल ड्रामा प्रोड्यूसर को ही डिपुटी चीफ प्रोड्यूसर ड्रामा के पद के उपयुक्त समझा जा सकता है ; और

(घ) नई व्यवस्था में इन व्यवसायिक व्यक्तियों का निर्धारण किस प्रकार करने का विचार है जिससे कि उनकी प्राथमिकता बनी रहे और वे अपने विशेष क्षेत्र में अपने कार्यक्रम तैयार करते रहें ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) उप मुख्य प्रोड्यूसर और मुख्य प्रोड्यूसर के पद भर्ती नियमों के अनुसार पात्र प्रोड्यूसरों के लिए, चयन द्वारा पदोन्नित के पद हैं केन्द्र निदेशकों के 75 प्रतिशत पद इसी प्रकार भरे जाते हैं अर्थात पात्र सहायक केन्द्र निदेशकों की, चयन द्वारा पदोन्नति द्वारा ।

इस प्रकार योग्यता और विशिष्ट अनुभाव को न केवल प्रोड्यूसरों का ही अपितु सहायक केन्द्र निदेशकों की भी पदोन्नति के लिए भी विधिवत ध्यान में रखा जाता है ।

(ग) यह सही है कि प्रोड्यूसरों की नियुक्ति विधि-वार की जाती है । संगीत प्रोड्यूसर को नाटक प्रोड्यूसर के रूप में पदोन्नत करने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उनके वेतनमान एक जैसे हैं । प्रारम्भिक नियुक्ति विधा-वार होने के कारण ग्रेड में उत्तरवर्ती पदोन्नतियां भी तदनुसार की जाती हैं ।

(घ) आकाशवाणी केन्द्रों में कार्यक्रमों के नियोजन और उनको तैयार करने का काम स्टाफ आर्टिस्ट संवर्ग और कार्यक्रम संवर्ग के व्यक्तियों द्वारा सदा संयुक्त रूप से किया जाता है। ऐसा किया जाना जारी रहेगा ।

कृष्णा-गोदावरी बेसिन में तेल की खोज की योजना

1454. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल की खोज के लिए तैयार की गई खोज योजना की अनुमानित लागत क्या है ,

(ख) क्या यह सच है कि यह कार्य किसी विदेशी एजेंसी को सौंपा गया है ; और

(ग) कृष्णा-गोदावरी बेसिन में अनुमानतः कितनी मात्रा में तेल प्राप्त होने की सम्भावना है।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

गैस पर आधारित उर्वरक संयन्त्रों की स्थापना के लिए स्थानों के बारे में निर्णय।

1455. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में चार उर्वरक कारखाने स्थापित करने का है और उसके लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है, और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कारखाने किन-किन स्थानों में स्थापित किए जाएंगे और उपरोक्त कारखानों का कार्य कब तक चालू हो जायेगा तथा प्रत्येक कारखाने को कितनी क्षमता होगी।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रस्ताविक संयन्त्र बबराला (जिला बदायूं) ओनला (जिला बरेली), शाहजहांनपुर (जि० शाहजहानपुर) और जगदीशपुर (जि० सुल्तानपुर) में स्थापित किए जाएंगे। इन संयन्त्रों के कार्यक्रम के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इनमें से प्रत्येक संयन्त्र की क्षमता 1350 टन अमोनिया प्रतिदिन होने की आशा है।

मेरठ/आगरा में उच्च न्यायालय की न्यायापीठ की स्थापना

1456. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग पिछले कई वर्षों से मेरठ और आगरा में उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ की स्थापना की मांग कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार मेरठ अथवा आगरा में उच्च न्यायालय की खंड न्ययापीठ की स्थापना करनेके प्रश्न पर विचार करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन नाथ कौशल) : (क) उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। न्यायपीठ के अवस्थान के लिए भिन्न-भिन्न स्थान सुझाए गए हैं, जिसमें मेरठ और आगरा भी सम्मिलित हैं।

(ख) भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में न्यायपीठ के गठन की मांग से उत्पन्न सभी पहलुओं और राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई सिफारिशों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक तीन सदस्यीय आयोग की स्थापना की है। आयोग को अपनी रिपोर्ट 3 मार्च 1983 तक प्रस्तुत करनी है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मानक प्रणाली द्वारा हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण

1457. **श्री भीखा भाई** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभाषा विभाग ने श्रम मन्त्रालय को आदेश जारी किये हैं कि हिन्दी आशुलिपि के शिक्षण के लिए केवल मानक प्रणाली ही प्रयोग में लाई जायें ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) हिन्दी आशुलिपि व्यवस्था सीमिति ने यह निर्णय किस आधार पर लिया है ;

(घ) हिन्दी शिक्षण योजना के कितने सहायक आशुलिपि निदेशकों को बैठक में आमंत्रित किया गया था और सामिति के कुल कितने सदस्य हैं, और

(ङ) क्या उपरोक्त निर्णय का हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) तथा (ख) राजभाषा विभाग ने सूचित किया है की स्टैन्डर्ड (मानक) प्रणाली हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत सभी केन्द्रों में हिन्दी टंकण/ आशुलिपि पढ़ाने लिए अखिल भारत आधार पर प्रयोग की जा रही है।

(ग) व्यवसाय समिति ने विभिन्न सिस्ट्मस (प्रणालियों) जैसे कि ऋषि, सिंह नवीन आशुलिपि, विशिष्ट और मानक प्रणालियों पर विचार-विमर्श किया और इस सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंची कि मानक आशुलिपि को अपनाया जाना चाहिए।

(घ) आ० (विशेषज्ञ) व्यक्तियों की कुल सदस्यता में से चार सहायक निदेशक।

(ङ) जी नहीं।

दिल्ली प्रशासन के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आशुलिपि में मानक पुस्तकें निर्धारित किया जाना

1458. **श्री भीखा भाई** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों को आदेश दिए गये हैं कि उनके राज्यों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इस समय निर्धारित पुस्तकें वापस ले ली जायें और वहां पर केवल मानक आशुलिपि प्रणाली ही सिखाई जायें ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) क्या श्रम मन्त्रालय का उद्देश्य एक विशेष प्रणली लागू करता है अथवा उचित प्रकार का प्रशिक्षण देकर बेरोजगारों को रोजगार देना है ; और

(घ) इस निर्णय के उत्तरदायी विशेष कौन है और उनकी शैक्षिक एवं व्यवसायिक अर्हताएं क्या हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई) : (क) संशोधित पाठ्य विवरण: जिसमें मानक प्रणाली से सम्वन्धित पाठ्य पुस्तकों और कुछ अन्य प्रणालियों से सम्बन्धित सन्दर्भ पुस्कों की एक सूची शामिल कुछ की गई है, राज्य सरकारों को औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए अपनाने हेतु भेजा गया है।

(ख) यह निर्णय व्यवसाय समिति की सिफारिश और राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद के अनुमोदन पर लिया गया है।

(ग) श्रम मन्त्रालय का उद्देश्य सही ढंग का प्रशिक्षण देना है। यह इस हेतु के कारण है कि व्यवसाय समिति द्वारा एक सर्वसम्मत निर्णय केवल मानक प्रणाली को अपनाने को लिया था जिसे गृह मन्त्रालय में राजभाषा विभाग द्वारा पूर्ण अनुसंधान के पश्चात हिन्दी आशुलिपि में आदर्श/लगभग आदर्श समझा गया है।

(घ) व्यवसाय समिति में 8 विशेषज्ञ थे, जो इस निर्णय को लेने के लिए जिम्मेदार हैं। अपेक्षा यह है कि विशेषज्ञों के पास व्यवसायिक प्रशिक्षण के संबद्ध क्षेत्र में अच्छा अनुभव होना चाहिए और सभी विशेषज्ञ इस अपेक्षा को पूर्ण करते हैं।

दिल्ली प्रशासन औधोगिक के शिक्षण संस्थानों में आशुलिपि प्रशिक्षकों के वेतनमानों

1459. **श्री भीखा भाई :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आशुलिपि प्रशिक्षकों के वेतनमान क्या हैं ;

(ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आशुलिपि प्रशिक्षकों तथा पोलिटेकनिक्स और हिन्दी शिक्षण योजना के आशुलिपि प्रशिक्षकों के वेतनमानों में कितना अन्तर है ;

(ग) उपरोक्त संस्थानों में आशुलिपि प्रशिक्षकों के लिए क्या अर्हताएं निर्धारित हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन वेतनमानों में असंगति को दूर करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीम तीमोह सिनाकिदवई) : (क) दिल्ली औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आशुलिपि अनुदेशकों का वेतनमान 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700 रु० है।

(ख) पोलिटेकनिकों में इस समय आशुलिपि अनुदेशक का कोई पद नहीं है। तथापि, महिला पोलिटेकनिक महारानी बाग, नई दिल्ली में आशुलिपि पढ़ाने वाले कनिष्ठ प्राध्यापकों के

पद हैं; जिनके वेतनमान 650-960 रु० हैं। इसी प्रकार गृह मन्त्रालय की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत सहायक निदेशक (हिन्दी टाइप राइटिंग और आशुलिपि) के वेतनमान 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो-1200 रु० है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) चूंकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, महिला पोलिटेकनिक तथा हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत पदों के लिए योग्यताएं विभिन्न हैं इसलिए वेतनमानों में कोई असंगति नहीं है।

विवरण

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आशुलिपि अनुदेशक महिला पोलिटेकनिक में कनिष्ठ प्राध्यापक तथा सहायक निदेशक हिन्दी टाइपराइटिंग और आशुलिपि) के पदों लिए निर्धारित योग्यताएं इस प्रकार है।

1. **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आशुलिपि अनुदेशक**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आशुलिपि अनुदेशकों के पदों को दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा काडर में सम्मिलित किया गया है। इन को 330-560/- रु० के वेतनमान में कनिष्ठ आशु लपि ग्रेड डी में से चुना जाता है, जिन्हें कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम भर्ती किया जता है। कनिष्ठ आशुलिपि के लिए न्यूनतम योग्यताएं मैट्रिक या हायर सेकैण्डरी तथा आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति है।

2. **महिला पोलीटेकनिक महारानी बाग, नई दिल्ली में कनिष्ठ प्राध्यापक**

भर्ती नियम निम्नलिखित योग्यताओं को निर्धारित करते हैं :—

सचिवालय पद्धति

एम० काम द्वितीय श्रेणी

सचिवालय पद्धति आशुलिपि में डिपलोमा/अध्यापन अनुभव

3. **गृह मन्त्राल की हिन्दी शिक्षण योजना में सहायक निदेशक (हिन्दी टाइपराइटिंग और आशुलिपि)**

(i) किसी मान्यता विश्वविद्यालय/बोर्ड से कला विज्ञान या वाणिज्य में इन्टरमीडिएट या समकक्षऔर हिन्दी एक अनिवार्य विषय के रूप में या अतिरिक्त हिन्दी योग्यता जो प्रभाकर,साहित्यरत्न के समकक्ष हो।

(ii) हिन्दी आशुलिपि में दक्षता तथा हिन्दी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टाइप राइटिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति।

(iii) हिन्दी आशुलिपि या हिन्दी रिपोर्टर के रूप में 7 वर्ष का अनुभव या हिन्दी आशुलिपिऔर टाइपराइटिंग में अनुदेशक के रुप में 5 वर्ष का अनुभव।

(iv) हिन्दी टाइपराईटिंग और हिन्दी आशुलिपि में मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो जिसके अन्तर्गत सिद्धान्त और व्यावहारिक प्रदर्शन आता हो ।

महाराष्ट्र और गुजरात में विद्युत उत्पादन एककों में "ट्रिपिंग"

1460. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर के प्रथम सप्ताह में महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों में विद्युत उत्पादन एककों में बड़े पैमाने पर "कासकेड ट्रिपिंग" के कारण बहुत हानि हुई,

(ख) क्या सरकार ने जेनरेटरों के अचानक इतने बड़े पैमाने पर "ट्रिपिंग" के बारे में, जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ, पूरी जांच की है, जिनमें यह सुनिश्चित हो सके कि उसमें तोड़-फोड़ की कोई बात नहीं थी, और

(ग) यदि हां, तो यदि इस बारे में कोई जांच की गई तो उसके क्या परिणाम निकले और और इन जेनरेटरों के समुचित रखरखाव के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) गुजरात में विद्युत की स्थिति में सुधार हुआ है । तथापि महाराष्ट्र और गुजरात में ग्रिड में गड़बड़ी होने के कारण कई उत्पादन यूनिटों में बड़े पैमाने पर ट्रिपिंग हुई ।

(ख) और (ग) एक विशेष समिति इस मामले में जांच करने और गड़बड़ी के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए गठित की गई है ।

राज्य विद्युत बोर्डों की विद्युत उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संसाधन जुटाने में असफलता

1461. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद राज्य विद्युत बोर्ड अपने विकास एवं उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अधिक संसाधन जुटाने में असफल रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन विद्युत बोर्डों ने सरकारी क्षेत्रों के केन्द्रीय उपक्रमों की अदायगियां रोक ली हैं और ये राशियां करोड़ों रुपये की हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस समस्या का हल ढूंढने के लिए प्रयास करने का है जिससे राज्य विद्युत बोर्डों तथा केन्द्रीय उपक्रमों को नुकसान न उठाना पड़े ; और

(घ) क्या राज्य ऊर्जा मन्त्रियों के सम्मेलन में इस मामले पर विचार किया गया था और यदि हां, तो क्या हल सुझाया गया था और सुझावों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हड़ताल के कारण हुआ घाटा .

1462. श्री तारिक अनवर : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हड़तालों और तालाबन्दी के कारण उत्पादन घाटे में 1977 के पश्चात् से बहुत अधिक वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी वार्षिक ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) श्रम ब्यूरों में प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण उत्पादन में 1977 में 284.48 करोड़ रुपये, 1978 में 285.32 करोड़ रुपये, 1979 में 433.02 करोड़ रुपये, 1980 में 297.14 करोड़ रुपये, 1981 में 548.71 करोड़ रुपये तथा 1982 में (जनवरी-जुलाई) में 96.69 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

अखबारी कागज आवंटन नीति

1463. श्री तारीक अनवर :

श्री टी० दण्डापाणि : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में समाचार पत्रों के सामने इस शरद ऋतु में अखबारी कागज के गंभीर संकट का सामना करना करना पड़ सकता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आशंका वर्ष 1982-83 के लिए अखबारी कागच आवंटन नीति की घोषणा में विलंब के कारण उत्पादन हुई है ; और

(ग) सरकार द्वारा समस्या को हल करने और समाचार पत्रों की आशंका को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरीफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी, नहीं । अखबारी कागज आवंटन नीति की घोषणा करने में विलम्ब अखबारी कागज की कमी की किसी आशंका के कारण नहीं था ।

(ग) सरकार आयातित और देशी दोनों प्रकार के अखबारी कागज की उपलब्धता की निरन्तर समीक्षा करती रहती है । समाचार पत्रों के पंजीयक ने समाचार पत्रों को चालू वित्तीय वर्ष के लिए उनको कुल आवश्यकता का लगभग 60% अंश पहले ही आबंटित कर दिया है। राज्य व्यापार निगम से अनुरोध किया गया है कि वह अपने सभी डिपो में आयातित अखबारी कागज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें । किए गए प्रबंधों से देश में अखबारी कागज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी । इसलिए इस बारे में व्यक्त आशंकाएं सुप्रमाणित नहीं हैं ।

ड्रिलिंग पोत "सागर शक्ति" की खरीद

1464. तारिफ अनवर : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने भारत के तेल समन्वेषण कार्यक्रम को तेजी देने के लिए 43 करोड़ रुपये की लागत पर "सागर शक्ति" नामक "जैक-अप" ड्रिलिंग रिग खरीदा है ;

(ख) क्या इस मूल्यवान रिग की खरीद करने से पूर्व इसकी कार्य दक्षता का पता लगा लिया गया है ; और

(ग) इस रिग की विशेषताएं क्या हैं और तेल समन्वेषण कार्यक्रम में सहायता के लिए इसके द्वारा किस प्रकार का काम किया जायेगा !

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने "सागर शक्ति" नामक एक जैक-अप रिग खरीदा है।

(ख) इस रिग के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने स्वयं के विनिर्देशनों के अनुसार आदेश दिये थे तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने सभी स्तरों पर गुण नियंत्रण उपाय किये हैं।

(ग) यह कैंटी-लीवर किस्म का जैक-अप रिग है तथा 300 फुट की जल गहराई में 6000 मीटर तक व्यधन कर सकने में सक्षम है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस रिग का प्रयोग मुख्यतः बम्बई अपतटीय क्षेत्र में विकास व्यधन के लिया किया जायेगा।

बरौनी में एरोमैटिक्स काम्पलैक्स

1465. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से बेन्जीन्स सोलवेन्स और साइलीन के उत्पादन के लिए बरौनी में एरोमैटिक काम्पलैक्स खोलने का अनुरोध किया हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है !

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : 1980 में बिहार सरकार ने बरौनी में एरोमैटिक तथा केप्रोलैक्टम संयंत्रों की स्थापना के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। नये एरोमैटिक्स संयंत्रों के लिए स्थलों की अनुशंसा करने के लिए गठित की गयी स्थल चयन समिति की इस अनुशंसा को कि बिहार में एक बड़ी पेट्रोरसायन प्रायोजना स्थापित की जा सकती है, भारत सरकार ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है।

दिल्ली में गैस सिलेंडर के "लीकेज" के कारण होने वाली मौतें

1466. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 सितम्बर, 1982 को दिल्ली के मोरी गेट क्षेत्र में गैस सिलेंडर के "लीकेज" के कारण लगने वाली आग के परिणाम स्वरूप अनेक व्यक्ति हताहत हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है और रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं !

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली में मोरीगेट क्षेत्र में श्री राम लाल के निवास स्थान पर अग्नि दुर्घटना में दिनांक 3-9-82 को कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कुछ व्यक्ति जख्मी हो गये ।

(ख) इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा की तत्काल जांच-पड़ताल से यह पता चला है कि दिनांक 3-9-82 ो शाम को, श्री राम लाल के एक पड़ोसी श्री ओमप्रकाश को श्री रामलाल का माता द्वारा सिलेंडर का वाल्व खोलने के लिए बुलाया गया था । श्री ओम प्रकाश ने एक हथौड़े का प्रयोग किया और वाल्व और हाथ के पहिये पर बल दिया, जिसके फलस्वरुप वाल्व का स्पिंडल अमेम्बली बाहर आ गया, और खुले क्षेत्र में निकट की "सिगरी" द्वारा गैस जेट में आग लग गई। जिसके फलस्वरूप 12 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई (3 और 7 सितम्बर के बीच)

(ग) और (घ) इंडियन आयल कारपोरेशन द्वाग की गई जांच-पड़ताल के अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन ने एक दण्डाधिकारी द्वारा जांच-पड़ताल करने के आदेश दिए हैं, जो इस दुर्घटना के कारणों की जांच-पड़ताल करेगी और उत्तरदायित्व निर्धारित करेगा, यदि कोई उत्तरदायी होगा। दण्डाधिकारी द्वारा की गई जांच-पड़ताल द्वारा यह पता चला है कि यह बीभत्स दुर्घटना श्री ओम प्रकाश(जिनकी मृत्यु हो चुकी है) द्वारा हतौड़े से गैस सिलेंडर के हाथ के लीवर के साथ छेड़छाड़ करने के फलस्वरूप हुई है । अन्य बातों के साथ-साथ जांच रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि तेल कंपनियों द्वारा दिए गये अनुदेशों का उपभोक्ताओं द्वारा ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए और हर बार जब सिलेंडर दिया जाता है, उपभोक्ताओं को परामर्श दिया जाये कि वे इसके साथ छेड़छाड़ न करें, और किसी कठिनाई की स्थिति में गैस एजेंसी से सम्पर्क स्थापित करें ।

कोयले के नए भंडारों के लिए समन्वेषण

1467. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लि० ने विभिन्न कोयला क्षेत्रों में कोयले के भण्डारों का पता लगाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर समन्वेषण आरम्भ किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के ब्यौरे क्या हैं जहां पर समन्वेषण आरम्भ किया गया है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) कोल इण्डिया लि० ने वरीयता आधार पर इन क्षेत्रों में विस्तृत समन्वेषण कार्य शुरू किया है—कस्टा (पूर्व), रानीगंज कोयला क्षेत्र के अर्द्धग्राम और बकुलिया में, राजमहल हिल्स में पीरमैंती/बरहाट और हूरा "सी" में सिंगरौली कोयला क्षेत्र में अमोलोरी, नार्थ करनपुरा कोयला क्षेत्र में पिपरवाड़ और अशोक ब्लाक्स, तालचेर कोयला क्षेत्र में कलिंग, झब घाटी कोयला क्षेत्र में बेलपहाड़, कोरबा कोयला क्षेत्र में दीपका, पेंच घाटी कोयला क्षेत्र में रावणवाड़ा नार्थ और सियाल-घोगरी और मोहपानी

कोयला क्षेत्र में गोटीटोरिया ईस्ट और वेस्ट। कुल मिलाकर अब तक कुल 1,38,342 मीटर ड्रिलिंग हो चुकी है

कुकिंग गैस के पुराने सिलेंडरों का रद्द किया जाना

1468. **श्री निहाल सिंह :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल कम्पनियों ने कुकिंग गैस के पुराने सिलेंडरों को रद्द कर दिया है और एजेंसियों को नए सिलेंडर सप्लाई किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक तेल कम्पनी द्वारा कितने सिलेंडर रद्द किये गये हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त कंपनियों ने रद्द किये गये गैस सिलेंडरों को गैस एजेंसियों के पास ही रखा रहने दिया है और ये लोग इन रद्द किये गये सिलेंडरों में आधी गैस भरकर कदाचारों में संलग्न हैं और उन सिलेंडरों को उपभोक्ताओं को सप्लाई कर रहे हैं और क्या सरकार इन सिलेंडरों को अपने गोदामों में वापस लाने के प्रबन्ध करेगी।

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पुराने सिलेंडर जब प्रयोग के लिए सही नहीं पाये जाते हैं, उनका परिचालन समाप्त किया जाता है। जब डीलरों से प्राप्त किये गये सभी खाली सिलेंडर बाटलिंग संयंत्रों पर भरे जाने के लिए भेजे जाते हैं, भरे जाने से पूर्व उनका सही निरीक्षक किया जाता है। सिलेंडर जिनकी मरम्मत करनी होती है। पुनः परीक्षण करना होता हैं उन्हें अलग रखा जाता है और बाद में मरम्मत/पुनः परीक्षण के लिए भेजा जाता है और जो प्रयोग के लिए सही नहीं पाये जाते हैं उन्हें निकाला जाता है। वितरण-प्रणाली से निकाले गये ऐसे सिलेंडरों की संख्या के आधार पर बार्टलिंग संयन्त्र उन्हें नये सिलेंडरों/मरम्मत किये गये/पुनः परीक्षण किये गये सिलेंडरों से बदलता है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

(ग) जी, नहीं। तेल कम्पनियों द्वारा डीलरों के पास कोई भी रद्द किये गये गये सिलेंडर नहीं छोड़े जाते हैं। सभी रद्द किये गये सिलेंडरों के लिये यह कानूनी आवश्यकता है कि उन्हें तोड़ा तथा नष्ट किया जाये जिससे वे बेईमान व्यक्तियों के हाथों में न पड़ सके।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की सारूबरा कोयला खान में दुर्घटना

1469. **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला हजारीबाग में सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड की सारूबेरा कोयला खान में 11 अगस्त, 1982 को हुई एक खान दुर्घटना में तीन श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी और 2 आहत हो गये थे जबकि खनन गतिविधियों के दौरान, जिसमें 40 श्रमिक संलग्न थे छत का बहुत बड़ा हिस्सा गिर गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं और हताहत हुए लोगों के नजदीकी रिश्तेदारों को क्या मुआवजा दिया गया है ; और

(ग) सरकारी स्वामित्व की कोयला खानों में पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) दिनांक 11-8-1982 को एक दुर्घटना से० को० लि० की सारूबेरा कोलियरी में हुई जिसमें 3 व्यक्ति मारे गए थे और 2 अन्य घायल हुए थे। दुर्घटना के समय केवल 6 व्यक्ति खान में काम कर रहे थे। शैल का एक टुकड़ा गिरने के कारण दुर्घटना तब हुई जब खनिज इन्क्लाइन फ्लोर से ब्लास्टेड कोयला लादे रहे थे। कामगार मुआवजा अधिनियम के अधीन मुआवजा आयुक्त के पास जमा कराए जाने वाले मुआवजे के अलावा निम्नलिखित धनराशियां मृतकों और घायल व्यक्तियों के आश्रितों को दी गई हैं :—

(1) अनुग्रह राशि का भुगतान-रु० 15,000/-

(2) राशन के लिए राशि- रु० 428/-

प्रत्येक घायल व्यक्ति को फल आदि खरीदने के लिए रु० 150/- भी दिए गए हैं। मृतकों के अन्तिम संस्कार के लिए उनके निकटतम संबंधियों को रु० 500/- भी प्रत्येक मृतक के लिए दिए गए थे।

(ग) कोयला खानों में दुर्घटनाएं रोकने के लिए सुरक्षा संबंधी नियमों और विनियमों को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। कोयला खान सुरक्षा समिति की सिफारिशों को भी लागू किया जा रहा है।

मानव-चालित एक्सचेंजों को स्वचालित एक्सचेंजों में बदलना

1470. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने तथा कौन-कौन से नगरों में 1500 से अधिक टेलीफोन लाइन हैं ;

(ख) ऐसे मानव चालित एक्सचेंजों को स्वचालित एक्सचेंजों में बदलने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) मानव चालित एक्सचेंजों को स्वचालित एक्सचेंजों में बदलने की कसौटी क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) स्वचलीकरण के लिए स्वचालित उपस्कर आयात किए जा रहे हैं देश में तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) स्वचालियकरण के लिए मानक और प्राथमिकता निम्नलिखित पर आधारित होती है।

1. जिला मुख्यालय।

2. 1500 लाइनों से अधिक क्षमता

3. लंबे समय से अनिर्णीत मांग

4. एस० टी० डी० की आवश्यकता।

विवरण

31.3.62 को 1500 लाइनों से अधिक की क्षमता वाले एक्सचेंजों की सूची

क्रम० संख्या	एक्सचेंज का नाम	लाइन क्षमता	क्रम० संख्या	एक्सचेंज का नाम	लाइन क्षमता
	आन्ध्र प्रदेश			महाराष्ट्र	
1.	ऐलूरु	1000	18.	अकोला	2760
2.	कुरनूल	1800	19.	उल्डानगर	2800
3.	निजामाबाद	2040	20.	धूलिया	2400
			21.	मालेगांव	1920
	बिहार				
4.	भागलपुर	1560		उत्तर-पूर्वी	
5.	गया	1800	22.	अगरतला	1800
			23.	इम्फाल	1600
	गुजरात		24.	सिलचर	1560
6.	जूनागढ़	2640	25.	तिनसुखिया	1560
7.	सुरेन्द्र नगर	2040			
8.	आन्नद	2040		उत्तर पश्चिम	
9.	भड़ौंच	1680	26.	बटाला	2400
10.	जेतपुर	1920	27.	पठानकोट	2280
11.	नवसारी	2520			
12.	भुज	1800		उड़ीसा	
13.	पोरबन्दर	1800	28.	सम्बलपुर	1560
14.	वापी	1600			

	कर्नाटक	
15.	गुलबर्गा	1800
	केरल	
16.	चंगचेर्री	1560
17.	तेल्लीचेर्री	1560
	राजस्थान	
	श्री गंगानगर	1920
	तमिलनाडु	
29.	दिन्दीगुल	2360
31.	तिरुनेलवेली	2640
32.	कारुर	2240
33.	कुम्बाकोणम	1920
34.	शिवकाशी	1566
35.	तंजावूर	1920

पम्प सेटों को बिजली देने के लक्ष्यों का प्राप्त न किया जाना

1471. **श्री अन्नत रामुलु मुल्लु** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों की संख्या एवं नाम क्या हैं जो चालू योजना के कार्य 1982 को समाप्त हुए पहले 2 वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पम्प-सेटों को बिजली देने के लक्ष्यों में काफी पिछड़ गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : छठी पंच वर्षीय योजना के पहले दो वर्षों (1980-82) के दौरान कुछ राज्यों ने पम्पसेटों के ऊर्जन के लक्ष्य को पार कर लिया है परन्तु 4 राज्य नामशः असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पम्पसेटों के ऊर्जन के लक्ष्यों से बहुत पीछे हैं। छठी योजना के पहले दो वर्षों के दौरान पम्पसेटों के ऊर्जन के सम्बन्ध में राज्यवार लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धियां का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

छठी योजना के पहले दो वर्षों अर्थात 1980-82 के दौरान पम्प सेटों/ट्यूबवैलों के ऊर्जन के सम्बन्ध में राज्यवार लक्ष्य तथा वास्तविक उपलब्धि दिखाने वाला विवरण ।

क्रम सं० राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1980-82 के दौरान पम्पसेटों का ऊर्जन	
	लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
1. आंध्र प्रदेश	91,000	91,548
2. असम	5,125	234
3. बिहार	60,730	11,927
4. गुजरात	45,000	48,763

1	2	3	4
5. हरियाणा		40,000	33,862
6. हिमाचल प्रदेश		201	298
7. जम्मू और कश्मीर		164	110
8. कर्नाटक		38,040	42,108
9. केरल		15,900	23,499
10. मध्य प्रदेश		99,000	75,214
11. महाराष्ट्र		1,02,300	1,21,816
12. मणिपुर		50	शून्य
13. मेघालय		247	6
14. नागालैण्ड		7	शून्य
15. उड़ीसा		16,140	6,165
16. पंजाब		58,400	45,125
17. राजस्थान		62,045	50,340
18. सिक्किम		शून्य	शून्य
19. तमिलनाडु		80,000	58,293
20. त्रिपुरा		360	425
21. उत्तर प्रदेश		1,05,000	72,600
22. पश्चिम बंगाल		14,140	1,582
जोड़ (राज्य)		8,33,849	6,83,915
जोड़ (संघ शासित क्षेत्र)		1,657	3,014
जोड़ (अखिल भारत)		8,35,506	6,86,929

सोवियत दल को तेल के समन्वेषण के लिए आमंत्रण

1472. श्री अन्नत रामुलु मुल्लू : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल समन्वेषण एवं ड्रिलिंग के क्षेत्रों में भारत का दौरा करने व इसकी सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार हाल में किसी सोवियत दल को आमंत्रित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यदि किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गये उसके ब्यौरे क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) समय-समय पर दोनों सरकारों द्वारा हस्ताक्षर किए गये विभिन्न इण्डो-सोवियत संलेखों के अन्तर्गत विभिन्न सोवियत विशेषज्ञ भारत का दौरा करते रहे हैं।

अन्य बातों के साथ इन संलेखों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

1. बन्द हुए और कम उत्पादकता वाले कुओं से तेल का उत्पादन बढ़ाने से सम्बन्धित कार्यों का कार्यान्वयन ।

2. चुने गये क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में हाईड्रोकार्बन्स के लिए संगठित किए गये अन्वेषी कार्य ।

3. भारतीय विशेषज्ञों के साथ संयुक्त रूप से अध्ययन करने के लिए सोवियत विशेषज्ञों की भारत में प्रतिनियुक्ति ।

4. पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र में हाईड्रोकार्बन्स के अन्वेषण के लिए पूर्वेक्षण में सहायता ।

5. पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भूकम्प पूर्वेक्षण में ।

6. व्यधन कार्य में भारतीय विशेषज्ञों को सहायता प्रदान करने के लिए सोवियत व्यधन विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति ।

7. भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में विभिन्न प्रणालियों के द्वारा कृत्रिम तेल की उठान के कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करना ।

8. सकर राड पम्पों जैसे उपकरण की डिलीवरी करना और सोवियत विशेषज्ञों को उन्हें कार्य संचालन में रखने में और रुग्ण और बेकार कुओं को पुनः चालू करने में सहायता देने के लिए भेजना ।

9. वैज्ञानिक और शिल्पवैज्ञानिकों का प्रशिक्षण ।

इन संलेखों के अन्तर्गत सोवियत संघ के संगठनों के साथ अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गये हैं और इन समझौतों के अन्तर्गत तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के साथ वर्तमान में 62 सोवियत विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं।

दिनांक 30-11-81 और 6-6-82 के संलेखों की शर्तों के अन्तर्गत देश में विभिन्न व्यधन स्थलों पर भारतीय व्यधन कार्मिकों को प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करने के लिए 40 सोवियत विशेषज्ञों के दल की प्रतिनियुक्ति के लिए अभी हाल में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे। इसी प्रकार दिनांक 10 सितम्बर, 1982 को एक दूसरे समझौते पर हस्ताक्षर किए गये थे जिसकी

शर्तों के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में वोदरा-2 नामक कुएं को खोदने के लिए एक 35 सोवियत विशेषज्ञों के दल को आमंत्रित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों, पी० सी० औ० तथा सी० ओ० खोला जाना

1473. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य में विक्रीय वर्ष 1981-82 तथा वर्ष 1982-83 की पहली दो तिमाहियों के दौरान कौन-कौन से टेलीफोन एक्सचेंज/ पी० सी० ओ०/ सी ओ० खोले गए ;

(ख) उनमें से ऐसे कौन-कौन से हैं जो अभी लगाए जा रहे हैं परन्तु "स्टाल्कस आदि जैसे आवश्यक पुर्जों की कमी के कारण पूरे नहीं किए गए हैं, और

(ग) इस प्रकार के प्रत्येक पी० सी० ओ०/सी० ओ० को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

क. हिमाचल प्रदेश में खोले गए एक्सचेंज/सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त डाकतार घर 1981-82 के दौरान खोले गए

एक्सचेंज	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त डाकतार घर
1. जुखाला	1. सैंरी
2. साहू	2. चंडी
3. जारी	3. सनिहोल
4. कंडरौर	4. जंगल बेरी
5. रिवालसर	5. बलि चौकी
6. लहरी सराइल	6, सालगा
7. बल्द्वारा	7. नकरोढ
8. सैंरी	8. कैंस
9. छिरकीन	9. सालोल
10. निरमन्ड	10. जुखाला
11. जगदीश नगर	11. देवल
12. काला आंब	12. छोबिन

13. गाडसा

14. तिहरी

15. तिहरा

16. दारिनी

17. फतेहपुर

1982 -83 की पहली दो तिमाहियों में खोले गए

गुम्मा शून्य

ख, ग : वे एक्सचेंज/सार्वजनिक टेलीफोनघर/संयुक्त डाक तारघर जिनका कार्य प्रगति पर है।

एक्सचेंज	काम पूरा होने की सम्भावित तारीख
बिजहारी	अक्तूबर, 1983
जुंगा	मार्च, 1983
सार्वजनिक टेलीफोनघर/सयुक्त डाक तारघर	
मनिकारन	मार्च 83
भगनी	दिसम्बर, 82
भरमौर	मार्च 83
कारौर	मार्च 83
पासलराल	मार्च 83
लाड भरोल	मार्च 83

क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणों की स्थापना करना

1474. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न विद्युत प्रणालियों के समेकित कार्यकरण और राज्य विद्युत बोर्डों के लिए लाभ की न्यूनतम दर नियत करने के लिए क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन): (क) और (ख) अगस्त, 1982 में विद्युत मन्त्रियों के सम्मेलन में राज्यों के साथ अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियों का समे-

कित प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र को अधिक शक्तियां देने की आवश्यकता तथा सांविधिक प्राधिकारों के साथ क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणों का सृजन करके क्षेत्रीय स्तर पर विद्युत सप्लाई उद्योग के संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता के बारे में विचार-विमर्श किया गया था। अनेक राज्यों में क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणों के गठन करने के सम्बन्ध में अभी नहीं बताया है। इस सम्बन्ध में आगे कोई कार्यवाही करने से पूर्व राज्यों के साथ परामर्श करना और उनके साथ मतैक्य तैयार करना आवश्यक समझा गया है।

राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कमाई जाने वाली न्यूनतम लाभ-दर के सम्बन्ध में राज्यों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद सरकार ने कुछ सांविधिक परिवर्तनों पर विचार किया है। इन पर आगे कार्रवाई के लिए कार्य किया जा रहा है।

छोटे समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापनों के लिए सुची से हटाना

1475. **श्री के० टी० कोसलराम : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 में 11000 छोटे समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापनों के प्रयोजनों के लिए सूची से हटाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या इस नीति को अभी भी कार्यान्वित किया जा रहा है अथवा इसमें संशोधन कर दिया गया है और यदि हां, तो जो संशोधन किए गये हैं, उनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री (श्री एन० के पी०•साल्वे) : (क) वर्ष 1977-78 में, नवम्बर 1977 से लागू विज्ञापन नीति में निर्धारण पात्रता के संशोधित मानकों को पूरा न करने पर लगभग 1100 (न कि 11000) समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की माध्यम सूची में से हटा दिया गया था।

(ख) नीति के प्रभाव का पुनर्विलोकन नवम्बर, 1978 में किया गया था और कतिपय छूट दी गई थी। अक्तूबर, 1980 में नीति में और संशोधन होने पर पात्रता के मानदण्ड में काफी छूट दी गई थी :

(क) न्यूनतम बिक्रीत प्रसार संख्या को 2000 प्रतियों से कम करके 1000 प्रतियां कर दिया गया था।

(ख) लगातार प्रकाशन की अवधि को 6 महीने से कम करके 4 महीने कर दिया गया था।

(ग) मुद्रित क्षेत्र इस प्रकार कम कर दिया गया हैं :

दैनिकों के लिए 1260 सें 760 मानक कालम सेंटीमीटर। साप्ताहिकों/पाक्षिकों के लिए 720 से 480 मानक कालम सेंटीमीटर। मासिकों और अन्य नियतकालिक पत्रों के लिए : 1200 से 960 मानक कालम सेंटीमीटर। बाद में और छूट के रूप में (1) पिछड़े, सीमावर्ती या दूर-

वर्ती क्षेत्रों से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों पर लागू 500 प्रतियों की बिक्रीत प्रसार संख्या की बात जम्मू और काश्मीर राज्य से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों पर लागू की गई ; और

(2) 2000 प्रतियों तक की बिक्रीत प्रसार संख्या वाले समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों को अपनी प्रसार संख्या के दावे के समर्थन में चार्टड लेखाकार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने से छूट दी गई।

जापान के साथ इलेक्ट्रीकल्स उपकरणों की सप्लाई के लिए समझौता

1476. **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत को इलेक्ट्रिकल उपकरणों की सप्लाई के लिए हाल ही में जापान के साथ कोई समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं और जापान द्वारा इस देश को सप्लाई किए जाने वाले इलेक्ट्रिकलस उपकरणों के ब्यौरे क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जापान के साथ अभी हाल ही में एक समझौता हुआ है जिसके द्वारा जापान सरकार दूसरों के साथ निम्नलिखित विद्युत परि-योजनाओं के लिए येन ऋण उपलब्ध करायेगा :—

परियोजना का नाम	राशि येन बिलियन में
1. अनपरा "ख" ताप विद्युत परियोजना	2v.1
2. तमिलनाडु में माइक्रो जल विद्युत परियोजनाएं	2.0

(ख) ऋण की शर्तें निम्न प्रकार होंगी :

(1) ऋण वापसी की अवधि 10 वर्षों की छूट की अवधि के पश्चात 20 वर्ष होगी।

(2) व्याज की दर 2.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष है ।

(3) वितरण की अवधि ऋण समझौता पर हस्ताक्षर की तारीख से 5 वर्ष है।

उपस्करों की प्राप्ति के बारे में अन्तिम निर्णय सभी संगत रूपात्मकताओं को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात हीं लिया जा सकता है।

चिनसुराल टेलीफोन एक्सचेंज को कलकत्ता की स्थानीय टेलीफोन प्रणाली के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव

1477. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चिनसुराल टेलीफोन एक्सचेंज को कलकत्ता की स्थानीय टेलीफोन प्रणाली के अन्तर्गत के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार को पिछले दो दशकों से इस बारे में लगातार की जा रही मांग का पता है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र में केंद्रीय ट्रंक एक्सचेंज के 20 कि० मी० के भीतर आने वाले एक्सचेंजों के क्षेत्र शामिल हैं। चिनसुराल इस सीमा क्षेत्र से बाहर है तथा इस प्रकार उसका एक पृथक स्थानीय क्षेत्र बनता है।

(ग) जी हां।

जीवन रक्षक औषधियों की मांग

1478. **प्रो० रूप चन्दपाल :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में जीवन रक्षक औषधियों की कुल मांग क्या है,

(ख) कुल मांग की कितनी प्रतशित का अभी भी आयात करना पड़ता है, और

(ग) देश में औषधियों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं,

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जीवन रक्षक औषधों की कोई मानक सूची नहीं है। औषध और भेषज समिति (हाथी समिति के नाम से विख्यात) ने दवाइयों की अनिवार्यता, उनकी आवश्यकता और उन्हें अधिक से अधिक जनता को उपलब्ध कराने की दृष्टि से 116 औषधों की एक सूची बनाई है जो उनकी राय में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की चिकित्सा पद्धति में पर्याप्त मात्रा से प्रयोग होते हैं। इन 116 दवाइयों में बल्क औषधों/सक्रिय तत्वों की संख्या 91 है। वर्ष 1981-82 के दौरान इन 91 बल्क औषधों/सक्रिय तत्वों का उत्पादन मूल्य लगभग 126 करोड़ रुपये था जबकि उसी वर्ष के लिए स्वदेशी उत्पादन का कुल मूल्य 275 करोड़ रुपये था। वर्ष 1981-82 के दौरान ऐसे बल्क औषधों/ सक्रिय तत्त्वों के आयात का सी० आई० एफ० मूल्य 19.36 करोड़ रुपये था।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान ऐसे बल्क औषधों/ सक्रिय तत्वों का आयात उनके स्वदेशी उत्पादन का 15.37 प्रतिशत था।

(ग) आवश्यक औषधियों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम उत्पादन विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं,

(ii) भारतीय क्षेत्र कम्पनियों को डी० जीटी० डी० के पास बडी संख्या में पंजीकरण

स्वीकृत किए गए हैं । प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशनों को उत्पादन करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी क्षेत्रों को बड़ी संख्या में लाइसेंस और आयश-पत्र जारी किए गए है

(iii) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को राज्यों में संयुक्त उद्यम फार्मूलेशन एकक स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किए गए है ;

(iV) औद्योगिक लाइसेंसों तथा आशय-पत्रों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखी जाती है और ऐसे एककों के संबंध में कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों, यदि कोई हो, की जांच की जाती है ।

(iv) पांच वर्ष की अवधि के दौरान 25 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि करने, स्थापित क्षमता को मान्यता देने और पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्चतम वार्षिक उत्पादन के आधार पर उच्चतर क्षमता को पुर्नपृष्ठाकन करने तथा वर्तमान वर्ष के दौरान उत्पादन सम्बन्धी योजनाओं को कुछ शर्तों पर औषध उद्योग पर भी लागू किया गया है ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोटा

1479. **श्री त्रिलोक चन्द्र** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके अधीन दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों और कर्मचारियों का कोटा अभी पूरा नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं और विभिन्न विभागों में वे कौन से पद हैं जिनमें ऐसी कमी है ; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) कुछ श्रेणियों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के पदों का विशेष रूप से तकनीकी पदों में बैंक लाग दूर करवाना दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के लिए संभव नहीं हो पाया है, जिसका मुख्य कारण पदों को भरने के लिए सतत प्रयासों के बावजूद इन श्रेणियों के लिए उपयुक्त अभ्यार्थियों का उपलब्ध न होना है ।

30-9-1982 की स्थिति के अनुसार दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों में खाली पड़े पदों के नाम और संख्या दिखाने वाला विवरण, उपाबन्ध "क" में दिया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया-देखिए संख्या एल० टी० 5487/82]

सिल्चर आकाशवाणी केन्द्र से सुबह का समाचार बुलेटिन आरम्भ करना

1480. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के गोहाटी, डिब्रूगढ़ और सिल्चर केन्द्रों में भाषावार आवंटित समय का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या उनको अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि आकाशवाणी के सिल्चर केन्द्र में समाचार बुलेटिन आरम्भ किया ज य ; और

(ग) यदि हां, तो आकाशवाणी के सिल्चर केन्द्र में सुबह का समाचार बुलेटिन आरम्भ करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) और (ग) जी, हां आकाशवाणी सिल्चर से बंगला में सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन चालू करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह केन्द्र अब भी बंगला में 3 केन्द्रीय समाचार बुलेटिनें रिले कर रहा है जिनमें से एक सुबह का है, और वह रात 7.15 बजे एक प्रादेशिक बुलेटिन भी मूल रूप से प्रसारित कर रहा है ।

विवरण

आकाशवाणी, गोहाटी : इस केन्द्र से अधिकांश कार्यक्रम असमिया भाषा में प्रसारित किये जाते हैं । कुछ कार्यक्रमों और समाचारों को हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत में दिल्ली में रिले किया जाता है । इसके अलावा, आकाशवाणी, गोहाटी निम्नलिखित भाषाओं/बोलियों में, प्रत्येक के सम्मुख दी गई अवधि के लिए कार्यक्रम प्रसारित करता है :

बोडो	30 मिनट	प्रतिदिन
मिजो	35 मिनट	प्रतिदिन
खासी	30 मिनट	प्रतिदिन
गारो	45 मिनट	प्रतिदिन
कर्बी	30 मिनट	प्रतिदिन
जतिया	30 मिनट	प्रतिदिन
नेपाली	20 मिनट	प्रतिदिन
तिब्बती	45 मिनट	प्रतिदिन

आकाशवाणी, डिब्रूगढ़ : इस केन्द्र से अधिकांश कार्यक्रम असमिया भाषा में प्रसारित किए जाते हैं । कुछ कार्यक्रमों और समाचारों को अंग्रेजी और हिन्दी में दिल्ली से रिले किया जाता है । इसके अलावा, यह केन्द्र निम्नलिखित आदिवासी बोलियों में प्रत्येक के सम्मुख दी गई अवधि के लिये कार्यक्रम प्रसारित करता है :

अडि	30 मिनट	प्रतिदिन
अपत्नी	20 मिनट	प्रतिदिन
इडु-मिश्मी	20 मिनट	प्रतिदिन
मिशी	20 मिनट	प्रतिदिन
नोक्टे	20 मिनट	प्रतिदिन
टंगसा	20 मिनट	प्रतिदिन
वांचु	20 मिनट	प्रतिदिन
मिरि-मिश्नी	10 मिनट	प्रतिदिन
टगिन	20 मिनट	प्रतिदिन
खम्पती	20 मिनट	प्रतिदिन
मिजो-मिश्नी	20 मिनट	प्रतिदिन

आकाशवाणी, सिल्चर : इस केन्द्र को मुख्य भाषा बंगला है और अधिकांश कार्यक्रम इसी भाषा में प्रसारित किए जाते हैं। कुछ कार्यक्रमों/समाचारों को अंग्रेजी और हिन्दी में दिल्ली से रिले किया जाता है। तथापि यह केन्द्रडिमासा और मणिपुरी बोलियों में तीस-तीस मिनट की अवधि का एक दैनिक कार्यक्रम प्रसारित करता है।

मणिपुरी	30 मिनट	प्रतिदिन
डिमासा	30 मिनट	प्रतिदिन

हिन्दुस्तान एंटी बायोटिक्स द्वारा रिफम्पीसीन का उत्पादन

1481. **डा० सन्त कुमार पंडित : रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स ने रिफैम्पीसीन का फार्मूलेशन विकसित किया है जो क्षयरोग-रोधी तथा कुष्ठ-रोग रोधी अत्यन्त प्रभावी औषधि है,

(ख) अनुसन्धान के क्या परिणाम निकले तेजी से उपचार करने वाली इस औषधि के लिए कितनी उत्पादन क्षमता और सुविधा की मांग की गई है, और

(ग) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना में इस औषधि का व्यापक उत्पादन किया जा रहा है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) फार्मूलेशनों को बाजार में भेजने से पहले हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० द्वारा

विस्तृत उपलब्धता सम्बन्धी अध्ययन किये गये थे। कम्पनी के पास बल्क रिफाम्पिसिंग के लिए एक टन प्रतिवर्ष की क्षमता का एक आशय पत्र है किन्तु अभी तक कोई क्षमता स्थापित नहीं की गई है। वह बाहर से प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की कोशिश कर रही है।

(ग) 11 (ग्यारह) टन प्रति वर्ष की कुल क्षमता के लिए दो अन्य कम्पनियों को भी आशय पत्र जारी किये गये हैं।

गोदावरी/महानदी तटदूर क्षेत्रों में तेल की खोज

1482. डा० **बसन्त कुमार पंडित** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (एक) गोदावरी तटदूर क्षेत्र और (दो) अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में खोदे गए अनेक कुओं में अधुनातन उपकरण और प्रौद्योगिकी जानकारी के अभाव में तेल का पता लगाने में असफल रहा है ;

(ख) क्या आयल इन्डिया लिमिटेड भी महानदी तटदूर क्षेत्र में अपने खुदाई कार्य में असफल रहा है ; और

(ग) क्या विदेशी तेल कम्पनियों ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इन्डिया लिमिटेड की तेल की खोज सम्बन्धी योजनाएं आरम्भ करना स्वीकार नहीं किया है ; यदि हां, तो इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही करने की योजना बनाई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीरसिंह) : (क) और (ख) जी, हां तथापि ऐसा उपकरणों के अभाव के कारण नहीं हुआ है।

(ग) विदेशी तेल कम्पनियों से उन क्षेत्रों में तेल अन्वेषण करने के लिए नहीं कहा गया है जो कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इन्डिया लिमिटेड के लिए आरक्षित हैं, इस कारण इस सम्बन्ध में उनकी प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता है।

मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़, गुना और विदिशा जिलों को सभी तहसीलों के लिए टेलीफोन सुविधाएं

1483. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के राजगढ़, गुना और विदिशा जिलों की सभी तहसीलों में ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंज की सभी सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त जिलों के सभी तहसील मुख्यालयों में ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की कोई योजना है ;

(ग) उपरोक्त तीनों जिलों के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इस समय ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध है तथा उन स्थानों के नाम क्या हैं जो इनमें से प्रत्येक एक्सचेंज से से जुड़े हुए हैं ;

(घ) क्या टेलीफोन विभाग को उन जिलों से, इस आशय की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई है

कि पुराने और अप्रचलित टेलीफोन एक्सचेंज ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, जो वर्तमान ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंजों से जुड़े हुए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है और 1982, 1983 और 1984 के लिए क्या योजना तैयार की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) सूचना नीचे दी गई :

क्रम सं०	जिले का नाम	ट्रंक एक्सचेंज का स्थान	ट्रंक एक्सचेंज से जुड़े हुए हुए स्थानों के नाम
1.	राजगढ	व्यावर	इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर शाजापुर और राजाढ़
		राजगढ़	इन्दौर व्यावर और भोपाल
2.	गुना	गुना	इन्दौर भोपाल, ग्वालियर, भिंड, व्यावर, शिवपुर और अशोकनगर
		अशोक नगर	इन्दौर, भोपाल, बीना और गुना
3.	विदिशा	गंडा बसौदा	इन्दौर, विदिशा, भोपाल और बीना
		शिरोंज	भोपाल, और बीना,
		विदिशा	भोपाल इन्दौर, शिहोर, नागपुर, गंज, बसौदा, बीना, और रायसेन

(घ) और (ङ) मौजूदा प्राप्त सूचना अभी तक कोई लिखित शिकायतें नहीं मिली हैं तथापि सेवा स्तर को सुधारने के लिए निरन्तर सभी प्रयास किए जाते हैं।

असम में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण और मतदाताओं की पहचान पत्र जारी किया जाना

1484. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या असम निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण हो जाने पर मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करने का विचार है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन नाथ कौशल) : निर्वाचक आयोग असम में

मतदाताओं की पहचानपत्र जारी करने के बारे में विनिश्चय तभी करगा जब आयोग नागालैंड, मेघालय राज्यों और दिल्ली और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों में, जिनके बारे में आयोग ऐसा विनिश्चय पहले ही कर चुका है; इस स्कीम के कार्यकरण का कोई उचित मूल्यांकन कर लेगा।

सिंगरौला ताप विद्युत केन्द्र के लिए भारी उपकरण की ढुलाई पर अतिरिक्त पूंजीगत व्यय

1485. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० टी० पी० सी० के सिंगरौली केन्द्र को भारतीय रेल व्यवस्था के साथ जोड़ा गया है ;

(ख) सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्र के लिए रेल लाइन न होने तथा भारी उपकरणों की सड़क द्वारा लम्बी दूरी तक ढुलाई के कारण अतिरिक्त पूंजीगत व्यय कितना रहा है ; और

(ग) सिंगरौली केन्द्र तक ईन्धन और भट्टी तेल की ढुलाई पर एन० टी० पी० सी० के अधिकारियों ने अतिरिक्त रूप से कितनी राशि खर्च की है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सिंगरौली में रेलवे स्टेशन है। परन्तु शक्ति नगर, जहां राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र है, अभी तक भारतीय रेलवे प्रणाली के साथ नहीं जोड़ा गया है।

(ख) रेल कनेक्शन न होने तथा परिणामस्वरूप सड़क द्वारा भारी उपस्कर को ले जाने के कारण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा मार्च, 82 तक किया गया अनुमानित अतिरिक्त व्यय 1.78 करोड़ रुपये बैठता है। शक्ति नगर को जोड़ने के लिए एक रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है।

(ग) उपर्युक्त राशि में सिंगरौली विद्युत केन्द्र के लिए ईन्धन और भट्ठी तेल के परिवहन पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा व्यय की गई 2.40 लाख रुपये की रकम शामिल है।

तेल शोधक कारखानों के विभिन्न पसलुओं की जांच करने के लिए समिति की नियुक्ति

1486. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल शोधक कारखाना आयोजना तथा परिचालनों के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए श्री आर० एन० भटनागर की अध्यक्षता में समिति नियुक्त की है ;

(ख) क्या सरकार ने बाद में तेलशोधक कारखानों के प्रश्न की जांच करने के लिए एक और समिति नियुक्त की थी ;

(ग) क्या सरकार ने हाईड्रोजन कार्बन प्रोसेसिंग सम्बन्धी वैज्ञानिकों की सलाहकार समिति से भी कहा है कि वह दीर्घावधि योजना के बारे में राय व्यक्त करें ; और

(घ) उपरोक्त भाग (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित समितियों/विशेषज्ञों के प्रतिवेदन सभापटल पर रखे जायेंगे ।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1977 में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री आर० एन० भटनागर की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल गठित किया गया जो छठी योजना अवधि (1978-83) तथा दो बाद वाले वर्षों के दौरान स्थापित की जाने वाली । स्थापित की गई अतिरिक्त । सहायक शोधन क्षमता की जांच करेगा । इसके बाद मार्च, 1979 में छठी योजना अवधि (1978-83) के दौरान स्थापित की जाने वाली अतिरिक्त शोधन क्षमता की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था । इस अध्ययन दल । विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रचलित शोधनशालाओं के आधुनिकीकरण और विभिन्न कार्यक्रमों के विस्तार और नई शोधनशालाओं की स्थापना का कार्य हाथ में लिया गया है ताकि देश में बढ़ती हुई पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा किया जा सके ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, नहीं ।

बम्बई में कपड़ा मिलों में हड़ताल के कारण जन-दिवसों की हानि की संख्या

1487. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 18.1.82 से 30.9.82 तक बम्बई में मिल मजदूरों की हड़ताल के कारण कुल कितने जन-दिवसों की हानि हुई ;

(ख) संघ सरकार ने श्रमिकों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए क्या प्रयत्न किए हैं ; और

(ग) कितने प्रतिशत मजदूर काम पर वापिस आए तथा सितम्बर, 1982 से कितने प्रतिशत उत्पादन प्रारम्भ हुआ ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, बम्बई में वस्त्र उद्योग में हड़ताल के कारण अगस्त, 1982 के अंत तक नष्ट हुए श्रम दिनों की कुल संख्या 431.62 लाख थी ।

(ख) सरकार ने वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित समस्याओं की जांच करने और बम्बई सूती वस्त्र उद्योग में श्रमिकों को मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता और अतिरिक्त मजदूरी की मंजूरी सम्बन्धी विशेष मांगों की जांच करने के लिए त्रिपक्षीय समिति गठित करने का भी निर्णय किया है ।

(ग) 6 सितम्बर, 1982 की स्थिति के अनुसार ऐसे श्रमिकों को जो काम पर आ गए थे, प्रतिशतता 17.3 थी । और उत्पादन की प्रतिशतता 19.7 थी ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायलयों में बकाया मामलों को निपटाने की दृष्टि से मामलों का स्थगन न करने के लिए कार्यवाही

1488. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भारी संख्या में बकाया मामले जमा हो गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि इन बकाया मामलों की संख्या कम करने के लिए इनका बहुधा स्थगन न किया जाए ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन नाथ कौशल) : (क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में बकाया मामले जमा हो गए हैं।

(ख) सरकार का विचार है कि सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया के संहिता के विद्यमान उपबंधों में न्यायालयों द्वारा स्थगन को कम करने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय हैं। न्यायालयों में मामलों के इकट्ठे होने के कई जटिल कारण हैं। सरकार बकाया मामलों की समस्या पर निरन्तर ध्यान देती रहती है।

अपरम्परागत तरीकों से ऊर्जा के उपयोग को लोकप्रिय बनाना

1489. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऊर्जा के वर्तमान साधनों में और वृद्धि करने के लिये ऊर्जा के उपयोग, अर्थात (एक) सौर ऊर्जा, (2) गोवर गैस, (3) समुद्री ज्वार तरंगों आदि को विकसित करने और लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास तथा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : सरकार ने ऊर्जा के नये व नवीकरणीय स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव भार से प्राप्त उर्जा, महासागर ऊर्जा, इत्यादि का प्रयोग करने के लिए कार्यक्रमों व नीतियों को कार्यान्वित व समन्वित करने के लिए ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग की स्थापना की है। आयोग द्वारा सम्पन्न किये जा रहे क्रियाकलापों में, अनुसंधान और विकास का तीव्रीकरण; परिपक्व प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन व क्षेत्रीय प्रतिष्ठापन, औद्ययोगिकी उत्पादन की गति बढ़ाने के लिए वित्तीय और संवर्धनात्मक उपाय, समयबद्ध लक्ष्य-अभिमुख अनुसंधान और विकास और उत्पाद/आदि प्ररूप विकास के लिए विशेषीकृत केन्द्रों की स्थापना और इन प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक सूचना कार्यक्रम शामिल है। नवीकरणीय ऊर्जा युक्तियों और प्रणालियों में, जिनका पहले से ही विकास किया जा चुका है, सौर जल तापीय प्रणालियां, सौर फसल शुष्कक, सौर इमारती लकड़ी के भट्टे, सौर पम्प, सौर कुकर, सौर आसवन एकक, जल पम्पन के लिए और अन्य अनुप्रयोगों के लिए प्रकाश वोल्टीय सैल, पवन

पम्प, घरेलू सामुदायिक संस्थागत जैव गैस संयंत्र, बैटरीचालित वाहन और नये डिजाईन के सूक्ष्म जल ऊर्जा एकक सम्मिलित हैं। देश भर में एक क्षेत्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम को अमल में लाया जा रहा है जिनमें इन युक्तियों और प्रणालियों के व्यापारिक उत्पादन और व्यापक इस्तेमाल को बढ़ावा मिल रहा है।

बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धि और बिजली का उत्पादन बढ़ाने के कारण व्यय

1490. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे भारत में, सारे बिहार में उत्तरी बिहार में और शेष बिहार में क्रमशः प्रति व्यक्ति कितनी बिजली उपलब्ध है और उनके बीच के विशाल अन्तर को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

(ख) बिहार में बहुत कम बिजली उत्पादन करने और पतराद तथा बरौनी में हुए बहुत अधिक नुकसान के लिए उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या बिहार सरकार बिहार में बिजली के अकाल को दूर करने के लिए बिजली का उत्पादन करने वाली यूनिटों (गैस टरबाइन) के लिए जोर दे रही है, यदि हां, तो केन्द्र की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (ी विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तेल के कुएं के लिए सुरक्षा प्रबन्ध

1491. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चोरी छिपे चोरी के कार्य करने के पीछे जिस गिरोह का हाथ है जिसके कारण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के गैस क्षेत्र तेल के कुएं संख्या 15 में भयंकर आग लगी थी, का ब्यौरा क्या है,

(ख) तेल संस्थापनों के चारों ओर असंतोषजनक सुरक्षा प्रवन्ध के क्या कारण हैं ;

(ग) हुई क्षति का ब्यौरा क्या है और सुरक्षा प्रबन्धों की जांच करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ; और

(घ) क्या चोरों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिनांक 27 सितम्बर, 1982 को प्रातः तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के बड़ौदा से लगभग 40 किलो मीटर की दूरी पर स्थित

दबका-15 कूप में आग लग गयी । तीन व्यक्ति कूप के सुरक्षा वार्ड को तोड़कर अन्दर आ गये और वहां से तेल चुराने का प्रयत्न किया । वहां से निकले हाईड्रोकार्बन्स जल उठे और कूप में आग लग गई । जांच पड़ताल के लिये मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है ।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के सुरक्षा गार्डों को महत्वपूर्ण तेल उत्पादन करने वाले प्रतिष्ठानों पर तैनात किया गया है । इसके अतिरिक्त वर्तमान में 13 चलते फिरते गश्ती दल जिसमें पुलिस तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का सुरक्षा स्टाफ शामिल हैं, पश्चिमी क्षेत्र के तेल क्षेत्रों में तैनात किये गये हैं ।

(ग) एक तेल टैंकर जो कि इन तीन व्यक्तियों द्वारा लाया गया प्रतीत हुआ था, जल गया । तेल के किसी प्रतिष्ठान को या गांव के निवासियों को कोई हानि नहीं हुई है ।

(घ) गिरफ्तार किये गये छः व्यक्तियों में से तीन व्यक्तियों की स्थल पर आग के कारण हुए घावों के कारण मृत्यु हो गयी ।

बम्बई हाई के कुएं से तेल के साथ गैस का फूट निकलना

1492. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्दैवग्रस्त कुएं की आग बुझाने के बाद भी भारी मात्रा में अत्याधिक ज्वलनशील प्राकृतिक गैस, जिसके साथ तेल भी निकल रहा है, निकल रही है और गावसड तथा अन्य छोटे छोटे गांवों के आस पास के क्षेत्रों में तेजी से फैल रही है और कुएं की 90 मीटर की परिधि के भीतर एक चिनगारी ही पुन: भड़क उठ सकती है जिसके परिणामस्वरूप और भी बड़ी विपत्ति आ सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या पूर्वोपाय किये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गावसद के निकट स्थित दबका-15 कूप को 1 अक्तूबर, 1982 को नियन्त्रण में ले लेने और समाप्त कर देने के पश्चात उसमें से कोई गैस अथवा तेल बाहर नहीं निकल रहा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उद्योगों को गैस की सप्लाई

1493. **श्री मोटी भाई आर० चौधरी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करें। कि

(क) गत पांच वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात में सरकारी, गैर सरकारी तथा सहकारी उद्योगों को किस किस दर पर गैस सप्लाई की है ;

(ख) बम्बई हाई से किन किन उद्योगों को गैस सप्लाई की जा रही है तथा यह किस किस दर पर सप्लाई की जा रही है ;

(ग) असम से किन किन उद्योगों को गैस सप्लाई की जा रही है तथा यह किस किस दर पर सप्लाई की जा रही हैं ;

(घ) पाइपलाइनों से कौन कौन से नगरों में कुकिंग गैस सप्लाई की जा रही है तथा सप्लाई की दरें क्या हैं ;

(ड़) किन किन स्थानों पर बिजली उत्पादन के लिए गैस सप्लाई की जा रही है तथा सप्लाई की दरें क्या हैं ;

(च) रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए गैस प्राप्तकर्ताओं का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें किस दर पर गैस सप्लाई की जाती है ; और

(छ) गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न प्रयोजनों के लिए सप्लाई की जा रही गैस की दरों में कितनी-कितनी वृद्धि हुई है तथा उसके क्या कारण हैं और विभिन्न स्थानों पर पृथक-पृथक दरें होने के क्या कारण हैं तथा उन दरों में व्यापक अन्तर होने के क्या कारण हैं ।

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गत पांच वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात में सरकारी, गैर- सरकारी तथा सहकारी उद्योगों को सप्लाई की गई गैस की दरों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ख) इस समय महाराष्ट्र में बम्बई हाई गैस राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आर० सी० एफ० एल०), टाटा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कंपनी और महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एम० एम० ई० बी०) को सप्लाई की जा रही है । उनकी दरें भाग (ङ) और (च) में दी गई हैं ;

(ग) असम में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा असम राज्य विद्युत बोर्ड (ए० एस० ई० बी०) और सात चाय बागानों को निम्नलिखित दरों पर गैस सप्पलाई की जा रही है :

I. ए० एस० ई० बी०—जी० टी०—रुपये 99.92 प्रति 5 एम० डब्लू० वाले 1000एम^3 सेटों के लिए

II. ए० एस० ई० बी०— मोबाइल—रुपये 155.00 प्रति 3 एम० डब्लूवाले 1000एम^3 सेटों के लिये

III चाय बागान * — रुपये 694.40 प्रति 1000एम^3

* यह संशोधन मूल्य दिनांक 1.4.82 से प्रभावी हैं, किन्तु इस मूल्य को सात पार्टियों में से चार पार्टियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है और उन्होंने इस बारे में न्यायालय से एक स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है ।

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बड़ौदा नगर निगम को 2095.70 रुपये प्रति 1000 घन मीटर के मूल्य पर गैस सप्लाई कर रहा है ।

(ङ) गुजरात, असम और महाराट्र राज्यों को विद्युत निर्माण के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गैस सप्लाई की जा रही है । निम्नलिखित दरों पर विद्युत सृजन के लिए गैस सप्लाई की जा रही है :

1. **असम**

ए० एस० ई० बी० — जी० टी० सेट्स—रुपये 99.92 प्रति 1000एम^3

ए० एस० ई० बी० — मोबाइल सेट्स —रुपये 155.00 प्रति 1000एम^3

2. **गुजरात**

गुजरात विद्युत बोर्ड (जी० ई० बी०) (उत्तरण/धुरण) — रुपये 867.22 प्रति 1000एम^3

यह 1.4.82 से प्रभावी है परन्तु गुजरात विद्युत बोर्ड 150 रुपये की दर पर भुगतान कर रहा है जो कि 1.4.76 से 31.3.82 की अवधि के लिए प्रभावी था। रुपये 150 प्रति 1000 एम^3 की दर में 1.4.76 के बाद बिक्री कर और रायल्टी में हुई वृद्धि शामिल नहीं है।

3. **महाराष्ट्र**

टाटा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, बम्बई के लिए मूल्य निर्धारण दोहरी प्रणाली पर है :

कोयला प्रतिस्थापन आधार — रुपये 59.72 प्रति मि० किलो केलोरीज

भट्टी का तेल प्रतिस्थापन आधार : रु० 232.74 प्रति मिलियन कि० केलीरीज

एम० एस०ई० बी० एल० एस० एच० एस० प्रतिस्थापन आधार—रुपये 245.746 प्रति मिलियन किलो केलोरीज

(च) रसायन उर्वरकों के उत्पादन के लिए भरण-सामग्री के रूप में गैस निम्नलिखित पार्टियों को सप्लाई की जा रही है और सप्लाई की दर प्रत्येक के आगे दी गई है :

गुजरात राज्य उर्वरक कार्पोरेशन (जी०एस०एफ०सी०) : रु० 2159.68 प्रति 1000एम^3

इन्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को "आप" (इफ्को) : रु० 215968 प्रति 1000 एम^3

यह मुल्य 1.4.82 से प्रभावी हैं परन्तु यह दोनों पार्टियां 310/- रुपये की दर पर भुगतान कर रही हैं जो दर 1.4.76 से 31.3.82 की अवधि के लिए प्रभावी थी। 310 रुपये प्रति 1000 एम^3 की दर में 1.4.76 के बाद बिक्री कर और रायल्टी में हुई वृद्धि शामिल नहीं है।

आर० सी० एफ० एल० — इस मामले में मूल्य चार विभिन्न स्तर आधार पर है।

नेफ्था प्रतिस्थापन आधार (उर्वरक उपयोग) — रु० 1798.66 प्रति 1000 एम^3

नेफ्था प्रतिस्थापन आधार (गैर-उर्वरक उपयोग)—रु० 2940.96 प्रति 1000 एम^3

ईन्धन तेल प्रतिस्थापन (उर्वरक उपयोग) — रु० 1367.55 प्रति 1000 एम^3

ईन्धन तेल प्रतिस्थापन (गैर-उर्वरक उपयोग) —रु० 2712.98 प्रति 1000 एम3

मैसर्स आर० सी० एफ० एल० द्वारा गैस के उपयोग के लिए खर्च किये गये संयंत्र के परिवर्तन/संशोधन व्यय के कारण उन्हें मूल्य में 323.30 लाख रुपये प्रतिवर्ष की दर से छूट दी गई है।

असम में हिन्दुस्तान पेट्रौलियम कार्पोरेशन के नामरूप-III पर स्थित विस्तार संयंत्र के लिए भरण-सामग्री के रूप में ओ०एन०जी०सी० द्वारा गैस की सप्लाई के लिए बात-चीत चल रही है।

(छ) गत पांच वर्षों के दौरान उद्योगों के लिए गैस के मूल्य तीन बार संशोधित किए गये हैं। ये परिवर्तन या तो बिक्री कर की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप अथवा उपभोक्ताओं के साथ की गई बातचीत के आधार पर प्रभावी हुए थे। वैकल्पिक ईन्धन की प्रतिस्थापित लागत के आधार पर विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए गैस के मूल्य निकाले गये हैं। क्योंकि प्रतिस्थापित ईन्धन की लागत विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए समान नहीं है, तदनुसार गैस के मूल्य भी भिन्न-भिन्न हैं।

विवरण

गत पांच वर्षों के दौरान गुजरात में गैस जिन दरों पर सप्लाई की गई (रुपये/1000 एम³)

उद्योगों के नाम	1977-83	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	
(क) सरकारी क्षेत्र							
गुजरात राज्य उर्वरक निगम	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	2159.68	
बड़ौदा नगर निगम							
क्षेणी—क	236.19	245.77	246.66	246.66	246.66*	2095.70**	*31.1.82 तक
क्षेणी—ख	342.20	359.60	377.00	394.40	411.80*	2095.70**	1.2.82 से दोनों क्षेणियों के लिए मूल्य 2095.70 संशोधित कर दिए गये थे
हैवी वाटर प्रोजेक्ट	218.00	224.00	230.00	236.00	242.00²*	2492.85	
गुजरात विद्युत बोर्ड	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	867.22	
(यू/डी)			272.80				

1	2	3	4	5	6	7	8
गुजरात उद्योग विकास निगम (जी० आई० डी० सी०) अहमदाबाद	246.40	259.60	529.20[3]*	554.40	579.60	—	**संशोधन की शर्त पर
जी० आई० डी० सी०, एस० कादी	—	—	—	—	741.00	778.05 2*	1-1-82 से यह मूल्य 2492.85 रु० परिवर्तित कर दिया गया था ।
(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र							
बड़ौदा के उद्योग	375.16	504.00	504.00	504.00	741.00	504.00[४]**3*	3-12.79 से संशोधित दर
अन्य उद्योग	375.16	504.00	504.09	504.00	741.00	2095.70[५]* 4*	बड़ौदा के उद्योगों ने गुजरात उच्च न्यायालय में रु० 504 प्रति 1000 एम^3 के मूल्य के विरुद्ध एक मुकदमा दायर कर दिया है ।
सहकारी क्षेत्र							
इन्डियन फार्मर्स फर्टि० को-आ० (इफको)							

1	2	3	4	5	6	7	8
उन्मुक्त गैस	115.00	125.00)	310.00	310.00	310.00	2159.68	5* संशोधन की शर्त पर
कलोल सम्बद्ध गैस	115.00	115.00)					
मेहसाणा							
दुग्धसागर डेयरी	382.02	404.94	429.23	454.98	482.27	511.20	

दरें सम्बन्धित पार्टी के साथ किए गये समझौतों के अनुसार हैं। इनमें बिक्री कर में हुई वृद्धि शामिल नहीं है जो 1-8-77 से% 7 से बदलकर 10 प्रतिशत हुआ है और 1-4-79 से बिक्री कर पर अधिभार की दर 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत की गई है। दिनांक 1-7-1979 से दोनों श्रेणियों के मूल्य परिवर्तित करके रुपये 2159.68 प्रति 1000एम^3 कर दिए गये हैं।

चन्दा वर्धा में सुपर तापीय बिजली घर

1494. **श्री बी० एन० गाडगिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने चन्दा-वर्धा जहां कोयले के विशाल भंडार है केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत 2000 से 3000 मेगावाट क्षमता का सुपर तापीय बिजलीघर स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस परियोजना को मन्जूरी दे दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो परियोजना को मन्जूरी न देने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करने की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए चन्द्रा-वर्धा कोयला खानों में उपलब्ध कोयला भण्डारों का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा गठित की गई समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पता लगाये गये भण्डारों के आधार पर 2000 मेगावाट तक उत्पादन क्षमता बढ़ाये जाने की सम्भाव्यता के साथ 1200 मेगावाट के विद्युत केन्द्र की स्थापना करना सम्भव होगा।

रिपोर्ट में यह परिकल्पित किया गया है कि कोयले की सप्लाई 1989-90 से आगे उपहोगी। जल उपलब्धता जैसे कई निवेशों तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं की परियोजना की सम्भावना सुनिश्चित किये जाने से पहले व्यवस्था करनी होगी।

उजानी ताप विद्युत केन्द्र

1495. **श्री बी० एन० गाडगिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र की उजानी ताप विद्युत केन्द्र परियोजना पर भारत सरकार ने कोयले की अनुपलब्धता के कारण स्वीकृत नहीं दी है ;

(ख) क्या आन्ध्रप्रदेश की सिंगरेनी कौलरीज प्रारम्भ में इस परियोजना के लिए आवश्यक कोयले की सप्लाई करने पर सहमत हो गयी थी परन्तु अब उस समय के वादे से मुकर गई है ; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि इस वादे को माना जाए।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में उजानी में एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर छठी योजना के दौरान क्रियान्वयन हेतु विचार नहीं किया जा रहा है। 1990-91 की समयावधि के पश्चात लाभों के उपलब्ध अन्य विकल्पों के साथ ही उपर्युक्त स्कीम पर विचार किया जा सकता है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा महाराष्ट्र में गैस उपलब्ध कराना

1496. **श्री वी० एन० गागगिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा महाराष्ट्र को कुल कितनी गैस दी जायेगी ;

(ख) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र को दी जाने वाली 10 एम० सी० एम० गैस का उपयोग आर० सी० एफ० ट्रांबे; काल में आर० सी० एफ० थाल वेशेट—हैवी वाटर प्राजेक्ट एल० पी० जी० प्रोडक्शन और नापोट्रोणे में गैस क्रैकर प्रोजेक्ट में हो जाएगा और महाराष्ट्र में अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के लिए गैस नहीं बचेगी ; और

(ग) यदि हां, क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र को अधिक गैस देने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालल में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) पेट्रोलियम विभाग द्वारा प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और समय समय पर हो सकने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए इसकी उपयोगिता की जांच करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया गया है।

कुल उपलब्धता/महाराष्ट्र को गैस का आवंटन करने में बढ़ोत्री और इसकी उपयोगिता के प्रश्न पर विचार कार्यकारी दल से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात ही किया जा सकता है।

केन्द्रीय श्रम संस्थान

1497. **श्री बी० एन० गाडगिल** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक केन्द्रीय श्रम संस्थान स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे पूना में स्थापित किया जाएगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) राष्ट्रीय श्रम-विज्ञान केन्द्र पहले से ही बम्बई में काम कर रहा है। पूणे में अन्य संस्थान स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

"क्रैश प्रोग्राम फार रिक्रूटमेंट आफ पोस्टल स्टाफ" शीर्षक समाचार

1498. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 18 सितम्बर को इण्डियन एक्सप्रैस में "क्रैश प्रोग्राम फार रिक्रूमैंट आफ पोस्टल स्टाफ" से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) क्या डाक शाखा में श्रम शक्ति की कमी और टेलीफोन के कार्यकरण में सुधार लाने के संबंध में सरकार ने कोई जोरदार कार्यक्रम तैयार किया है ; और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। डाक तार विभाग ने डाक और दूरसंचार शाखाओं में कर्मचारियों की कमी की समस्या को हल करने के लिए एक कार्य-क्रम बनाया है। इस कार्यक्रम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) भर्ती की प्रक्रिया सरल बना दी गयी है और उसे विकेन्द्रीतकृत कर दिया गया है।

(2) भर्ती करते समय अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है।

(3) व्यस्ततम कार्य-समय में परियात को निबटाने के लिए और नियमित कर्मचारियों के अनुपस्थित होने पर हुई कमी को पूरा करने के लिए डाक सहायकों और छटाई सहायकों, टेलीफोन प्रचालकों तथा टेलीग्राफिस्ट आदि प्रचालन संवर्ग में एक अल्प-कालिक कर्मचारी योजना चालू की गई है।

(4) रिक्तयों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डाकियों, डाक-सहायकों, छंटाई सहायकों, टेलीग्राफिस्टों तथा टेलीफोन प्रचालक इत्यादि के संवर्गों में एक आरक्षित प्रशिक्षित व्यक्ति पूल की योजना चालू की गयी है।

(5) अनुपूरक उपाय के बतौर ऐसा निर्णय लिया गया है कि कुछ शर्तों के आधार पर अल्प अवधि के लिए जो कि एक वर्ष से अधिक न हो डाक-तार विभाग के सेवा-निवृत कर्मचारियों को पुनः सेवा में लगाया जाए।

टेलीफोन प्रणाली में सुधार लाने के लिए निम्न लिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) भूमिगत केबिल दाबीकृत होगी।

(2) अलमीनियम तार के बदले तांबे की तार लगाए जाएंगी।

(3) परिपथ जाल में "677 टाईप" के नए टेलीफोन यन्त्र का प्रयोग किया जा रहा है।

(4) महत्वपूर्ण लाईनों की दैनिक जांच की जा रही है।

बम्बई हाई कच्चे तेल को परिष्कृत करने के लिए इटली का प्रस्ताव

1499. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटली सरकार के स्वामित्व वाली ई० एन० आई० कम्पनी की सहायक कंपनी ए० जी० आई० पी० ने बम्बई हाई के चिकने कच्चे तेल को इटली के समुद्री तट स्थित तेल शोधक कारखानों में परिष्कृत करने और हमारी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादों को खरीदने का भी प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या हमारे किसी भी तेल शोधक कारखाने द्वारा हमारे कच्चे तेल का परिष्करण किया जाना संभव है ; और

(ग) यदि हां, तो इटली के प्रस्ताव पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जबकि हमारी शोधनशालाएं बम्बई हाई अशोधित तेल को साफ करने की स्थिति में हैं तथा इनमें से कई शोधनशालाएं इस अशोधित तेल को वास्तव में साफ कर रहीं हैं, बम्बई हाई अशोधित तेल को देश में ही साफ करने की क्षमता को उत्पाद आवश्यकता प्रतिमान के कारण वर्तमान में सीमित रखा गया है।

(ग) मैसर्स ए० जी० आई० पी० द्वारा जुलाई, 1982 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जबकि आर्थिक दृष्टिकोण से इसे पर्याप्त रूप से आकर्षण नहीं पाया गया था।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पन-बिजली के उत्पादन की क्षमता का अध्ययन

1500. **श्री चिंग वांग कोनयक :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में पन-बिजली के उत्पादन की क्षमता का कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) इस सम्बन्ध में क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी हां, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जल विद्युत शक्यता के शीघ्रता से किए गए अनुदान के अनुसार यह लगभग 27.5 मि० कि० वाट है।

(ख) और (ग) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 148 मेगावाट की वर्तमान जलविद्युत क्षमता के अलावा संलग्न विवरण-1 में बताए अनुसार कुल 423 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता की अनेक परियोजनाएं निर्माणाधीन है। इसके अलावा, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने असम में धनसारी जल विद्युत परियोजना (19,95 मेगावाट), नागालैंड में दोयांग जलविद्युत परियोजना (105 मेगावाट) और मणिपुर में नुग्संगरवोंग (105) मेगावाट के लिए तकनीकी आर्थिक मंजूरी दे दी है।

उपर्युक्त के अलावा, संलग्न विवरण-2 में दिए गए ब्यौरों के अनुसार अनेक स्कीमों पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा अन्वेषण कार्य किया जा रहा है

विवरण-1

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निर्मणधीन जल विद्युत स्कीमें।

स्कीम	एजेंसी	प्रतिष्ठापितक्षमता (मेगावाट)
लोअर बोरपानी	असम राज्य बिजली बार्ड	100
उभियान उमत्रु चरण-4	मेघालय राज्य बिजली बोर्ड	60
दिखू	नागालैंड बिजली विभाग	1
गुमटी तीसरी यूनिट	त्रिपुरा बिजली विभाग	5
कोपिल	उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम	150
लोतक	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम	105

1	2	3	4
महारानी		त्रिपुरा बिजली विभाग	1
सेरलुई-ए		मिजोरम	1
			423

विवरण-2

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अन्वेषण की जा रही स्कीमें

क्रम सं०	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा०)	अन्वेषण करने वाली एजेंसी
1.	सियांग	1500	ब्रह्मपुत्र बोर्ड
2.	सुबनसिरी	1800	ब्रह्मपुत्र बोर्ड
3.	पापु कमेंटग	80	उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम
4.	संगा नदी	500	वही
5.	दामवे	400	वही
6.	कामेंग	600	केन्द्रीय जल आयोग
	असम		
1.	अपर वोरपानी	60	असम राज्य बिजली बोर्ड
2.	लोअर	100	वही
3.	इन्टरमिडिएट वोरपानी	60	वही
4.	अमरिंग	33	वही
5.	कल्याणी	25	वही
	मेघालय		
1	मिन्टडो चरण-1 और 2	72	मेघालय राज्य बिजली बोर्ड
2.	किन्शी	300	वही
3.	उमियाम उमत्र चरण-5	30	वही

1	2	3	4
	मणिपुर		
1.	लोकतक टेलरेस	105	मणिपुर बिजली बोर्ड
2.	तुईवाई	60	वही
	मिजोरम		
1.	धालेश्वरी	160	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम
	मिजोरम/मणिपुर		
1.	तिपाईमुखी	660	केन्द्रीय जल आयोग
2.	तुईवाई	260	केन्द्रीय जल आयोग

टिप्पणी ** इस स्कीम पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अन्वेषण कार्य किया गया है और व्यवहार्यता रिर्पोट तैयार कर ली गई है।

* ब्रह्मपुत्र बोर्ड और एन० एच० पी० सी० द्वारा मूल्यांकन

एल० पी० जी० डीलरों को गैस स्टोव आदि की बिक्री के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं की स्वीकृति रिकार्ड करने के अनुदेश

1501. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राहक को नया कनेक्शन देते समय गैस स्टोव लाइटर, रबर ट्यूब आदि की बिक्री के संबंध में सम्बन्धित ग्राहक को स्वीकृत हस्ताक्षर सहित डीलर के कैश मीमो में दर्ज करने के वारे में सभी एल० पी० जी० डीलरों को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं ; और

(ख) क्या प्रत्येक डीलर के लिए एक ग्राहक शिकायत पुस्तिका रखना आवश्यक नहीं है'।

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं, । इस पहलू पर कोई अनुदेश जारी नहीं किए गये हैं ।

(ख) सभी एल० पी० जी० के डीलरों से शिकायत/सुझाव पुस्तिका रखने की आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता सम्बद्ध तेल कम्पनियों द्वारा स्थापित किये गये उपभोक्ता सेवा कक्षों को अपनी शिकायतें/सुझाव भी भेज सकते हैं ।

संसद सदस्यों द्वारा चिकित्सीय आधार पर एल० पी० जी० कनेक्शन के लिए सिफारिश

1502. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संसद को चिकित्सीय आधार पर रोगी के लिए नये एल० पी० जी० कनेक्शन हेतु सिफारिश करने का अधिकार है और यदि हां, तो तत्संबंधी प्रक्रिया क्या है ; और

(ख) एक संसद सदस्य एक महीने में कुल कितने कनेक्शन के लिए सिफारिश कर सकता है।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। कोई कानूनी अधिकार नहीं है, परन्तु मानवीय संसद सदस्य मामले के पूरे तथ्यों सहित नये एल० पी० जी० कनेक्शनों के लिए मंत्री जी को अवश्य सम्बोधित करते हैं। यह उनके अभ्यावेदन क्षमता को विचार में रखकर किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रलरी पोंड सुदामडीह वाशरी से प्राप्त कोयले के चूरे का उपयोग

1503. **श्री ए० के० राय :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपाक रेंगे कि :

(क) क्या उन्हें भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधीन सुदामडीह कोयला धोने के कारखाने के रलरी पोंड से कोयले के चूरे का विशाल भडार होने के बारे में जानकारी है ;

(ख) क्या वह अच्छी किस्म के कोगिं कोयले का एक भाग है और उसकी उपयोगिता है किन्तु वैंदरिंग और धूल के कारण उसे धोया जा रहा है ;

(ग) क्या स्थानीय श्रमिक को-आपरेटिव ने कोयले के चूरे को सुयोग्य आकार के हार्ड कोक में बदलने की पेशकश की है जिसकी अच्छी मांग है और जिससे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को लाखों रुपये की आय हो सकती है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कदम उठाए गए ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) सुदामडीह वाशरी के रलरी प्रस्ताव से लगभग 30,000 टन कोल फाइन निकाला और इक्ट्ठा किया गया है। इन फाइनों की किस्म निम्नलिखित है :

औसत राख	—	27-30%
वाल्पशील सामग्री	—	25.5 %
केकिंग इन्डेक्स	—	17

(ख) निकाली गई और संचित की गई अच्छी किस्म का कोककर कोयला है। परन्तु, यह सच नहीं है कि काइन्स के ढेर बहे जा रहे हैं या उनमें मौसम की खराबी .ा रही है।

(ग) और (घ) स्थानीय श्रमिक सहकारी समिति ने फाइन्स को साकट कोक में बदलने का प्रस्ताव किया है, उसने फाइन्स को हार्ड कोकमें बदलने का प्रस्ताव नहीं किया है। भा० को० को० लि० ने स्लरी को हार्ड कोक में बदलने के लिए कुसुण्डा और गोधुर कोक भट्टियों प्रयास किया और इसके लिए प्रौद्योगिकी में उपयुक्त समायोजन किया गया है। के संयंत्रों इसके परिणाम उत्साहवर्धक रहे। रलरी को हार्ड में बदलने के लिए अब उसे कुसुण्डा और गोधर को भेजा जा रहा है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत रज्जूपथ की लदान क्षमता

1504. **श्री ए० के० राय :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला बोर्ड के अन्तर्गत प्रतिदिन रज्जुपथ से खानों तक रेत के लदान की क्षमता क्या है ;

(ख) जब यह भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अन्तर्गत होता है तो तब इसके लदान की औसत वास्तविक क्षमता (अगस्त के महीने से) कितनी होती है ;

(ग) रज्जुपथ और ट्रक द्वारा ले जाये जाने वाली रेत की प्रतिदिन टन अथवा प्रति क्यूबिक मीटर लागत क्या है ;

(घ) इस समय प्रतिदिन (अगस्त 1982 का औसत लेते हुए) ट्रक और रज्जुपथ से कितना रेत खानों में पहुंचता हैं ;

(ङ) क्या क्षमता उपयोग के कम होने से ट्रक परिवहन में वृद्धि हुई है जिससे आयातित डीजल की लागत और खपत में वृद्धि हुई है ; और

(च) यदि हां, तो उस पर क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) "डी एवं एफ" रज्जुमार्ग के प्रबन्ध को भा० को० को० लि० ने 1972 में पिछले कोयला बोर्ड से अपने अधिकार में लिया था। कोयला बोर्ड के अधीन और भा० को० को० लि० के अधीन खानों में रेत ले जाने के लिए एरियल रज्जुमार्ग की प्रतिदिन की निर्धारित क्षमता और वास्तविक क्षमता निम्नलिखित है :

	निर्धारित क्षमता प्रतिदिन	कोयला बोर्ड के अधीन वास्तविक उत्पादन प्रतिदिन	भा० को० को० लि० के अधीन वास्तविक उत्पादन प्रतिदिन
"डी" रज्जुमार्ग	4000 मि० ट०	872 मि० ट० (1971-72 का औसत)	1527 मि० ट० (अप्रैल, 1981 से अगस्त, 82 तक का औसत)
"एफ" रज्जुमार्ग	8000 मि० ट०	873 मि० ट० (1971-72 का औसत)	2026 मि० ट० (अप्रैल, 1981 से अगस्त, 82 तक का औसत)

(ग) रज्जुमार्ग द्वारा लाए गये रेत की प्रतिघन मीटर लागत निम्नलिखित है :

"डी" रज्जुमार्ग —रु० 61.20(वेटेड एवरेज डिस्टेन्स 7.24 कि० मी०

"एफ" रज्जुमार्ग —रु० 50.89(वेटेड एवरेज डिस्टेन्स 13.47 कि० मी०

ट्रकों द्वारा लाए गए रेत की प्रति घन मी० लागत निम्नलिखित रही :

7.24 कि० मी० की —रु० 17.46

13.47 कि० मी० की —रु० 22.60

(*इसमें अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में ड्रेजरों द्वारा रेत निकालने की लागत शामिल है। यह ड्रेजर भंडारों के समाप्त हो जाने के कारण अब अपनी निर्धारित कार्य दूरी से आगे काम कर रहे हैं। ट्रक द्वारा परिवहन की लागत में यह लागत शामिल नहीं है।)

(घ) इस समय कोलियरियों को ले जाए जा रहे रेत की प्रतिदिन की मात्रा निम्नलिखित है।

ट्रक द्वारा	रज्जुमार्ग द्वारा
11057 मि० ट०	2121 मि० ट०

(अप्रैल, 1982 से अगस्त, 1982 तक का औसत)

(ङ) जी, नहीं। भा० कों० को० लि० द्वारा कोयला बोर्ड से रज्जुमार्गों का प्रबंध अपने हाथ में लेने के बाद क्षमता का प्रयोग काफी हद तक बढ़ा है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सोलर कुकर को लोकप्रिय बनाना तथा उसकी बिक्री

1505. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सोलर कुकर की बिक्री तथा उसे लोकप्रिय बनाने में लगी हुई एजेंसियों का (राज्यवार) ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी महासागर विकास तथा ऊर्जा मन्त्रालय के गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग के राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : सौर कुकरों के विनिर्माण और उनकी रियासती दर पर बिक्री की योजना, राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य संगठनों/एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। अब तक नामित ऐसे संगठनों और एजेंसियों की राज्य वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सौर कुकरों के विनिर्माण, बिक्री और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए नामित संगठनों की राज्य वार सूची

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	संगठन
1. राजस्थान —	(1) राजस्थान स्टेट एग्रो-इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन

1	2	3	4
			लिमिटेड, विराट भवन, 'सी' स्कीम,जयपुर।
			(2) राजस्थान खादो ग्रामोद्योग बोर्ड, जवाहर-लाल नेहरु मार्ग, जयपुर ।
2.	गुजरात	—	गुजरात एनर्जी डिवेल्पमेंट एजेंसी, बी० एन० चैम्बर्स, चौथी मंजिल, आर० सी० दत्त रोड, वडोडरा-390005.
3.	कर्नाटक	—	कर्नाटक इम्प्लीमेंट्स एण्ड मशीनरीज कम्पनी लिमिटेड, मैसूर रोड, बंगलौर-560026.
4.	हरियाणा	—	हरियाणा स्टेट स्माल इन्डस्ट्रीज एण्ड एक्स-पोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, सैक्टर-17डी०
5.	मध्य प्रदेश	—	मध्यप्रदेश एग्रो इन्डस्ट्रीज डिवेल्पमेंट कार-पोरेशन भोपाल।
6.	उत्तरप्रदेश	—	इण्स्टीट्स्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड रुरल टेक्नालोजी, 25, चैथम लाइन्स इलाहा-बाद (उ० प्र०)
7.	पंजाब	---	पंजाब स्टेट इन्डस्ट्रियल डिवेल्पमेंट कार-पोरेशन लिमिटेड, सैक्टर 17-ए, चन्डीगढ़ 160017.
8.	उड़ीसा	---	(1) इम्प्लीमेंट्स फैक्टरी, सत्यनगर, भुवनेश्वर (उड़ीसा)
			(2) उड़ीसा एग्रो-इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन, कटक उड़ीसा स्टेट होल सेल कन्ज्यूमर्स को-आप-रेटिव फेडरेशन, भुवनेश्वर ।
9.	आन्ध्र प्रदेश	—	(1) एग्रो पम्प सैट्स एण्ड इम्प्लीमेंन्टस लिमि-टेड, हैदराबाद ।
			(2) आंध्र प्रदेश स्माल स्केल इंडस्ट्रियल डिवेल्प-मेंट कारपोरेशनलिमिटेड, परिश्रम भवन हैदराबाद ।
			(3) आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट एण्ड

			एम्प्लायमेंट आर्पोरेशन लिमिटेड, शांति नगर, त्रिवेन्द्रम ।
10.	केरल	—	केरल स्टेट स्माल इंडस्ट्रियल डिवेल्पमेंट एण्ड एम्प्लायमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड शांति नगर, त्रिवेन्द्रम ।
11.	बिहार	—	कृष्ण साइंस सेन्टर, पटना।
12.	हिमाचल प्रदेश	—	शिमला सेन्ट्रल कोपरेटिव कन्ज्यूमर स्टोर लिमिटेड, नया बाजार, शिमला ।
13.	मेघालय	—	मेघालय स्टेट कोपरेटिव कन्ज्यूमर्स एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जी० एस० रोड, शिलांग- 793002
14.		—	महाराष्ट्र स्टेट स्माल इन्डस्ट्रीज डिवेल्पमेंट कारपोरेशन; बम्बई ।
15.	दिल्ली	(1)	द सुपर बाजार कापरेटिव स्टोर लिमिटेड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली 110001.
		(2)	देहली स्माल इंडस्ट्रियल डिवेल्पमेंट कारपोरेशन, कनाट सर्कस, नई दिल्ली 110001.

पूर्वोत्तर भारत में नए टेलीफोन कनैक्शन

1506. **डा० आर० रोथूआभा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में डिवीजनल टेलीग्राफ इंजीनियरी केन्द्रों की संख्या क्या है ;

(ख) इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अब तक खोले गए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या क्या है ; और

(ग) मिजोरम में डिवीजनल टैलीग्राफ इंजीनियरी केन्द्र खोलने के संबंध में केन्द्रीय सरकार की कोई तत्काल योजनाएं अथवा कार्यक्रम है तो वे क्या ? और यदि हां, तो वे कब खोले जाएंगे और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना : (क)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	तार इंजीनियरी मंडल	उप-मंडल
मिजोरम	—	1
अरुणाचल प्रदेश	—	1

नगालैंड	1	1
मणिपुर	1	1
त्रिपुरा	1	1

(ख) 15-9-82 तक खोले गए टैलीफोन एक्सचेंजों की संख्या नीचे दी गई है :

राज्य/संघ शासित प्रदेश	एक्सचेंजों की संख्या
मिजोरम	5
अरुणाचल प्रदेश	23
नागालैंड	32
मणिपुर	16
त्रिपुरा	22

(ग) मिजोरम दूरसंचार केन्द्र के प्रबंध के लिए एक उच्च अधिकारी को नियुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

रेडियो और टेलीविजन पर भोजपुरी भाषा के कार्यक्रमों को अधिक समय देना

1507. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोजपुरी भाषा और उसके साहित्य के प्रसार और प्रचार के लिए उनके मन्त्रालय ने पिछले दस वर्षों में क्या भूमिका निभाई है और क्या कदम उठाए हैं ;

(ख) क्या भोजपुरी फिल्मों को कोई प्रोत्साहन दिया जाता है ;

(ग) क्या सरकार भोजपुरी भाषा और साहित्य को प्रोत्साहन देने के बारे विभिन्न स्थानों से भोजपुरी समुदाय द्वारा की जाने वाली मांग से अवगत है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और क्या सरकार का रेडियो और टेलीविजन पर इस भाषा के कार्यक्रमों को अधिक समय उपलब्ध कराने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) भोजपुरी में साहित्य प्रकाशित करने के दृष्टिकोण से प्रकाशन विभाग, जो सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का एक माध्यम एकक है, अंग्रेजी और संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 14 मुख्य भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करता है। उस अनुसूची में भोजपुरी शामिल नहीं है। मुजफ्फरपुर दूरदर्शन केन्द्र भोजपुरी भाषी क्षेत्र में स्थित होने के कारण भोजपुरी में भी कार्यक्रम प्रस्तुत करता है

(ख) फीचर फिल्मों का निर्माण निजी क्षेत्र में है। इस प्रकार की फिल्मों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन देने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) कोई विशिष्ट मांग प्राप्त नहीं हुई है। आकाशवाणी के पटना, इलाहावाद वाराणसी और गोरखपुर केन्द्र अब भी भोजपुरी भाषी लोगों की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए मन्च उपलब्ध करने के लिए कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। भोजपुरी में लोकगीतों को भी समय-समय पर आकाशावणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित किया जाता है।

दूरदर्शन केन्द्र कभी-कभी भोजपुरी की फीचर फिल्मों और इस प्रकार की फिल्मों के गीतों और भोजपुरी लोक गीतों को भी टेलीकास्ट करते हैं। इस प्रकार के टेलीकास्टों/प्रसारणों का समय बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा "अचानक हड़ताल"

1508. **श्री अशफाक हुसैन : क्या सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली आकाशवाणी/दूरदर्शन कर्मचारियों द्वारा की गई "अचानक हड़ताल" के कारण क्या थे ; और

(ख) आकाशवाणी/दूरदर्शन कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) यह एक स्थानिक स्थिति के कारण हुई थी जिसमें प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड को प्रवेश पत्र दिखाने का मामला अन्तर्निहित था न कि कर्मचारियों की किसी मांग के संदर्भ में। इस घटना की जांच पड़ताल की गई है।

अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन और सेवा की शर्तों का विनियम) अधिनियम, 1979 के अधीन मुकदमे चलाया जाना

1509. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशन : क्या श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन और सेवा की शर्तों का विनिमय) अधिनियम 1979 के अधीन अब तक कुल कितने मुकदमें चलाए गए हैं ; और

(ख) इन मुकदमों के क्या परिणाम निकले है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

भारतीय रूसी फिल्मों के लिए परियोजनाएं

1510. **श्रीमती संयोगिता राणे : क्या सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय-रूसी फिल्मों के लिए विद्यमान परियोजनाएं क्या है ;

(ख) इन फिल्मों के नाम क्या है ; और

(ग) इन फिल्मों के कब फिल्माये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) "जवाहर लाल नेहरू" पर पूरी लम्बाई की एक डाकुमेंट्री फिल्म को फिल्म प्रभाग, भारत सरकार तथा आल यूनियन कारपोरेशन सोविन फिल्म (मास्को-सोवियत संघ) और ट्रसेन्ट्रनौचफिल्म स्टूडियो (मास्को सोवियत संघ) के बीच सह-निर्माण के आधार पर बनाने का प्रस्ताव है । भारतीय और सोवियत पक्षों के बीच कई बार बातचीत होने के बाद फिल्म के आलेख का अन्तिम मसौदा तैयार कर लिया गया है और उसको सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा है । इस अवस्था पर यह कहना कठिन है कि इस फिल्म के कब तक बन जाने की सम्भावना है ।

अंग्रेजी और हिन्दी की तारें भेजने में लगने वाला समय

1511. **श्रीमती माधुरी सिंह : क्या संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दी और अंग्रेजी में तार भेजने में लगने वाले समय के बारे में तुलनात्मक अध्ययन किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि कि देवनागरी में तारें भेजने के लिए तारघरों के पास केवल मोर्स मशीनें हैं ; और

(ग) हिन्दी में तारें भेजने के लिए अधिक और तीव्र प्रणाली कामयाब करने हेतु क्या कार्य-वाही की जायेगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । मौर्स प्रणाली के अलावा हिन्दी तारों के कुशल और त्वरित पारेषण के लिए जहां-कहीं भी औचित्य पाया गया वहां हिन्दी टेलीप्रिंटर्स भी प्रदान किए जाते हैं ।

सोडा एक्ट उद्योग में संकट

1512. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषरूप से गुजरात में तथा अन्य ऐसे राज्यों में जहां सोडाऐश उद्योग का गत पांच वर्षों के दौरान (महत्वपूर्ण) उत्पादन हुआ है, सोडाऐश उद्योग में संकट छाया हुआ हैं,

(ख) इस संकट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय करने और संरक्षण देने का विचार किया गया है ; और

(ग) भारत में सोडा-ऐश का वर्तमान मूल्य क्या है तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में विशेष रूप से जहां से सोडा-ऐश का आयात किया जा रहा है, उसका मूल्य क्या है,

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) और (ख) सोडा क्षार का आयात खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत किया जाता है। स्वदेशी उत्पादक यह अभ्यावेदन कर रहे हैं कि बड़ी मात्रा में आयात तथा कम उठान के कारण स्टाक जमा होते हैं और जब तक आयात पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता, इस उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तथापि, आल इण्डिया ग्लास मैन्यूफेकचरर्स फेडरेशन (ए० आई० जी० एम० एफ०) तथा आल इण्डिया सिलिकेट मैन्यूफेकचरर्स एसोसिएशन (ए० आई० एस० एम० ए०) की तरह की एसोसिएशनें वर्तमान आयात नीति को जारी रखने का अनुरोध कर रही हैं। मांग और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आयात नीति का सतत रूप से पुनरीक्षण किया जाता है।

(ग) अलग-2 प्रेषणों के लिए सोडा क्षार के आयात मूल्यों में अन्तर होता है जो भेजने वाले मूल देश तथा भेजे गए माल की मात्रा पर निर्भर करता है। यह सूचित किया गया है कि सोडा क्षार लाइट की कुछ खेपों का सी० आई० एफ० मूल्य, बम्बई में अब 80 अमरीकी डालर प्रति टन बैठता है। यह सूचित किया गया है कि सोडाक्षार का अन्तर्राष्ट्रीय सी० आई० एफ० मूल्य लगभग 180 अमरीकी डालर प्रतिटन है। फैक्टरी से बाहर स्वदेशी उत्पादकों के सोडा क्षार के मूल्य अब 2262.88 रुपए से 2396.46 रु० प्रति टन हैं।

नई दिल्ली और अन्य नगरों को विदेशों की कुछ राजधानियों से सैटेलाइट के माध्यम से जोड़ा जाना.

1513. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली और अन्य नगरों को विदेशों की कुछ राजधानियों से सैटेलाइट के माध्यम से जोड़ने से सम्बन्धित योजनाएं और परियोजनाएं तथा प्राक्कलन क्या हैं ;

(ख) ये कब तक लागू हो जायेंगी ;

(ग) क्या यह मांग और प्रस्ताव भी है कि हमारे देश की अधिकतर राजधानियों तथा महत्वपूर्ण नगरों को भी सैटेलाइट के माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मांग का ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) विदेश संचार सेवा के अन्तर्राष्ट्रीय पारेषण अभिग्रहण केन्द्रों के माध्यम से नई दिल्ली और भारत के अन्य महत्वपूर्ण शहरों का उपग्रह अथवा उपग्रह एवं अन्तः समुद्री केवल प्रणाली की सहायता से बाहरी देशों की अधिकांश राजधानियों से संचार सम्पर्क स्थापित है।

(ग) और (घ) जी हां। उपग्रह के माध्यम से दूरसंचार सेवा की योजना को लागू किया जा रहा है।

गुजरात में बलसाड़ जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

1514. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने बलसाड़ (गुजरात राज्य) जिले तथा गुजरात के अन्य जिलों में कितनी नई परियोजनाएं मन्जूर की हैं ;

(ख) प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा क्या है और इसकी योजनाएं और और प्राक्कलन क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक के लिए तथा गुजरात की कुछ चालू परियोजना के लिए कितनी राशि या ऋण और अन्य सहायता मन्जूर की गई है ; और

(घ) इनका कार्य कब तक आरम्भ होने और समाप्त होने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1982-83 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 30 सितम्बर, 1982 के अन्त तक गुजरात में 6 नई ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए मन्जूरी दी है। इनमें से एक परियोजना बुलसार जिले में है और 5 परियोजनाएं गुजरात के अन्य जिलों में हैं।

(ख) और (ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने उपर्युक्त 6 परियोजनाओं के लिए कुल 113.52 लाख रुपये की ऋण सहायता मन्जूर की है। परियोजनावार ऋण की रकम के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। उपर्युक्त 4 परियोजनाओं के अलावा (1 बुलसार जिले की और 3 अन्य जिलों की) जिन्हें सहभागी वित्त कार्यक्रम के अन्तर्गत मन्जूर किया गया है, उनके लिए 129.75 लाख रुपये की ऋण सहायता सहभागी वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त होगी ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 1981-82 के अन्त तक गुजरात की 277 ग्राम विद्युतीकरण के सम्बन्ध में कुल 73.84 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मन्जूर की थी। ये परियोजनाएं कार्यान्वियन अवस्थाओं में हैं।

(घ) 6 नई परियोजनाओं पर कार्य 1982-83 के दौरान प्रारम्भ होने की सम्भावना है। है। और ये 2 से 4 वर्ष की अवधि के दौरान पूरा होने की सम्भावना है।

विवरण

1982-83 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा गुजरात के लिए स्वीकृत की गई नई ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के ब्यौरों को दिखाने वाला विवरण

(30 सितम्बर, 1982 तक)

क्रम संख्या	जिला	कुल परिव्यय (लाख रुपयों में)	ग्रा० वि० नि० द्वारा स्वीकृत ऋण (लाख रु० में)	शामिल किए गए गांव	उर्जित किए जाने वाले पम्प सैट

1	2	3	4	5	6
1.	सुरेन्द्र नगर	34.51	34. 1	12	200
2.	पंच महल	14.10	14·10	15	40
3.	भड़ौच	54.53	18.18	—	350
4.	बुलसर	37.42	12.48	—	400
5.	धारंगधारा	55 42	18.59	3	500
6.	सुरेन्द्र नगर	46.86	15.66	8	350
	जोड़	243.27	113.52	38	1840

दिल्ली में हुए राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के बारे में ट्रेड यूनियनों की प्रतिक्रिया

1515. **प्रा० अजीत कुमार मेहता** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन हुआ है ; और

(ख) सम्मेलन में कि गई सिफारिशों के बारे में प्रमुख ट्रेड यूनियनों की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 17 और 18 सितम्बर; 1981 को नई दिल्ली में हुआ।

(ख) इस सम्मेलन में भाग लेने वाली ट्रेड यूनियनों [इंटक, एच० एम० एस० (के०), एन० एफ० आई० टी० यू० और एन० एल० ओ०] ने राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों का समर्थन किया है। तथापि, ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा, जिसने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, जारी की गई 22 सितम्बर, 1982 की प्रैस विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने सम्मेलनके निर्णयों का विरोध किया है।

खेलों का हिन्दी में आँखों देखा हाल प्रसारित किया जाना।

1516. श्री एन० ई० होरो : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशियाड 82 के दौरान खेले जाने वाले प्रत्येक खेल का केवल अंग्रेजी में आँखों देखा हाल प्रसारित करने का निर्णय किया है, हिन्दी में नहीं, जैसा कि हाल ही में परिक्षण खेलों के दौरान देखने में आया है ; और

(ख) यदि हां; तो उसके कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) जी, नहीं। आँखों देखा हाल हिन्दी और अंग्रेजी में वैकल्पिक रूप से प्रसारित किया जायेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स कलिंग ट्यूब्स लिमिटेड और इंडिया मैटल्स तथा फैरो ऐलीय लिमिटेड का मिलाया जाना

1517. **श्री चिन्तामणि पाणीग्रही** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स कलिंग ट्यूब्स लिमिटेड और इंडियन मैटल्स तथा फैरों ऐलीय लिमिटेड, उड़ीसा दोनों ने परस्पर मिलाये जाने के लिए आवेदन किया है ;

(ख) यदि हां तो मैसर्स कलिंग ट्यूब्स लिमिटेड ने कब और किस आधार पर मिलाये जाने के लिए आवेदन दिया है ; और

(ग) जिन आधारों पर मैसर्स कलिंग ट्यूब्स ने मिलाया जाना चाहा है उसका क्या ब्योरा है ?

बिधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) हां, श्रीमान् जी। मैं० इण्डिया मैटल्स एण्ड फैरो अलाउज लिमिटेड तथा मैं० कलिंग ट्यूब्स लिमिटेड दोनों ने इस विभाग को, एधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 (2) के अन्तर्गत, अपनी एकीकरण योजना के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु दिनाँक 29-2- 980 को एक साँझा आवेदन-पत्र मैं० ट्यूब्स लिमिटेड जो एक रूण औद्योगिक एकक है, को पुन: संचालित करने के उद्देश्य से, दिया था। एकीकरण योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा, एधिकार तथा अवरोवक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 को धारा 23 (2) के अन्तर्गत नवम्बर, 1981 में, तथा उड़ीसा उच्च-न्यायालय द्वारा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 व 394 के अन्तर्गत 11-12-1981 को अनुमोदित की गई थी

सरकारी और गैर-सरकारी कम्पनियों के निरीक्षण का ब्योरा

1518. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :**
श्री फूलचन्द वर्मा :
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों दौरान अनेक सरकारी और गैस-सरकारी कम्पा-नियों का निरीक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सरकारी और गैर-सरकारी कम्पनियों के नाम क्याहैं जिनके वित्तीय मामलों का निरीक्षण किया गया और उन सरकारी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके वित्तीय ममलों में अनियमिततायें पाई गई ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (गुलाम नबी आजाद) : (क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के वित्तीय वर्षों की अवधी में कम्पनी अधिनियम की धारा 209 क के अन्तर्गत सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही 663 कम्पनियों की, लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया था।

(ख) तथा (ग) : कम्पनियों की अत्यधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए क्रमशः पिछले दो वर्षों की अवधी के दौरान सम्पन्न किये गये निरीक्षणों में अन्तर्ग्रस्त 663 इस प्रकार की सभी कम्पनियों के नामों की सूची तैयार करना, प्रत्येक मामले में जानकारी में आई अनियमितातए और उन पर की गई कार्यवाही के संकलन में अत्यधिक काम का भार बढ़ जायेगा तथा उसके परिणाम भी समय, प्रयास और होने वाले व्यय के समानुपातिक नहीं होगें । तथापि, किसी विशेष कम्पनी या कम्पनियों के समूह के सम्बन्ध में कोई सूचना आवश्ययक हो तो वह प्रस्तुत कर दी जायेगी।

लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन कराने के विषय में सुझाव

1519. **श्री के० ए० राजन :**

श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

श्री सूरज भान : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने लोक सभा और राज्य विधान सभाओं आदि के निर्वाचन कराने के बारे में हाल ही में कुछ सुझाव दिए हैं। सिफारिशें की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

विधि न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री जगन नाथ कौशल) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन एक साथ कराए जाने के सम्बन्ध में हाल ही में एक सुझाव दिया है। आयोग का विचार है कि यदि ऐसी कोई विधि बनाना संभव या साध्य न हो जिसके अधीन लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन एक साथ कराए जाएं तो परिपाटी द्वारा ऐसी प्रणाली विकसित करने का समय आ गया है। इस प्रयोजन के लिए, आयोग ने सुझाव दिया है कि आरंभ में कम से कम उन मामलों में एक साथ निर्वाचन कराना संभव हो सकता है जिनमें इन दो निर्वाचनों के बीच का अन्तर एक वर्ष से कम है या जिनमें ऐसे निर्वाचन पूर्ववर्ती निर्वाचन से एक वर्ष के भीतर कराए जाने हैं।

खानों में श्रमिकों की कल्याण और सुरक्षा

1520. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न खानों में कौन-कौन सी योजनायें लागू की गई हैं ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) खान श्रमिकों के लिए कल्याण उपायों की व्ययस्था करने के वास्ते अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1976 लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 और चूना-पत्थर तथा डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 बनाए गए हैं इन अधिनियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ; चिकित्सीय देख-रेख, जल-पूर्ति, आवास सुविधाएं, मनोरंजन सुविधाधाएं आदि प्रदान करने तथा उनमें सुधार लाने की व्यवस्था की गई है।

खान अधिनियम, 1952 में समाविष्ट सांविधिक उपबन्धों के अनुसार खान श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। इसके अलावा प्रबन्धकों द्वारा पिट सुरक्षा समितियों के गठन, कर्मकारों के निरीक्षकों की नियुक्ति, खान सुरक्षा सप्ताह का आयोजन और उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने जैसे सुरक्षा उपाय किए जाते हैं।

बम्बई हाई के कुएं को ढकने लिए ड्रिलशिप प्राप्त करना

1522. **कृपासिंधु भोइ** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई, जहां सागर विकास द्वारा छिद्रित एक नये कुएं का ब्लो आउट हुआ, में एक राहत कुएं के छिद्रण के लिए खाड़ी के देशों से एक सेमीसबमर्सिबल रिग प्राप्त कर लिया गया है ;

(ख) उस कुएं को ढकने में वह कहां तक सफल हुआ है जिससे प्राकृतिक गैस बाहर निकल रही थी ; और

(ग) क्या कुएं को ढकने के लिये उनके सहयोगियों द्वारा तैयार की गई आकस्मिक योजना के अध्ययन के लिये हास्टन से ब्लो आउट नियंत्रण विशेषज्ञ बुलाया गया था यदि हां, तो इस पर कितना व्यय हुआ और योजना अपने प्रयोजन में कहां तक सफल हुई है।

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई हाई में फटन पर नियंत्रण पाने के लिये आकस्मिक योजना के रूप में एक अर्ध जलमग्न क्षमता वाया ड्रिलिंग रिग किराये पर लिया। इस रिग की एक राहत कूप की खुदाई करने के लिए आवश्यकता होती, अगर नौका की मदद से कुएं को ढकने की सामान्य कार्यवाही सफल न होती।

(ख) कूप को ढकने का कार्य नौका की मदद से सफलतापूर्वक किया गया। अतः तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा राहत कूप की खुदाई के लिए अर्ध-जलमग्न क्षमता वाला खुदाई रिग प्रयोग में नहीं लाया गया। तथापि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अपतटीय क्षेत्र में एक अनवेषी कूप की खुदाई करने के लिए अर्ध-जलमग्न क्षमता वाले रिग का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है।

(ग) धमाके पर नियंत्रण पाने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा नियुक्त किये

गये तीन विशेषज्ञों जो ह्यूस्टन की रेड एडियर कम्पनी की सेवाओं से है, के लिए उन्होंने तीन विशेषज्ञों को प्रतिदिन प्रति विशेषज्ञ के लिए 10,000 डालर फीस अदा की है।

अखबारी कागज आबंटन सम्बन्धी नीति की घोषणा

1523. **श्रीमती माधुरी सिंह** : सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखबारी कागज आबंटन सम्बन्धी नीति की अभी तक घोषणा नहीं की गई है जिसके कारण उद्योग में आशंका का वातावरण है ; और

(ख) वर्ष 1982-83 के लिए अखबारी कागज आबंटन सम्बन्धी नीति की कितनी जल्दी घोषणा किये जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहमम्द खां) : (क) और (ख) वर्ष 1982-83 के लिए अखबारी कागज आबंटन नीति को सरकार द्वारा 30-9-1982 को अधिसूचित किया गया था। उसकी प्रति संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखी गई— देखिए संख्या एल० टी० 5488/82]

बंधुआ मजदूरों के लिए कानून बनाना और उनकेलिए न्यूनतम मजूरी निर्धारिक करना

1514. **श्री रामलाल राही** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंधुआ मजदूरों के लिए, उनके मुक्त होने के पश्चात, निर्धारित न्यूनतम मजूरी बढ़ाने के लिए कोई कानून बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) जी, नहीं। इसके लिए, किसी अलग विधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खेतिहर श्रमिकों के के लिए, जिनमें बंधुआ श्रमिक भी शामिल हैं, न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण तथा संसोधन हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में पहले से ही व्यवस्था मौजूद है। यदि मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों को किसी अनुसूचित रोजगार में नियोजत किया जाता है, तो ये निर्धारित न्यूनतम मजदूरी उन्हें भी समान रूप से लागू होगी।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी : राज्य सभा के एक सदस्य, श्री आडवाणी द्वारा इस सदन के एक सदस्य श्री एच० एन० बहुगुणा को रूसी एजेन्ट कहा गया है मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : आपने व्यवस्था का प्रस्ताव दिया है। मैं उस पर अपना विनिर्णय कल दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा करूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : श्री चरणसिंह ने भी उनको एजेन्ट बताया है......

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हमने स्थगन प्रस्ताव के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाया है। हम सरकार भवन में बैठे हैं। कल संसद भवन के निकट उत्पन्न स्थिति से निपटने में सरकार पूरी तरह असमर्थ रही...(व्यवधान)। हम उस मामले के गुण-अवगुणों चर्चा नहीं करना चाहते हैं, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : क्या आप हिंसा का समर्थन कर रहे हैं? (व्यवधान) संसद पर आक्रमण किया जा रहा है जबकि ये लोग हिंसा का समर्थन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप पुनर्विचार करेंगे? हम पुराने अनुशासन का पालन कर रहे है। (व्यवधान) पहले हमारी बात सुनें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप एक सैंकड के लिए बैठेंगे (व्यवधान)। हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं। कृपया एक सैकन्ड के लिए बैठ जायें। में आपसे केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे द्वारा कल की स्थिति के बारे में दिए गये स्थगन प्रस्ताव पर अपना विनिर्णय दे रहे हैं अथवा आप कुछ अन्य बात कर रहे हैं। (व्यवधान)। और हमारी बात सुनने से पहले अपना विनिर्णयन दें क्योंकि यह बहुत ही नाजुक मामला है हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम विभिन्न मांगों का समर्थन नहीं करते। हम केवल यह प्रश्न उठा रहे हैं कि···

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : आप हिंसा फैला रहे हैं...

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृतान्त में कुछ नहीं लिया जायेगा। मैंने अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप होम मिनिस्टर का स्टेटमेन्ट सुन लें।

**कार्यवाही—वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं मन्त्री महोदय का वक्तव्य सुनना चाहूंगा।

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : आज की स्थिति ने यह साबित कर दिया है कि आप इसी लिए सदन में आए हैं।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : क्या वे पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की समर्थन कर रहे हैं ; क्या वे हत्याओं का समर्थन कर रहे हैं। (व्यवधान) उन्होंने खालिस्तान का मसला पैदा किया है। आपके दल ने खालिस्तान का मसला पैदा किया है।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, आप ने सबकी सुनी हैं, आप मेरी भी एक बात सुन लीजिए। मेरा भी काम रोको प्रस्ताव है, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंखड़ा हूं।

...(व्यवधान)...

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, एक ही सवाल है और एक ही विचार के लोग हैं...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

...(व्यवधान)...

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, आप के सामने साफ बात नहीं आएगी और गलतफहमी रहेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात नही सुनते हैं, तो आप बोलिए।

श्री मनीराम बागड़ी : अगर ऐसी बात है और आप नाराज हैं, तो आप ही बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) आप सबकी बात अलग-अलग सुन लीजिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप खड़े होकर गोली चलाये जाने की निंदा क्यों नहीं करते ?

श्री अमर राय प्रधान : यह वर्तमान सरकार की पूर्ण असफलता है।

**कार्यवाही—वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, आप बोलिए ।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैं पहले भी निवेदन करता रहा हूं और आज फिर आपसे निवेदन करता हूं कि हाऊस आपके द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार मुझे चलाने की आज्ञा है । यह आपका हाऊस है और मैं आपके द्वारा बनाए गये नियमों का पालन करता हूं और उनके अनुसार हाऊस को चलाने की चेष्टा करता हूं । आपने एजोनमैंट मोशन्स दिए हैं, आपका हक बनता है लेकिन उनके बारे में डिसाइड करने का, किस तरीके से डिसाइड करने का उत्तदायित्व आपने मुझे सौंपा है ।

पहली बात तो यह है कि आज साढ़े तीन बजे रखा हुआ था होम मिनिस्टर का इसी घटना के बारे में स्वतः दिया जाने वाला वक्तव्य । **(व्यवधान)**

और फिर आप बीच में बोलते हैं । बड़े लाट साहब हैं ।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : लाट साहब नहीं, मेम्बर साहब । ···**(व्यवधान)**···

अध्यक्ष महोदय : अगर आप कहते हैं तो मैं स्टेटमेंट अभी करवा देता हूं ।

कई माननीय सदस्य : करवा दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : और अगर आप डिस्कशन चाहते हैं ···**(व्यवधान)**···आप पूरी बात सुनते नहीं और पहले ही जम्प करते रहते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं । ···**(व्यवधान)**···उसका भी एक विधान है ।

प्रो० मधु दण्डवते : जब हम आपका समर्थन करें तो भी आप नाराज होते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नाराज नहीं हो रहा ।

मुझे तकलीफ और दुःख होता है कि बिला वजह टाइम जाया किया जाता है । सारी बातें हम करने के लिए तैयार हैं नियमानुसार और अगर मैं नियम तोड़ता हूं, तो मुझे बता दीजिए, मैं मान लूंगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि डिस्कशन के लिए भी एक नियम है कि जब मिनिस्टर का स्टेटमेन्ट हो जाए,

हम बाद में चर्चा की अनुमति दे सकते हैं

श्री धनिक लाल मण्डल (झंझारपुर) फर्स्ट अपोर्चूनिटी दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : फर्स्ट अपोर्चूनिटी देंगे । अगर उसी वक्त हो सकता है, तो मैं मान जाऊंगा या आप मान जाइए । दोनों में से एक मान जाएगा जिसकी गलती है । मैं स्वीकार करने के लिए तत्पर हूं ।

सैकेन्डली जो आप एजोर्नमैंट मोशन की बात करते हैं, मैंने अपनी रूलिंग दे दी है कि एजोर्नमेंट मोशन नहीं बनता और क्यों नहीं बनता है, अगर आप चाहें, तो वह भी मैं दे सकता हूं ।

श्री धनिक लाल मन्डल : पहले हम लोगों की बात सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : सुनने का मतलब नहीं है।

मैं सुझाव की बात सुनने को हमेशा तैयार हूं। मैं यदि कोई गलती करूं तो उसे सुधारने के लिए हमेशा तत्पर हूं।

मेरी इसमें कोई बेइज्जती नहीं होती कि पहले मैंने ऐसा कह दिया, इसलिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप चाहें तो मैं अभी स्टेटमैंट करवा देता हूं।

कई माननीय सदस्य : अभी करवा दीजिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी गई है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी कह तो दिया आपसे उनको वक्तव्य देने दें।

सोमवार 11 अक्तूबर, 1982 को संसद भवन के निकट हुई घटनाओं के बारे में वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महोदय, यह बड़े खेद की बात है कि 11.10.1982 को संसद भवन के परिसर के पास हुई घटनाओं में पुलिस की गोलीबारी में चार व्यक्तियों की जानें गई।

2. दिल्ली पुलिस के अनुसार तरनतारन के निकट एक रेलगाड़ी और एक बस के बीच हुई एक दुर्घटना में जिन 34 सिखों की जानें गई, उनकी स्मृति में शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबन्धक समिति अमृतसर और दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबन्धक समिति द्वारा एक जुलूस का आयोजन किया गया था। जुलूस वाले 10 अक्तूबर, 1982 को दिल्ली पहुंचे और गुरूद्वारा बंगला साहिब में ठहरे।

3. अध्यक्ष, महोदय सिख गुरूद्वारा प्रबन्धक समिति के लिखित अनुरोध पर इस जुलूस को 11.10.1982 को गुरूद्वारा बंगला साहिब से गुरूद्वारा रकाबगंज साहिब में प्रार्थना के लिए जाने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने पक्का आश्वासन दिया कि यह एक धार्मिक और शांतिपूर्ण जुलूस है और इसका कोई आन्दोलनकारी कार्यक्रम नहीं है। पुलिस के वरिष्ट अधिकारियों ने भी जुलूस के नेताओं के साथ बातचीत की थी और नेताओं द्वारा दृढ़ आश्वासन दिया गया था कि जुलूस शांतिपूर्ण रहेगा और न कोई उत्तेजना होगी और न संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की जाएगी। उक्त आश्वासन तथा सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने इस शर्त पर अनुमति दी कि जुलूस पं० पंत मार्ग पर गुरूद्वारा रकाबगंज के

पहले द्वार से प्रवेश करेगा और इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तदनुसार पुलिस द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध किये गये कि जुलूस अनुमोदिद मार्ग से जाए।

4. दोपहर लगभग 12.15 बजे जुलूस के एक भाग ने गुरूद्वारा परिसर में प्रवेश किया और उनके नेता संसद भवन में लोकसभा के अध्यक्ष को एक ज्ञापन देने गये तो जुलूस के कुछ व्यक्तियों ने नारे लगाते हुए अचानक पुलिस घेरा तोड़ दिया और वे संसद भवन और नार्थ ब्लाक की ओर दौड़े। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो पुलिस पर भारी पथराव किया गया। स्थिति से निपटने के लिये कड़ी चेतावनी के पश्चात पुलिस को अश्रु गैस का सहारा लेना पड़ा। इस बीच भीड़ के कुछ लोगों ने पुलिस की चार मोटर साइकिलों को आग लगा दी। उन्होंने दिल्ली परिवहन निगम की कुछ बसों पर भी पत्थर फेंकें और सड़क की बत्तियों, यातायात की बत्तियों आदि का काफी नुकसान किया।

5. पुलिस द्वारा पीछा किये जाने पर आन्दोलनकारी गुरूद्वारे में वापस चले गए तथा गुरूद्वारे के अन्दर से हो रहे पथराव की आड़ लेकर पुनः बाहर आये और नार्थ ब्लाक तथा संसद भवन की ओर बढ़ने के निश्चित प्रयत्न किये। इसी दौरान नेता जो संसद भवन से बाहर आ गए थे, ने पुलिस अधिकारियों को आश्वासन दिया कि वे दंगा कर रहे आन्दोलनकारी को नियन्त्रित कर लेंगे। नेताओं को पूर्णतः सफलता नहीं मिली और कुछ आंदोलनकारी भिन्न-भिन्न स्थानों से भारी पथराव करते रहे और उन्होंने संसद भवन के अहाते में घुसने के बार-बार प्रयत्न भी किये। उनमें से अधिकांश कृपाण, तलवार और भाले आदि जैसे हथियार लिये हुए थे जिनको उन्होंने पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध प्रयोग किया। कुछ आंदोलनकारी पंडित पंत मार्ग की ओर गए और दिल्ली परिवहन निगम की एक बस को आग लगा दी तथा संसद सौध पर भी पथराव किया। कुछ अन्य व्यक्तियों ने इस बीच रास्ते में एक मोटरसाइकिल को घेर लिया जिस पर दो वर्दीधारी सवार जा रहे थे और उन पर आक्रमण करने की कोशिश की। उनको पुलिस द्वारा बचा लिया गया और वहां से निकाल दिया गया। एक अन्य दल संसद भवन में घुसने के लिये संसद भवन के बाहर लगे तारों को पार करके अन्दर चला गया और उन्होंने पुलिस उपायुक्त नई दिल्ली जिला तथा अन्य अधिकारी जो उनको रोक रहे थे पर कृपाणों, तलवारों आदि से हमला करने का प्रयत्न किया। इस समय पुलिस को हवा में गोलियां चलानी पड़ी। इसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ और दंगाई पुलिस कर्मचारियों पर आक्रमण करते रहे तथा संसद परिसर में बलपूर्वक घुसने का प्रयत्न करते रहे। इसके बाद भी, पथराव काफी समय तब तक जारी रहा, जब तक दंगाइयों को गुरूद्वारा की तरफ खदेड़ न दिया गया। थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट में 11. 10.1982 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/353/332/333/186/307/436/506/407 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27/54/59 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 483 दर्ज की गई और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इस सम्बन्ध में अभी तक 27 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

6. बलवीर सिंह बरार के नेतृत्व में 459 व्यक्तियों के एक जत्थे ने गिरफ्तारी देने के अपने इरादे का संकेत दिया और गुरूद्वारा बंगला साहिब से सीधे पटेल चौक की तरफ गये और वहां

गिरफ्तारी दी। उन्हें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसने उन्हें 24 दिन का कारावास का दण्ड दिया।

7. सरकार हमेशा से सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करती रही है और उनकी उचित शिकायतों के प्रति सहानुभूतिशील रही और यही कारण था कि जुलूस को गुरूद्वारा साहिब से गुरूद्वारा रकाब गंज तक जाने की अनुमति दी गई। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस सदाशय का कुछ तत्वों द्वारा आदर नहीं किया गया। 4 व्यक्तियों की जान जाने और 5 व्यक्तियों के जख्मी होने के अलावा पुलिस आयुक्त सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी जख्मी हुए।

8. दिल्ली के उप राज्यपाल ने उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश द्वारा इस घटना की न्यायिक जांच किए जाने के आदेश दिये हैं। मैं, शांति और सदभाव बनाए रखने में इस सदन के सभी सम्माननीय सदस्यों का पूरा सहयोग चाहूंगा।

कुछ माननीय सदस्य : आपको इस पर चर्चा की अनुमति देनी चाहिये।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हम इस पर चर्चा की मांग करते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है आप नोटिस दे दीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : नोटिस दिया जा चुका है।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : इस पर चर्चा की अनुमति दें।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : इसे चर्चा के लिये कल लिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : बिजनेश एडवाजरी कमेटी की मीटिंग में बता देना।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) ; उन्होंने जांच के आदेश दिये हैं। निर्देश पद क्या है ? **(व्यवधान)**

श्री के० मायातेवर (डिन्डी गुल) : मैंने अत्यन्त सार्वजनिक महत्व के एक मामले पर चर्चा के लिये स्थगन प्रस्ताव दिया है। तमिलनाडु के मदुरै नगर में सरकारी अधिकारियों ने बुलडोजरों की सहायता से 4000 मकान तथा झोपडियां गिरा कर लगभग 15000 लोगों के बेघरबर कर दिया है और उनके पास न खाने को है और न रहने को···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। अब पत्र सभा पटल पर रखें जायेंगे। श्री शिव शंकर।

(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की

उपधारा (6) के अन्तर्गत पैराफीन मोम (पूर्ति, वितरण और मूल्य निर्धारण संशोधन आदेश,1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 24 अगस्त, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 535 (अ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5471/82]

डाक और तार विभाग की दूरसंचार शाखा के लाभ तथा हानि लेखे आदि

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं डाक और तार विभाग की दूरसंचार शाखा के वर्ष 1980-81 सम्बन्धी लाभ तथा हानि के लेखे तथा तुलन-पत्र (आय के आधार पर) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5472/82]

राज्य सभा से संदेश

सचिव : महोदय मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे मुखतारनामा (संशोधन) विधेयक, 1982 की एक प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है जो राज्य सभा द्वारा अपनी 7 अक्तूबर, 1982 की बैठक में पारित हुआ था।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 की एक प्रति संलग्न करनें का निर्देश हुआ है जो राज्य सभा द्वारा अपनी 7 अक्तूवर, 1982 की बैठक में पारित किया गया था।"

राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में विधयक

सचिव : महोदय, मैं निम्नलिखित विधेयकों को राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) मुखतारनामा (संशोधन) विधेयक, 1982

(2) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सभी पक्ष सहमत हैं। आप इसे यहां और अभी निर्धारित कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक 3.30 बजे म० प० पर हो रही है।

प्रो० मधु दण्डवते : जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक 3.30 बजे म० प० पर हो रही है तो आज चर्चा कैसे हो सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : कल हो जायेगी।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : हम आज ही चर्चा करना चाहते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक 1.00 बजे तत्काल क्यों न बुलाई जाये ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। अनुमति नहीं दी जाती है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप 3.30 बजे म० प० पर बैठक रख कर आज ही चर्चा कैसे कर सकते हैं ? 3.30 बजे म० प० पर बैठक करने के बाद हम आज ही चर्चा कैसे कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं ? आप सब समझदार आदमी हैं। मैंने कब कहा है कि अभी करवा देता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : आप बैठक शीघ्र बुला सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण। श्री जगपाल सिंह—यहां नहीं हैं, श्री मंगल राम प्रेमी।

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आप विपक्ष को अनुमति क्यों नहीं देते ? हम आज ही चर्चा करना चाहते हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : कलर टी० वीज० की इम्पोर्ट के बारे में—

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है। मैंने श्री प्रेमी को बुलाया है केवल श्री प्रेमी ही खड़े हैं।

(व्यवधान)**

आप इस पर यहां चर्चा नहीं कर सकते हैं। आप मेरे पास आइये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मेरे अभी भी यह समझ में नहीं आया कि आपका निर्णय क्या है।

श्री नीरेन घोष (दम दम) : आप कार्य मंत्रणा समिति की बैठक 1.00 बजे बुलाइए और फिर निर्णय कीजिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपका मौन अखर रहा है।

(व्यवधान)

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मामातेवर (डिन्डीगुल) : कृपया मुझे बताइये कि "क्या आप इस पर अनुमति दे रहे हैं या नहीं ?" मैं सम्बन्धित मंत्री से वक्तव्य देने की मांग करता हूं ··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है । श्री प्रेमी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलें ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

रेलगाड़ियों में और रेलवे स्टेशनों पर घटनाओं में वृद्धि, विशेषकर तिनसुखिया मेल में डकैती और बरेली स्टेशन पर हाथापाई का समाचार

श्री मंगल राम प्रेमी (विजनौर) : मैं अविलम्बीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की और रेल मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"रेलगाड़ियों में और रेल स्टेशनों पर घटनाओं में वृद्धि के समाचार, विशेषकर हाल में तिनसुखिया मेल में हुई डकैती और बरेली रेल स्टेशन पर यात्रियों के साथ कथित हाथापाई की घटनाएं"

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : अध्यक्ष महोदय, ······

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : रेल मन्त्री जी बैठे हुए हैं और उप मन्त्री जी जवाब दे रहे हैं ···

अध्यक्ष महोदय : एक ही बात है ।

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिका अर्जुन) : रेलों पर अपराध की घटना के बारे में सदस्यों को जितनी चिन्ता है उतनी ही चिन्ता मुझे भी है । मुझे यह सूचित करते हुए भी दुःख है कि 8/9 अक्टूबर, 1982 की रात में तिनसुकिया मेल के पहले दर्जे के सवारी डिब्बे में चलती गाडी में चोरी की वारदात हो गयी थी । इस सवारी डिब्बे में सफर कर रहे अन्य यात्रियों के साथ-साथ दो माननीय संसद सदस्यों के सामानों की भी चोरी हो गयी । चोरी की वारदात का पता यात्रियों को भोर में चला जब उन्होंने अपनी अटैचियों को टूटी हुई हालत में पड़ा पाया ।

रेलों में पुलिस और व्यक्तियों तथा यात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । इस मामले में रेल सुरक्षा बल को कोई कानून अधिकार नहीं है । इस तिनसुनीकिया मेल की मार्ग रक्षा सरकारी रेलवे पुलिस के सिपाहियों द्वारा अलीगढ़ से की जा रही थी । चलती गाड़ी में चोरी का एक मामला इलाहाबाद में दर्ज कर लिया गया है और सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा उसकी जाँच-पडताल की जा रही है। पहले दर्जे के जिस सवारी डिब्बे में चोरी हुई उसे इलाहाबाद तक बुक किया गया था । गाड़ी के पीछे इस सवारी डिब्बे का विन्यास ठीक किया

था लेकिन डिब्बे का परिचर बिना कोई सूचना के ड्यूटी से गैर-हाजिर हो गया था। उसे निलम्बित कर दिया गया है। यह एक बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण मामला है और मैं दोष निवारक कदम उठाने जा रहा हूँ।

मैंने, इस खंड के चार स्टेशनो पर कृतिक बल (टास्क फोर्स) लगाने का आदेश दिया है ताकि राज्य सरकार की सहयता से दूरगामी गाड़ियों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोका जा सके। मैंने मुख्य मन्त्रियों को भी पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि वे इस मामले में अपना सहयोग दें। बहरहाल, संसद सदस्य यह सोच सकते हैं कि यह मुख्यतः कानून और व्यवस्था की एक ऐसी समस्या है जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन हम लोग रेल सुरक्षा बल के अधिकारो को सुदृढ़ करने के लिए एक संशोधन पारित करने की सोच रहे है ताकि बिना टिकट यात्रा, अनधिकृत प्रवेश आदि को और अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए अपनी ड्यूटी के निर्वाह में रेल कर्मचारियों की अतिरिक्त सुरक्षाकी व्यवस्था हो जाय।राज्य सरकार और रेल अधिकारी दोनों ही अन्तर्ग्रस्त हैं। इस उत्पात के उन्मूलन के लिए मैं सदन का सहयोग चाहता हूं क्योंकि सरकार ठगों और शरारती व्यक्तियों का सफाया कर देने पर तुली हुई है।

5.10.82 को घटित एक अन्य घटना में 143 अप सवारी गाड़ी में सफर कर रहे बिना टिकट यात्रियों की जाँच, बरेली स्टेशन पर, टिकट जाँच कर्मचारियों के एक दल द्वारा की गयी थी। एक रेलवे मैजिस्ट्रेट भी उपस्थित था। जाँच के दौरान बिना टिकट यात्रियों ने प्रतिरोध किया और वहां तक किउसमें से कुछ ने टिकट जाँच कर्मचारियों पर हमला भी किया जिसके परिणामस्वरूप दो चल टिकट परिक्षकों को चोटें आयीं जिसमें से एक के हाथ की हड्डी टूट गयी। टिकट जाँच कर्मचारियों की सहयता के लिए जिस सरकारी रेलवे पुलिस और रेल सुरक्षा बल को तैनात किया गया था उसने हस्तक्षेप करके, बिना टिकट यात्रियों की गिरपतारी में उनकी सहायता की, हो सकता है कि बिना टिकट यात्रियों की गिरपतारी के दौरान, उनमें से कुछ को धरपकड़ करते समय चोटें आयीं हों। लेकिन कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया। कुल मिलाकर 253 बिना टिकट यात्रियों को पकड़ा गया। हमने समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का भी निश्चय किया है। और ऐसी घटनाओं का होना उसी का नतीजा है।

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : उपाध्यक्ष जी, मेरा यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हिन्दी में था लेकिन मन्त्री जी ने इसे अंग्रेजी में पढ़ दिया, और वह पढ़ा भी उन्होंने जिनको नहीं पढ़ना चाहिये था। मन्त्री जी सीधे सादे बैठे हैं ···

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य अंग्रेजी या हिन्दी में बोल सकते हैं। आप भाषण का रूपान्तर सुन सकते हैं।

श्री मंगल राम प्रेमी : मैं अगर उनकी बात को नहीं समझ सका तो क्या सवाल पूछूंगा मान्यवर, रेलवे का जो इशू पार्लियामेंट में आज उठा है···

अध्यक्ष महोदय : इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। विषमान्तर मत कीजिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : जब हम लोग कोई सवाल हिन्दी में करते हैं तो उसका जवाब भी हिन्दी में ही आना चाहिये । मान्यवर, आप पहले कान में लगाइये तब हमारी बात सुनिये । या तो वह कह दें कि हम अंग्रेजी में ही बोलेंगे ···

उपाध्यक्ष महोदय : यह मन्त्री सहित किसी भी सदस्य के विकल्प पर निर्भर है । आप तेलुगु में बोल सकते हैं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : वह अपनी मातृभाषा में पढ़ें, तमिल या तेलगू में पढ़ें हमें कोई एतराज नहीं होगा ।

श्री मंगल राम प्रेमी : मान्यवर, यह महत्वपूर्ण मसला है और जनता के हित का ही नहीं है बल्कि इसमें हमारी भारत सरकार के मन्त्री, संसद सदस्य, प्रदेश के मन्त्री, एम० एल० ए० और जनता के तमाम गरीब, अमीर लोग रेल से यात्रा करते हैं । लेकिन उनके साथ रेलवे में क्या दुर्व्यवहार होता है उसका नंगा नाच मैंने बरेली में स्वयं अपनी आंखों देखा । बरेली में जब ट्रेन से मुसाफिरों को उतार गया, मन्त्री जी का जबाव है कि बगैर-टिकट यात्राओं को पकड़ा जा रहा था, लेकिन मैंने स्वयं यात्रियों के पास टिकट देखे हैं, जिनका सामान लूटा गया और उन्हें मारा गया । वे लोग अपने टिकट दिखा रहे थे कि हमारे पास टिकट हैं, हमें न पीटा जाये, लेकिन उस वक्त टिकट और बे-टिकट की कोई बात नहीं थी, मार पीट चल रही थी, लोगों के हाथ-पैर तोड़ दिये गये, जबरदस्ती पुलिस वाले गाड़ी में घुस रहे थे । मैं उस रोज बरेली मैं मौजूद था, लोग अपने टिकट दिखाते रहे, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई । मैंने स्वयं वहां यह नंगा नाच देखा है, मन्त्री जी गलत बात कहकर इस सदन को गुमराह नहीं कर सकते हैं और इस झुटाई से बच नहीं सकते कि बगैर-टिकट यात्रियों को पकड़ा जा रहा था । वहां किसी बगैर टिकट यात्री को ही नहीं पीटा गया बल्कि टिकट वाले भी उतने ही पिट रहे थे, जितने कि बगैर-टिकट वाले पिट रहे थे ।

मैं यह नहीं चाहता कि किसी वगैर-टिकट यात्री को वैसे ही माफ कर दिया जाये, मगर यह भी कोई खास रूल नहीं है कि वगैर-टिकट यात्री को पकड़कर पीटो । अगर कोई वगैर-टिकट है तो उस पर जुर्माना कर दिया जाये, उसको जेल भेज दिया जाये मगर यह किसने बताया कि खुली जनता को डंडे से पीटा जाये ? मार-पीट का बरेली में यह नंगा नाच हुआ है, मन्त्री जी इसको छिपा नहीं सकते, उनको इस पर इस्तीफा दे देना चाहिये ।

मैं बरेली के हस्पताल में भी गया, जहां कि पिटे हुए यात्रियों को भर्ती किया गया था । मैंने वह कमरा भी देखा जिसमें यात्रियों को जबर्दस्ती ठोका गया था । जब उस कमरे में जगह नहीं रही और यात्री बिलकुल भिच रहे थे, औरतें रो रही थीं कि पुलिस वालों ने गाड़ी में हमारी बेइज्जती की है, उसको भी किसी ने नहीं देखा । मैंने अपनी नजरों से स्वयं देखा कि उन यात्रियों को धकेल-धकेल कर टट्टी और नहाने की जगहों में घुसेड़ दिया गया और वहां लोग 2,2 घंटे तक पड़े रहे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था । मन्त्री जी कहते हैं कि वगैर-टिकट यात्रियों की पहचान की जा रही थी, मैं तो यह कहूंगा कि सैंटर की सरकार का खुला नंगा नाच था और उसमें कोई साजिश थी कि आगे किसी किस्म का जलूस या शांति-मार्च दिल्ली

में अगर हो तो लोग दिल्ली जाने के लिए तैयार न हों इसलिये उनकी अच्छी तरह पिटाई की जाये और उनको सबक सिखाया जाये जिससे वह किसी धोखे में आकर दिल्ली न आ सकें।

अब में तिनसुखिया गाड़ी की बात कहना चाहता हूं। उसमें जो कुछ हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है। उस गाड़ी में उस दिन हमारे 2 संसद-सदस्य मौजूद थे जिसमें एक कांग्रेस आई के थे और दूसरे हमारे श्री बी० डी० सिंह थे जो कि हमारी पार्टी के मुख्य सचेतक हैं। इन दोनों का सामान भी उस दिन चोरी हुआ ! मैं स कार से जानना चाहता हूं कि जब तिनसुखिया मेल नई दिल्ली से 10-05 पर रात्रि में रवाना होती है तो उस दिन वह 10-35 पर क्यों रवाना हुई ? श्री के० पी० तिवारी भी उसी गाड़ी में मौजूद थे और जिस केबिल में श्री बी० डी० सिंह थे, उसी में तिवारी जी भी आ गये। जब गाड़ी रवाना हुई तो एक कर्मचारी आया और कहा कि हम लिस्ट देखना चाहते हैं कहां है। हमारा नाम कौन-सी केबिन में है। वहां कहा गया कि यहां कोई लिस्ट नहीं है, जहां चाहो बैठ जाओ।

इस तरह से वहां कोई लिस्ट नहीं, किसी की देखभाल नहीं, कहां संसद-सदस्य बैठे कहां मिनिस्टर बैठेंगे, उनकी सुरक्षा है या नहीं, और ये लोग बी० क्लास के केबिन में जाकर बैठ गये और सो गये। हमारे श्री बी डी० सिंह का कहना है कि न उसमें सुरक्षा गार्ड था, न अटैंडेंट था और न कंडक्टर था और सहारनपुर तक कोई हमारे गाड़ी में नहीं आया। किसी ने गाड़ी में यह भी चैकिंग नहीं की कि. कोई एम० पीं० आया है या नहीं आया है। जो लुटेरे गाड़ी में घुसे वह साइड के डिब्बों में से घुसे। क्योंकि तिनसुखिया फास्ट ट्रेन है दो डिब्बों के बीच में जो रास्ता होता है उसका दरवाजा तोड़कर चोर उस डिब्बे में आये और श्री बी० डी० सिंह व श्री तिवारी का सामना उठाकर बाथरूम में घुस गये। सुबह जब आंख खुली, तो उन्होंने देखा कि पहनने के कपड़ों का सूटकेस बाथरूम रखा था। वही बता सकते हैं कि उसमें कितनी नकदी थी और क्या चोरी हुआ। मन्त्री महोदय इस बारे में जबाव देंगे। उनके कपड़े बाथरूम में मिले। सवाल यह है कि उस वक्त जी० आर० पी० और पुलिस और कंडक्टर वगैरह कहां थे। दस पंद्रह साल तक एक ही स्टेशन पर बैठे हुए अफसर इस तरह की साजिशें करते हैं। क्या मन्त्री महोदय दस पंद्रह सालों से एक स्टेशन पर बैठे हुए अधिकारियों को वहां से हटाएंगे ? अगर उनको नहीं हटाया गया, तो इस तरह की साजिशें होती रहेंगी में कहां तक इस कहानी को बताऊं ? —बहुत लम्बी कहानी है, अच्छी खासी किताब है।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 1981 से अक्तूबर, 1982 तक रेलगाड़ियों और सुपरफास्ट ट्रेन्ज में चोरियों, डकैतियों, लूट-पाट, कत्ल और औरतों के शीलभंग की कितनी घटनाएं हुई हैं। कितनी औरतों के मंगल-सूत्र छीन लिए गये हैं। क्या मन्त्री महोदय यात्रियों की सुरक्षा की कोई गारन्टी देंगे ? जो अफसर दस पन्द्रह साल से एक स्टेशन पर बैठे हुए हैं, वे इस षड्यन्त्र को चला रहे हैं। पुलिस और जी० आर० पी० क्या करती है ? जी० आर० पी० का तो यही काम है कि अगर कोई लोग जुलूस या जलसे में जाते हैं, तो सैंट्रल गवर्नमैंट के इशारे पर उन्हें लूट लो पीट दो, उनके हाथ-पैर तोड़ दो। अगर कोई एम० पी० या मिनिस्टर लुटता है, तो उनको कोई परवाह नहीं है। इस वक्त इस देश में शासन नाम की कोई चीज नहीं है। मन्त्री महोदय को इस बात पर इस्तीफा दे देना चाहिए।

नीलगिरी एक्सप्रेस मेरे डिस्ट्रिक्ट में से निकलती है। उसमें डकैती हुई, हत्या-कांड हुआ, राइफल लूट ली गई, लेकिन जी० आर० पी० का पता नहीं था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय एम० पीज और मिनिस्टरों की सुरक्षा का प्रबन्ध और आम जनताके जानो-माल और इज्जत की सुरक्षा का प्रबन्ध करना चाहते हैं या नहीं। वह इस बारे में आश्वासन दें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन अधिकारियों का दस पन्द्रह साल से एक स्टेशन से ट्रांसफर नहीं हुआ है, क्या उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा?

रेल मन्त्री श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, रेलों में अपराध होना एक गम्भीर समस्या है और मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक सामाजिक समस्या भी है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : इसमें वृद्धि हुई है।

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : इससे हमें और प्रधान मन्त्री जी को भी गहरी चिन्ता हुई है, जिन्होंने इसके लिए एक समिति नियुक्त की है।

श्री मंगल राम प्रेमी : मन्त्री महोदय इतना कह दें कि मैं हिन्दी नहीं जानता।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया हैडफोन लगाइए और अनुवाद सुन लीजिये।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मन्त्रीमन्डल सचिव को समिति के अध्यक्ष के रूप में इस कष्टकारी समस्या हल ढूंढना है। समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं --वे सब सिफारिशें—सको तो नहीं—विचाराधीन हैं और मैं माननीय सदस्य तथा माननीय सदन का आश्वासन देता हूं कि कि इन सिफारिशों को अविलम्ब कार्यान्वित किया जाएगा।

कुछ जटिल समस्याएं ये हैं जेसे रेलवे का जी० आर० पी० के साथ सम्बन्ध, महोदय, आप जानते हैं कि यद्यपि रेल प्रशासन जी० आर० पी० के लिए लागत का पचास प्रतिशत देता है किन्तु उसका इस पर कोई नियन्त्रण नहीं है और रेलवे की हेतु तत्सम्बन्धी नीति-निर्धारण के लिए रेलवे से अधिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। जब मैं यह कहता हूं तो मैं रेलवे की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता। तिनसुकिया घटना के बाद हमने तत्काल कुछ कदम उठाए। हमने 'कोच अटेन्डेन्ट' को मुअत्तिल किया क्योंकि वह सूचना दिए विना अनुपस्थित था। इसीलिए मैंने ऐसा किया है। मैंने उतर प्रदेश के मुख्य मन्त्री को इस घटना के बारे में विशिष्ट कार्यवाही करने के लिए टेलेक्स पर संदेश भेजा और उनसे अनुरोध किया कि इस कष्टप्रद स्थिति को दूर करने के लिए उन्हें कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। मेरे पास इस टेलेक्स संदेश की एक प्रति है, जिसमें यह कहा है :

> "दिनांक 9-10-82 की रात को दिल्ली इलाहाबाद प्रथम श्रेणी कोंच में 156 तिनसुकियामेल के केन्द्रीय आरक्षण पुलिस के 3 व्यक्तियों की तैनाती के बावजूद गम्भीर चोरी की घटना हुई।"

अब, मैं केन्द्रीय आरक्षण पुलिस के इस कर्मचारी को मुअत्तिल नहीं कर सकता। रेलवे के नियम मुझे यह शक्ति नहीं देते है। इसलिए लोगों को सजा देने के लिए मुझे मुख्य मन्त्रियों का

सहयोग मांगना पड़ता है। मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं इस मामले को आगे ले जाऊंगा और मैं यह देखूंगा कि यदि ये लोग दोषी हैं तो इन्हें मुअत्तिल किया जाये।

हमने एक कार्य दल की भी नियुक्ति की है और इसका पर्यवेक्षण स्थानीय रेलवे द्वारा किया जाएगा। यात्रा टिकट निरीक्षक और आर० पी० एफ० तथा जी० आर० पी० कर्मचारियों का एक दल यह कार्य करेंगे और वे यात्रियों पर निगरानी रखेंगे। इस कार्य दल का उद्देश्य अधिकृत यात्रियों को संरक्षण देना है। हमारा अनुभव यह रहा है कि असामाजिक तत्वों और बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री अधिकृत यात्रियों से अधिक सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। हम इसे समाप्त करना चाहते हैं। हम इस समस्या का मुकालला कर रहे हैं और हम उसके लिए कृत संकल्प हैं।

मैंने रेलवे के विभिन्न जोनों के सभी महाप्रबन्धकों को भी निर्देश दिया है कि वे मुख्य मन्त्रियों के साथ सीधा सम्पर्क रखें ताकि रेलवे सम्बन्धी नीति निर्धारण सफल हो सके। हम कार्य कर रहे हैं, किन्तु जब मैं माननीय सदस्य से कुछ बातें सुनता हूं, जब वे बरेली की घटना की ओर संकेत करते है तो मुझे दुःख होता है। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलव यह है कि हमें उस समय केवल शांत दर्शक देना रहन होना चाहिए जब बिना टिकट यात्री असामाजिक कार्य करते हैं? या कि, क्या इसका मतलब यह है कि तत्काल ही हमें तेजी से, कोई कार्यवाही करनी चाहिए? बरेली की घटना में क्या हुआ था? बिना टिकट यात्री गिरफ्तार किए गए थे। अब, यदि मुझे उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की अनुमति नहीं मिलती है, यदि आप मुझे इस कार्य के लिए अनुमति नहीं देते हैं, तो मैं इसे रोक दूंगा। किन्तु उसके बाद आप यह शिकायत नहीं कर सकते कि रेलवे इस प्रकार की डकैतियों और बिना टिकट यात्रा करने के विरुद्ध मामले में कुछ नहीं कर रहा है। मैं नहीं समझता कि इससे अधिकृत यात्रियों को यात्रा की सुरक्षा मिलेगी जो कि उन्हें जरूर मिलनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो यह अधिकृत यात्रियों के लिए भारी परेशानी रहेगी। यात्रियों के लाभ के लिए और राष्ट्र हित में हमें यह कार्य अवश्य करनी है और हमें गुण्डागदी की घटनाओं को रोकना चाहिए। ऐसा करने में जाहिर है, और मैं माननीय सदस्य से सहमत भी हूं, कि हमें सावधान होना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि कहीं हम ज्यादती तो नहीं कर रहे हैं। यदि ज्यादती किए जाने की कोई रिपोर्ट आती है तो मैं माननीय सदस्य का इस बात के लिए स्वागत करूंगा कि वे इस आशय की रिपोर्ट मुझे भेजे और मैं निश्चित रूप से उसे देखूंगा। गक बात, जिसे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वह यह है कि यह कार्य तब तक जारी रहेगा जब तक गुण्डागर्दी और लूटपाट घटनाएं समाप्त नहीं हो जाती।

श्री एन० के० शजवलकर (ग्वालियर) : महोदय, उन्होंने समिति की सिफारिशों का व्यौरा नहीं दिया है। उन्होंने उसके बारे में कहा तो है, लेकिन उन्होंने हमें यह बताने की कृपा नहीं की है कि समिति की सिफारिशें क्या हैं।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मेरे पास वे सिफारिशें हैं। यदि आप चाहें, तो मैं पढ़कर सुना सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बाद में दे सकते हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : महोदय, माननीय मन्त्री महोदय उन सिफारिशों को पढ़कर सुनाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे उन सिफारिशों को जानना चाहते थे। मन्त्री महोदय उन्हें माननीय सदस्य को दे देंगे।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : महोदय, यह सच है कि रेलों में अपराध हो रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि अब स्थिति में पिछले तीन से चार महीनों में सुधार हुआ है। इससे पहले एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब हम समाचार पत्रों में रलों में डकैती, लूट-पाट, हत्या चोरी आदि के बारे में न पढ़ते हों। लेकिन अब माननीय रेल मन्त्री इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने हाल ही में पदभार ग्रहण करते ही रेल प्रशासन ने कड़े उपाय किए हैं तथा रेलों में अपराधों की घटनायें प्रभावकारी ढंग से रोकी हैं। महोदय, इसके लिए मैं रेल मन्त्री जी को बधाई देना चाहूंगा और मैं यह भी आशा करता हूं कि जिस तरीके से वे काम कर रहे हैं और माननीय मन्त्री जो कदम उठा रहे हैं, उससे आगे भी अपराध की घटनाएं कम होंगी और यह भविष्य में तो बहुत कम होंगी। महोदय, अब मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

महोदय, हम रेलो से निरन्तर यात्रा करते हैं और इन मामलों के बारे में कुछ हमें भी अनुभव है। प्रायः मैंने देखा है कि डिब्बे में कोई कोच अटे-डेन्ट नहीं होता। कभी- कभी यात्रा की सम्पूर्ण अवधि में वहां कोच अटन्डेन्ट नही आता। कभी-कभी स्टेशनों क बीच में कोच अटेन्डेन्ट आता है। यह प्रायः नई दिल्ली स्टेशनों और गाजियाबाद स्टेशन के बीच होता है कि वहां कोच अटेन्डेन्ट नहीं होता है। जो रेलगाड़ियां गाजियाबाद से होकर नई दिल्ली स्टेशन को आती हैं, सामान्यतः उनमें उस समय कोच अटेन्डेन्ट नहीं होता हैं जब वे गाजियाबाद स्टेशन छोड़ देती हैं। ऐसे ही मुगलसराय से इलाहाबाद के बीच भी ऐसा ही होता है।

दूसरी बात जिसे मैं बताना चाहता हूं वह है द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी और यहां तक कि वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों के बारे में, वे गैलारियों में, शौचालयों आदि के निकट बड़ी संख्या में खड़े होते हैं। इन अनधिकृत यात्रियों पर कोई नियंत्रण नही है। मैं यह नहीं कहता कि वे सब चोर हैं। व सही लोग भी हो सकते हैं। लेकिन व अनधिकृत यात्री होते हैं और उनमें से कुछ चोर भी हो सकते हैं। रेलगाड़ी या रेलव स्टेशन के कर्मचारी इन यात्रियों को हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। यहां तक कि जब शिकायतें आती हैं तो वे अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। आर० पी० एफ० रेलव पुलिस और अन्य लोग हमारे बचावे के लिए आगे नहीं आते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। ये अनधिकृत यात्री कोच अटेन्डेन्ड या कंडक्टर की मिली गतसे यात्रा करते हैं। वे उन्हें कुछ पैसे देते हैं और इन डिब्बों में यात्रा करते हैं। रेल प्रशासन द्वारा यह देखने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए कि इन अनधिकृत यात्रियों को किसी भी श्रेणी, द्वितीय, प्रथम अथवा वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति न दी जाए क्योंकि उनमें से कुछ यात्री असामाजिक तत्व हो सकते हैं।

तीसरे, मैं अनधिकृत और बिना लइसेंस वाले कुलियों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा वे लोग प्रत्येक स्टेशन पर पाये जाते हैं। यहां तक कि वे हमारे बिल्कुल निकट दिल्ली और नई दिल्ली

स्टेशनों पर भी हैं। जब रेलगाड़ी रुकती है, तो वे आते हैं और कहते हैं 'सामान ले जाना है' सामान ले जाना है।

वे सभी डिब्बों के सामने होते हैं और इस गतिविधि को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से कोई प्रयत्न नहीं है। यदि पोर्टरों की कमी है तथा और अधिक पोर्टरों की आवश्यकता नहीं है, और उन्हें लायसेंस न जारी किये जायें। मैंने चार या पाँच दिन पूर्व सम्पादक के नाम एक पत्र "हिन्दुस्तान टाइम्स" में देखा था। एक यात्री, जिसने एक अनधिकृत पोर्टरों को नियुक्त किया था, उसे अपने 6000 रु० के सामान से हाथ धोना पड़ा। उसने इस मामले की रिपोर्ट रेलवे स्टेशन पर की किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसा समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। ऐसी घटनायें रोज होती हैं। अनधिकृत पोर्टरों पर रोक लगानी चाहिए। यदि पोर्टरों की कमी है, जैसा मैंने कहा है, आवश्यकता और अधिक लाइसेंस जारी किये जाने चाहिये।

इसके अलावा रेलवे सुरक्षा बल को और अधिक अधिकार दिये जाने के बारे में विचार करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि संविधान के अन्तर्गत रेलवे सुरक्षा बल को और अधिक अधिकार देना संभव है अथवा नहीं। रेल मंत्रालय, कृपया इस तथ्य पर प्रकाश डाले। इस समय पुलिस शक्तियाँ राजकीय रेलवे पुलिस के पास निहित हैं। मुझे विधिक और सांविधिक स्थिति के बारे में नहीं पता है कि हम ये शक्तियां रेलवे सुरक्षा बल को प्रदान कर सकते हैं अथवा नहीं?

किन्तु इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिये कि रेलवे सुरक्षा बल के कार्मियों के पास इस जितनी शक्ति है; उससे और अधिक शक्तियाँ उन्हें दी जायें ताकि वे और अधिक प्रभावशाली ढंग से चोरी तथा अन्य मामलों की रोक-थाम कर सकें। माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि राजकीय रेलवे पुलिस के 3 कांस्टेबिल तिनसुकिया मेल का सरक्षण कर रहे थे। मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि क्या उनके विचार से तिनसुकिया मेल, जिसमें हजारों यात्री यात्रा करते हैं, के संरक्षण के लिए तीन कांस्टेबिल पर्याप्त हैं। आप इन तीन निरीह व्यक्तियों के विरुद्ध क्यों कार्यवाही कर रहें हैं? तीन कांस्टेबिल क्या कर सकते हैं? इलाहाबाद कोच सदा ही तिनसुकिया मेल के अंत में होते हैं और यदि तीन कांस्टेबिल इंजिन के पास हो तो वे इस प्रकार की घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं? इसलिए कर्मियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, चाहे वे राजकीय रेलवे पुलिस के हों, अथवा रेलवे सुरक्षा बल के। पर्याप्त संख्या में, कम से कम प्रत्येक डिब्बे में एक व्यक्ति होना चाहिये। तभी आप प्रभावशाली ढंग से अपराधों और अन्य घटनाओं को रोक सकते हैं?

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या उन्हें अपने टेलेक्स का उत्तर प्राप्त हो गया है जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को भेजा था, क्या मुख्य ने उनसे सम्पर्क स्थापित किया और क्या उनके द्वारा सम्पर्क स्थापित किये जाने के बाद मुख्य मंत्री ने उन्हें कोई उत्तर भेजा है? अब तक क्या कार्यवाही हुई है। माननीय मंत्री जी इन सब के बारे में भी हमें बतायें।

अन्त में, क्या मंत्री जी मेरे द्वारा दिये गये सुझाव पर-जो मेरे स्वयं के सुझाव नहीं है, वे हमेशा समाचार पत्र में प्रभावित होते हैं और पिछली बार सदन में ये सुझाव दिये गये थे — कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे।

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : कोच अटेन्डेन्टे के बारे में दिये गये सुझाव पर मैंने

ध्यान दिया है और मैं माननीय सदस्यों तथा सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम लोग उन पर विचार करेंगे ।

जहां तक अनधिकृत यात्रियों का प्रश्न है, जिसने भी टिकट खरीदा है, वह अपराधी है और अपराधियों के साथ हमें सख्ती से पेश आना चाहिये । अपराधियों पर कोई दया नहीं दिखायी जानी चाहिये ।

रेलवे सुरक्षा बल के बारे में उनके द्वारा उठाये गये प्रश्न का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं । इस समय रेलवे सुरक्षा बल ही रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए प्राधिकृत है न कि रेलवे कार्मिक । हम लोग इसमें संशोधन करने के बारे में विचार कर रहे हैं जिसके द्वारा इन लोगों को न केवल रेलवे सम्पति की सुरक्षा के लिए प्राधिकृतय किया जाये बल्कि रेलवे कार्मिकों की सुरक्षा के लिए प्राधिकृत किया जाये ताकि वे अपनी डयूटी संतोष पूर्वक तथा वफादारी के साथ निभा सकें ।

प्रो० एन० जी० रंगा : और आपको उनकी संख्या बढ़ा देनी चाहिये ।

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री सहित मुख्य मन्त्रियों को लिखे गये पत्र के सम्बन्ध में मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री का उत्तर प्राप्त हो चुका है किन्तु मुझे उस विशेष टेलेक्स का अर्थात् जो कल दोपहर भेजा गया है, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । मुझे आशा है कि इस बारे में मुझे उनका कुछ न कुछ उत्तर प्राप्त होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप समिति की सिफारिशों के बारे में अवश्य बतायें । आप उन्हें सभा पटल पर रख सकते हैं ।

प्रो० एन० जी० रंगा : और रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों की संख्या बढ़ा दें ।

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : मैं सदन का समय बचाना चाहता हूं और इसलिए मैंने उसके बारे में नहीं बताया **(व्यवधान)** ।

श्री भीखा भाई (बासवाड़ा) : उपाध्क्ष महोदय, रेल मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है, वह एक आउट-डेटेड जवाब है और हमेशा ही ऐसा जवाब होता है । यह जवाब इनसे पहले के मिनिस्टर सेठी साहब ने भी दिया था कि आर० पी० एफ० जी० आर० पी० के अन्दर को आर्डिनेशन लाने की बात करेंगे । यह सारी बातें कहीं गयी थी । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि :

> "रेलवे में हो रही अपराधिक घटनाओं के बारे में अन्य सदस्यों के समान मुझे भी चिंता है ।"

आप ऐसा क्यों कहते हैं ? मैं इसे सिद्ध करूंगा । परसों मैं नरवाना से आया । मैं 10.10.1982 को प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहा था । रेलगाड़ी का नम्बर है 334 डाउन और उस गाड़ी में कोई भी चैंकिंग कर्मचारी नहीं था, कोई भी टी० टी० ई० नहीं था और न ही कोई कोच अटेन्डेन्ट था इस पर मंत्री जी कहते हैं कि वह बिना टिकट यात्रियों के विरूद्ध कार्यवाही तेज कर रहे हैं । मुझे खुशी होती यदि वह इसका निरीक्षण करते । क्या मैं जान सकता हूं कि

क्या बिना टिकट यात्रियों को पकड़ने के लिए वह छद्म वेश में यात्रा करते हैं ; क्या बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़ने के लिए उनके अधिकारी किसी गाड़ी में छद्म वेश में यात्रा करते हैं ? कोंच अटेन्डेन्ट जैसा निरीह व्यक्ति क्यों निलम्ब किया जाये ? क्या उसने अपने किसी अधिकारी को पकड़ा है ? मैं आपसे कहता हूं कि जिस प्रथम श्रेणी के डिब्बे में मैं यात्रा कर रहा था वह अनधिकृत व्यक्तियों से भरा हुआ था। मैं ही केवल एक ऐसा व्यक्ति था जो पास के साथ यात्रा कर रहा था।

स्नान की बात क्या कहें, वहां हाथ धोने तक को पानी नहीं था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इसकी जांच करायेंगे। मैं चाहता हूं कि वह उस गाड़ी का पता लगाये और इसकी जांच करें तथा तुरन्त उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सुरक्षा उपायों की बात क्या कहूं। वहां न कोई टी० टी० ई० था और न ही कोई अटेन्डेन्ट था। कोरी बातें ही बातें हैं किन्तु गाड़ियों में कोई सुधार नहीं है।

प्रत्येक दिन हत्या होती है, चोरी होती है, डकैटी पड़ती है और जंजीर खीचीं जाती हैं। कभी-कभी तो जब जंजीर खीचीं जाती है तो पुलिस वाले बाथ रूम में छिप जाते हैं।

मेरे पास 11.10.1982 की टाइम्स आफ इन्डिया की कमैंटिंग है। मुझे आशा है कि मंत्री जी ने इसे देख लिया होगा और यदि नहीं तो मैं उसे सभा पटल पर रखना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि वह इसकी जांच करायें। इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि ये सारी घटनायें पुलिस अधिकारियों और रेलवे सुरक्षा बल की मिली भगत से हो रही हैं सारी बातें रेलवे सुरक्षा बल और यहां तक रेलवे अधिकारियों से सामने होती हैं। इन सब बातों को रोकने के लिए आपने क्या निदानात्मक उपाय किये हैं ? मेरा सुझाव है कि वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों तथा यहां तक की स्वयं रेल मंत्री द्वारा आवधिक जांच की जानी चाहिये। दूसरे अधिकारियों की बात क्या कहें महाप्रबंधक तक सैंलून कोच में यात्रा करते हैं। मेरा सुझाव है कि रेल मंत्री कभी-कभी स्वयं भी इन चीजों की जांच करें ताकि जनता और रेलवे प्राधिकारियों भी इस बात को जान सकें और वे अधिक सतर्क हो जायें।

मैं चाहता हूं कि उस विशेष गाड़ी के बारे में तुरन्त जांच पड़ताल करने के आदेश दिये जाये जिसमें मैंने अभी यात्रा की है तथा देखा जाय कि मैं गलत हूं या सही। यह प्रमाणित होना चाहिए। उनका कहना है कि उन्होंने मुख्य मन्त्री को लिख दिया है और राजकीय रेलवे पुलिस को सुधारने के बारे में शीघ्र ही उत्तर प्राप्त होने की आशा है। वह सदा मुख्य मन्त्री को लिखने के बहाने की शरण लेते हैं। यात्रियों की रक्षा अथवा रेलवे सुरक्षा बल को मजबूत बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार अपने ही बल का गठन क्यों नहीं करती ? प्रत्येक डिब्बे में एक पुलिस का आदमी क्यों नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया है।

अटेन्डेन्ट को निलम्बित करना कोई अच्छी बात नहीं है। यदि कोई भी कार्यवाही की जाती है तो वह उच्च अधिकारियों के विरुद्ध होनी चाहिये। उनका कहना है कि उनका अभियान बिना टिकट यात्रियों के विरुद्ध बड़ा सतर्क है किन्तु मेरा आपसे यह कहना है कि जिस गाड़ी में मैं नरवाना से दिल्ली की यात्रा कर रहा था उसमें कोई भी चैंकिग स्टाफ या टी० टी० ई० नहीं

था । गाड़ी में एक बूंद पानी भी नहीं था । मैं ऐसे कई लोगों को गवाह के रूप में पेश कर सकता हूं जो मेरे साथ यात्रा कर रहे थे । क्या बेटिकट यात्रियों के विरुद्ध कोई अभिमान छेड़ा हुआ है ? इसके बाद तीसरा मुद्दा यह है कि रेल-प्रशासन में ऊपर से नीचे तक सभी स्तरों पर भारी निष्क्रियता छाई हुई हैं । लगभग तीन सप्ताह पहले मैंने कुछ सीटों का आरक्षण कराने के लिए एक तार और तीन पत्र भेजे थे । उस बारे में अब तक कुछ भी नहीं किया गया है मैंने अभी-अभी मन्त्री जी से इस विषय में अनुरोध किया है । उन्होंने बताया कि उन्हें वे प्राप्त हो गए हैं तथा वे इस मामले पर कार्यवाही करेंगे । वे एक बड़े आदमी हैं और उन्हें बड़ा काम ही दिया गया है । लेकिन ऐसी चीजों से बचना होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अत्याधिक महत्त्वपूर्ण मुद्रे उठाए हैं ।

श्री भीखा भाई : रेलवे में भारी निष्क्रियता व्याप्त है । मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रस्ताविक संशोधन कब तक लाया जाएगा । पिछली बार श्री पी० सी० सेठी ने कहा था कि वह इसे आगामी सत्र में ला रहे हैं । लेकिन आगामी सत्र अब समाप्त होने वाला है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल में वे श्री सेठी से अभी तक नहीं मिले हैं ।

श्री भीखा भाई : हम मन्त्री महोदय से यह जानना चाहते हैं कि क्या इस चालू वर्ष के दौरान डाकेजनी चोरी और जंजीर खींचने की घटनाओं में वृद्धि हुई है । हम गत वर्ष या उससे पहले वर्ष की बात न करें । हम इस वर्ष पर गौर करें और पिछले वर्ष के आंकड़ों से इस वर्ष के आंकड़ों की तुलना करके देखें ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय इसका उत्तर देंगे ।

श्री ए०. बी० ए० गनी खान चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे की ओर से हमने यह दावा कभी नहीं किया है कि सब कुछ ठीक-ठाक है । वस्तुतः ऐसा नहीं है । सुधार की बहुत गुंजाइस है और हम इसमें सुधार करेंगे । यदि सम इसमें सुधार नहीं करते हैं तो लोगों की निगाह में सरकार की और रेलवे की छवि बिगड़ जाएगी । इसलिए हम सावधान है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : (कलकत्ता दक्षिण) यह तो पहले ही बिगड़ चुकी है ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जहां तक वैगनों की आवा-जाही का सम्बन्ध है हमने बहुत बढ़िया काम किया है । आज महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए जितने भी वैगनों की आवश्यकता होती है, हम उनकी व्यवस्था करने में समर्थ हैं । लेकिन यह मैं अवश्य स्वीकार करता हूं कि जहां तक सवारी-गाड़ियों का सम्बन्ध है, हम अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुए हैं । मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम यथा-सम्बन्ध बेहतरी के लिए काम करेंगे । लेकिन हमारे पास कोई ऐसा अलादीन का चिराग तो है नहीं कि जिसे मैं जरा सा रगडूं और मन-चाही चीज स्वर्ग से उतर आए हमें लगातार प्रयास करते रहना होगा और इस सम्बन्ध में मैं सभी सदस्यों के सहयोग की इच्छा करता हूं, चाहे वे किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, क्योंकि यह देश

के विकास का काम है । आखिरकार अब रेल की यात्रा क्या है ? रेल की यात्रा करना अब हौवा हो गया है । सुरक्षा की समस्या है, गाड़ियों के समय पर चलने की समस्या है, डाकेजनी की समस्या है और इसी तरह की अन्य समस्यायें हैं । हम इन सब बातों के मूक दर्शक नहीं हैं । हम इन सब बुराइयों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं ।

मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहूंगा कि इस प्रयोजन के लिए एक कृतिक बल को जिम्मेदारी सौंप दी गई है । हमने एक कृतिक बल का गठन किया है और उसका काम है टिकटों की जांच करना, सवारी डिब्बों में अनधिकृत प्रवेश को रोकना स्थानीय राज्य सरकार प्राधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा यात्रियों के लिए उपयुक्त सुविधाएं सुनिश्चित करना इसलिए,मैंने एक-एक कर के सभी जोनों में ऐसे कृतिक बलों की स्थापना की है और मुझे पक्का विश्वास है कि सदस्यों को इसके परिणाम शीघ्र ही नजर आने लगेंगे ।

जहां तक संशोधन का सम्बन्ध है, यदि सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा, तो हमारा इरादा इसे बजट-सत्र में लाने का है । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :(सैदपुर) आज से चार पांच मास पहले बजट सत्र जब प्रारम्भ हुआ था उस समय भी इत्तिफाक से इसी विषय पर एक कालिंग एटेंशन आया था और उस पर भी मेरा नाम था । तब मैंने यह कहा था कि अब इस देश के किसी भी आदमी को यह भरोसा नहीं रह गया है कि रेल में यह सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकेगा कि नहीं ? गन्तव्य स्थान पर पहुंच पायेगा कि नहीं, बीच ही में तो उसके साथ बलात्कार, लूटपाट, हत्या नहीं होगी, किसी की दुश्मनी का बदला रास्ते में ही तो उससे नहीं ले लिया जायगा । क्योंकि यह आजकल सब रेलों में हो रहा है । उस समय डिप्टी मिनिस्टर, श्री मल्लिकर्जुन, जो शंकर भगवान के नामधारी हैं, बड़ी बहादुरी से उन्होंने उत्तर दिया था कि यह सब बिल्कुल उल्टी सीधी बात है और हमारी सरकार इसे रोकने का पूरा प्रयास कर रही है । क्या हुआ मलिल्कार्जुन जी अब मैं आधा मिनट आज-कल के पेपरों की कुछ हैडिंग्स की तरफ ही आपका ध्यान दिलाऊंगा जो भयंकर स्थिति रेलों में है । जाली रेलवे टिकटों का गोरखधंधा, 5 अभियुक्तों के विरुद्ध सी० बी० आई० द्वारा अभियोग-पत्र दाखिल दिल्ली आ रही तूफान एक्सप्रेस में डाका, हिमगिरि एक्सप्रेस में यात्रियों का चार लाख का सामान लूटा गया ; हवलदार की हत्या कर दो राइफलों की लूट । झेलम एक्सप्रेस में डाका और गर्भवती महिला की हत्या । मालगाड़ी से चुराये गये सेना के 35 पेटी कारतूस बरामद रेलवे खजाने का ढाई लाख रुपया और युवती को लेकर खजांची फरार" । यह डिप्टी मिनिस्टर श्री मल्लिकार्जुन जी के भाषण के बाद की हुई घटनाएं हैं । कहने का मतलब यह है कि आज भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है । हो सकता है कभी फिर मेरा कल अटेंशन इस विषय पर आवे । एक मेम्बर ने पूछा था कि अक्तूबर 1981 से लेकर अक्तूबर 1982 तक चोरी और लूट कितनी घटनाए हुई ? मन्त्री जी ने इसका जबाब नहीं दिया। लेकिन मैं इसका जबाब दे रहा हूं । इस बीच 19 हत्यायें हुई हैं, 36 डाके, 76 लूटपाट की घटनाएं एक साल के अन्दर हुई। मान्यवर, समस्या काबू के बाहर हो गई है, अन्य माननीय सदस्यों का कहने का मतलब भी यही था कि समस्या काबू के बाहर हो गई है ।

मन्त्री जी से पहला सवाल पूछना चाहता हूं : (1) आप बतायें कि क्या वाकई में यह समस्या जो इस समय रेलों में चल रही है यह सरकार की पकड़ के बाहर है कि नहीं ? यदि सरकार की पकड़ के बाहर नहीं है, सरकार इस पर नियन्त्रण कर सकती है तो श्री मल्लिकार्जुन के उत्तर देने के बाद इतनी घटनायें क्यों हुई ? और जो घटनायें हुई उनमें कितने लोग पकड़े गए और कितनों को सजा मिली और उस पर क्या कार्यवाही हुई, इसका विवरण मैं चाहता हूं ।

कालिंग अटेंशन का पहला पोर्शन था तिनसुखिया मेल में दुर्घटना संसद सदस्यों के साथ जो हुई । इसको छोड़ दिया जाय, जैसा मैंने पढ़ा, एक संसद सदस्य की हैसियत से नहीं बोल रहा हूं, हमारे बी० डी० सिंह और श्री के० पी० तिवारी यात्रा कर रहे थे । तिनसुखिया मेल के चलने का समय 10 बजकर 5 मिनट है और उस दिन यह गाड़ी 10.36 मिनट पर चली थी । क्यों ? आधा घंटा लेट गार्ड गाड़ी को लेकर चला और वहां पर संसद सदस्य पहुंचे, आरक्षण चार्ट को देखा जा रहा था, कितनी लापरवाही है कि आरक्षण चार्ट में किसी का नाम नहीं है और जब इन दोनों सदस्यों ने जाकर रेलवे अधिकारियों से बात की···सदस्यों ने पूछा कि यात्राकीक्या व्यवस्था बनाई गई है । किसी ने कहा कि जो यात्री जहां चाहे वहां बैठे । 'माननीय संसद-सदस्य जहां चाहें वहां बैठ जायें' हमें यह बताया जाये कि यह बात ठीक है या नहीं ? हमको सत्ता पक्ष के द्वारा यह पता चला है कि उस दिन आरक्षण चार्ट वहां नहीं था । मैं यह जानना चाहता हूं जो व्यक्ति कराकर जाता है, वह ः हां चाहे वहां बैठ जाये, इसका मतलब क्या है ? इसके मायने यह हैं कि इस दुर्घटना में संसद-सदस्यों को जान से मार डालने की पक्की साजिश थी ।

यह ट्रेन चली और उसमें चोरी कैसे हुई, इस पर गौर करने की बात है । पिछले 3 डिब्बों में से जो उसके क्लोज दरवाजे होते हैं सैंकिड में से फर्स्ट में और फर्स्ट में से सैंकिंड में जाने का उनको खोल दिया गया और खुलने के बाद चोर सैंकिंड क्लास में से फर्स्ट क्लास में घुसे । उसमें एक भी अटैंडेंट नहीं था, कन्डक्टर नहीं था और न सशस्त्र पुलिस ही थी ।

जब चोर उसमें आता है तो उपाध्यक्ष महोदय, आप भी अनुभव करते होंगे, हमारे नए मन्त्री जी पता नहीं समझते हैं या नहीं, वह बड़े जोश में भाषण दे रहे थे, जिसकी मैं कद्र करता हूं और मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि हो सकता है वह रेलवे की व्यवस्था को ठीक कर दें और अगर वह ऐसा कर दें तो हम देश के लोग उनको बधाई देते हैं, लेकिन मैं इनका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि एक संसद सदस्य पार्लियामेन्ट में बहुत सारी बातें बोलता है, बहुत ऐसे कार्य करता है जो बहुत कुछ अपराधी तत्वों के लिए, अराजक तत्वों के लिए पिंच करता है, मैंने 64 पत्र भेजे हैं जिसमें लिखा है कि राजनाथ सोनकर शास्त्री की हत्या कर दी जायेगी । जब हम उस गाड़ी में जा रहे हैं और अपने केबिन का दरवाजा बन्द कर लेते हैं, तो उस दरवाजे में एक सिटकनी लगी होती है । हम जानना चाहते हैं कि वह सिटकनी कैसे खुल गई ? इसका मतलब यह है कि वह सुरक्षित नहीं है और उसमें किसी संस -सदस्य को यात्रा नहीं करनी चाहिए । जब आदमी केबिन का दरवाजा बन्द कर लेता हैं तो आराम से सोता है कि अब कुछ नहीं है । हम सुरक्षित हैं लेकिन वह सिटकनी खुल जाए तो उसमें क्या कुछ नहीं हो सकता है, कोई व्यक्ति किसी को पिस्टल मार दे ? इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ।

यह जो चोरी की घटना हुई है, इसमें ·चोर संसद-सदस्यों का सामान लेकर बाथरूम में

घुस गये वहां उन्होंने उसे खोला और देखा । उसमें से उन्होंने एक भी कपड़ा नहीं निकाला, कोई कागज-पत्र नहीं लिया । उन्होंने केवल रुपये पैसे की चोरी की । मैं चोरी की बारीकी की बात कर रहा हूं ।

आज के पहले एक समाचार था जो इस हाउस में भी उठा था। लखनऊ मेल में चोरी हुई थी एक माननीय सदस्य ने बयान किया था कि एक यात्री जब स्नान घर से हाथ धोकर निकला तभी उसने बदमाशों को देखा । बदमाशों ने उसकी घड़ी छीन ली । यह आश्चर्य की बात है कि वदमाशों ने किसी यात्री का कपड़ा नहीं लिया । इस घटना में भी कपड़ा नहीं लिया । वह एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी । बदमाश करीब डेढ़ घंटे तक लूटपाट करते रहे । जब "एक आदमी ने इसका प्रतिरोध किया तो बदमाशों ने उसे घायल कर दिया ।" यहां तो किसी को घायल नहीं किया, लेकिन एक घंटे तक नहीं, बल्कि 3 घंटे तक बाथरूम में वह सामान खोलकर लूटते रहे । इतन मौका उनको मिला, यह भी गौर करने की चीज है ।

संसद सदस्य महावीर प्रसाद जी वाली दुर्घटना लखनऊ मेल में हुई इसमें एक संसद-सदस्य को बुरी तरह से पीटा भी गया था ।

तिनसुखिया मेल में जो यह घटना हुई है, उसके बारे में मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो 2,3 घटनाएं हुई हैं, इसके लिए क्या वह सी० आई० डी० की या कोई और जांच बैठायेंगे ? क्योंकि यह बहुत गम्भीर मामला है, इस उत्तर हम लोगों को जांच बैठाकर दें इस घटना के बाद जब गाड़ी कानपुर पहुंची और संसद-सदस्यों ने उत्तर कर स्टेशन मास्टर और दूसरे लोगों से शिकायत की, तो लाउड-स्पीकर पर एनाउंस किया गया कि अगर जी० आर० पी०एफ० का कोई आदमी हो, तो आएं । बारह तेरह बार यह एनाउन्ज कराया गया, लेकिन कोई भी कर्मचारी वहां नहीं पहुंचा । एक अटेंडेंट को तो ससपैंड कर दिया गया है, लेकिन क्या और कर्मचारियों की भी कोई डयूटी थी या नहीं ? क्या कन्डक्टर की कोई डयूटी थी या नहीं ? हम जानना चाहते हैं कि डी० आर० एन० ने इस बारे में कितनी दिलचस्पी ली ।

जब गाड़ी इलाहाबाद पहुंची, तो श्री के० पी० तिवारी और श्री बी० डी० सिंह ने रिपोर्ट लिखाई । अखबार वालों ने दो तीन घंटे बाद थानेदार से पूछा कि क्या आपके यहां कोई रिपोर्ट लिखाई गई है । उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है । इलाहाबाद के एक अखबार में यह बात छपी है । उसकी कटिंग मेरे पास नहीं है, वर्ना मैं यहां दे देता । यह यह हैं रेलवे की लापरवाही ।

मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह जी० आर० पी० का मामला है और राज्य सरकारों का भी मामला है और राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है । मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यदि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, तो क्यों नहीं इस रेल विभाग को निकालकर राज्य सरकारों को सौंप दिया जाता कि वे अपनी व्यवस्था करें । क्या जरूरत है केन्द्र में रेल मन्त्री की और लाखों करोड़ों रुपए व्यय करने की ? जब राज्य सरकारें सुरक्षा के लि, उत्तरदायी हैं, तो वे ही यह काम करें, ऐसा विधेयक लाया जाए ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : कृपया संशोधन का समर्थन करें।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि पिछले एक दो साल में जितनी घटनाएं हुई हैं, उनके सम्बन्ध में कुल कितने रेलवे अधिकारी और रेलवे कर्मचारी मुअत्तिल किए गए हैं या सजा पाए हैं। कर्मचारी वैसा ही होगा, जैसा उसका अधिकारी होगा। इसमें सारी की सारी जिम्मेदारी अधिकारियों की है। माननीय मन्त्री श्री मल्लिकार्जुन, याद रखें कि एक दिन उन्हें हमारी बात की सच्चाई समझ में आएगी कि बनारस में उन्होंने जो दुर्घटना की, उसका परिणाम मुल्क के लिए भयंकर है। उसकी सारी जिम्मेदारी आप पर है। मैं उसको एक बार हाऊस में रिपोर्ट कर चुका हूं। इसलिए उसे फिर रिपीट नहीं करना चाहता।

बरेली की घटना के बारे में हमारे बहुत से मित्रों ने कहा है। मैं उसके सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहूंगा। वहां पर जब लोगों को उतारा जाने लगा, तो उसी समय रेलगाड़ी को भी चला दिया गया। इसमें क्या तुक थी ? जब टिकटों की चेकिंग हो रही थी, दोषी और निर्दोषी सब पीटे जा रहे थे, क्या तब रेलगाड़ी चलाई गयी थी या नहीं ? टिकटों की चेकिंग गाड़ी जो रोक कर होती है। जब वहां पर पिटाई शुरू हो गई, जब डंडे पड़ने लगे, तो उसी बीच में रेलगाड़ी चला दी गई। इसका क्या कारण था ?

कहा जाता है कि वह रैली की गाड़ी थी। पता नहीं, किसकी रैली थी। इसमें हमें कोई इन्ट्रेस्ट नहीं है। और फिर यह तो सत्ता-पक्ष की देन है। गत वर्ष कांग्रेस की रैली चल रही थी। मैं भी आ रहा था। चार दिन तक कोई भी आदमी गाड़ी में टिकट लेकर बैठ कर आने के काबिल नहीं था। तब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थीं। संजय गांधी साहब की मृत्यु हुई। हमको उनके प्रति पूरी सहानुभूति है। लेकिन जब कहीं राजीव गांधी उनकी अस्थी लेकर चले थे, तो विशेष गाड़ियां चल रही थीं और उनमें बिना टिकट यात्रा हो रही थी। (**व्यवधान**) आपने ठीक कहा कि आफिशल रूप में चलाई जाती है।

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : मुझे अफसोस है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का सम्बन्ध केवल···

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह टिकट चोरी का मामला है, रेलवे में चोरी का मामला है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में केवल दो बातें विशेष रूप से कही गई हैं। उन्हें सभी बातें ऐसे ही कहने नहीं दी जा सकती कि संजय गांधी की मृत्यु पर क्या हुआ था और जब उसकी अस्थियां ले जाई जा रही थी तब क्या हुआ था उन सबका पूरा भुगतान किया गया था। कालिंग एटेन्शन नोटिस का यह मतलब नहीं है कि जो चाहे कहिए। जिस पर कालिंग एटेन्शन नोटिस है, उस पर बोलिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : जो सबजेक्ट होता है, मैं उसी पर बोलता है। डिपुटी स्पीकर साहब इस बारे में फैसला करें। अगर वह चाहें, तो सब कुछ निकाल दें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोनकर शास्त्री, ध्यानाकर्षण रूप से इस…

(व्यवधान)

श्री जी० के० जाफर शरीफ : यह पूर्णतः असंगत है इसे कार्यवाही वृत्तान्त में से निकाला जाना चाहिए। इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सम्बन्धित मामले उठाए जाने चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मन्त्री जी क्या चाह रहे हैं ? इसे कार्यवाही-वृतान्त में से निकला जाना चाहिए। नहीं, नहीं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैंने कोई ऐसा शब्द नहीं कहा है जिसका इस घटना से सम्बन्ध न हो।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसी खास विषय पर है वे केवल सुझाव दे रहे हैं। (व्यवधान) आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तिम मुद्दे पर आइये।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप संजय गांधी के भक्त हैं, और भी बहुत लोग भक्त हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपनी ड्यूटी भली-भाँति जानता हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : दिल्ली स्टेशन पर भी घटना हुई है इसलिए उसका भी इस कालिंग एटेन्शन से सम्बन्ध है।··

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही 20 मिनट बोल चुके हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : कोई भी स्टेशन चाहे वह दिल्ली हो, लखनऊ हो, कलकत्ता हो या बम्बई हो, वह आजकल गुण्डागर्दी के अड्डे बन गए हैं। इस गुण्डागर्दी की ओर भी मन्त्री जी का ध्यान जाना चाहिए। विभिन्न स्टेशन्स पर मिसलेनियस, चाय' फलों और बुक स्टाल्स एलाट कर दिए गए हैं। कैसे दिए गये हैं। यह भी हम जानते हैं। हमें विश्वास है कि मन्त्री जी भी इसका पता जरूर लगायेंगे कि 20-25 साल से दुकानें एक-एक आदमी के नाम से एलाटेड हैं और उनपर जो काम करने वाले हैं वे रेलवे स्टेशन के गुण्डे हो गए हैं। उनकी कुलियों से साठ-गांठ होती है, चोरों से साठ-गांठ रहती है और वे हर महीने अधिकारियों को रुपया पहुंचाते हैं। यदि उनके खिलाफ कोई कंप्लेन्ट लिखी जाती है तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस एलाटमेन्ट को भी खत्म करना होगा। यदि नहीं खत्म करते हैं तो उनको अच्छी तरह से देखना होगा। (व्यवधान)

उपमन्त्री श्री धर्मवीर जी जब जा रहे थे तो रेलगाड़ी में उनकी अटैची चुरा ली गई। जैसे ही जाकर डिब्बे में उन्होंने रखा, वह चुरा ली गई। (व्यवधान)

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : यह क्या है ? हमारी समझ से

यह परे है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें ।

प्रत्येक माननीय सदस्य नियम जानता है और उन्हें नियम बताने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है । उन्हें नियमों का पता होना चाहिए ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उपाध्यक्ष जी, आप डिसाइड करें मैं क्या गलत कह रहा हूं । धर्मवीर जी की अटैंची चुरा ली गई, क्या उसका इससे सम्बन्ध नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोई आम चर्चा नहीं हो रही है । आप सब बातें यहां बता सकते हैं । लेकिन मन्त्री जी उन सबका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है । यह अब सूचना उनके पास यहां उपलब्ध नहीं होगी ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : बरेली और तिनसुखिया मेल में जो घटनाएं हुई हैं उनके सम्बन्ध में माननीय सदस्य बोलें ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपकी अटैची चोरी हो जायेगी तो वह मामला इस काल अटेंशन में आयेगा या नहीं ? **(व्यवधान)** उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप पाबन्दी लगा देंगे तो मैं नहीं बोलूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के विषय पर ध्यान केन्द्रित नहीं करते हैं ··· **(व्यवधान)**

अब आप अपनी बात समाप्त करें । अब मन्त्री जी इसका उत्तर देंगे ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं तो रेल मन्त्री का स्वागत कर रहा हूं और उनको बता रहा हूं कि इन बातों का सामना उन्हें भविष्य में करना पड़ेगा ।

श्री मल्लिकार्जुन : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है कि दो माननीय सदस्यों की हत्या करने की साजिश की गई, यह पूरी तरह से गलत है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या आप उत्तर दे रहे हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : जी हां ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनकी भी बातें सुनूंगा, ये बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं लेकिन ··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वे मना नहीं कर रहे है । वे उत्तर दे रहे हैं ।

श्री मल्लिकार्जुन : : मान्यवर, यह बात सम्पूर्ण तरीके से बेबुनियाद है । किसी भी माननीय सदस्य की हत्या करने की कोई साजिश नहीं की गई । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक माननीय सदस्य को राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए । इसकी पुनरावृत्ति रोकी जा सकती है । इसीलिए अध्यक्ष महोदय ने इस चर्चा की अनुमति प्रदान की थी । **(व्यवधान)**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उन्हें यह कैसे मालूम हो सकता है? आपको उनके इरादे का कैसे पता लग सकता है ?

श्री मल्लिकार्जुन : तिनसुखिया मेल के 10.35 पर रवाना होने का कारण यह था कि उस ट्रेन के अन्त में इलाहाबाद कोच लगाया जाता है और तिनसुखिया मेल जब इलाहाबाद पहुंचता है तब उसको निकाल लिया जाता है। उस दिन जो कोच लगाया गया वह ठीक स्थिति में नहीं था, तुरन्त ही अच्छा कोच लगाने में देर हुई है। मान्यवर, ट्रेन्स की सुरक्षा और डकैती तथा चोरी के मामले में जो विरोधी पक्ष के द्वारा आरोप लगाया है, इस बारे में सरकार गम्भीरता से सोच रही है। हाल ही में प्रधान मन्त्री जी ने स्वयं कैबिनेट सैक्रेटरी के तहत एक कमेटी बनाकर यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और इसका अन्त करने के लिए उसको अधिकार दिया गया है। जो कमेटी सिफारिश करेगी, उनको सम्पूर्ण तरीके से अमल करने के वास्ते प्रयत्न कर रही है। किस तरह से जी० आर० पी० एफ० ड्राइवर और गार्ड—इन तीनों में किस प्रकार से सम्बन्ध रहना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें इलेक्ट्रानिक या इलैक्ट्रिकल डिवाइस का उत्पादन करना पड़े, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं।

अब एन्टी-सोशियल एलीमेन्ट्स का सवाल है, जो चेन-पुलिंग करते हैं, एक आतंक का वातावरण रेलवे के अन्दर पैदा करते हैं, उन लोगों को सजा देने के लिए हम लोग एक्ट में संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि उनको सख्त से सख्त सजा दी जा सके। इस प्रकार सरकार विचार कर रही है कि लोग सुरक्षा से गाड़ी में यात्रा कर सकें और अपने गतंव्य स्थान तक पहुंच सकें।

बरेली में जो बिना टिकट यात्रा करने का सवाल है, वहां मैजिस्ट्रेट भी थे, वहां 253 लोग बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए। वहां पर चैकिंग स्टाफ के दो लोगों को चोट ी लगी हैं। उस वक्त हमें आर० पी० एफ० और जी० आर० पी० की सहायता लेनी पड़ी। इस क्लेश में 13 पैसेन्जर को जरूर कुछ चोट लगी है। जिस प्रकार सारे सदन में 1981 में बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों को चैक करने के लिए सहयोग दिया था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे आज भी हमें देंगे। श्री शास्त्री जी को बताना चाहता हूं कि 1881 में एक साल के अन्दर रेलवेज को 50 करोड़ रुपया मिला, बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों से। यह कोई मामूली चीज नही है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : खर्चा कितना हुआ।

श्री मल्लिकार्जुन : खर्चा ज्यादा नहीं है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आमदनी से खर्चा ज्यादा है, कम है ?

श्री मल्लिकार्जुन : सम्पूर्ण तरीके से आमदनी से खर्चा कम है। आपका गलत ख्याल है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप यह क्यों कह रहे हैं कि ख्याल गलत है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का व्यवस्था के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप उत्तर दें। आप भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के मुद्दे पर ही बोलें।

श्री मल्लिकार्जुन : बिना टिकट जो यात्रा करते हैं, इन लोगों को रोकना बहुत आवश्यक है। इस समय हम वई टैवलर एजेन्ट्स को रोक चुके हैं और रोक रहे हैं। इस तरीके से प्रयत्न हो रहा है, फिर भी असन्तोष है, उसको दूर करने के लिए हमारे माननीय मन्त्री जी बता चुके हैं। हमारे रेल मन्त्री जी ने स्टेट चीफ मिनिस्टर्स को लिखा है और यात्रियों की सुरक्षा और दूसरी समस्याओं के बारे में आर्डीनेंट करके और यात्रियों को सुविधाएं देकर उनको उनके गन्तव्य स्थानों तक पहुंचाने का काम सम्पूर्ण तरीके से हम कर रहे हैं।

इसके पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 30 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 36 मिनट पर पुनः समवेत हुई।
[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेंगे।

(एक) उड़ीसा में कटक और भुवनेश्वर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को चौड़ा करने की आवश्वकता

श्री लक्ष्मण मलिक (जगतसिंहपुर)* : कटक, जो उड़ीसा का सबसे बड़ा वाणिज्यिक शहर है और भुवनेश्वर, जो राज्य की राजधानी है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के इस क्षेत्र में हाल के वर्षों में यातायात में भारी वृद्धि हुई है। वाहन यातायात में वृद्धि के कारण इस सड़क पर मोटर दुर्घटनाओं की संख्या में भी वृद्धि हो रही जिससे उस क्षेत्र के लोगों को भारी चिंता हो रही है।

इन दुर्घटनाओं के कारण का पता लगाना कठिन नहीं है, यह राजपथ इतना चौड़ा नहीं हैं कि वहां बड़ी संख्या में वाहन चल सकें। इसलिए राजपथ के इस भाग को अविलम्ब चौड़ा किया जाना चाहिए। उड़ीसा सरकार ने परिवहन मंत्रालय से इस सड़क को चार भागों (लेन्स) में बदलने हेतु तत्काल कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया है। किन्तु राजपथ के इस भाग को चौड़ा करने के काम में कोई प्रगति नहीं हुई हैं। इस काम के लिए 17.13 करोड़ों रुपए का आंकलन उड़ीसा सरकार द्वारा दिया गया है। कलकत्ता और मद्रास के बीच वाहनों के यातायात के

*उड़िया में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

लिए यह मुख्य मार्ग है। इसलिए राष्ट्रीय राजपथ सं० 5 के इस मार्ग को चौड़ा करने के लिए राज्य सरकार के आंकलनों के अनुसार धनराशि आवंटित की जानी चाहिए। इस राष्ट्रीय राजपथ को चौड़ा करने का कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजनावधि के समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना चाहिए।

(दो) नसबन्दी करने वाले दम्पत्तियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : देश की बढ़ती हुई जनसंख्या इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारे सुनियोजित प्रयासों के परिणाम-स्वरूप सभी विकास कार्य निरर्थक होते हैं। जब तक हम जनसंख्या में इस वृद्धि को रोकने के लिये प्रयास नहीं करते तब तक देश कोई आर्थिक विकास नहीं कर सकता।

सरकार उन दम्पत्तियों को नकद प्रोत्साहन दे रही है, जो नसबन्दी करवाते हैं।

मेरा सुझाव है कि सरकार को नसबन्दी कराने वाले इन दम्पतियों को और उनके दो बच्चों को नकद प्रोत्साहन के बजाय निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं के रूप में प्रोत्साहन देना चाहिए।

इंग्लैण्ड में राष्ट्रीयकृत स्वास्थ्य योजना है। हमें नसबन्दी कराने वाले दम्पत्तियों के लिए एक अंशतः राष्ट्रीयकृत स्वास्थ्य योजना आरम्भ करनी चाहिए। यदि देश की आर्थिक समस्याओं के कारण जीवन पर्यन्त निःशुल्क चिकित्सा सहायता देना संभव नहीं है, तो हमें इन दम्पत्तियों को और उनके दो बच्चों को कम से कम कम 10-15 वर्ष तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं देनी चाहिए।

मेरे विचार से देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनता को परिवार नियोजन हेतु प्रेरित करने के लिए यह सबसे अच्छा प्रोत्साहन रहेगा।

(तीन) रानीगंज से बांकुरा तक बरास्ता मिजा एक नई रेलवे लाइने बिछाने की आवश्यकता

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : बांकुरा एक पिछड़ा हुआ जिला है और मिजा थाना में पर्याप्त मात्रा में कोयला पाया जाता है इसलिए अब इस कोयले को अन्य स्थानों पर ले जाने के लिए ढुलाई की सुविधा की आवश्यकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि रानीगंज से बांकुरा तक बरास्ता मिजा एक रेलवे लाइन का निर्माण किया जाये ताकि बांकुरा स्टेशन से रानीगंज मिजा से हाल्दिया तक कोयला पहुंचाया जा सके। मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योग रेलवे लाइन के दोनों तरफ स्थापित होंगे और इससे सूखाग्रस्त पिछड़ा जिला बांकुरा की स्थिति सुधरेगी और इस क्षेत्र के हजारों बेरोजगार युवकों को रोजगार सुलभ होगा। इसलिए रानीगंज से बांकुर तक रेलवे स्टेशन का निर्माण यथाशीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि जब वर्तमान रेल मन्त्री ऊर्जा मंत्रालय में थे, तब उन्होंने उक्त रेलवे लाइन के निर्माण के लिए

अपनी इच्छा व्यक्त की थी। पश्चिम बंगाल विधान सभा ने सर्वसम्मति से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया है। इसलिए इस रेलवे लाइन का निर्माण यथाशीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जब इसका सम्पादन हुआ था, तब कुछ नाम निकाल दिये गए थे। वे नाम जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं, रिकार्ड में नहीं जाएंगे। मैं आशा करता हूं आप मेरी बात से सहमत होंगे क्योंकि आप एक अनुशासित संसदविज्ञ है। श्री बशर।

(चार) नीलांचल एक्सप्रेस और साबरमती एक्सप्रेस रेलगाड़ी को बरास्ता वाराणसी पुन: चलाने की आवश्यकता

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : 1 अक्तूबर, 1982 से जो रेलवे की समय सारणी लागू की गई है उसके अनुसार अब नीलांचल एक्सप्रेस जो पहले वाराणसी से होती हुई चलती थी अब बरास्ता मिर्जापुर चलेगी। साबरमती एक्सप्रेस जो सप्ताह में दो बार वाराणसी और अहमदाबाद के बीच चलती थी, का अब बनारस से चलना बन्द कर दिया गया है। रेलगाड़ियों के इस परिवर्तन के कारण वाराणसी और उसके आस-पास के जिलों में जनता में भारी विक्षोभ है।

वाराणसी का हमारे देश में अपना अलग महत्व है। यह विदेशों तथा देश के विभिन्न भागों से विशाल संख्या में पर्यटकों का आकर्षण करता है। वाराणसी हिन्दुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। यहां रोजाना देश के विभिन्न भागों से भगवान विश्वनाथ के भक्तजन दर्शन के लिए और पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं।

नीलांचल एक्सप्रेस रेलगाड़ी दो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों—वाराणसी और पुरी से जुड़ी हुई थी। इसी तरह साबरमती एक्सप्रेस गुजरात को वाराणसी से जोड़ती थी। वाराणसी के लोगों का गुजरात में अपना व्यापार चलता है। मशहूर बनारसी साड़ियों को सूत अहमदाबाद और सूरत से भेजता है। गुजरात से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग वाराणसी आ रहे हैं और यही बात वाराणसी के लोगों के साथ है जो गुजरात जाते हैं।

वाराणसी के लोग यह महसूस करते हैं कि इन रेलगाड़ियों को बदलने से वाराणसी का स्थान भारत के रेल के नक्शे कम हो गया है।

मैं रेल मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह नीलांचल एक्सप्रेस तथा साबरमती एक्सप्रेस को पुन: रोकने के लिए बरास्ता वाराणसी चलाने के लिए स्वयं कार्यवाही करें।

(पांच) तामिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन का प्रसार करने के लिए अतिरिक्त चिकित्सा सुविधायें देने की आवश्यकता।

श्री सी० पलानी अप्पन * (सलेम) : महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जन साधारण को परिवार नियोजन के लिए बिना आपरेशन की वे सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जो शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। यदि जनसंख्या वृद्धि में नियन्त्रण करना है तो सरकार के लिए यह जरुरी है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में इस कमी की ओर ध्यान दें। बच्चे के प्रसव के समय ही मां को परिवार नियोजन

*तमिल में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

के सम्बन्ध में जो वैज्ञानिक तरीके हैं उनके बारे में तमिल में अवगत कराया जाना चाहिए। कई माताएं जो रक्त की कमी से पीडित होती हैं प्रसव के लिए अस्पताल जाती हैं और वहां उनको मात्र 10 पैसे मूल्य की दवा दी जाती है। इस दवा को प्राप्त करने के लिए वे अस्पताल पहुंचने के लिए परिवहन पर 10 रुपये खर्च करती हैं। इन माताओं को अस्पतालों द्वारा पंजीकृत किया किया जाना चाहिए और उन्हें उचित औषधि दी जानी चाहिए। परिवार कल्याण विभाग का यह कर्तव्य है कि गर्भ निरोधक आपरेशन कराने वाली माताओं को समुचित चिकित्सा सुविधा दी जानी चाहिए। कोयबतूर मेडिकल कालेज अस्पताल में परिवार कल्याण यूनिट में कार्यरत बाल रोग विशेषज्ञ वहां नहीं रुकते, वे बच्चों के जनरल वार्ड में जाते हैं। उन्हें बच्चों के वार्ड में रुकने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए जहां माताओं का गर्भ निरोधक आपरेशन किया जाता है। ऐसे बच्चों को प्रसव के बाद एक महीने तक प्रसवोतर देखभाल की जानी चाहिए। तमिलनाडु में सभी जिला अस्पतालों और सभी तालुक अस्पतालों में परिवार कल्याण वार्डों में बाल रोग विशेषज्ञ नियुक्त किये ताकिचाहिए जाने परिवार नियोजन का उद्देश्य सफल हो सके। यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना है तो आप-रेशन के माध्यम से परिवार नियोजन के कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिया जाना चाहिए और इस प्रकार चिकित्सा विभाग द्वारा लोगों को समु चित तथा पर्याप्त चिकित्सा सुविधा दी जानी चाहिए।

(छः) **हरियाणा में नलकूपों के लिए और बिजली देने की आवश्यकता**

स्वामी इन्द्रवेश (रोहतक) : मान्यवर, हरियाणा प्रदेश गेहूं उत्पादन करने वाले प्रदेशों में एक मुख्य प्रदेश है। इस प्रदेश में जहां स्वयं के लिए गेहूं पैदा होता है, वहां देश के भण्डार में लाखों टन गेहूं हरियाणा से दिया जाता है। इस वर्ष वर्षा की लम्बे समय समय से कमी चल रही है। पूरे प्रदेश में खेत सूख पड़े हैं : वर्षा न होने के कारण नहरों में भी पानी की कमी है। गेहूं की की बोआई का समय आ गया है। किसानों के पास एकमात्र साधन नलकूप (ट्यूबवैल) हैं, जिनके द्वारा जमीन के नीचे से पानी निकाल कर खेतों की सिंचाई हो सकती है। ट्यूबवैल बिना बिजली के चल नहीं सकते हैं। हरियाणा प्रदेश में बिजली की भारी कमी है बिजली के अभाव में ट्यूबवैल बन्द पड़े हैं। किसानों में भविस्य के लिए भारी निराशा है और बिजली की कमी के कारण असंतोष है। यदि इस समय बिजली ट्यूबवैलों को पूरी समय तक नही मिली, तो हरियाणा की अधिकांश भूमी सिंचाई के बिना पड़ी रह जाएगी।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि आगामी दो मास तक किसानों के नलकूपों (ट्यूबवैलों) को 24 घण्टे बिजली देने की व्यवस्था करें, जिससे गेहूं की बोआई हो सके और देश के लिए अन्न की समस्या का समाधान हो सके।

(सात) **बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल समाप्त करानं की आवश्यकता**

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामले पर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं :

बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों की नौ महीने लम्बी हड़ताल न केवल हमारे देश बल्कि विश्व इतिहास में सबसे लम्बा विवाद है।

इस हड़ताल ने औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम (बीरा) और इसकी असारता को चुनौती दी है। इसने यह सिद्ध कर दिया है कि अधिनियम द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ में मजदूरों का समर्थन खो दिया है। जिसका वह कानूनी आधार पर दावा करता है। प्राधिकारी और मिल मालिक एसोसिएशन अपने पुराने रवैये पर अड़े हुए हैं कि जब तक हड़ताल वापस नहीं ली जाती है, तब तक कोई वार्ता नहीं हो सकती है जो न केवल अनुचित है बल्कि कपड़ा उद्योग के लिए हानिकारक हैं।

इस तथ्य से कि मजदूरों ने पिछले नौ महीने से काम बन्द कर रखा है यह पता चलता है कि उनमें कितना असन्तोष है और वे अपनी उचित मांगों के लिए संघर्ष करने को सुदृढ़ हैं।

क्योंकि स्थानीय प्राधिकारी अनेक बार इस मामले को सुलझाने में असफल रहे हैं। मैं प्रधान मन्त्री से अनुरोध करती हूं कि वे इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें तभी नौ महीने पुरानी कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल के मामले में हस्तक्षेप करें।

(आठ) **कृषि वैज्ञानिकों को पर्याप्त सुविधाएं**

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सरकार के नियंत्रणाधीन वैज्ञानिकों को आश्वासन दिए गए थे कि सरकारी नियम बिना किसी परिवर्तन के उन पर लागू किए जाएंगे। परन्तु फिर भी इन आश्वासनों को सेवा शर्तों और सी० जी० एच० एस० सुविधाओं, आवासीय टेलीफोन का आवंटन और सेवानिवृत्ति पर सरकारी आवास आदि की पात्रता आदि के विषय में कभी भी पूरा नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त काम की स्थिति और पर्यावरण को पिछली स्थिति के समान नहीं रखा गया जिससे उसका पुनर्गठन करना पड़ा और बाद में जांच समिति की नियुक्ति करनी पड़ी जैसा कि प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में दिया गया है।

कार्य की असंतोषजनक स्थिति के कारण कई वैज्ञानिकों ने आत्महत्या कर ली है और बड़ी संख्या में वैज्ञानिक विदेश चले गए हैं। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और जी० बी० पंत कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर, जो देश में कृषि विश्वविद्ययालयों के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समान कार्य करता है, के वैज्ञानिकों ने आत्म-हत्या की थी।

इस समस्या के कारणों का पता लगाना आवश्यक है जो कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों के प्रयासों को गम्भीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं और परेशानी पैदा कर रहे हैं और जिनके कारण वैज्ञानिक विदेशों में जा रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 5 अक्तूबर, 1982 को श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात् :

"अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा निधि और बैंक अधिनियम, 1945 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अव, इससे पहले कि मैं श्री सतीश अग्रवाल को बुलाऊं, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि इस चर्चा में भाग लेने के लिए अनेक माननीय सदस्य इच्छुक हैं। हमें इस विधेयक को पारित करना है और फिर एक और विधेयक है जिसमें लगभग एक घंटा लगेगा। हमें उसे भी आज ही समाप्त करना है। अतः सभा को हमें इन दोनों विधेयकों को समाप्त करने की अनुमति देनी चाहिए और यदि आवश्यक हुआ तो हम 6 बजे के बाद भी बैठेंगे। ऐसे किसी भी सदस्य पर कोई पाबन्दी नहीं लगाना चाहता हूं जो इस विधेयक पर बोनना चाहें नि.संदेह प्रत्येक सदस्य के लिए समय की पाबन्दी होगी। अब, श्री अग्रवाल बोल सकते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक अधिनियम, 1945 पर इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, बजट सत्र के दौरान हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 5000 करोड़ रुपये को भारी लक्ष्य की जटिलताओं की चर्चा की थी। यद्यपि आपने कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की थी और इस विधेयक पर पूरी बहस की अनुमति देने में आपने बड़ी कृपा की। इस विधेयक को मत्त्हव को देखते हुए, मैं इस तथ्य के प्रति बड़ा सतर्क हूं क्योंकि कुछ अन्य माननीय सदस्य भी इस चर्चा में भाग लेंगे और 3.30 बजे कार्य मन्त्रणा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें पर मुझे उपस्थित रहना है और महत्वपूर्ण मामलों के विषय में निर्णय करना हैं।

महोदय, कल जो मेरे पूर्व के वक्ताओं द्वारा पहले कहा जा चुका है मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। इस सभा में इस मामले पर लम्बी चर्चा करते समय इस भारी ऋण लेने की आवश्यकता और उसके औचित्य पर हमारी ओर से काफी कुछ कहा गया था। इस ऋण की कानूनी और संवैधानिक जटिलताओं की पुरे करण और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से हमारे सम्बन्धों पर चर्चा करने का हमें एक और अवसर दिया गया है। अब यह सम्पन्न कार्य लगता है क्योंकि सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से मुताह निकाह कर लिया है और इससे पीछे हटने की कोई सम्भावना नजर नहीं आती हैं। अब यह, अच्छा रहता कि यदि सरकार विपक्ष से सलाह लेती, यह अधिक अच्छा रहता कि सरकार इस पर सभा में चर्चा करने की माँग करती और यह अब भी अच्छा रहता कि इतने बड़े ऋण को लेने से पूर्व सरकार पूरे देश को विश्वास में ले लेती। यह ऋण उस सरकार को वापस करना होगा जो उस समय सत्ता में होगी। अतः इस सरकार के लिए यह विशेष रूप से अधिक आवश्यक था कि वह इतना वड़ा ऋण लेने से पूर्व पूरे देश को विश्वास में ले लेती। हमने इस ऋण की शर्तों के सम्बन्ध में काफी कुछ कहा था और हमने

ब्राजील, अर्जेंटीना, श्री लंका, मेकिसको आदि देशों के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष और विश्व बैंक के साथ हुए कुछ अनुभव के उदाहरण भी दिए थे। अब निश्चिय ही ऐसा लगता है कि विशेष रूप से यह अच्छा होता कि यदि इस विधेयक को एक प्रकट समिति को भेज दिया जाता और इस सभा की एक प्रकट समिति को इस विधेयक में दी गई जटिलताओं की विस्तार से जांच करने का अवसर दिया जाता। इस विधेयक ने अधिक कुछ नहीं है परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि वित्त मन्त्री ने उद्देश्यों और कारणों के विवरण में बड़ी चालाकी से इसका उल्लेख किया था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के करार के अनुच्छेदों के सम्बन्ध में पहला संशोधन 1969 में किया गया था। और 1976 में पुनः संशोधन किए गए जो 1978 में लागू हुए और यह बिधेयक केवल उन संशोधनों को शामिल करने के लिए लाया गया है जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष करार के अनुच्छेदों में 1969 और 1976 में किए गए थे। यह बहुत सरल और निष्कपट लगता है यह यिधेयक कितना सरल है। हम केवल उन्हीं संशोधनों को शामिल कर रहे हैं जो हमने 1969 और 1976 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष करार के अनुच्छेदों में किए थे। क्या में माननीय मन्त्री से एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? आप 1969 में एक संशोधन कारी विधेयक क्यों नहीं लाये ? अथवा जब विशिप्ट अधिनियम का 1669 में संशोधन किया गया था, तो आपने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष करार के अनुच्छेदों के माध्यम से 1969 में किए गए संशोधन तब ही क्यों नहीं सम्मिलित किए थे ? और अगर आप इसे तब 1959 में नहीं लाए थे तो 1970 में क्यों नहीं लाए ? अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष द्वारा अपने करार के अनुच्छेद में 1969 में किए गए संशोधनों को शामिल करने के लिए आपने तेरह वर्ष तक इंतजार क्यों किया ? केवल यही नहीं, दूसरे संशोधन 1676 में किए गए जो 1978 में लागू हुए थे। मैं आपसे वित्त मन्त्री के रूप में बात कर रहा हूं न कि कांग्रेस (ई०) अथवा जनता पार्टी के वित्त मन्त्री के रूप में इन संशोधनों को इस अधिनियम में सम्मिलित करने के लिए आपने इतने वर्ष इन्तजार क्यों किया ? संभवतः आपको अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से इतना बड़ा ऋण नहीं लेना था और आप कतिपय उपबन्धों का पालन करने में लगे रहे। यह पहली बात है।

दूसरे क्या, में माननीय मन्त्री से पूछ सकता हूं कि क्या वर्तमान विधेयक के इन संशोधनों को शामिल किए बिना आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष को अनुच्छेद 4 की धारा 3 के अर्न्गत सूचना नहीं देते रहे हैं अब आप इस संशोधनकारी विधेयक के माध्यम से अनुच्छेद 4 को धारा 4 में शामिल करने की अनुमति चाहते हैं। परन्तु आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष को सूचना देते रहे हैं और आपने इस सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा है जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 4 की धारा 4 में शामिल करने के सम्बन्ध में आपने उद्देश्यों और कारणों के विवरण एक शब्द भी नहीं कहा है आपने केवल यह कहा है :

> "1 अप्रैल, 1978 को प्रवृत्त हुए इन संशोधनों के मुख्य उद्देश्य ये हैं : विनियम दर व्यवस्थाओं को और अधिक लचीला बनाया जाना; स्वर्ण की भूमिका में कमी करना तथा विशेष आहरण अधिकारियों की भूमिका में वृद्धि करना; निधि, वित्तीय संक्रियाओं और संव्यवहारों का सरलीकरण और आधुनिककरण, निधि के संगठनात्मक और प्रशासनिक पहलुओं में सुधार, आदि।"

आगे यह कहा गया है,

"अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि अधिनियम, 1945 के जो निधि के करार के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार का समर्थकारी अधिनियम है ; वर्तमान उपबन्धों में संशोधनों की आवश्यकता होगी जिससे निधि के करार में पूर्वोक्त संशोधन के लिए उपबन्ध हो जाए ।"

मेरी प्रमुख आपत्ति, जो मैंने 5 अक्तूबर और 11 अक्तूबर को की थी वह इस अधिनियम की धारा 4, जिसमें सूचना देने के सम्बन्ध में उपबन्ध किया गया है, के सम्बन्ध में है । अब यह सरकार उस धारा बिशेष में एक और उपबन्ध समाविष्ट करने जा रही है और वह अनुच्छेद 4 है अनुच्छेद 4 क्या है ? क्या कोई जानता है ? श्री महाजन, क्या आप जानते हैं ? आपने अनुच्छेद 4 का समर्थन किया है, लेकिन आपने इसे पढ़ा नहीं हैं । अनुच्छेद 4 क्या है ?

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : यह जानकारी देने के सम्बन्ध में है ।

श्री सतीश अग्रवाल : किस बात के बारे में ? यह इतना आसान नहीं है । सभा यह जानने की इच्छुक होगी कि अनुच्छेद 4 क्या है जिसे अब धारा चार में समाविप्ट किया जा रहा है । इससे, सरकार और इस देश का प्रत्येक व्यक्ति सरकार को अथवा रिजर्व बैंक को इस पहलू के सम्बन्ध में सूचना भेजने के लिए वाधित होगा । इस परिशोधन के माध्यम से हमने.किस चीज को स्वीकार किया है ? अनुच्छेद 4 क्या है ? मेरी मुख्य आपत्ति खण्ड 4, अर्थात् सूचना भेजने के लिए है । बस यही । यह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है । जहां तक ऋण लेने का प्रश्न है, वह अनुच्छेद 292 का एक अन्य पहलू हैं । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष द्वारा यथा परिशोधित करार के संशोधित नियमों का अनुच्छेद 4 क्या है ? इस संशोधनकारी विधेयक की धारा 3 क्या है ? इस संशोधनकारी विधेयक के खण्ड (क्लांज) 3 में हमने 'अनुच्छेद 4 के खण्ड 3 का पैरा (ख)" शब्द प्रतिस्थापित करने होंगे । अब, यह अनुच्छेद 4 क्या है ? यह धारा 3 क्या है ? हमें इसे पढ़ना होगा; और सभा की जानकारी के लिए मैं इसका उल्लेख करना चाहता हूं । खण्ड 3 इस प्रकार है :

"···**विनिमय व्यवस्था पर निगरानी :**

(क) यह कोष अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए उस पर निगरानी रखेगा और प्रत्येक सदस्य द्वारा इस अनुच्छेद की धारा 1 के अधीन अपने दायित्वों के पालन पर निगरानी रखेगा ।"

इस अनुच्छेद की धारा 1 के अधीन दायित्वों का उसमें उल्लेख है । और (ख) का पाठ इस प्रकार है :

"····उपर्युक्त (क) के अधीन अपने कृत्यों को पूरा करने के लिए कोष सदस्यों की विनियम दर नीतियों पर कड़ी निगरानी रखेगा और इन नीतियों के सम्बन्ध में सभी सदस्यों के मार्ग निर्देशन के लिए विशिष्ट सिद्धान्त अपनाएगा । प्रत्येक सदस्य कोष को ऐसी निगरानी के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा और कोष द्वारा अनुच्छेद किए जाने पर, सदस्य की विनियम दर नीतियों के सम्बन्ध में कोष से परामर्श करेगा ।"

अब, हमने अपनी विनियम दर नीतियों पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष द्वारा निगरानी स्वीकार कर ली है। अतः विनियम दर नीतियों के सम्बन्ध में, भारत सरकार अपनी इच्छानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र नहीं है ; और अनुच्छेद 4, धारा 3 के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को हमारी विनियम दर नीतियों पर कड़ी निगरारी रखने की पूर्ण शक्तियां हैं और हम उनके नियंत्रण में हैं।

[श्री एन० के शेजवलकर पीठासीन हुए]

आप पूर्ण निगरानी स्वीकार कर रहे हैं। और सामान्यतया प्रत्येक व्यक्ति निगरानी रखे जाने का विरोध करता है। प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी सामान्य व्यक्ति निगरानी का विरोध करता है। लेकिन हम अपनी विनियम दर नीतियों पर निगरानी रखा जाना स्वीकार कर रहे हैं, और हम वह सभी जानकारी देने के लिए बाधित होंगे।

श्री वाई० एस० महाजन : निगरानी का शाब्दिक अर्थ केवल पर्यवेक्षण करना है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : वह प्रोफेसर हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : वह प्रोफेसर हैं, लेकिन एक वकील द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की तुलना में एक प्रोफेसर द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण कभी अच्छा नहीं होता।

यह धारा 4 में समाविष्ट किया जा रहा है, और धारा 4 के अधीन अब आप इस देश में रहने वाले व्यक्तियों, संस्थानों संगठनों, आयातकर्त्ताओं, निर्यातकर्त्ताओं—को बाधित करेंगे, यद्यपि मेरे माननीय मित्र ने उस स्थिति को यह कहते हुए स्पष्ट किया है कि वे अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 8 के संबंध में वे भारत सरकार, रिर्जव बैंक अथवा उनमें से किसी भी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना भेजने के लिए बाधित हैं। अतः यह व्यवहारिकतः संविधान के अध्ययन तीन में गारन्टी दिए गए मूल अधिकारों का उल्लघंन करता है, क्योंकि उन अधिकारों के अनुसार आप किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकते। माननीय वित्त मन्त्री ने मुझे लिखे गए एक पत्र में इस स्थिति को स्पष्ट किया है। लेकिन यह पत्र रिकार्ड का पर नहीं है। इस पत्र की न्यायालयों द्वारा जांच की जाएगी, और इसी कारण संभवतया उन्होंने धारा 4 की उप-धारा (2) में संशोधित करने का प्रयत्न किया है। इस खण्ड में आयकर अधिनियम के रूप में कुछ रोक थी—आय र अधिनियम की धारा 54 - क्योंकि इसके अधीन कुछ रोक है कि किस प्रकार की सूचना दी जा सकती है और किस प्रकार की नहीं दी जा सकती। अब वे उसमें भी संशोधन कर रहे हैं। वे आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 55 के संदर्भ को हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और माननीय वित्त मन्त्री यह तर्क देंगे कि 1922 के आयकर अधिनियम, को 1961 में बदल दिया गया था, अतः उस अधिनियम का हवाला देने की कोई तुक नहीं है। यदि इसे 1961 में संशोधित किया गया था, यदि वर्ष 1964 में आयकर अधिनियम के सम्बन्धित उपबंध में संशोधन करके धारा 54 को बदल दिया गया था, तो 1964 में जब वह उपबंध विशेष बदला गया था, और पुराने आयकर अधिनियम की धारा 54 को आयकर अधिनियम की धारा 137, तथा बाद में, 138 द्वारा बदला गया था, तो उस समय आप 1922 के अधिनियम से उस संदर्भ को हटाने का प्रस्ताव सभा में क्यों नहीं लाए थे ? आप प्रस्ताव क्यों नहीं लाए ? संभवतया इसलिए कि सरकार ने यह निश्चित सा समझा कि

"जब आवश्यकता होगी, हम आवश्यक संशोधन कर लेंगे।" और अब भी वे तथ्यों को निरर्थक सा समझ रहे हैं, यही कारण है कि उनका कहना है कि "ये परिणामस्वरूप किए जाने वाले संशोधन हैं, और बहुत अहानिकर संशोधन है। क्योंकि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं और क्योंकि हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किए गए परिशोधनों को स्वीकार किया है, और क्योंकि भारत उस निकाय विशेष का सदस्य है···।"

निस्संदेह, यही वह मूल प्रश्न हो सकता है जो श्री सुनील मैत्रा द्वारा उठाया गया था, अर्थात् भारत को इस अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निकाय का सदस्य क्यों बना रहना चाहिए ? यह एक व्यापक प्रश्न है। इसे इस चर्चा में नहीं निपटाया जा सकता। यह एक व्यापक प्रश्न है कि क्या हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विश्व बैंक का सदस्य बने रहना चाहिए अथवा क्या हमें इन संस्थानों से ऋण लेना जारी रखना चाहिए ; क्या भारत में उनसे ऋण लेने की सामर्थ्य है। क्या हम इन ऋणों के बिना काम चला सकते हैं। यह बहुत व्यापक प्रश्न हैं, जब तक कि हम कुछ सीमा तक आत्म-निर्भर न हो जाएं, तब तक कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को उस सीमा तक न बना सकें। लेकिन इसके लिए, इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा करनी पड़ेगी। मैं बार बार यह सुझाव नहीं दे सकता कि भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं, आप इस कोष के सदस्य बने रहिये। आपने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारी ऋण लिया है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इतिहास में अभूतपूर्व है—5 बिलियन एस० डी० आर० हमने लिया है।

अब सभा के सम्मुख अति गंभीर प्रश्न यह है कि भारत सरकार देश और विदेशों से भारी ऋण ले रही है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 292 में, अथवा उदाहरणतः संविधान के अनुच्छेद 393 में, यह उपबन्ध किया है कि किसी कानून द्वारा केन्द्रीय सरकार की ऋण लेने की शक्तियों की कोई सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन अपनी ऋण लेने की शक्तियों को सीमित करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया है। यह भारत सरकार का दयित्व है कि वह विधेयक लाए और मेरी मांग है कि सरकार को इस सभा में विधेयक लाना चाहिए जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार की आन्तरिक और बाह्य ऋण लेने की शक्तियों की कोई सीमा निर्धारण हो। (व्यवधान)

यदि मेरे सुझावों का यही तर्क है तो इसका कोई समाधान नहीं है। अन्ततः, जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं उसकी आलोचना का यह उत्तर दें सकता हूं कि मैं इस विषय से सम्बन्धित नहीं था। मैं क्षेत्रीय मण्डलीय स्तर का मन्त्री नहीं था। श्री प्रणव मुखर्जी की वह क्षमता है, अथवा मुझे यो कहना चाहिए कि वह सौभाग्यशाली हैं, क्षमता है अथवा नहीं इसमें कुछ विवाद हो सकता है, लेकिन, कम से कम, उन्हें इस तथ्य के बावजूद कि वह मन्त्रि-मण्डल में वरिष्ठ सहयोगी हैं, मन्त्रि-मण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करने का सौभाग्य मिला है। उनका सौभाग्य है कि उन्हें प्रधान मन्त्री का विश्वास प्राप्त है। वह इस समय व्यावहारिक रूप से प्रधान मन्त्री के बाद दूसरा स्थान रखते हैं। वह अनेक राज्यों के राजनैतिक मामलों की जांच करते हैं। अतः इस प्रकार वे अधिक शक्तिशाली हैं। यदि वे इस बारे में निर्णय करते हैं तो वह स्थिति को ठीक कर सकते है। मुझ से वह नहीं किया होता।

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मन्त्रि-मण्डल की बैठकों में मेरा अध्यक्षता करना मात्र वर्णानुक्रम के कारण है । आपकी जानकारी के लिए राजनैतिक मामलों संबन्धी मंत्रि-मण्डल समिति के सभी सदस्य वर्णानुक्रम से वरिष्ठ केबिनेट मन्त्री माने गए थे । वर्णानुक्रम से मेरा नाम उन सबसे पहले आता है । मात्र वर्णानुक्रम के आधार, को क्षमता अथवा अक्षमता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए । **(व्यवधान)**

श्री सतीश अग्रवाल : और इस वर्णानुक्रम का श्रेय आपको नहीं जाता, यह किसी अन्य व्यक्ति को जाता है ।

इस सम्बन्ध में मुझे समझ नहीं आता कि क्यों सरकार की ऋण लेने की शक्तियों को समिति करने के लिए विधेयक लाने में झिझक रही है । आप असीमित शक्तियां चाहते हैं ।

श्री वाई० एस० महाजन : क्या विश्व के किसी देश में ऐसी कोई सीमा है ?

श्री सतीश अग्रवाल : आखिर, आकास्मिक निधि के अधीन हमारी कुछ सीमाएं हैं । आखिर, बजट संसद द्वारा पारित किया जाता है। यहां तक कि कभी-कभी सरकार भी इससे अतिरिक्त व्यय कर लेती है और लोक लेखा समिति उस अतिरिक्त व्यय को नियमित करने के लिये सिफारिश करती है —मेरा कहने का मतलब है कि यह वहां नहीं है । मेरी जानकारी के अनुसार यह वाह्य ऋण वर्ष 1981-82 के लिये अब तक 11,820 करोड़ रुपये है और आन्तरिक ऋण 36.146 करोड़ रुपये बनता है ; 1982 के बाद थोड़ा-सा अधिक हो सकता है । अब अनुच्छेद 292 के अन्तर्गत प्रश्न यह है कि क्या केन्द्र सरकार की ऋण लेने की शक्तियों पर कोई सीमा लगाई जाये या नहीं, यह अनुच्छेद में ही है और इतना ही नहीं इस विशेष प्रसंग में मैं भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री एम० अन्तन्तराम नम आर्यगर के विचारों को उद्धृत करना चाहूंगा :—

> "आजकल व्यय को अधिकतर पूरा करने के लिये सार्वजनिक ऋण लिये जाते हैं परन्तु इस उपबन्ध की तरह नहीं कि संविधान के अनुच्छेद 265 के अन्तर्गत संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम के सिवाय कोई कर नहीं लगाये जा सकते, सरकार की ऋण लेने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 292 और 293 के अन्तर्गत ऐसी किन्ही सीमाओं से प्रतिबन्धित नहीं है । आज कल सरकार अपना व्यय पूरा करने के लिये किसी व्यक्ति अथवा किसी विदेशी सरकार से ब्याज या ऋण चुकाने की किसी भी शर्त पर जिसे वह ठीक समझे—ये ऋण लेने के लिये स्वतन्त्र है। मेरी जानकारी के अनुसार न तो लोक लेखा समिति और न ही प्राक्कलन समिति न तो सरकार द्वारा ऋण लिये जाने और न ही ऐसी राशियां लेने की आवश्यकता के वारे में किसी ब्यौर की जांच करती है। इन दोनों अनुच्छेदों में निस्संदेश यह प्रावधान है कि संसद ऐसे ऋणों तथा गारन्टी देने संबन्धी तरीकों पर समय-समय पर कानून सीमाएं लगा सकती है । परन्तु अब तक ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया गया है । यह ऐसा मामला है जिस पर संसद को तुरन्त ध्यान देना चाहिये । उसे केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर ऋण लिये जाने पर सीमाएं और शर्तें लगाने के लिये कानून पारित करना चाहिये और शर्तों ब्याज की दरों, गारन्टियों

आदि के सम्बन्ध में ऐसे ऋण की तथा इसकी आवश्यकता की जांच करने के लिये और यह पता लगाने के लिये स्थायी समिति नियुक्त करनी चाहिये । कि क्या ऋण उचित ढग से चुकाया जा रहा है और जिन कार्यों के लिये यह लिया गया है उनके लिये इसे उपयोग में लाया जा रहा या नहीं ।"

और इतना ही नहीं । यहां तक कि तत्कालीन सत्तारुढ़ दल के बहुत ही वरिष्ठ सदस्यों की मध्क्षयता वाली लोक लेखा समिति नेइन सांविधिक सीमाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में तीसरी लोकसभा के अपने 68वें प्रतिवेदन, चौथी लोक सभा के 52वें प्रतिवेदन और चौथी लोक सभा के 64वें प्रतिवेदन में जोरदार सिफारिश की है ।

लोक लेखा समिति जो संसद की वरिष्ठतम वित्तीय समिति है—की सिफारिशों तथा 1971 की स्वर्ण जयन्ती स्मारिका की सिफारिशों जबकि लोक लेखा समिति की स्वर्ण जयन्ती मनाई गई थी और प्रधान मन्त्री तथा प्रो० रंगा और अन्य सदस्यों सहित भूतपूर्व चेयरमैन द्वारा इस बारे में की गई जोरदार सिफारिशों के बावजूद यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि आप अनुच्छेद 292 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की ऋण लेने की शक्तियों पर कोई सीमाएं नहीं लगा रहे हैं। परन्तु जहां तक बाह्य और आन्तरिक ऋणों का सम्बन्ध है, सरकार ने ऋण लेने की शक्ति के बारे में सीमाओं को स्वीकार किया है । इससे देश में वाणिज्यिक ऋण को धक्का लगेगा और इस विशेष संदर्भ में मैं कहूंगा कि सरकार ने इस विशेष मामले में यह स्वीकार किया है कि सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष या वाहर से 12 वर्षो तक लगभग 1300 करोड़ रुपये के कोई ऋण नहीं लेगी । आपने उस सीमा को स्वीकार किया है । आपने बैंक ऋण भी स्वीकार किया है । इस विशेष मामले में दिसम्बर, 1981 में सरकार का सकल ऋण 25,806 करोड़ रुपये था अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने शर्त लगायी है कि वह राशि 26 मार्च 1982 तक 30,981 करोड़ रुपये—980 करोड़ रुपये तक भी नहीं—परन्तु सही अंक 981 करोड़ से अधिक या 25 मार्च, 1983 तक 36,453 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होने देगा । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने आपके आन्तरिक वित्त पर ये सीमाएं लगाई हैं ; ये ऐसी सीमायें हैं जो आपके ऋण पर लगी हुई हैं । आपने उनके क्षेत्राधिकार के प्रति समर्पन कर दिया है । परन्तु आप इस सभा के क्षेत्राधिकार के प्रति समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है । यह बात समझ में नहीं आई कि इसका औचित्य क्या है क्या आप चाहते हैं कि आपको यह याद दिलाई जाये कि आप इस संसदीय लोकतन्त्र में सभा के प्रति उत्तरदायी हैं और हम सभी लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : दुर्भाग्यवश ।

श्री सतीश अग्रवाल : आप इन सभी चीजों का किस प्रकार मुकाबला करेंगे ?

इस विशेष मुद्दे के अलावा, सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के लिए अपने प्रारम्भिक ज्ञापन, जिसे भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने एक पत्र के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को लिखा था, में देश की धार्मिक स्थिति का उल्लेख किया था और कहा था कि 1975 और 1979 में अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक थी । 1975-76 तथा 1976-77 में दो वर्ष आयात स्थिति के थे, 1977-78 और 1978-79 में दो वर्ष जनता

शासन के थे। अतः अर्थव्यवस्था संतोषजनक ढंग से चल रही थी और मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत थी उन चार वर्षों में मुद्रास्फीति की दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है परन्तु 1979-80 के दौरान स्थिति बदतर हो गई और भारत को भुगतान शेष की प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ा अतः 1979-80 और 1980 के बाद अब क्या स्थिति है ? हम कहां जा रहे हैं ? इससे हर आदमी चिंतित है। यह प्रत्येक के लिए राष्ट्रीय चिंता का मामला है। आप इतने अधिक ऋण का उपयोग कैसे करेंगे ? क्या स्थिति में सुधार हो रहा है ? क्या हम कुछ आयातों पर नियन्त्रण करेंगे ? क्या हम अपने निर्यातों में सुधार करेंगे ? जहां तक मेरी जानकारी है, हम व्यापार की स्थिति में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाये हैं। विशेषकर आज के समाचार-पत्रों में मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सरकार विदेशों से रंगीन टेलीविजन के आयात की अनुमति दे रही है। क्या इसके लिए विदेशी मुद्रा का उपयोग नहीं किया जायेगा ? क्या हमें इस प्रकार के आयातों पर इस प्रकार की शर्त सहित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से प्राप्त 5 बिलियन एस डी० आर० का उपयोग करना चाहिए यदि रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए मारीज या मिग विमानों की खरीद का प्रश्न हो तो समझ में आ सकता है परन्तु रंगीन टेलीविजन के आयात, की बात समझ में नहीं आती विशेषकर जबकि रंगीन टेलीविजन के हमारे देश के ही निर्माता इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और वे इसका निर्माण कर रहे हैं तथा 1982 की अथवा एशियाड की आवश्यकता की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। परन्तु सरकार उस पर विदेशी-मुद्रा खर्च कर रही है और हम उसका आयात कर रहे हैं।

हमें विभिन्न देशों से कुछ ब्याज-मुक्त ऋण प्राप्त हुए हैं मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हमें बेल्जियम से 100 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से तीस वर्षों के लिए ब्याज-मुक्त ऋण मिला है। गत तीन वर्षों से इसके अंश को छोड़कर हम 300 करोड़ रुपये के शेष का उपयोग नहीं कर पाये हैं। हम बेल्जियम से हर चीज का आयात कर सकते हैं। परन्तु हम जापान से चीजों का आयात करना पसन्द करते हैं जहां किसी अधिकारी का कोई हित होगा। मैं उस मामले के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। जब मद्रास और बम्बई पत्तनों पर कंटेनरों के लिए क्रेनों का आयात किया गया तो हमने उनका आयात जापान से किया था और हमें उसके लिए भुगतान करना पड़ा। बेल्जियम के क्रेन का मूल्य 2 से 5 प्रतिशत तक अधिक था। परन्तु इसके बाद हमें ब्याज-मुक्त ऋण मिला हुआ है जिसे 30 वर्षों के बाद चुकाया जाना है और हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार आप अपनी विदेशी-मुद्रा को व्यवस्थित कर रहे हैं। भारत सरकार 5 बिलियन एस० डी० आर० प्राप्त करके संतुष्ट हो गयी है। इस सरकार को चेतावनी देना मेरा पुनीत कर्त्तव्य है कि यदि निर्यात और आयात की यह प्रवृत्ति रही, भुगतान-शेष की यही स्थिति जारी रही, यही घाटा रहा तो अक्तूबर, 1983 तक आपके पास मुश्किल से 363 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बच पायेगी। मैंने हर चीज का हिसाब लगा लिया है कि आपने कितनी राशि निकाली है। इस समय आपका व्यापार घाटा लगभग 5000 करोड़ रुपये बनता है मान लीजिए, आप प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपये की सहायता या मदद प्राप्त करते हैं तो 800 करोड़ रुपये से 1000 करोड़ रुपये तक ऋण 'सर्विसिंग' आदि में चला जाता हैं। अतः आपको जितना सकल ऋण मिला है वह लगभग 1000 करोड़ रुपये है। आपने जुलाई 1982 तक 900 करोड़ रु० पहलेही निकाल लिए हैं। आप जून 1983 तक 1800 करोड़ रुपये निकालेंगे और जून, 1984 तक 2300 करोड़

रुपये और निकालेंगे। उसमें से 1800 करोड़ रुपये आय अक्तूवर, 1982 तक निकाल चु 600 करोड़ रुपये से अधिक दिसम्बर, 1982 तक निकाल रहे होंगे और आप जून 198: 600 करोड़ रुपये और तथा शेष रुपये निकाल लेंगे। आप इस प्रकार धनराशि निकाल रहे हैं

किन्तु आप की विदेशी मुद्रा की स्थिति वास्तव में विषय है। 1.4.77 को विदेशी मुद्र भन्डार 2863 करोड रुपये का था। 1.4.1977 यह रकम बढ़कर 5220 करोड हो गई थी। किन्तु 31.8.82 को आपके भंडार की राशि घटकर 3634 करोड रुप गई है। यह एक चिंताजनक बात स्थिति है और उससे हम सभी चिंतित हैं। आप विदेशी भण्डार का उपयोग करने जा रहे हैं? आप इसका प्रचलन किस प्रकार कर रहे हैं? इस समय केन्द्रीय यांत्रिकी नहीं है। केवल उधार लेने की आवश्कता की संवीक्षा करना ही नहीं बल्कि उ अदायगी योजना की भी संवीक्षा करना संसद अथवा इसकी समितियों के दायरे में नहीं आ विदेशी मुद्रा के भण्डार का उपयोग करने से सम्बन्धित सभी तथ्यों को मानीटर करने के लिए मन्त्रालय के अलावा कोई अन्य यांत्रिकी नहीं हैं। विदेशी मुद्रा भण्डार का उपयोग केवल रिजर्व के क्षेत्राअधिकार के अधीन है, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के दायरे को वाहर है परिणाम स्वरुप यह लोक लेखा समिति अथवा प्राक्कलन समिति या सरकारी क्षेत्र उद्यम समिति के क्षेत्राधिकार से परे है और इसलिए इस सदन के दायरे से परे है। इसके अल भारत सरकार आन्तरिक रूप से व्यय करती है। जहाँ तक आन्तरिक व्यय का सम्वन्ध है, संसद द्वारा अपनी समितियों के माध्यम से संवीक्षाधीन है। किन्तु जहाँ तक विदेशी विनियम माध्यम से किये गये व्यय का सम्बन्ध है, इसकी संवीक्षा संसद की किसी समिति द्वारा नहीं जाती है, इस प्रकार संसद द्वारा नहीं की जाती है। अब यह ऐसा समय है जब कि ऐसा करना र कार के हित में, राष्ट्र के हित में विदेशी मुद्रा के बेहतर उपयोग किये जाने के हित में होगा किसी प्रकार की मानिटरिंग यांत्रिकी तैयार की जाये, जिसके द्वारा समितियों के माध्यम से संसद से संवद्ध किया जाये और नियन्त्रक महा लेखा परीक्षक को संबद्ध किया जाये ताकि वह की देख भाल कर सके। निगरानी के सन्दर्भ में मेरे माननीय मित्र, श्री महाजन को "देखभा शब्द बहुत प्रिय है। किन्तु रिज़र्व बैंक पर किसी भी प्रकार की निगरानी रखने के लिए मैं नि न्त्रक-महालेखा परिक्षक के नाम का सुझाव नहीं दे रहा हूं किन्तु उन अन्तरणों की देखभाल क के लिए उनका सुझाव दे रहा हूं जो अन्तरण विदेशी मुद्रा के उपयोग के सम्बन्ध में किये जाते हैं यह मेरा विनम्र सुझाव है और मुझे विश्वास है कि सरकार उसकी ओर ध्यान देगी।

आपने मुझे जो उत्तर दिया है उसमें इस बात का उल्लेख किया है कि हमारी ऋण सेव नितांत सन्तोषजनक है। यदि यह सन्तोषजनक है तो यह बड़ी अच्छी वात है क्योंकि हमारे यह वर्षा अच्छी होती है, हमारा सफल राष्ट्रीय उत्पादन अच्छा है और हम हर वस्तु की अदायग करने में समर्थ हैं। किन्तु, आप इस वात का ध्यान रखें कि अधिक से अधिक नोट छापकर आ विदेशी अथवा बाहरी ऋण की अदायगी नहीं कर सकते। उसका भुगतान तो विदेशी मुद्रा में करन होता है और विदेशी मुद्रा हमें निर्यात की जाने वाली अतिरिक्त वस्तुओं से प्राप्त होती है।

वित्त मन्त्री महोदय, आपने अन्तर्राष्ट्रीय मंच से दिए गये अपने भाषण में स्वयं कहा है कि 700 मिलियन पौण्ड का ऋण 2000 ईस्वी तक 2 मिलियन पौण्ड हो जाएगा। *यह हमारा अपना ही*

सेवा प्रभार है । क्या आपको यह याद है ? सेरन्टों में भाषण देते समय आपने इन तथ्यों का उल्लेख किया था । यदि आपको याद न हो तो आप मुझे उसकी प्रति ले सकते हैं । उस भाषण में आपने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा उस सम्मेलन में उपस्थित विभिन्न देशों के प्राधिकारियों का ध्यान इस बात की ओर दिलाया था कि गरीब देशों द्वारा 1981 में लिया गया सत्तर करोड़ डालर का ऋण 2000 ईस्वी तक ब्याज प्रभार दो अरब डालर हो जाएगा । यह आपके भाषण का अंश है जो **इन्डियन और फारेन** शिख्यु में प्रकाशित हुआ है । यह आपके 7 सितम्बर के भाषण का अंश है जिससे आपने इस बात का तथा अन्य बातों का बहुत उल्लेख किया है ।

जबकि सत्तर करोड़ डालर से बढ़कर ब्याज प्रभार 20 वर्ष से कम अवधि में दो अरब डालर हो जायगा तब आप इसी से हमारी ऋण सेवा दायित्व की कल्पना कर सकते हैं । जहां तक 5 अरब डालर और जुड़ जाने का सम्बन्ध है, यह राशि 1,000 करोड़ डालर हो जाएगी और बाद में बढ़कर 1,200 करोड़ डालर हो जायेगी । मेरी अभिलाषा है कि सभी ओर से स्थिति में सुधार हो और हम उन सभी ऋणों का भुगतान कर सके जो हमने किसी से लिया है, क्योंकि अदायगी न करना राष्ट्रीय गरिमा के विरुद्ध है । आपने जो वचन दिया है वह राष्ट्र की ओर से दिया गया वचन है और यह हम सभी का कर्त्तव्य है । हम इस बात का ध्यान रखें कि हम उसका भुगतान कर दें और वह भी सम्मान के साथ ।

किन्तु यदि आप इस काम में हमें शामिल करना चाहते है ; तो निर्णय लेते समय भी आपको हमें शामिल करना होगा । यदि निर्णय लेते समय की प्रक्रिया में आप लोगों को शामिल नहीं करते तो आप लोगों को सहयोग देने के लिए भी नहीं कह सकते । इसीलिए, संसदीय प्रजा तन्त्र का यह अभिनन्दनीय सिद्धान्त है कि आप जनता को समग्र प्रक्रिया में शामिल करें. मुझे खेद है कि आप इस सदन से, इस राष्ट्र से, इस देश से बहुत सारे तथ्य छिपा रहे हैं और आप जिन राष्ट्रों के आप प्रभाव में हैं उन्हें आप बहुत कुछ बता रहे हैं। इसके बदले आपको हमें विश्वास में लेना होगा । इन संसाधनो का समुचित उपयोग करने के लिए आपको योजना तैयार करनी पड़ेगी ।

बाह्य साधनों से लिए गये वाणिज्यिक ऋणों सहित अन्य ऋणों के सम्बन्ध में योजना आयोग का जो स्पष्टीकरण, अनुमान अथवा प्राक्कलन था वह केवल 5,087 करोड़ रुपये का था और विदेशी मुद्रा केवल 1000 करोड़ ली गई थी तथा समग्र सहायता 5,889 करोड़ रुपये की थी । जिसका कुल योग 11 976 करोड़ रुपया होता है । व्यापार के रूप में भण्डार का निःशेष 2,913 करोड़ अथवा 3000 करोड़ रुपये है । योजना आयोग ने 3000 करोड़ रुपये के विदेशी भण्डार के निःशेष के आधार पर योजना तैयार की थी । गत दो वर्षों का हमारा अनुभव है कि यह राशि प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपये से अधिक होती है । यदि, दुर्भाग्यवश यह स्थिति आगामी तीन वर्षों तक चलती रही तो क्या स्थिति होगी ? यह स्थिति बड़ी ही कठिन होगी ।

इसलिए, इस सम्बन्ध में मेरा नम्र निवेदन यह है चूंकि भारत सरकार ने यह ऋण संसद अर्थात समग्र रूप से पूरे देश को विश्वास में लिए बिना उधार लिया है, और अब यह कार्य निष्पन्न हो गया है और हम इसके प्रति वचनबद्ध हैं । इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता । यहा

तक कि कोई भी उत्तराधिकारी बित्त मन्त्री इससे आसानी से छुटकारा नहीं पा सकेगा। चाहे उस पर श्रीं सुनील मैत्रा हों अथवा अशोक मैत्रा हो, वह आसानी से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। इससे छुटकारा पाना बड़ा कठिन होगा। इसलिए जहां तक इनके उपयोग का प्रश्न है, हमें इसके रक्षक के रूप में रहना पड़ेगा और मेरा माननीय वित्त मन्त्री से विनम्र अनुरोध है कि वह इस बात का ध्यान रखें कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को जो सूचनायें प्रस्तुत की गई हैं वह राष्ट्रीय मान और सम्मान के विरुद्ध न हों और अनुच्छेद 292 के अधीन किसी कानून के अधीन दी गई हो तथा विदेशी मुद्रा का सारा अन्तरण नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की पुनरीक्षा और संवीक्षक के अधीन हो तथा अन्ततोगत्वा जिसके द्वारा इस संसद की वित्तीय समितियों के माध्यम से पुनरीक्षा और संवीक्षा हो सके। मुझे इतना ही कहना था और वित्त मन्त्री से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वह इसे सम्मान का प्रश्न न बनाए। धारा 4 के सम्बन्ध में मैं एक संशोधन किये जाने का सुझाव दे चुका हूं जिनमें मैंने केवल इतना ही कहा है कि सूचना केवल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही न दी जाये बल्कि यदि भारत सरकार के विचार से ऐसा करना लोक हित में हो तो वह सूचना भारत सरकार को उपलब्ध कराई जाये। यह बड़ा मामूली संशोधन है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की आवश्यकता पूरी करने की अपेक्षा यदि आप यह आवश्यक समझते हैं कि यह सूचना लोकहित में अवश्य दी जानी चाहिए तो यह सूचना सरकार की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। इसलिए मैंने यह कहा था कि "अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा यथा अपेक्षित" विशेष वाक्य के स्थान पर "लोक हित में भारत सरकार द्वारा यथा अपेक्षित" शब्द रखे जाने चाहिए। वह तो एक अत्यन्त सरल और अबोध संशोधन है और मुझे इस बात का विश्बास है कि आप इसे स्वीकार करेंगे और आप आयकर कानून का प्रतिरोध भी लागू करना चाहिए लेकिन जहां तक धारा 4 के प्रति मेरे विरोध का सम्बन्ध है मैं दलील को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अन्यथा समूचे विधेयक का विरोध किया जाना है और तब इसे विधेयक को इसके मौजूदा रूप में अस्वीकार कर देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। धन्यवाद।

डा सूब्रह्मण्यम स्वामी : मैं समझता हूं। आप अन्य बक्ताओं को बोलने का उचित प्रदान समयकरेंगे।

श्री एस०टी० के जक्कायान : (पेरियाकुलम) सभापति महोदय, इस ऐतिहासिक सदन मेंजो पंडित जवाहर लाल नेहरू और डा अम्बेडकर जैसे निष्ठावान लोगों का साक्षी रही है। मुझे अपना पहला भाषण देने में अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। हमारे महान द्रबिण राजनीतिज्ञ डा० अन्ना ने संसदीय परम्पराओं को समृद्ध किया है। मैं सहृदय नेता परात्ची थलईवार एम० जी० आर० का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे यहां भेजा है। उन मतदातओं को, जिन्होंने मुझे अपना मत दिया है मैं धन्यवाद देता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस विधेयक पर बोलने वाले वक्ताओं का क्रम मुझे मालूम नहीं है।

सभापति महोदय : यह उनका पहला भाषण है और उपसभापति महोदय चाहते हैं कि वे अब अपना भाषण दें।

श्री एस० टी० के० जक्कायान : अपनी पार्टी अन्ना-द्रमुक की ओर से मुझे इस अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आई० एम० एफ०) (संशोधन) बिधेयक का समर्थन करने में प्रसन्नता हो रही है।

जब हमारे युवा वित मन्त्री ने 27.2.1982 इस सम्माननीय सदन में बजट पेश किया था तो हमें आशा थी कि वह स्वयं को एक छूट-प्रदाता वित्तीय विशेषज्ञ के रूप में स्थापित करेंगे और इस वित्तीय वर्ष को उत्पादकता का वर्ष बनायेंगे। लेकिन यह बताते हुए मुझे खेद है कि अनेक सरकारी उपक्रमों ने स्वयं को अ-उत्पादी सिद्ध किया है। उनमें से कुछ के तो राष्ट्रीय राजकोष को भारी घाटा पहुंचा कर चलाए गए है। अन्तर्राष्ट्रीय मुाद्रा कोष से, इसकी बढ़ायी गई कोष सुविधा के अन्तंत एस डी आर के लिए पांच विलियन के ऋण की पद्धति पर समझौता वार्ता करने हेतु समय पर की गई व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में, श्रेय भूतपूर्व वित्त मन्त्री थिरु आर० वेंकटरमन को जाना चाहिए। जबकि हम अन्तर्राष्टीय मुद्रा कोष से इस प्रकार का ऋण लेने के विरोध में नहीं है, हमें देशी उत्पादन खासतौर पर पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों, इस्पात, खाद्य तेलों और अलौहा धातुओं का उत्पादन बढ़ाने प्रति सजग रहना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे कुल आयातों में 60 प्रतिशत से अधिक ये वस्तुए होती हैं। इस के साथ ही, इस तथ्य के बाबजूदहमारे निर्यातों में केवल 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है कि 1 जनवरी 1982 से भारतीय आयात-निर्यात बैंक की हमने स्थापना की है।

प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारी आदरणीय प्रधानमन्त्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है। लेकिन 15,754 करोड़ रुपयों में विभिन्न करों का राज्यों का अंश विभिन्न राज्यों की आर्थिक स्थितियों के अनुसार नहीं बनाया गया था। निधि का आवन्टन जनसंख्यया के आधार किया जाता है जिससे केन्द्र में शासक दल को समर्थन मिलने को संभावना होगी। इसलिए, तमिलनाडु सरकार द्वारा पेश की गई अनेक योजनाओं को स्वीकृत दिए जाने की अभी भी प्रतीक्षा है। केन्द्रीय बजट में राज्य सरकारों के लिए 1732 करोड़ रुपये तक गैर-योजना ऋणों का प्रावधान है। लेकिन केन्द्र सरकार अभी भी हमारी तमिलनाडु सरकार की योजनाओं, जैसे कि पोषक खाद्य योजनाओं, आत्मनिर्भरता योजना और ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आदि का वित्त पोषण करने में हिचकिचा रही है।

वित्त मन्त्री ने यहां कहा की जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भुगतान का सम्बन्ध है इसे निरंतर संसदीय स्वीकृति के अनुसार करते रहना होगा। मैं वित्त मन्त्री महोदय जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने ऋण प्राप्त करने के लिए पूर्व-शर्तों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुछ जानकारी देने से पूर्व इस सदन को विश्वास में लिया था? वे किस प्रकार यह बात कहते हैं कि ये संशोधन 1 अप्रैल 1978से लागू हो गये थे? क्या अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋण प्राप्त करने और उसकी शर्तें स्वीकार करने के अवसर पर सभी राज्य सरकारों को वित्त मन्त्रियों को अपने विश्वास में लेना वित्त मन्त्री का कर्तव्य नहीं था? यदि हम विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट का उल्लेख करें तो हम पाएंगे की रिकार्ड की गई राष्ट्रीय आय में 10 प्रतिशत का अंश भारत में 33.6 प्रतिशत है। यह अन्य योरोपिय देशों की तुलना में आय के 50 प्रतिशत उच्च केन्द्रीकरण की तुलना में अधिक है। दूसरे शब्दों रिकार्ड न किये गये काले धन की आय का यह भाग दो-तिहाई है। इन परिस्थियों में मैं वित्त मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जब तक वे राष्ट्रीय हित में,

गैर-कांग्रेस (इ) दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों द्वारा पेश की गई योजनाओं की निष्पक्ष दृष्टि-कोण नहीं अपनाते, वे ऋणों की पुनः अदायगी की व्यवस्था किस तरह करेंगे।

हमारी तमिलनाडु सरकार की पिछड़े वर्गों के निर्धन लोगों की सहायता करने में वास्तव में रूचि है, हम चार या पांच परिवारों की एक साथ ग्रुप बनाएंगे और कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक फर्म के रूप में उन्हें पंजीकृत करेंगे और पिछड़े क्षेत्रों में लघु एककों की स्थापनाहेतु ऋण देकर उनकी सहायता करेंगे। क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध कर सकता हूं कि वे उन परिवारों को आश्यक ऋण देने हेतु राष्ट्रीयकृत वैंकों को आवश्यक अनुदेश जारी करें ?।

वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में बताया है कि वे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 190 करोड़ रुपए का प्रावधान करेंगें और इस प्रकार लाखों परिवारों की सहायता होगी। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस मामले में हमारे अनुरोध पर ध्यान दें।

अन्त में, इस अनुरोध के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार की अफवाहें नहीं फैलने देनी चाहिए कि निधि की आवंटन, खासतौर पर तमिलनाडु सरकार को इसलिए कम है क्योंकि वहां गैर-कांग्रेस (इ) शासन है। हमारे क्रान्तिकारी नेता थीरू एम० जी० आर० ने न केवल फिलम क्षेत्र में, अपितु हाल ही में सम्पन्न हुए मेरे पेरियाकुलम लोक सभाई चुनाव में भारी जीत सें राजनीतिक क्षेत्र में भी स्वयं को एक सुपर स्टार के रूप में स्थापित किया है। आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि अपने दल की ओर से मेरी भारी जीत का कारण है उन पौष्टिक मध्याह्न भोजन योजना और आत्मनिर्भरता योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन जो हमारे प्रिय नेता 'प्रराती थलई वार' एम० जी० आर० द्वारा कारगर रूप से लागू की गई विशेष कल्याणकारी योजनायें हैं। मैं उन लाभकारी योजनाओं के लिए आवश्यक पर्याप्त निधि की व्यवस्था करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं।

मुझे आशा है कि केन्द्र सरकार हमारी आदरणीय प्रधान मन्त्री के 20-सूत्री कार्यक्रम को अपनाएगी और इसके समुचिय कार्यान्त्रियन में हमारी सहायता करेगी।

विधेयक का दूसरा लक्ष्य बताया गया था अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा—प्रणाली में स्वर्ण की भूमिका में कमी करना।

मुझे आशा है, इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मन्त्री महोदय भरसक प्रयास करेंगे। अपने दल अन्ना-द्रमुक की ओर से मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सभापति महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-निधि और बैंक अधिनियम, जो हमारे सामने संशोधन के लिए पेश है, निश्चय ही एक बहुत गम्भीर विषय है। इसके सम्बन्ध में मुझसे पूर्व माननीय सदस्यों ने काफी गहराई के साथ और विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए हैं और इसके इतिहास पर भी प्रकाश डाला है। मैं नहीं चाहता कि उन बातों को दोहराया जाए और हाउस का समय लिया जाए। मैं बहुत गहराई के साथ और गम्भीरता के साथ बहुत सीधी-सादी भाषा में दो-चार बातें इस बारे में कहना चाहूंगा।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि व बैंक से हमारे लिए वस्तुतः काफी परेशानी उत्पन्न हो गई है।

में बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि आज देश में जो जलालत है, जो आर्थिक संकट हैं, उसका एक मात्र यदि कोई कारण है, तो वह है हमारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक का सदस्य होना हम देख रहे हैं कि जिस रूप में हमारा मुल्क विकास करना चाहता है, उसमें आए दिन हमारे ऊपर कर्ज की स्थिति बदतर होती जा रही है, हम काफी परेशान हैं और दुनिया के बीच में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हम झूठी जलालत में पड़े हुए हैं, इसका कारण यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक ही हैं। हमको ऐसा लगता है कि वर्तमान सककार उस ढंग से इस चीज को सोच रही हैं जिस ढंग से उसे नहीं सोचना चाहिए। आज हमारे देश का व्यापार कम होता जा रहा है। हमें अपने निर्यात और आयात की स्थिति को देखकर आश्चर्य होता है। इस देश में जो चीजें पैदा होती हैं वह अपने मुल्क में मंहगी पड़ रही हैं। उदाहरण के लिए मैं, दो वर्ष पहले जो प्याज की स्थिति थी, वह बताना चाहूंगा। उस समय हमारे यहां प्याज 5-6 रुपया किलो बिक रहा था जबकि हमारे देश ही भेजा गया प्याज विदेशों में एक रुपया किलो बिक रहा था। इसी प्रकार से आज जो चीनी हमारे यहां 5-6 रुपया किलो बिक रही है वही चीनी विदेशों में 2 रुपया किलो बिक रही है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जो चीज हमारे मुल्क में पैदा होती है वह यहां पर ज्यादा कीमत में क्यों मिलती है और बाहर जाकर वही चीज सस्ती क्यों मिलती है? मैं समझता हूं इसका यदि एकमात्र उत्तरदायित्व किसी पर है तो वह है भारत का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक का सदस्य होना।

अभी इसी सदन में कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी कि हमारे देश में जो गेहूं पैदा होता है। उसको सरकार किसानों से 142 रुपया क्वींटल खरीद रही हैं लेकिन विदेशों से जो गेहूं सरकार मंगा रही है, वह 172 रुपये क्वींटल के भाव पर आ रहा है। आखिर इसका क्या कारण है? मेरी समझ में तो इसका कारण भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक का हमारा सदस्य होना है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि भारत के गौरव की रक्षा करनी है तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक की सदस्यता से तत्काल त्यागपत्र देना होना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज हमारी सरकार का शोषण अन्य विदेशी सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। 1945 में जब हमारा देश अंग्रेजो के अधीन था तब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक के हम सदस्य बने थे लेकिन आज तो वह परिस्थिति नहीं है। आज हमारा देश आजाद है और हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। हमें आश्चर्य है कि 35 वर्षों की आजादी के बाद भी आज हम विदेशी सहायता और विदेशी मुद्रा की ओर हाथ पसार रहे हैं। बहुत से मित्रों एवं अर्थ-शास्त्रियों ने बताया है कि जब दूसरे देशों में मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो हमारे मुल्क पर उसका प्रभाव पड़ता है। फ्रान्स जब फ्रैंक का अवमूल्यन करता है या जब अमरीका डालर का अवमूल्यन करता है तो निश्चित रूप से उसका असर भारत पर पड़ता है, हमारे विदेश व्यापार पर उसका असर पड़ता है, हमारा सामान जो विदेशी बाजारों में जाता है उसपर उसका असर पड़ता है और हमारा सामान कभी-कभी विदेशी बाजार में मुकाबला नहीं कर पाता जो चीजें हमारे यहां बाहर से आती हैं, उनका हम मुकाबला नहीं कर पाते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार ऐसी क्या बातें हैं, इन सब कठिनाइयों का सामना बाजार के उतार-चढ़ाव से करना पड़ता है। जब डालर की कीमत का अवमूल्यन हो ा है, तो ये विदेशी बैंक हमें क्या सहायता देते हैं, बाजारों में अपना सामान ले जाने के लिए और इसकी सदस्यता से हमें क्या लाभ होता है?

पूंजीपति मजदूरों का शोषण कर रहा है, व्यापारी किसानों का शोषण कर रहा है, हर बड़ा आदमी छोटे आदमी का शोषण कर रहा है, इसी प्रकार दूसरे मुल्क विदेशी मुद्रा और बैंक की सहायता के नाम पर भारत का शोषण कर रहे हैं। दूसरे मुल्क की तुलना में हमारा देश उत्पादन के मामले में निश्चित ही अच्छा है। अमरीका जितना धन एक मिनट में कमाता है, उतना ही धन भारत 20 मिनट में कमाता है, जितना धन एक मिनट में रूस कमाता है, उतना ही धन भारत 12 मिनट में कमाता है, जितना धन चीन एक मिनट में कमाता है, उतना ही धन भारत ढ़ाई मिनट में कमाता है। हमारे यहां एशियन गेम्म हो रहे हैं, जो कि हम लोगों को खाए जा रहे हैं। जैसी कि अभी एक माननीय सदस्य बता रहे हैं कि रंगीन टी॰ वी॰ से हमें क्या लाभ हुआ और उससे विदेशी मुद्रा अचानक चली जा रही है—इस वारे में मन्त्री जी को सोचना चाहिए। मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि अपना सारा श्रम और दिमाग उनको देश को पैरों पर खड़ा करने पर लगाना चाहिए था। आज नए उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए, नया कारोबार खुलना चाहिए, बेकारी को मिटाने के लिए सरकार को अपना सारा दिमाग लगाना चाहिए। लेकिन मन्त्री जी ने अपना दिमाग इस ओर न लगाकर इस मुद्रा अधिनियम के संशोधन के बारे में लगाया है, यह उचित नहीं है। हो सकता है कि उनका जवाब होगा कि हम दूसरे मुल्कों की तुलना में अच्छे हैं। देश ने पिछले 35 वर्षों में जो व्यवस्था हुई है, वह व्यवस्था इससे सुधरने वाली नहीं है। मैं पुन: साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि आपको इसकी सदस्यता से स्तीफा देना चाहिए।

मैं विशेष न कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और मन्त्री महोदय द्वारा पेश किए गए बिल का में विरोध करता हूं।

डा॰ सुब्रह्मयम स्वामी (बम्बई उतर पूर्व) : सभापति महोदय, तनजानिया के राष्ट्रीय श्री जूलियस नरेरे ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को अन्तर्राष्ट्रीय बित्त मन्त्रालय का नाम दिया है। प्रतिदिन हमें संकेत मिल रहा है कि मन्त्रालय की स्वतंत्रता समाप्त हो रही है और धिक से अधिक निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय वित्त मन्त्रालय द्वारा किये जाते हैं।

मन्त्री महोदय द्वारा पेश किया गया विधेयक 1976 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। जनता शासन की पूरी अवधि में हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया। परन्पु अब कांग्रेस शासन के लगभग तीन वर्ष पश्चात् यह विधेयक लाया गया है। अत: मैं यह कहूंगा कि इस विधेयक की सबसे अधिक संदेह जनक बात इसका समय है और सरकार अचानक अपने आप को कमजोर स्थिति में पा रही है और नहीं कहने की स्थिति में नहीं है। सरकार यह नहीं कह सकती कि हमें यह पहले भी स्वीकार नहीं था और अब भी स्वीकार नहीं है और इसकी सूचना अन्तरष्ट्रीय मुद्राकोष को है जबकि भारतीय संसद को सूचना नहीं दी गई हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष में राजतीतिज्ञ नहीं हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष सारे विश्व से मंगाए गए सिविल कर्मचारियों का बना है और उनके पास आयकर विवरणियों की महत्त्वपूर्ण सूचना पहुंच जाती हैं जोकि भारतीय संसद और भारतीय न्यायालयों के पास नहीं होती।

मेरे विचार में इससे सरकार की कमजोरी लक्षित होती है कि इस मामले में वह अपना

बचाव भी नहीं कर सकती।

बंगला देश के मामले को लें। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने अभी हाल ही में पहले दिए गए ऋण को रद्द कर दिया है। वास्तव में, मैं बाग्लादेश को तीन वर्षीय ऋण में 912 डालर ऋण दिया गया था और इसे रद्द इसलिए कर दिया गया है कि बांग्ला देश ने शर्तों का पालन नहीं किया और ऋण के सम्बन्ध में इसका कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं पाया गया। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष में भारत बाँग्लादेश का प्रतिनिधित्व करता है और उसके प्रतिनिध हैं और आप बांग्ला-देश का ऋण जारी रखवाने में असफल रहे विशेषकर जबकि बांग्लादेश कठिन स्थिति से गुजर रहा है क्योंकि उसने कहा है कि :

"कुछ कार्यनिष्पादन शर्तें हैं जिन्हें आपको पूरा करना है।" और मेरा विचार है कि सरकार भी आज उसी स्थिति में है। भारत सरकार का इस बात का डर है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष कहीं ऋण बन्द न कर दे। वास्तव में ऋण कब लिया गया था, इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण वित्त मन्त्री श्री वेंकटरामण ने जो कहा है वह मैं वर्तमान वित्त मन्त्री को बताना चाहता हूं। मुझे यह नहीं पता कि ऋण के अंतिम समझौते के बारे में अपना बचाव प्रस्तुत करने के लिए वे यहां मौजूद हैं कि नहीं, चाहे वे मन्त्री हों या कुछ और हों या रक्षा मन्त्री हों। मुझे नहीं पता। परन्तु उन्होंने यह कहा था :

श्री के० मायातेवर : श्री स्वामी को काफी संदेह है।

डा० सुब्रह्मण्म स्वामी : मुझे उनके लिए पूरी आशा है।

"ऋण लेने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि तेल के मूल्य में दुगनी वृद्धि और विदेशी मुद्रा-कोष में कमी के कारण बकाया धनराशि की अदायगी करनी थी"

अतः बकाया अदायगी के लिए वे ऋण लेना चाहते हैं। देश के बजट में 500 करोड़ या इसके लगभग घाटा चल रहा और इस स्थिति का सामना करने के लिए उन्होंने ऋण लिया है।

परन्तु वर्तमान वित्त मन्त्री ने जून, 1982 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा है :—

"आर्थिक कार्य निष्पादन के बावजूद……"जो कि अब संदेहास्पद है।

"आर्थिक कार्य निष्पादन और विवेकपूर्ण मांग की व्यवस्था के बावजूद भी बकाया अदायगी बनी रही। वर्तमान घाटा 3.5 बिलियन एस०डी०आर० है जो कि पूर्व कार्यक्रम से 5 मिलियन एस० डी० आर० अधिक है।"

अतः अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वित्त मन्त्री द्वारा लिखे गए पत्र से यह स्पष्ट है कि ऋण लेने के प्रारम्भिक उद्देश्य सतोषजनक नहीं थे। उन्होंने सभी प्रकार के उदाहरण दिए हैं।

भारत सरकार ने जो कार्य समायोजन कार्यक्रम में किए है उनकी एक सूची वर्तमान वित्त

मन्त्री अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को संतुष्ट करने के लिए दी है और यदि आप उन्हें पढ़ें तो आपको लगेगा कि वे समर्पण वक्तव्य हैं। "यहां हम अनुदार बन गए है। हसने बहुत सी मदों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम से निकाल दिया है। हमने यह किया है।" ऐसा लगता है कि हमने यह पश्चिम के देशों या पश्चिम के पूंजीपतियों को खुश करने के लिए किया है या भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने पहली बात यह कही थी कि "हम बकाया अदायगी करने के लिए ऋण ले रहे हैं।"

परन्तु वर्तमान वित्त मंत्री कहते हैं कि "हमने कुछ अन्य सुधार किए हैं जिसमें मितव्ययिता शामिल है और आपकी इच्छानुसार किए गए हैं।"

परन्पु बकाया देय की अदायगी की स्थिति बदतर हो गई है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इतना धन लेने के बाद भी बकाया देय की अदायगी की स्थिति बदतर हो गई और वे तेल के मूल्य में वृद्धि का बहाना नहीं कर सकते क्योंकि इस अवधि में तेल के मूल्य नहीं बढ़े हैं।

दूसरी बात जो भूतपूर्व वित्त मंत्री ने कही है वह यह है कि सरकार रुपये का अवमूल्यन नहीं कर रही है और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुई व्यवस्था का भारत के रुपये के स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सभी जानते हैं कि डालर की तुलना में पिछले वर्ष रुपये का अवमूल्यन किया गया है।

में इस बात के लिए वित्त मंत्री को चुनौती देता हूं कि वे डालर और रुपये की एक वर्ष पूर्व की विनिमय दर तथा आज की विनिमय दर के आंकड़ों प्रस्तुत करें। इन आंकड़ों से आपको पता लगेगा कि रुपये की मुद्रा से जोड़ने की चालाकी खेलकर संसद को सूचित किए बिना रुपये का 18 प्रतिशत अवमूल्यन किया गया है। वास्तविकता यह है कि इसका अवमूल्यन किया गया है और यह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का कहना है कि रुपये का अवमूल्यन हो रहा है। यह दूसरी बात है जो मैं कहना चाहता था।

आश्वासन दिया गया था कि रुपये का अवमूल्यन नहीं किया जाएगा परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने के पश्चात् रुपये में विश्वास कम हो गया है और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपये का अवमूल्यन हुआ है और संसद को अन्धेरे में रखा गया है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने स्वयं कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण देती है और हम सारे ऋण का उपयोग नहीं करेंगे और कुछ ऋण का उपयोग करेंगे और जैसे ही हमारे स्थिति में सुधार होगा हम ऋण बन्द कर देंगे। परन्तु अब जिस गति से घटनाएं घट रही है सरकार समस्त 5·5 बिलियन एस० डी० आर० का उपयोग करने की योजना बना रही है। अतः प्रारम्भ में जो आशा की गई थी, कि हम अपनी वित्तीय स्थिति का पुनर्गठन करके सारा ऋण नहीं लेंगे, समाप्त हो गई है और वास्तव में आर्थिक व्यवस्था असफल हो गई है

और इस मामले में अधिक से अधिक निर्भर होते जा रहे हैं। मुझे जिस बात की सवसे अधिक चिंता है, वह यह है कि पैसा उधार लिया जा रहा है और यह ऋण वापिस चुकाना है। पिछले सत्र के दौरान संसद में एक प्रश्न के उत्तर में मुझे यह बताया गया था कि ब्याज की दर लगभग 13% बैठती है। यदि आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए ऋण पर इस दर से ब्याज का भुगतान करते हैं, तो 1 जनवरी, 1985 से 9 किश्तों में 5500 करोड़ रुपये के बदले में 9000 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। इसका यह अर्थ यह हुआ कि इस समय 6000 करोड़ रुपये का जो व्यापार-घाटा चल रहा है, उसे भी बढ़कर 1000 करोड़ रुपये की धनराशि की विदेशी मुद्रा की फेंही से व्यवस्था करनी होगी ताकि घाटे को पूरा किया जा सके। विश्व बैंक से लिए गए ऋण तथा ब्याज तथा पिछले सभी ऋण अर्थात् 6000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कुल मिलाकर 1850 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी होगी। ऋण चुकाने के लिए निर्यात-आय में 1850 करोड़ रुपये की वृद्धि करनी होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे यह सब कैसे करेंगे। वे इतना धन कहां से प्राप्त करेंगे? और 9 वर्ष तक लगातार यद्यपि प्रो० मुखर्जी यह कह सकते हैं 'जनवरी, 1985 में हमारी 5 वर्ष की अवधि पूरी हो जाएगी। नई सरकार होगी आप कृपया नई सरकार से पूछें' वह जनता पार्टी की सरकार होगी तथा इसका मुझे पक्का विश्वास है और यह हमारा सिरदर्द होगा।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने हमें एक आश्वासन दिया था, जिसकी मैं याद दिलाना चाहता हूं। भूतपूर्व वित्त मंत्री ने संसदीय अध्ययन ब्यूरों द्वारा निकाली जा रही संसदीय पत्रिका की समीक्षा में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार यह कहा था कि आर्यात को आवश्यक क्षेत्रों तक ही सीमित कर दिया जाएगा तथा इसे निर्यात के विस्तार, उत्पादन में वृद्धि तथा औद्योगिक आधार का विकास करने में उपयोग किया जाए। मैं वित्त मंत्री को चुनौती देता हूं। वे यहां आए और उस आयात नीति को प्रस्तुत करें, जो आपने छठी पंच वर्षीय योजना के पुनरीक्षण के बाद अपनाई है तथा आपकी पिछली आयात नीति क्या थी। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? क्या आप जानते है, महोदय कि अब आप बिलियर्ड की गेंदों का आयात कर सकते हैं? मुझे बताया जाए कि बिल्यर्ड की ये गेंदे कितनी महत्वपूर्ण हैं? मैं आपको कई बातें बता सकता हूं। हमने आयात करने का निर्णय किया है—किसी ने बताया टेलीविजन सेट। केवल टेलीविजन सेट ही क्यों, अव तो आप बिलियर्ड गेंदे, प्रसाधन सामग्री और कितनी ही प्रकार की गैर-जरूरी वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। यद्यपि मैं सुजुकी तथा अन्य कई विषयों की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वे सीमान्त मामले हैं तथा पता नहीं उनका अस्तित्व होगा भी अथवा नहीं, लेकिन यदि वे इसी रूप में होते हैं तो मुझे उनका विरोध करना होगा। लेकिन मामले की सचाई यह है कि यह सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से दब रही है तथा हर कदम पर और हर प्रकार से यह सरकार समपर्ण कर रही है तथा यह ऋण चुकता करने की स्थिति में नहीं है।

यह देश कमजोर होता जा रहा है—इसका दिवाला निकल रहा है। यह सब हमारे सामने हो रहा है। अतः मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह हमारी बात से कुछ सीख ग्रहण करे तथा भगवान के लिए 550 करोड़ डालर के इस ऋण को समाप्त करें, जो आपने अन्तर्राष्ट्रीय

मुद्रा काष से प्राप्त किया है और इस देश को उस बर्बादी और दिवालियेपन से बचाएं, जिस ओर आप इसे धकेल रहे हैं।

धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री नाडार।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का इसलिए विरोध कर रहा हूं क्योंकि इस विधेयक का प्रयास और भावना हमारे स्वराज और आत्म-निर्भता के उस सपने के पूर्णत: विपरीत है, जो हमने स्वतन्त्रता-संग्राम के दिनों में देखा था।

शासक दल के कुछ सदस्यों ने सरकार की यह कहकर तरफदारी की है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में हम अपनी शर्तें रखेंगे। उनके बोलने से ऐसी ध्वनी निकलती है मानो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आदमी उनकी शर्तों के अनुसार चलेंगे। लेकिन, महोदय क्या दिनाँक 23 अगस्त, 1982 की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा नई आयात नीति बनाए जाने सम्बन्धी शीर्षक के अन्तर्गत इस बात का उल्लेख है कि भारत सरकार न अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को यह बता दिया था कि इसने प्रौद्योगिकी और विदेशी सहयोग के आयात के सम्बन्ध में उदार और व्यावहारिक रुख अपनाया है।

(श्री एस० एम० कृष्णा पीठासीन हुए)

आयात नीति में इस उदारता के कारण मुझे यह कहना पड़ रहा है। मेरा अपना राज्य केरल इस सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की समर्थक आयात नीति का शिकार हो गया है। सरकार ने विभिन्न साधनों से रबड़, कोको, तथा नारियल के तेल का आयात करना शुरू कर दिया है। सरकार की उदार आयात-नीति के कारण ऐसा सम्भव हुआ। यहां तक कि केरल के वित्त मन्त्री ने केरल के क्विलोन खुले आम अपने भाषण में यह कहा कि हम केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जा रहे रबड़ के आयात के विरुद्ध आन्दोलन करेंगे। यह बात समाचार पत्रों में अवश्य आनी चाहिए। मेरे ख्याल में माननीय वित्त मन्त्री जी समझ गये होंगे कि केरल के वित्त मन्त्री ने कहा अपने भाषण में क्या कहा था। उन्होने कहा था कि केरल सरकार केन्द्रीय सरकार की आयात-नीति के विरुद्ध आन्दोलन करेंगे।

इसी प्रकार केरल में सभी राजनीतिज्ञ दलों ने तथा उनसे सम्बद्ध सरकारों ने, जिसमें कांग्रेस (आई) के मुख्य मन्त्री के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार भी शामिल है, ने केन्द्रीय सरकार की आयात नीति का विरोध किया है। इस सरकार ने उनके इस विरोध को स्वीकार नहीं किया। अब भी वे आयात किए जा रहे हैं।

मेरे माननीय मित्र, श्री सतीश अग्रवाल ने यह प्रश्न पूछा था: यह संशोधन वर्ष 1969 में क्यों नहीं लाया गया ? यह एक संगत प्रश्न है, महोदय उस समय वह सरकार हालांकि उसका नेतृत्व वर्तमान प्रधान मन्त्री ही कर रही थीं, लोगों को यह दिखाने की कोशिश कर रही थीं कि वह एक भिन्न रास्ता अपना रही है बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके, प्रीपर्स समाप्त करके और इसी

प्रकार के अन्य काम करके। अब श्रीमती गांधी के नेतृत्व में (श्री प्रणव मुखर्जी जिनके वित्त मन्त्री हैं) यह सरकार दुनिया के पूंजीपतियों और बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर रही है कि वह ऐसे रास्ते पर चल रही है जो दुनिया के पूंजी-पतियों और बहु- राष्ट्रिक कपनियों के उपयुक्त है।

उदारणार्थ वित्त मन्त्री महोदय के अमरीका में हाल में दिए गए भाषण में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। उन्होंने दुनिया के पूंजीपतियों और उद्योगपतियों से यह कहा है, भारत में सरकारी क्षेत्र से भयभीत न हो, वहां उसका अस्तित्व गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए मूल-भूत ढांचे की व्यवस्था करना मात्र है।। वित्त मन्त्री महोदय का आशय और भाव उसी नीति से मेल खाता है, जो पंडित नेहरु तथा अन्य व्यक्तियों के नेतृत्व में पुरानी कांग्रेस की थी। मुझे पक्का विश्वास है कि वर्तमान सरकार की औद्योगिक और आर्थिक नीति पंडित नेहरु तथा अन्य व्यक्तियों के नेतृत्व वाली पुरानी कांग्रेस की नतियों से तथा हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों की हमारी सामाजिक आर्थिक नीति से भिन्न है।

महोदय, एक ऐसी सरकार, जो पूर्णतः पूंजीवादी ढर्रे पर चल रही है तथा दुनिया के पूंजीपतियों और बहु-रास्ट्रिक कम्पनियों को खुश करने का प्रयास कर रही है, इस विधेयक के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा दुनिया के पूंजी-पतियों और बहु-रास्ट्रिक कम्पनियों द्वारा नियन्त्रित वित्तीय संस्थाओं के हित में इस संसद को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है, जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री सुनील मैत्रा नें सुविस्तार बताया है।

महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री चित्त बसु (बारसाठ) : आज हम संसद में अजीब स्थिति में हैं। हमारे लिए यह अजीब स्थिति में हैं। हमारे लिए यह अजीब स्थिति है कि सरकार तथा सरकारी पक्ष चाहता है कि हम अधीनस्थ भूमिका अदा करें और विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के कुटिलताओं की ओर ध्यान न दें, जो कि शक्तिशाली संगठन हैं, ताकि नव उपनिवेषणवाद तथा शोषण की उनकी नीति पनप सके। अपने सारे बल के साथ मैं आपसे तथा सदन से यह अनुरोध करूंगा कि उस स्थिति को समझा जाये जिसमें हम आज हैं। हमारी इस स्थिति का कारण यह भी है कि सरकार पक्ष के सदस्य भी हमें अधीनस्थ भूमिका निभाने की सलाह देते हैं जबकि इस देश की आर्थिक सार्व भौमिकता तथा आत्म निर्भरता की नीतियों का क्षण हो रहा है। सरकारी पक्ष में बैठे सदस्य तथा मन्त्री भी हमें सलाह देते हैं कि हम बंगलादेश, श्रीलंका, मैक्सिको, आदि के उदाहरण को अनुसरण करें जो अन्तरर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा विश्व बैंक के कहने पर मौत के फंदे में फस गए हैं।

मुझे दुःख है कि मैं इस अवसर पर उनकी बात नहीं मान सकता क्योंकि यह हमारे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की सार्वभौम नीति के लिए घातक है, जो कि राष्ट्रीय स्वीकृत नीति है। मेरे सामने इस विधेयक का प्रबल विरोध करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। मैं इसका विरोध क्यों कर रहा हूं ? यद्यपि अनेक लोगों द्वारा यह कहा गया है सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है कि ऐसी स्थिति पैदा की जाये, सभा में तथा बाहर ऐसा दृष्टिकोण पैदा किया जाये कि

यह विधेयक बहुत ही साधारण विधेयक है जिसका उद्देश्य संशोधन के द्वारा कुछ ऐसे सुधारों तथा परिवर्तनों को सम्मिलित करना है जिनके बारे में 1979 में सहमति हो चुकी हैं अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के समझने के अनुच्छेद में माने जा चुके हैं। इस सभा में तथा बाहर इस प्रकार का मत पैदा करने के निरन्तर प्रयास किये गये हैं। यह उनका विचार है। मैं उसको मानने से इन्कार करता हूं क्योंकि यह बहुत ही धोखे की बात है और यदि आप में कुछ राजनैतिक दूरदर्शिता है तो आप पूंजीवाद द्वारा अपनाये गये तरीकों एवं पूंजीवाद के कार्यों को समझ सकते हैं। यदि आपको अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा विश्व बैंक के कार्य करण का थोड़ा भी पता हो तो आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे। वास्तव में इस संशोधन को स्वीकार करके हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा विश्व बैंक को अपनी आर्थिक सार्वभौमिकता तथा आत्मनिर्भरता की नति पर आक्रमण करने की अनुमति देंगे इस सदन में तथा बाहर कोई भी आत्म सम्मान वाला वाला व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करेंगे यदि ये आर्थिक तथा वित्तीय कठिनाइयां हैं तो इनसे निपटने के तरीके हैं। मैं यदि सरकार प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आर्थिक स्वतन्त्रता को बचाने के लिए और आत्मनिर्भरता की नीति के लिए कोई निश्चित रूख अपनाए तो मैं सरकार का समर्थन करने में किसी से भी पीछे नहीं। कितने भी कठोर उपाय हों हम हम उनको स्वीकार करने को तैयार हैं परन्तु यह बहुत ही अकल्पनीय बात है कि सरकार आत्मसमर्पण कर रही है और लोगों के देश भक्ति के अधिकारों और देश को बेच रही है। इसके द्वारा उस पर अन्तिम मोहर लगाई जा रही है। यह आर्थिक सार्वभौमिकता तथा आत्मनिर्भरता की नीति को बेचने पर अन्तिम मोहर है। मैं सरकार की इस नीति का समर्थन नहीं कर सकता। अतः मैं इस विधेयक का प्रबल विरोध करता हूं।

जहां तक विधेयक का संबंध है। मैं समझता हूं कि इन टिप्पणियों का विधेयक के पास से संबध नहीं है आप भूखों की दूनिया में रह सकते हैं परन्तु मैं आप पर समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि देश की आर्थिक सार्वभौकिता पर इस विधेयक के प्रभाव को समुचित रूप से नहीं समझा जा सकता। मैं नहीं जानता कि क्या हमें अपनी आर्थिक आजादी को बेचने की नीति अपनानी चाहिए? दुर्भाग्य से इन लोगों ने बेचने का रास्ता अपनाया हैं और उसमें समर्थन से इन्कार करता हूं। हम चाहते हैं कि सरकार स्पष्ट शब्दों कम से कम अपनी स्थिति स्पष्ट करें। मैं समझौते के अनुच्छेद 8 की धारा 5 का उल्लेख करता हूं। इसमें उन विषयों का उल्लेख है जिन पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जानकारी मांग सकता है और हमें वह जानकारी देनी होगी। क्या यह हमारी सार्व भौमिकता पर आक्रमण नहीं है। मैं सदन का ध्यान समझौते के अनुच्छेद 9 की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें सुझाव है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अभिलेखों का उल्लघंन नहीं हो सकता और हमारी सरकार के अभिलेखों को अस्वीकार किया जा सकता है? यह भेद क्यों? यदि अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वह दावा किया जा सकता है, यदि उसके द्वारा कोई जानकारी दिये जाने से इन्कार किया जा सकता है तो हमारी सरकार परस भी जानकारी उपलब्ध कराने पर वाध्यता क्यों? यह अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रति आत्म समर्पण का उदाहरण है।

आयकर अधिनियम 1964 के किन्हीं उपबन्धों के अन्तर्गत कुछ प्रकार की जानकारी प्रेणित किये पर रोक है परन्तु इस संशोधन के द्वारा इन प्रतिबन्धों को हटाया जा रहा है। वास्तव में इस संशोधन का एक मुख्य उद्देश्य जानकारी प्रदान करना है यह हमारे सार्वभौम अधिकारों पर आर्थिक

और सार्वभौमिकता पर कुठाराघात है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ इस प्रकार के उपबन्ध अथवा धारक ब्रांड अधिनियम अथवा स्वेच्छया प्रकरन योजना के द्वारा आप कुछ प्रकार की जानकारी ससंद तथा देश की जनता को भी नहीं प्रदान करते। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषद्व ारा उस जानकारी की मांग की जा सकती है। सरकार को उसे यह जानकारी देनी होगी। अतः यह हमारे देश का आन्तरिक मामला है और इस संशोधन विधेयक के द्वारा हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अपने देश के आन्तरिक प्रशासन मे, विशेषरूप से आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे रहे हैं। यदि आप अन्तर्राष्ट्रीय सगंठन को इस ढंग से देश के आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति देंगे तो आगे इस प्रकार का खतरा है कि जब साम्राज्यवादी शक्तियां राजनैतिक रूप से भी हस्तक्षेप कर सकेंगी। अतः आर्थिक हस्तक्षेप तथा राजनैतिक हस्तक्षेप दो अलग-अलग बातें नहीं हैं। इन दोनों से एक ही खतरा है। एक बार आपने किसी अन्तर्राष्ट्रीय सगंठन को आर्थिक जीवन अथवा आर्थिक नीतियों में हस्तक्षेप की अनुमति दी तो इस बात का खतरा है कि वे राजनैतिक आजादी पर दबाव डालने अथवा उसमें हस्तक्षेप करने का भी प्रयास करेंगे। यह हमारी राजनैतिक आर्थिक आजादी का ही प्रश्न नहीं है इससे देश की राजनैतिक सार्वभौमिकता को भी राजनैतिक दबावों के अन्तर्गत आ सकती है।

यह खतरे हमारे सामने हैं और मैं समझता हूं कि ससंद को जनता की उच्चतम संस्था होने के नाते इन खतरों की उपेक्षा नहीं कर देनी चाहिए। अतः इस संशोधन के द्वारा हमारे देश की सार्वभौमिकता के लिए हम बाहरी खतरे पैदा कर रहे हैं। इस सदन का सदस्य होने के नाते मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। अतः मैं सरकार से एक बार फिर अपील करता हूं कि इस पर पुनर्विचार करे और इस खतरे को रोका जाये।

यह परिवर्तन 1978 में किये गये थे। परन्तु यह संशोधन विधेयक पहले क्यों नहीं लाया गया ? श्री सतीश अग्रवाल कुछ समय के लिए सरकार में जो और वे बता सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वह स्थिति स्पष्ट कर चुके है। उस समय जनतअपार्टी का शासन था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष व्यवस्थाओं के संशोधन के पश्चात उसके विधेयक केसंशोधन केलिये प्रस्ताव लाना आवश्यक नहीं समझा। यह प्रश्न निश्चित रूप से उसके सामने था। मेरा विचार है और मेरा विश्वास है कि जनता सरकार इसकी पेचीदागियों को जान- ती थी और इसी कारण इस प्रकार का संशोधन इस सदन के सामने नहीं लाया गया।

जनता पार्टी साहस तथा नैतिक शक्ति जुटा सकती थी। अन्यथा, वह यह दावा कैसे कर सकते हैं कि उनकी नीतियाँ प्रगतिशील हैं ? ऐसा कैसे है कि उनमें वैसा साहस नहीं तथा, और जो रास्ता उन्होंने चुना था उसे छोड़कर अन्य कोई रास्ता क्यों नहीं अपना सके ?

यदि मूल समझौते में परिवंतन के बिना अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा विश्व बैंक के साथ पिछले चार वर्षों के दौरान हमारे सम्बन्धों को बनाए रखता सम्भव था तो किस प्रकार और क्यों इसे इस सदन से इतनी जल्दी पारित राना अत्यावश्यक हो गया ? क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से 5,000 करोड़ के ऋण की प्राप्ति के लिए पिछले समझौते की शर्तों में से एक पहली शर्त है? यदि हां, तो मन्त्री जी की यह जिम्मेवारी है कि इसे इस सदन में स्पष्ट करें।

अन्त में, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की वहुत सी शर्तों को स्वीकार कर लिया है ; और वे प्रभाव तथा परिणाम की दृष्टि से घातक हैं। उन्हें अब महसूस किया जा रहा है और मेरा विचार है कि ये प्रभाव तथा परिणाम आने वाले वर्षों में कहीं अधिक घातक होंगे। शर्तें कटौती तथा अन्ततोगत्वा राजसहायता रोकने ; अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक के आदेशानुसार कृषि उत्पादों के लिए समर्थन मूल्यों का निर्धारण तथा एक नई वेतन नीति, विशेषकर उनकी आज्ञानुसार भारतीय मजदूरों के लिए मजूरी वृद्धि में रोक की नीति ; तभी आयात में ढील के जिससे हमारी सारी अर्थव्यवस्था पर अनर्थकारी प्रभाव पड़ेगा, के लिए थीं। मैं सभी शर्तों का उल्लेख करना नहीं चाहता, जिनका वर्णन हम असली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक घातक होने के रूप में पहले ही कर चुके हैं। इस घातक दिशा में अन्तिम रूप से बढने से पहले, क्या सरकार इन सभी मामलों पर पुर्नविचार करेगी तथा विधेयक को वापिस लेगी ? यदि सरकार विधेयक वापिस नहीं लेती है तो इसका पूरी तरह से विरोध करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और यही मैंने किया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, इन्टरनेशनल मानेटरी फंड एंड बैंक (अमेंडमेन्ट) बिल, 1982 का मैं समर्थन करता हूं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के श्री सुनील मित्र जब बोल रहे थे तो उन्होंने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के जमाने में भारत मानेटरी फंड का सदस्य बना था और ब्रिटिश जमाने की यह लीगेसी चली आ रही है जिसको हमें चालू नहीं रखना चाहिए। उसके बाद 1969 में इस योजना के तहत भारत सरकार इसमें सम्मिलित हुई। 1978 में भी इसमें कुछ अमेन्डमेन्ट किए गये। जनता पार्टी के समय के वित्त मन्त्री श्री सतीश अग्रवाल यहां पर विराजमान हैं। उन्होंने कहा कि 1969 और 1978 में जो अमेन्डमेन्ट किये गए उसके बाद अमेंडमेंट करने की क्या आवश्यकता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब हमारी पार्टी ने जनता पार्टी को राज सुपुर्द किया था तब हमारे देश के फारेन एक्सचेंज की क्या पोजीशन थी ? कितना फारेन एक्सचेंज हम छोड़कर गये थे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मन्त्री महोदय, आपको इसे सुनिश्चित करना चाहिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : जनता पार्टी के लिए फारेन एक्सचेंज की कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता ही नहीं रह गयी थी। **(व्यवधान)**

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं आपको आंकड़े दूंगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : जनता पार्टी को कोई जरूरत नहीं थी कि वह इन्टरनेशनल मानेटरी फंड में किसी प्रकार का अमेन्मेन्ट करने की बात सोचती। **(व्यवधान)** जनता पार्टी के वित्त मन्त्री को इस बात की भी जानकारी नहीं है, उनके समय में फारेन एक्सचेंज की क्या स्थिति थी। श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने आपको इतना फारेन एक्सचेंज इकट्ठा करके दे दिया था कि आपको और आवश्यकता ही नहीं रह गई थी लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने इस देश का दिवाला निकाल दिया। **(व्यवधान)**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या इस प्रकार के आंकड़ों पर ही आपकी नीतियां आधारित हैं ? जनता शासन के दौरान दोगुनी विदेशी मुद्रा थी ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उस स्थिति में इस देश की व्यवस्थाओं को चलाना सम्भव नहीं रह गया था ।

इस बात को गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है । माननीय मन्त्री जी ने अमेंडमेंट सदन में लेकर आए हैं, वे वाजिब हैं, क्योंकि जब तक बैलेंस आफ ट्रेड की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक हमारा देश ठीक प्रकार से नहीं चल सकता है । बैलेंस आफ ट्रेड में छ: हजार का जो गैप बढ़ गया है, उसको मीट करने के लिए आई० एम० एफ० का लोन लिया गया है । हमारे बैठे हुए माननीय सदस्य सी० पी० आई० (एम) के, उन्होंने इसका भयंकर विरोध किया है, मैं पूछना चाहता हूं यूरोपियन कन्ट्रीज क्यों आई० एम० एफ का सदस्य बन रही हैं ? पोलैंड, हंगरी, चाइना बनने की कोशिश कर रहा है—ऐसी हालत में हिन्दुस्तान अगर सदस्य बनकर अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है और यहां की व्यवस्था को मजबूत करती है, तो इसमें शंका की क्या बात है इनकी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है । ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं । बंगाल में 350 करोड़ रु० का ओवर ड्राफ्ट चल रहा है । ये लोग अपने स्टेट को नहीं संभाल सकते हैं, अपने स्टेट की व्यवस्था को ठीक प्रकार से चला सकते हैं और बातें करते हैं इन्टरनेशनल मोनेटरी फण्ड की । कहते हैं देश गिरवी रख दिया । इन लोगों ने बंगाल का दिवाला निकाल दिया है । यदि भारत सरकार इनको हर महीने का राशन न भेजे, तो वहां से लोग भूखे मर जायें । इन्फ्रास्ट्रक्चर के सम्बन्ध में, एग्रीकल्चर के डपेलवमेंट के सम्बन्ध में, इन्डस्ट्री के सम्बन्ध में जो कुछ भी भारत सरकार कर रही है वह देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए कर रही है । देश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कर रही है । ये लोग निश्चित तरीके से आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि हमारा देश उन्नति करे, मजबूत बने, हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति मजबूत बने, यहां से गरीबी दूर हो, इसलिए आज इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है ।

माननीय मन्त्री जी जो बिल सदन में लाए हैं, वे हमारे देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए है । इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं ।

वित्त मन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया और अपने तरीके से अपना-अपना योगदान दिया । जब मैं चर्चा सुन रहा था, तो मुझे एक पुरानी कहानी याद आ गई जो कि मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में सुनी थी । मैं नहीं जानता कि आज क्या स्थिति है । लेकिन उन दिनों में, हमें किसी एक विषय पर निबन्ध लिखना होता था । एक लड़के ने केवल गाय पर निबन्ध तैयार किया था लेकिन दुर्भाग्य से, परीक्षा में, खेल के मैदान पर निबन्ध लिखना था । अत: उसने लिखा कि खेल के मैदान में बहुत सी घास थी और गाय को सारी घास खानी थी । मैं एक गाय ले आया हूं । तत्पश्चात, उसने गाय पर ही सारा निबन्ध लिखा ।

हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की धाराओं में कुछ परिवर्तनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में भाग लेते हुए, हम इस संस्थान के जो कि 1944 में स्थापित हुआ था और जो कि ब्रिटन-

वुड संस्थान के नाम से जाना जाता है औचित्य तक पहुंच गए हैं तथा इस संस्थानों के जिसके कि हम संस्थापक सदस्य हैं बने रहने के औचित्य के विषय में कहने लगे हैं। लेकिन हमने उपनिवेष वादी शासन के दौरान इसमें भाग लिया था। इसका क्या औचित्य है? इसका क्या उद्देश्य है जिसके लिए यह संस्थाऐं आज पांच खरब डालर के धन के ऋण की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं? इस बीच, मैंने पाया कि माननीय सदस्य समस्त विदेश व्यापार नीति पर चर्चा कर रहे थे तथा वास्तव में एक माननीय ने यहां तक संकेत दिया कि हमें एक पार्टी विशेष के पक्ष में निर्णय लेना चाहिए क्योंकि वहां से ऋण की उपलब्धता आसान है? अतः मैं,

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या वह यहां इस ओर मौजूद हैं?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं नाम बताना नहीं चाहूंगा। अतः मैं अपनी टिप्पणियां …तक सीमित रखना चाहता हूं

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : जब आप 'पार्टी' कह रहे थे तो आपका मतलब राजनीतिक दल से था या अन्य किसी से,

श्री प्रणव मुखर्जी : संकेत यह था कि मुझे एक-एक पार्टी विशेष पर निर्भय करना है दो पार्टियों ने प्रस्ताव रखा था — ऋण की आसान उपलब्धता के कारण।

डा सुब्रह्मण्यम स्वामी : व्यापारिक पार्टियां।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह वास्तव में यह अजीब बात है। इन संस्थानों के औचित्य पर पर विचार करते हुए सर्वप्रथम हमने 1944 में जब हम आजाद नही थे हमने निर्णय लिया था। उस समय हमने संयुक्त राष्ट्रसंघ का संस्थापक सदस्य होने का निर्णय लिया। चूंकि वही तर्क लागू होगा, क्या हमें संयुक्त राष्ट्रसंघ से बाहर आ जाना चाहिए? हम अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के स स्य बन गए है? क्या इसी तर्क पर हमें उससे भी बाहर आ जाना चाहिए? अंग्रेजों ने कानूनकी शासन प्रणाली स्थापित की थी। उन्होंने दंड संहिता दी। आये भी आप मैं काले की दंड संहिता की बात करते हैं और हम भी 1878 के अधिनियम और अन्य अधिनियम की बात करते हैं। इसलिए, निष्कर्ष यह है कि क्योंकि हमने अंग्रे ों के समय में निर्णय लिया था इसलिए हमें इससे बाहर आ जाना चाहिए?

एक माननीय सदस्य : ऐसा नहीं है।

श्री प्रणव मुखर्जी : स्पष्टतया ऐसा नहीं है मैं सहमत हूं। इसलिए, तार्किता क्या है? तार्कितया यह है कि क्यां इन संस्थाओं से हमारी समबद्धता कोई उपयोगी उद्देश्य को पूरा कर रही है और विकास की प्रक्रिया में हमें सहायता दे रही है। और एक महान मार्क्सवादी नेता ने कहा था कि हमें तत्काल बाहर आ जाना चाहिए। यहां भी, मुझे यह कहते हुए खेद है, स्पष्टरूप से वे विस्तारण में विश्वास रखते हैं और प्रायः वें अपने विचार बदलते रहते हैं।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1969 में राज्य में श्री मैंकनमारा, जो उस समय अन्तरष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक के प्रवन्ध निदेशक थे, को उस राज्य की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि पूरा रवैया विश्व बैंक का विरोध करना और विश्व बैंक से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता को रोकना था। और आज स्थिति यह है, विश्व बैंक के अध्यक्ष की बात छोड़िए, विश्व बैंक का एक बहुत कनिष्ठ अधिकारी राज्य सचिवालय में आ जा सकता है और वखिय्ठ अधिकारियों से मिल सकता है और बात कर सकता है। मुझे उस राज्य को और अन्य सभी मुख्य मन्त्रियों को लिखना पड़ा कि भगवान के लिए उन्हें उस प्रकार के अतिथियों से नहीं मिलना चाहिए जो उनके बराबर नहीं थे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप उस पत्र को प्रकाशित कीजिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : परिस्थितियां बदलती हैं।

श्री प्रणव मुकर्जी : मैं यह स्वीकार करता हूं कि परिस्थितियां बदलती हैं। अतः मुझे कोई आश्चर्य नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि विश्व बैंक का एक भूतपूर्व कर्मचारी वित्त मन्त्री बन सकता है...

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप थोड़ा इन्तजार कीजिए ; जब हम दिल्ली आएंगे तो क्या करेंगे, यह हम देखेंगे। दुर्भाग्यवश, पश्चिम बंगाल में हमें संस्थागत ढांचा स्वीकार करना पड़ेगा। मैं केवल यही कह सकता हूं।

श्री प्रणव मुकर्जी : मैं स्वीकार करता हूं, आपको यही कहना है। मेरे विचार में आपकी विचारधारा आपके कार्य दोहरे हैं अथवा दोहरी विचार धारा है। परन्तु यदि आप स्वयं ऐसा कहते हैं तो मुझे कुछ और नहीं कहना है। मुझे आशा है कि प्रोफेसर साहब मेरे दोहरे व्यवहार कहने पर आपत्ति नहीं करेंगे।

मुझे यह कहना है कि यही तार्किकता है। मैं श्री मैत्रा से सहमत हूं कि ये संस्थान मूल-रूप से पूंजीवादी विश्व के हितों के लिए हैं। वे इनकी रक्षा करना चाहते हैं और वास्तव में, मैंने स्वयं कहा था कि जब आप इन बहु पक्षीय एजेंसियों को एक डालर देते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपने तीन डालरों का ठेका किया है। यह दान नहीं है। ये संस्थान दान के लिए नहीं हैं। उनके अपने हित हैं। हमारे अपने हित हैं। हम संघर्ष कर रहे है। मैंने स्वयं कहा था कि शर्तें ऐसी नहीं हो सकती जो प्राप्तकर्ता देशों के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं की पूरी तरह से उपेक्षा कर दे। शर्तें ऐसी नहीं हो सकती कि प्राप्तकर्ता देश का संस्थागत ढांचा उसे अपना नहीं सके। परन्तु, फिर भी, हमें ध्यान रखना होगा कि क्या हम स्थिति को सुधारने में सफल हुए हैं। यह निरन्तर संघर्ष है और संकुलता और पूरी धारणा बदल रही है। जो चीज तीसरे दशक में संगत थी वह आठवें या नोवें दशक में संगत नहीं हैं।

जो चीज आठवें दशक में संगत थी वह नौवें दशक में संगत नहीं है। इस वर्ष मई में हेलसिंकी में विकास समिति की अन्तरिम समिति .ी बैठक में जो संगत थी वह स्टाकहोम में विश्व बैंक की बैठक में संगत नहीं थी वहां ८र सभी विकसित देशों ने अपना रवैया बदल दिया था। उन्होने अपना मन बदल दिया था। उन्होंने इस स्थिति को महसूस किया कि यदि तेल निर्यातकर्ता विकासशील देशों का चालू लेखा घाटा दो वर्ष बाद 7000 करोड़ डालर से बढ़ा है। 1980 में 90,000 करोड़ डालर बढ़ जाता है, तो वो औद्योगिकीकृत देशों से शायद ही कोई चीज आयात कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा विकासशील देशों के लिए किया है, यह उनकी अपनी औद्योगिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए उनके हित में है इसीलिए उन्होंने अपना रवैया बदला है। क्या हमें इसका लाभ नहीं उठाना चाहिए ? क्या हमें ऐसा वातावरण या स्थिति तैयार नहीं करनी चाहिए जिसमें ये संस्थान हमारे उद्देश्यों को पूरा कर सकें ? जैसा मैंने कहा है, सातवें दशक में इस प्रकार की सहायता का विरोध करने वाले राज्यों सहित अनेक राज्य यह महसूस करते हैं कि यदि वे अपने विकास प्रयासों को तेज करने के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं तो उन्हें इसका लाभ क्यों नहीं उठाना चाहिए' और वे इसका लाभ उठा रहे हैं। अतः मेरे विचार से इस प्रकार के विचार की कोई संगतता नहीं हैं।

दूसरी बात उनकी सभी बातें मान लेने के विषय में है। यह उनका प्रिय सिद्धान्त है— सभी बातें मान लेने, निगरानी आदि का अभिलेख। तथा क्या है ? क्या यह तथ्य नहीं है कि हमारे विकास परिव्यय का 90 प्रतिशत हमारे अपनी आंतरिक बचतों से आ रहा है ?

डा० सुब्रह्मणयम स्वामी : तीन वर्ष पहले यह 98 प्रतिशत था।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह 90 से 92 प्रतिशत के बीच था। क्या यह सच नहीं है कि यदि आप कुल विदेशी सहायता का परिकलन करें तो यह हमारे कुल निवल घरेलू उत्पाद का केवल 2 प्रतिशत है ? यदि आप श्री सतीश अग्रवाल द्वारा दिए गए आंकड़े भी लें — 700 करोड़ रुपये से 2000 करोड़ रुपये उन्होंने मुझे मेरी ही प्रति देने की कृपा की है — तो क्या यह चौंकाने वाली है ? यदि आप यह भी मान लें कि हमारा ऋण भार 700 करोड़ रुपये है तो यह चालू वर्ष में हमारी कुल निर्यात आय का 10 प्रतिशत है। 1980 में, हमारा कुल निर्यात 7000 करोड़ रुपये से अधिक था अतः यह 10 प्रतिशत है। आपके परिकलन का सिद्धान्त क्या है ? प्रत्येक बुद्धिमान अर्थशास्त्री—डा० स्वामी यहां पर है, वे मेरी बात को समझेंगे—यह कहेगा कि यह 20 प्रतिशत तक जा सकता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नही हूं : मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूं।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं स्वयं को एक विद्यार्थी समझता हूं और मैं आपसे सीखने के लिए तैयार हूं।

परन्तु यहां, यह अत्याधिक मोटा अनुमान हैं, आज यह 11 प्रतिशत भी नहीं है। यदि मैं कहूं कि मुझे एक बात बतानी है, तो हमें बहुत उदार होना पड़ेगा और हमें अधिक धनराशि

उपलब्ध करानी होगी। मैं यह कहता हूं कि हमारे प्रयासों के फलस्वरूप आज अधिकांश विकसित देश यह मानते हैं कि कोटा बढ़ाया जाए और आई० डी० ए० की भूमिका को कम न किया जाए। इसलिए, इन अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के महत्त्व और प्रभाव को मान्यता दी जा रही है। जहां तक हमारा संबंध है यदि हमारे पास हमारे आन्तरिक बचतों से हमारे कुल विकास परिव्यय का 90 प्रति है और हमारी ऋण बचत हमारी कुल निर्यात आय के 10 से 11 प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो हमें इससे भयभीत क्यों होना चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष हम पर हुक्म चलाएगा ?

मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूं। आखिर हमें अपने पर विश्वास है। हमने अनेक कठिनाइयों को हल किया है। मुझे आपके लिये खेद हैं और मुझे आपसे सहानुभूति है। यदि आपके पास बहुमूल्य वस्तु नहीं है, जिसे विश्वास कहते हैं, तो मैं आपको दोष नहीं देता क्योंकि आप स्वयं पर भी अविश्वास करने लगे हैं। जब जनता ने आपको शासन करने के लिये चुना था तब आपको अपने पर विश्वास नहीं था और इसलिये आप सत्ता में नहीं रह सके। अब हर सत्र में आपका काम अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना हो गया है। इसलिये यदि आपको अपने पर कोई विश्वास नहीं है, तो आप इसे अपने तक रखिये। ईश्वर के लियें, आप उसे हम पर थोपने का प्रयत्न न करें। भारत की जनता पर थोपने का प्रयत्न न करें। भारतीय जनता को स्वयं पर विश्वास है। अन्तर्राष्ट्रीय मद्रा कोष अथवा गैर अन्तर्राष्ट्रीय कोष की राशि का उपयोग वे अपनी बिकास परियोजनाओं पर कर सकते हैं। उन्होने यही किया है। जब हम 1971 की तेल समस्या को सुलझा सकते थे, चाहे कैसी भी कठिनाइयां क्यों न हों तो हम अन्य कठिनाइयों का भी समाधान कर सकते हैं। चाहे कैसी भी दिक्कतें क्यों न हों, हमें आगे बढ़ना ही होगा। मैं उस विचार से पूरी तरह से सहमत हूं।

किन्तु यदि मैं यह कहूं कि मैं तेल का उत्पादन बढ़ाऊंगा और यदि विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहता है कि यह एक अच्छा कार्यक्रम है, तो क्या मैं समर्पण कर रहा हूं ? यदि मैं यह कहूं कि मैं सीमेंट, उर्वरक अथवा विद्युत उत्पादन बढ़ाउंगा अथवा यह कहूं कि मैं रेलवे द्वारा अधिक माल ढुलवाऊंगा और यदि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसे 'अच्छा' कहे तो क्या आप यह कहेंगे कि मैं आर्थिक स्वतन्त्रता गंवा रहा हूं और क्या आप यह कहेंगे कि मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर आश्रित हो गया हूं।

राज सहायता के बारे में क्या कहना है ? पिछले किसी दिन श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने इसका उल्लेख कई बार किया। हमने खाद्यान्न पर राज सहायता कम नहीं की है, यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप कागजातों को देखे यदि आप 1982-83 के बजट के आंकड़े देखें, तो मैं पुनः दोहराऊंगा कि मैंने इसे कम नहीं किया है। यहां तक कि उर्वरक के मामले में भी मैं तो यही कहूंगा कि राज सहायता हमें उतरोत्तर धरानी पड़ेगी क्योंकि हम इस प्रकार की घाटे की अर्थव्यवस्था नहीं बनाये रख सकते हैं और हम लोग इस प्रकार की अक्षमता पर सदा पुरस्कार नहीं दे सकते। किन्तु इसके बावजूद उर्वरक राज सहायता की 1981-82 की 386 करोड़ रुपये की राशि से 1982-83 में बढ़कर ‹46 करोड़ रुपये हो गई है। संक्षिप्त रूप से यही एक मुद्दा है जिसके बारे में मैंने निधि की बैठक में कहा था और जिसके बारे में मैंने संसद में भी कहा था।

इस प्रकार के तर्कों पर मुझे वास्तव में आश्चर्य है। यदि आप कहें कि यही आपका कर्त्तव्य है कि आप विरोध करें और आप विरोध करते रहेंगे, तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु मुझे अपराधी ठहराने की चेष्टा करने से पहले कम से कम आप स्वयं तो संतुष्ट हो लें। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप जो कुछ कह रहे हैं, उससे आप संतुष्ट हैं ?

श्री सुनीत्र मैत्रा : जी हां।

श्री प्रणव मुखर्जी : क्या इसे निर्भयता पूर्वक कह सकते है ?

श्री सुनील मैत्रा : क्या आप सदन को इस बात की सूचना दे सकते हैं कि 1979-80 में उर्वरक राज सहायता की राशि कितनी थी और 981-82 में कितनी थी ?

श्री प्रणव मुखर्जी : आप अपनी उत्तेजना में मैंने जो कुछ कहा, उसे सुन नहीं सके। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का करार नवम्बर 1981 में हुआ था। क्या आपको याद है कि नवम्बर 1981 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ क्या करार हुआ था ? इसलिये तत्सम्बन्धी बजट यह है कि 1980-81 में यह राशि 386 करोड़ रुपया थी ओर 1981-82 में 446 करोड़ रुपया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अगले मुद्दे पर बोलिये।

श्री प्रणव मुखर्जी : आप अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं किन्तु आपने इसकी गणना गलत की है। आपने केवल ऋण वाले भाग को लिया हैं। किन्तु आपको यह नहीं भूलना चाहिये कि इसकी आधी संयुक्त निधि देश कीसुरक्षित निधि में से ही होगी। देश की सुरक्षित निधि पर ब्याज कम लगेगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपने संसद में जो उत्तर दिया था वह यह था कि चक्रवर्ती ब्याज की दर 13 प्रतिशत होगी।

श्री प्रणव मुखर्जी ; इसकी दर 10 प्रतिशत होगी। 13 प्रतिशत तब होगा जब आप उधार ली गई राशि को भी शामिल करेंगे। किन्तु यह दो अन्य घटक हैं।

एक माननीय सदस्य : अर्थशास्त्र के प्रोफेसर मितव्ययिता के विद्यार्थी बन गये हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : आपने अधिकारों का परित्याग करने तथा अपने घरेलू नीतियों की सूचना देने का तो प्रश्न नहीं उठता। बिना किसी की दखलन्दाजी के हम अपनी घरेलू नीतियों का पालन करते रहेंगे। इस बारे में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोई भी सरकार ऐसा नहीं करेगी।

श्री चित्त बसु : किस प्रकार की सूचना दी जायेगी ?

श्री प्रणव मुखर्जी : धारा 5, अनुच्छेद के अधीन हम सूचना दे रहे हैं ? मैं किस प्रकार की सूचना दे रहा हूं ?

श्री चित्त बसु : आप क्या सूचना दे सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं जिस प्रकार की सूचना दे रहा हूं उसके बारे में आप बता चुके हैं और श्री अग्रवाल भी बता चुके हैं कि हम लोग किस प्रकार की सूचना दे रहें हैं। किन्तु हम जो सूचना दे रहे हैं वह हमारे निर्यात और आयात के आंकड़े, हमारे भुगतान की राशि, राष्ट्रीय आय मूल्य और विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विनियम से संबन्धित है। (**व्यवधान**) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की धाराओं में स्वयं इस बात का उल्लेख है कि कोई भी देश अपने निजि मामलों के सम्बन्ध में सूचना देने को बाध्य नहीं होगा। जिस सूचना को देने के बारे में हम निर्णय लेते है कि हमें किस प्रकार की सूचना देनी चाहिये वह राष्ट्रीय स्तर की सूचना होती है -- और आप भूल जाते हैं कि यह राष्ट्रों का एक ऐशोसियेशन है। कोई हमसे नहीं कहता कि हमें वहां उपस्थित रहना चाहिये। अपने ही विचार से हमने ऐसा करना आवश्यक समझा, हम लोग वहां गये और जब हम वहां जाते हैं है तो हम वहां के कुछ अनुशासनों का भी पालन करते है। यह सभी देशों में लागू होता है चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मूल उद्देश्य क्या है ? इसका उद्देश्य स्थायी अर्थव्यवस्था बनाये रखना है। इसलिये विदेशी मुद्रा संबन्धी नियन्त्रण संबन्धी सूचना देना नितांत आवश्यक है। किसी भी देश द्वारा नीतियों में हेरा फेरा स्वयं करने से अन्य देशों के लिये समस्या खड़ी हो जायेगी क्योंकि हम लोग एक-दूसरे पर आश्रित हैं हम लोग स्वयं को एक-दूसरे से अलग नहीं कर सकते और दूसरे देशों की गतिविधि और प्रतिक्रिया से हम अपने को अलग नहीं कर सकते। इसलिये वह हर देश पर लागू होती है। वह विशेष रूप से केवल हम पर ही लागू नहीं होती।

महोदय, जिसके बारे में विशेष रूप से श्री अग्रवाल अत्याधिक चिंतित है वह यह है कि 13 वर्षों के बाद हम लोग यह संशोधन क्यों ला रहे हैं ? मैंने सोचा था कि वह स्वयं ही इसके बारे में विचार कर लेंगे। जहां तक 1969 के संशोधन का प्रश्न है, जिसके बारे में आपका कहना है कि इसे हम 13 वर्ष बाद ला रहे हैं, मैं घटनाओं का सिलसिले वार उल्लेख कर रहा हूं। प्रस्तावित संशोधन राज्यपालों द्वारा 31 मई 1968 को अनुमोदित कर दिया गया था। भारत सरकार ने इसकी स्वीकृति का संकेत 31 जुलाई, 1968 को दिया था। यह संशोधन 28 जुलाई,1968 से लागू हुआ था। इस विधेयक को दोनों सदनों ने 30 अगस्त 1969 को पारित कर दिया था और इस विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति 26 दिसम्बर, 1969 को दी गई थी। मैं इसे 1980 में प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। मैं यह संशोधन अब प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रश्न यह उठाया गया है कि मैं यह संशोधन इतनी देर से क्यों प्रस्तुत कर रहा हूं। अचानक सभी देश भक्त बोल पड़े हैं कि हम लोग देश के अधिकारों को समर्पित कर रहे हैं। मैं किसी को ी दोष नहीं दे रहा हूं किन्तु आप इस बात को ध्यान में रखें कि दो महीने बाद जिस सरकार द्वारा इस संशोधन की स्वीकृति दी गई थी, उसके आप भी एक सम्माननीय सदस्य थे। मैं यह मानता हूं कि उस समय आप मंत्री नहीं थे। मेरा ख्याल है कि वह दिन 26 जुलाई 1969 का था और उसके दो महीने बाद आप मंत्री बने थे। और 1982 से अचानक देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर कहने लगे हैं कि संशोधन स्वीकृत किये जाने के निर्णय को स्वीकार तथा सम्प्रेषित करके हम लोगों ने स्वयं को समर्पित कर दिया है। सामान्य तौर पर हम लोग इसमें विलम्ब करते हैं अथवा व्यवहारिक रूप से इसमें मतदान की एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, कुछ प्रतिशतता निर्धारित की जाती है—वह है

कुल मतों की 3/5 भाग और एक निश्चित संख्या में देशों द्वारा इसे स्वीकृत किया जाना चाहिये।

तब यह प्रभावी होगा । इसलिए हमें देखना होगा कि अन्य देशों में क्या प्रगति है, क्या वे इसे स्वीकार करते हैं या नहीं क्या यह वास्तव में प्रभावी होगा या नीह और इसी कारण इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ । यदि उनमें थोड़ा सा आत्मविश्वास होता और यदि वे इस पर चलते रहते तो यह मामला मुझ तक न आता । वे स्वयं इसे कर सकते थे ।

सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई-उत्तर पूर्व) : आपातकाल में आपने लिखा थी ...... (व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी : मुद्दा यह नहीं है अन्य बहुत से देशों द्वारा ऐसा कर लिए जाने की कोई बात नहीं है । यह 1 अप्रैल, 1978 से प्रभावी हुआ है । हम संशोधन को प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : पहला संशोधन 1969 से सम्बन्धित है ।

श्री प्रणव मुखर्जी : हां । यह मैंने आपको बताया था, यह कर लिया गया है ।

श्री सतीश अग्रवाल : अपने उद्देश्य और कारणों के विवरण में उल्लेख किया था कि 'उपर्युक्त संशोधन समाविष्ट किये जा रहे हैं ।'

श्री प्रणव मुखर्जी : निश्चय ही इन्हें समाविष्ट करना हो । यह एक सामान्य विधामी प्रक्रिया है । लेकिन वह संशोधन उस समय किया गया था

आयकर के सम्बन्ध में बात की गई है । आय 1922 के अधिनियम हवाला नहीं देसकते । अब वह अधिनियम प्रासंगिक नहीं हैऔर उसको बदल दिया जा चुका है मुझे प्रसन्नताहै कि श्री अग्रवाल ने इस मामले को समझा है कि वह अब संगतनहीं है । लेकिन क्या हम इस संशोधन द्वारा कार्य क्षेत्र को व्यापक बनाया जा रहा है ? 1961 के अधिनियम में क्या संशोधन प्रावधान है ।

श्री सतीश अग्रवाल : यह मौजूद है ।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं उस पर विचार नहीं कर रहा । मैं कर सम्बन्धी मामलों का वकील नहीं हूं । मैं केवल एक ऐसा तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं जो एक साधारण आदमी भी समझ सकता है । 1922 के अधिनियम में विशेष प्रकार की सूचनाऐं उपलब्ध कराने पर प्रतिबन्ध है । अब आपकों कुछ सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कुछ परिस्थितियों से गुजरना होगा । यदि आपको कुछ सूचनाऐं उपलब्ध करानी हैं तो आपको इसका उल्लेख उसमें करना होगा । अतः जब आप संशोधन कर रहे हैं तो आप इन दोनों को एक साथ कैसे रख सकते है क्योंकि व्यक्तिगत आकलन के नियमों की संगतता क्या रहेगी । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देश का अध्ययन करने के लिए कुछ जानकारी एकत्रित करता है । ऐसा न केवल विश्व बैंक के मामले में है वरन अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, एशियाई विकास बैंक के मामले में भी, है और कोलेबो योजना को भी हम आंकड़े उपलब्ध कराते हैं । श्री अग्रवाल ने कोलम्बों योजना में दो बार प्रतिनिधि किया है जानकारी तथा आकड़े उपलब्ध कराकर ही हम अपने अधिकार समर्पित कर रहे है । हम इस प्रकार की जानकारी

का आदान-प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार की सूक्ष्म स्तर की जानकारी आवश्यक हैं। यह एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए है जिसके कारण हम लाभ उठा सकते हैं। अतः, मेरे विचार से संवैधानिक वैधता के विषय में उठाई गयी आपत्तियां सही नहीं हैं। अनुच्छेद 372 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 26 जनवरी 1550 में पहले वे सभी अधिनियम जो लागू हो चुके हैं, संगत माने जाऐंगे। वे मान्य होंगे। यदि आप पाएं कि यह नियम विरुद्ध है, अधिकारों का हनन करता है तो आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं और आप अपनी वकालत वहां कर सकते हैं। आपको कोई रोक नहीं रहा। वहां मैं कुछ कहने में समक्ष नहीं हूं। विधि मन्त्रालय द्वारा जो कुछ मुझे बताया गया है और सलाह दी गई है उसके अनुसार मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह न तो नियम विरुद्ध है और न ही मौलिक अधिकारों के हनन के आधार इस अगैचित्य के आधार पर समाप्त करा जा सकता है राजनैतिक तभी आर्थिक पहलू के सन्बन्ध में, मेरा विचार है कि मैंने सभी तथ्यों से अवगत करा दिया और कम से कम गलत फहमियों को दूर करने का प्रयत्न अवश्य किया है। मैं इसे दोहराना चाहुंगा कि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तभी विश्व बैंक से सहायता ले रहे हैं और यह सत्य नहीं है कि कोड़ों या अरबों रुपये प्राप्त हो रहे हैं। मैंने प्रतिशत बताया है और हमारे लिए आवश्क है कि हम इसी पर दृढ़ रहें।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के सम्बन्ध में किसी ने कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम में हमाराभाग नगरण्य हैं। यह एक शिकायत है। हम अपने निजी (प्राईवेट) क्षेत्र से भी यह नहीं चाहते कि वे विदेशी धन के मामले में अपना विवरण दें। हमें इस मामले में अत्यधिक सावधान रहना होगा और आप अनुच्छेद 290 के अन्तर्गत रोक का सुझाव दे रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपने उन दिनों श्री कृष्णामचारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी को देखा है। यह पढ़ने लायक है कि किस प्रकार की कठिनाईया तथा समस्यएँ इससे उत्पन्न हो सकती हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि लोगों के प्रति जिम्मेदार सरकार विनासकारी बन जाये और जो कुछ भी चाहे कर सकती है। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। आखिरकार आप सभी को लोगों पर जो शासन के लिए चुने गये है, विश्वास करना है। अतः मामला यह नहीं है और अब तक कोई भी यह नहीं कह सकता कि हम ऋणों के मामले में विनाशकारी हो गये हैं। हम सावधान हैं और मैं महसूस करता हूं कि इस प्रकार की सावधानी से हमें लाभ हुआ है। स्थिति जटिल होती जा रही है। लेकिन उसी समय आप ध्यान देंगे कि हमने सीमेंट के आयत, इस्पात के आयात, तथा पैट्रोलियम आयत पर निर्भरता में एक उचित सीमा तक कमी की है। यह आवश्यक है।

डा० सुब्रह्मण्यम तथा श्री अग्रवाल द्वारा उल्लेख किए गए कुछ तथ्यों के संबंध में काम करते के दो तरीके हैं। आप कह सरते हैं कि हम प्रतिबंधात्मक उपाय अपनाऐं। ऐसा न कह कर भी मैं अत्यधिक प्रतिबंधात्मक हूं। अब देखना है कि क्या प्रशानिक उपाय किए जा सकते हैं हल्ला मचाने या शब्दों द्वारा अति उत्साह प्रदर्शित करने की अपेक्षा कार्यवाही तथा उचित नीतियां अपनाकर चुप-चाप कई कार्य किए जा सकते थे। हम वही सब कर रहे हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि निर्यात को बढ़ाना आवश्यक है, निर्यात योग्य अतिरिक्त वस्तुओं में वृद्धि आवश्यक है उसी समय ...... से हमारी निर्भरता (**व्यवधान**) हां यह इस वर्ष 50 प्रतिशत है। हमारे निर्यात में वृद्धि हो रही है। वहां भी, कठिनाइयां हैं हमें विकसित देशों का सामना करना होता है। दुर्भाग्य से, मैं नहीं

जानता आप किस नीति का अनुसरण कर रहे हैं। आप निर्यात के विरुद्ध हैं। आप ऋण के विरूद्ध हैं और आप समझते हैं, धन आसमान से टपकेगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अतः आप अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष को ऋण चुकाने की आशा करते हैं या कर्जदार ही बने रहेंगें ?

श्री प्रवण कुमार मुखर्जी : मैं आपको बता रहा हूं और मैंने उनको भी कहा है कि भारत सरकार ने अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष के गठन में अपने पांवों पर खड़े रहकर भाग लिया न कि किसी सहायता से। हम ऋण को अपनी ही हिम्मत पर चुकाएंगे न कि किसी सहायता से

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं समझता हूं आप एक बिगड़े हुए मामले की पैरवी कर रहे हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अंतराष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक अधिनियम, 1945 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम खंड-वार विचार करेंगे।

खंड-2

प्रश्न यह है कि :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब हम खंड 3 पर विचार करेंगे।

खंड 3

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक संशोधन का नोटिस दिया है लेकिन वह सदन में उपस्थित नहीं है। अब, खंड 3 सदन की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 तथा 5

सभापति महोदय : खंड 4 और 5 में कोई संशोधन नहीं है । मैं उन्हें एक साथ प्र... करता हूं ।

श्री सतीश अग्रवाल : मेरे संशोधन का क्या हुआ ? मैंने संशोधन पेश किया है ।

सभापति महोदय : सत्यापन करने पर यह पाया गया कि हालांकि आपने अपने भाषण... संशोधन का उल्लेख किया था लेकिन यह सचिवालय में समय पर नहीं पहुंचा । अत मैं ... तथा 5 को सदन के सम्मुख एक साथ प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 और 5 विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, आरम्भ में वाद-विवाद में भाग लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी परन्तु हमारे प्रिय वित्त मंत्री के चेहरे पर मुस्कान है । यद्यपि उनके तर्क ठोस हैं तथापि संतुष्ट करने वाले नहीं हैं । उन्होंने हमें दोहरी नीति अपनाने का दोषी बताया है । मैं विश्वास और तथ्यों के साथ सत्तारूढ़ दल पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाता हूं ।

हमारे भाषणों में वास्तव में किस बात पर बल दिया गया है ? हमारे भाषणों में इस बात पर मुख्य बल दिया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की शर्तें हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था, आत्म-निर्भरता आदि के हित के विरुद्ध है और हमने स्वयं को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के आदेशों के हवाले भी कर दिया है । हमारे वित्त मन्त्री ने सभी तर्कों को अस्वीकार करने की कोशिश की है ।

गुट-निरपेक्ष देशों का न्यूडेल्ही डेक्लेरेशन नामक यह प्रकाशन है । मैं उनसे केवल इतना ही अनुरोध करता हूं कि वह इस पुस्तक के आर्थिक अध्याय को पढ़ें । भारत सरकार ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं । मैं केवल उसी एक बात का उल्लेख करता हूं जिसकी भारत सरकार पक्षकार है । यह बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भिन्न-भिन्न भाषाओं में हमारे तर्क इसमें पाये जाते हैं । धन और वित्त (मन्नी एण्ड फाइनेंस) शीर्षक के अन्तर्गत पृष्ठ 65 पर यह बताया गया है :

"मन्त्रियों ने यह बात चिंतापूर्वक नोट की कि समस्त अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली का आधार न रहना विश्व की अर्थव्यवस्था के अत्याधिक नाजुक पहलुओं में से एक है और यह कि उस क्षेत्र में दोषयुक्त संचालन, यथा, राष्ट्रीय करेंसियों के आधार पर विश्व मुद्रा सप्लाई का अव्यवस्थित निर्माण और विनिमय दरों में आने वाले उतार

चढ़ाव के कारण अवांछित लागतों में वृद्धि होती है और ये लागतें ऐसी ही बनी रहती हैं। इन प्रतिकूल प्रभावों को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के नियमों में बने नियमों की कड़ी शर्तों के कारण और अधिक बढ़ावा मिला है और इसे बनाये रखा गया है जो प्रायः विकासशील देशों के लिए समायोजन सहायता की विशेष आवश्यकता के अनुपयुक्त है।"

हम भी ठीक यही कह कह रहे हैं। यदि इतनी सी बात कहने के लिए आप व्यंग्य वाक्यों का प्रयोग करते हैं कि हम देशभक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन सब बातों से इनकार करके आप क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं ? मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह यह पुस्तक पढ़ें आप इसके पक्षकार हैं। आपकी सरकार इसकी पक्षकार है। आपने समूचे विश्व को यह बता दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की शर्तों से स्थिति और बिगड़ती है परन्तु इस सभा में आप इससे इन्कार करते हैं।

इसके अलावा मैं इस पुस्तक के पृष्ठ 66 का फिर उल्लेख करता हूं। उसमें यह लिखा हुआ है :

"उन्होंने आग्रह किया कि इन संस्थाओं से उपलब्ध संसाधनों के उपयोग सम्बन्धी शर्तों और उसकी निगरानी के बारे में विकसित और विकासशील देशों के साथ समान बर्ताव करने के लिए इन अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का पुनर्गठन किया जाये।"

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**]

उपाध्यक्ष महदोय : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। यह विधेयक का तीसरा वचन है। इस पर चर्चा कैसे हो सकती है। क्या आप विधेयक का समर्थ करते हैं या विरोध ? यदि समर्थन करते हैं तो इसके क्या कारण हैं और यदि विरोध करते हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं विधेयक का विरोध कर रहा हूं और अपना समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य श्री सुनीन मैत्रा इन सब मुद्दों पर बोल चुके हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : अब मैं उनके दस्तावेज से उदाहरण दे रहा हूं और जब हम यह कहते हैं कि हम आलोचना करते तो हमारी आलोचना करते हैं। हम आपकी आलोचना किया करते थे। आपके दस्तावेज में यह एक पंक्ति है कि सभी वित्त मन्त्री, जिनमें आपके वित्त मन्त्री और आपके प्रधान मन्त्री शामिल हैं, उपस्थित थे।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। वह हमारे प्रधान मन्त्री हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : "अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के क्रूर तथा भेदभाव मूलक नियमों द्वारा जारी रखा गया है।"

गुट-निरपेक्ष देशों ने इन शब्दों का प्रयोग किया है। ये शब्द हैं। जिनके सम्बन्ध में आप

पक्षकार हैं। ये शब्द हैं जिनका आप संसद में प्रयोग करते हैं। आप हमें धिक्कारते हैं और अपने तर्क देते हैं और मैं आपसे केवल इतनी ही अनुरोध करूंगा कि आप मुझें यह बतायें कि दोहरी नीति कौन अपना रहा है तथा संसद को धोखा देने की कोशिश कौन कर रहा है ?

धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं केवल एक मुद्दे का उल्लेख करूंगा। वास्तव में, मैंने यह कहते हुए अपनी टिप्पणी शुरू की थी कि मैं श्री मैत्रा से इस बात से सहमत हूं कि ये संस्थान कुछ हितों की रक्षा के लिए थे और उसके बाद मैंने कहा कि किस प्रकार हम इन्हें बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

आपका मकसद सिर्फ आलोचना करते रहने, गलत ठहराने और टकराव पैदा करते रहने का है।

हमारा कहना है कि विकासशील देशों के सहयोग से इन संस्थानों में से दीर्घावाही प्रक्रिया से हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसका प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न है, आप अंततोगत्वा क्या हासिल करते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं मतलब की बात से ताल्लुक रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह मेरी बात से सहमत हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय सहमत नहीं हो रहे। हैं प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदस्य द्वारा आत्मसमर्पन

उपाध्यक्ष महोदय : अगले विषय पर विचार विमश से पूर्व, मुझे एक घोषणा करनी है। मुझे सदन को इस बात से अवगत कराना है कि आज अध्यक्ष महोदय को उप आयुक्त। अधीक्षक पुलिस, जलपाईगुर्डी, पश्चिम बंगाल से दिनांक 11 अक्तूबर, 1982 का निम्नलिखित बेतार सन्देश मिला है :

"लोक सभा के सदस्य श्री पीयूष तिरकी ने, सी० । डब्लू० सी० आर० मुकदमा संख्या 1265/71 सी० आर० 84/71 और सी० आर० 1158/71 के अन्तर्गत आरोपित होने पर 11-10-1982 को एल० डी० न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,

अलीपुर दुरा उप-मण्डलीय न्यायालय, जिला जलपईगुडी, पश्चिम बंगाल के समक्ष आत्मसमर्पन कर दिया क्योंकि उपरोक्त मामलों में उनके विरुद्ध गिरफ्तारी के वारंट लम्बित थे । जमानत हेतु उनकी प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए एल०डी० मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें हिरासत में लिया गया है ।"

सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अगला विषय है सड़क परिवहन निगम । मैं समझता हूं कि प्रायः सभी सदस्यों ने इस पर चर्चा की है क्योंकि इसके लिये 2 घंटे का समय नियत किया गया था । इसलिए, कुछ सदस्यों ने पहले ही इस विषय पर चर्चा की है और बोले है । अब माननीय मन्त्री महोदय चर्चा का उत्तर देंगे क्योंकि समय समाप्त हो गया है । मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वे चर्चा का उत्तर दें और समय से पूर्व इस विधेयक को पूरा करें । माननीय मन्त्री महोदय तैयार हैं ।

श्री शमन्ना एकमात्र सदस्य हैं । ठीक है । विपक्षी सदस्यों में से उन्हें मैं अनुमति दूंगा ।

उसके पश्चात माननीय मन्त्री महोदय उत्तर देंगे ।

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) **:** इस विधेयक का समर्थन करना मेरे लिए कठिन होगा । कारण यह है कि यदि आप 1950 के मूल विधेयक का उल्लेख करते हैं तो आप पाएंगे कि "सड़क" परिवहन विधेयक का उद्देश्य सड़क परिवहन सेवाओं की कुशल, समक्ष, कम खर्चीली और समुचित रूप से समान्वित प्रणाली के साथ निगम की व्यवस्था करना था ।"

इसके लक्ष्य ये हैं :

(एक) कुशलता पूर्वक चलाने के लिए,

(दो) पर्याप्त यात्रा सुविधाएं मुहैया कराने के और यह यात्राएं कम खर्चीली होनी चाहिए, और

(तीन) परिवहन की एक समुचित समन्वित प्रणाली होनी चाहिए ।

मुझे यही कहना है कि 40 वर्षों तक इनमें से एक भी बात का पालन नहीं किया गया है ।

इस विधेयक का दूसरा उद्देश्य है कर्मचारियों को उचित मजूरी और भविष्य निधि, आवास मनोरंजन आदि जैसी अन्य सुविधाएं देना है । यहां हम देखते हैं कि श्रमिकों को हड़ताल का अस्त्र मिला है और उसके मुकाबले में बेचारे प्रयोक्ता क्या कर सकते हैं ? इसलिए लक्ष्यों के एकमात्र लाभ प्राप्त कर्ता कर्मचारी है । यह निगम की स्थापना की तीसरा उद्देश्य है सड़क परिवहन के समुचित विकास के लिए एक विकास निधि तैयार करना और उसके समुचित प्रयोग को सुनिश्चित करना । जब ये निगम घाटे में चल रहे हैं तो मैं नहीं समझ सकता कि इस प्रकार की विकास निधि बनायी भी जा सकती है ।

बम्बई पहला नगर है, जहां निगम अधिनियम पारित होने के पश्चात निगम बनाया गया और सबसे पहले बम्बई में इसे शुरू किया गया। दिसम्बर, 1950 में बम्बई का निगम स्थापित हुआ लेकिन तब से अब तक अनेकों राज्यों ने निगम बनाए हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि कार्य बिल्कुल संतोष जनक नहीं हैं। बसें खचाखच भरी रहती हैं। एक लेने के लिए लोगों को घंटों तक प्रतीक्षा करनी होती है। हमेशा भीड़ रहती है और इसके साथ ही बसें ठीक समय से नहीं चलतीं। असुविधाओं की बात छोड़िये लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब एक प्राइवेट बस का मालिक बस चलाकर लाभ अर्जित करता है तो इन निगमों को जिनका मार्गों पर एकाधिकार होता है, क्यों नहीं मुनाफा होता है ? ये निगम क्यों घाटे में चल रहे हैं ? यह मैं नहीं समझ सकता ? हम तो हमेशा बसों को ठसाठस भरे चलता देखते हैं और फिर भी इन निगमों को घाटा हो रहा है। मुझे गलत नहीं समझा जाना चाहिए कि मैं इस तर्क के पक्ष में हूं कि बसों का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए और इन्हें प्राइवेट मालिकों को देना चाहिए। मैं अभी अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात लाने की कोशिश कर रहा हूं कि दैनिक यात्रियों को वे सभी लाभ मिलने चाहिए जो उन्हें मिलने दें, आपको इसके लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।

पश्चिम बंगाल के मामले में जिसे साम्यवादी सरकार कहा जाता है, उसने यह सुविधा दी है कि बेरोजगार स्नातकों को बसों के चलाने के लिए सभी सुविधाएं दी जायेगी और वे बसें चलाकर लाभ कमाते हैं। कुछ ऐसी सुविधाएं अन्य राज्यों को क्यों नहीं दी जाती हैं ? जहां सड़क-परिवहन का अच्छी तरह विकास नहीं हुआ है वहां इसे कुछ प्राइवेट व्यक्तियों को क्यों नहीं दिया जाता ? उससे सड़क परिवहन के विकास में सहायता मिलेगी।

परिवहन के सम्बन्ध में दो पहलू हैं। अर्थात्-एक पहलू शहरी परिवहन और दूसरा नगरेत्तर परिवहन। जहां तक शहरी परिवहन का सम्बन्ध है, क्योंकि मैं शहरी क्षेत्र से आ रहा हूं, वहां का परिवहन संतोषप्रद नहीं है, बम्बई को एक बेहतर शहर बताया जाता है। लेकिन बम्बई निगम को बी ई० एस० टी० के माध्यम से प्रतिदिन 1 लाख रुपए की हानि होती है। इसका मतलब है प्रत्येक वर्ष 350 लाख रुपए की हानि होती है, जिसे निगम द्वारा उठाया जाता है और इसलिए वहां यह महसूस नहीं किया जाता है।

जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार दिल्ली को सहायता देती है। लेकिन अन्य स्थानों जैसे बंगलौर अथवा कलकत्ता के बारे में क्या किया जाता है। बंगलौर गांव पर आधारित शहर है और अपने स्वरूप तथा जनसंख्या में वह तेजी से विकास कर रहा है। 1971 में वहां की आबादी 16 लाख थी किन्तु अब दस वर्ष के बाद वह बढ़कर 30 लाख हो गई है। दिल्ली में हमारे पास 3,000 बसें हैं जबकि बंगलौर में हमारे पास 800 बसें हैं जिनमें से 200 बसें हमेशा खराब रहती हैं और वहां जो परिवहन व्यवस्था चल रही है वह संतोषप्रद नहीं है। बंगलौर जैसे एक बड़े शहर में, परिवहन सेवा निराशापूर्ण है।

अतः जब भारत सरकार इन निगमों को अपना कार्य संतोषप्रद ढंग से करने के लिए उनकी सहायता करने की जिम्मेदारी लेती है तो उसे यह भी अवश्य देखना चाहिए कि वहां की परिवहन व्यवस्था ठीक से चले ताकि अन्य स्थानों में चलने वाले परिवहन के लिए यह एक आदर्श हो सके। वास्तव में हम यहां देखते हैं कि अधिकांश शहरी परिवहनों के पास पर्याप्त संख्या में बसें नहीं है।

इसलिए, महोदय, मैं सरकार से अर्ज करता हूं कि वह उन्हें और बसें चलाने हेतु वित्तीय सहायता दें। निः संदेह रूप से प्राथमिकता के आधार पर और सेवाएं सुलभ की जानी चाहिए । निगमों के बीच समुचित सहयोग किया जाना चाहिए ताकि वे संतोष जनक कार्य करने की स्थिति में हो सकें।

इस सम्बन्ध में ऐसे कई पहलू हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहता हूं। अब मैं वही कार्य नहीं करना चाहता हूं। जहां तक इस संशोधित विधेयक का प्रश्न है, मैं यहां पहली नजर में यह देखता हूं कि किसी शहर में कोई वाहन किराये पर लेने की लागत निराशाजनक है। मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग के लिए कोई वाहन किराये पर लेने में समर्थ नहीं है। विशेष रूप से इन वर्गों के लोग स्कूटर, आटो-रिक्शा अथवा यहां तक कि टैक्सी किराए पर लेने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए मध्य वर्ग और गरीब लोग अपने परिवहन के रूप में केवल बस का ही प्रयोग करते हैं। मैं पुनः सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की जानी चाहिए कि शहर में बसें ठीक से चलें और उस उद्देश्य के लिए उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि इस कार्य हेतु पर्याप्त संख्या में बसें सुलभ कराई जायें और वे सक्षम रूप से वहां चलती रहे। यदि ऐसा किया जाता है तो इससे यात्रियों गरीब तबके के लोगों और मध्यम वर्ग के लोगों को इस बड़े शहर में आरामदायक जीवन के लिए उनकी सहायता करने में लम्बा समय लगेगा। यह शहर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कई लोगों को इस शहर में अपने कार्य स्थान पर छः मील की दूरी से आना पड़ता है। उनके लिए अपने कार्यालय आना बहुत कठिन होता है। इसलिए सरकार को इस ओर समुचित ध्यान देना चाहिएं। रेलवे और सड़क परिवहन निगमों में यह देखने के लिए उचित सहयोग होना चाहिए कि यात्रियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां तक सड़क परिवहन का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार उसमें अधिक सहायता करती है। इसलिए, उन्हें इन निगमों का उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। इस विधेयक में यह कहा गया है कि निगम में एक पूर्णकालीन चेयरमैन होगा। मैं यह कहूंगा कि इसे बोर्ड कहा जाना चाहिए न कि निगम और सदस्यों को निर्देशक के रूप में पुकारा जाना चाहिए। यही महत्वपूर्ण बात है। जब तक उच्च पद का व्यक्ति दक्ष, ईमानदार न हों और अपने कार्य में रूचि न ले, तब तक उससे यह आशा करना असंभव है कि वह अपना कार्य उचित ढंग से करेंगे।

मैं केवल इतना कहूंगा कि आपको निगमों में राजनीति नहीं लानी चाहिए। चाहे बोर्ड हो या निगम, ऊनमें एक उचित व्यक्ति होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि सभी निगम कार्यकुशल नहीं हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं। आप उनकी अच्छाइयों या बुराइयों को देख सकते हैं। आप केवल ऐसे व्यक्तियों को निगम में लाते हैं। यदि निगम विफल होता है तो इसका मतलब यही होगा कि सरकार फेल हुई है। इसलिए मुख्य उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करना है कि आप वहां निपुण चेयरमैन नियुक्त करें न कि चेयरमैन के रूप में किसी राजनीतिज्ञ को।

इस सम्बन्ध में मैं आपके विचारार्थ कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आप भागीदार हैं और आपको यह सुनिश्चित करना है कि ये निगमें उचित ढंग से कार्य करें। तमिलनाडु में एक निगम के बजाए वहां 8 या 10 विभिन्न निगम हैं यथा पल्लवन निगम, चोलन निगम, आदि। इन विभिन्न

निगमों से आप कैसे कार्यवाही करते हैं ? आप इन्हें केन्द्र से कैसे नियमित करते हैं ? कुछ अन्य राज्यों से भिन्न, तमिलनाडु में अनेक निगमें हैं। प्रत्येक निगम का पृथक ढांचा है। कर्नाटक में वे विभिन्न निगम गठित करने की सोच रहे हैं। आप उन्हें अपने अधीन कैसे ला सकते हैं, जब तक कि कोई समन्वयकारी निगम न हो जिसके साथ आप कार्यवाही कर सकें।

अतः आपको इसके बारे में सोचना है। अतः मेरा अनुरोध है कि इसकी जांच करें औरआवश्यक कार्यवाही करें। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन विभिन्न प्रकार के निगमों के कार्यकरण का समन्वय करना आपके मन्त्रालय का कर्तव्य है। आप बोर्ड के सदस्यों को बुला सकते हैं और उनके साथ विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करके समाधान सुझा सकते हैं। आप उन्हें बोर्डों के कार्यकरण में सुधार के उपाय बता सकते हैं आप उन्हें बता सकते हैं कि छुटपुट चोरी के मामलों को कैसे रोका जा सकता है। आप उन्हें बता सकते हैं कि समय पर बसें कैसे चलाई जा सकती हैं। जब कभी कोई हड़ताल होती है, अनेक बसें नष्ट कर दी जाती हैं। छात्रों का प्रथम लक्ष्य परिवहन की बसें होती हैं। यह राष्ट्रीय हानि है जिसे रोका जाना चाहिए। अनेक बसें उचित रख-रखाव न किए जाने के कारण बेकार पड़ी हैं। जब तक अनेक बसें खराब मिलेंगी। जब किसी पुर्जे की जरूरत पड़ती है तो वर्कशाप के लोग नया पुर्जा मांगते हैं ? पुराने पुर्जे को ले जाते हैं और सप्लायर को दे देते हैं। दोनों में कीमत का जो अन्तर होता है वे उसे अपनी जेब में डाल लेते हैं। ऐसी बातें आम होती हैं। वर्कशापों में मरम्मत का काम उचित ढंग से करना होगा। बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। अकेले बंगलौर शहर में प्रतिवर्ष 400 से भी अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। एक सामान्य चालक को अधिकतम 600 अथवा 700 रुपये मिलते हैं जबकि सड़क निगम का चालक 15 वर्षों की सेवा के बाद 1200 रुपये पा जाता है। वे हमेशा उपेक्षा बरतते हैं। बसों का उचित ढंग से रखरखाव नहीं किया जाता। उनकी ब्रेकें ठीक तरह से काम नहीं करती जिसके कारण दुर्घटनायें अधिक होती हैं।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह इन मामलों की जांच करें।

जैसा कि मैंने बताया है, छात्रों द्वारा हड़ताल की स्थिति में सबसे पहला लक्ष्य सरकारी बसों की तोड़फोड़ होता है। वे बसों पर पथराव करते हैं; बस को जला देते हैं ; ऐसा करने से वे केवल अपने आप को ही जला रहे हैं। वे वाहन पर पेट्रोल छिड़कते हैं और उसे जला देते हैं। महोदय, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी हड़तालों के कारण बसों जैसी हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति को नष्ट न किया जाए।

अब मैं बसों में भीड़भाड़ के मामले की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप हमेशा 8 या 10 व्यक्तियों को पायदान पर सफर करते पाएंगे। कुछ वर्ष पहले हमारी टी० वी० एस० सेवा नामक बस सेवा बहुत कुशल थी। वे अपनी बसें बहुत कुशलता और समय-पाबन्दी से चलाते थे और आप अपनी घड़ी को उनकी बस के पहुंच के समय से मिला सकते थे। वे बसों में क्षमता से अधिक यात्री नहीं चढ़ने देते थे। बस में वे एक भी फालतू यात्री नहीं चढ़ने देते थे। इन सभी बातों के होते हुए, कुशलता तथा अच्छे कार्य के बल पर उन्हें कभी हानि नहीं होती थी। क्या कारण है कि लगभग सभी सरकारी स्वामित्व की बस सेवाओं में निरन्तर हानि होती है। उत्तरी कर्नाटक में शंकर बस सेवा जैसी एक अन्य व्यवस्था भी थी

और वह भी टी० वी० एस० बस सेवा की तरह कार्य कर रही थी। बंगलौर में बस सेवाएं सर्वप्रथम प्राईवेट एजेंसियों द्वारा शुरू की गई थीं। वे एक निश्चित दूरी के लिए छह पैसे किराया लेती थीं जिसके लिए सरकारी बस सेवा इस समय 50 पैसे किराया लेती है। उन दिनों बसें समय पर चलती थीं। यदि मैसूर एक्सप्रेस गाड़ी बंगलौर रेलवे स्टेशन पर 5.30 बजे पहुंचती थी, तो बसें भी समय पर रेलवे स्टेशन के निकट पहुंच जाती थीं ताकि वे यात्रियों को उनके गन्तव्य स्थान पर पहुंचा सकें। वह कुशलता अब कहां गायब हो गई है? निस्संदेह निगम के लिए कुशलता से बसें चला पाना सम्भव नहीं होगा क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत अधिक है। यही कारण है कि निगम घाटे पर चल रहा है। यह घाटा मुख्यतः भ्रष्टाचार के कारण है। जब तक ये त्रुटियां दूर नहीं की गयीं, सरकार के लिए बस सेवा कुशलता से चलाना सम्भव नहीं होगा। केन्द्रीय सरकार एक वरिष्ठ भागीदार है। उसे चाहिए कि वह राज्य परिवहन मन्त्रियों की बैठक बुलाए तथा इन मामलों पर चर्चा करके समस्याओं का समाधान करे ताकि बस सेवा कुशल बन सके सभी प्रकार की त्रुटियों और भ्रष्टाचार को पूर्णतया समाप्त हो सके।

महोदय, मेरा एक अन्य सुझाव है। भण्डार सामग्री की खरीद पर भारी हानि होती है। भण्डार के लिए फालतू पुर्जे, टायर तथा ट्यूबें निर्माताओं से सीधे फैक्टरी दर पर प्राप्त किए जाएं तथा निगम के भण्डारों को सप्लाई किए जाएं। इससे बहुत से धन की बचत हो जाएगी। केन्द्रीय सरकार को इन मामलों पर राज्य पथ परिवहन निगमों से चर्चा करनी चाहिए।

एक अन्य मुद्दा यह है कि जब कभी भी वे उच्च पदों पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करें, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन मामलों की पूर्ण जानकारी रखने वाले योग्य तथा ईमानदार व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका चयन बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए तथा देखा जाना चाहिए कि उनमें उपयुक्त योग्यताएं हैं।

महोदय, यदि आप सड़क परिवहन निगमों का प्रबन्ध उचित ढंग से और कुशलता से कर सकते हैं तो करें अन्यथा आप इस सेवा को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दें जो इसे उचित ढंग से और कुशलता से संचालित कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, समय थोड़ा है इसलिए संक्षेप में ही निवेदन करूंगा आपने प्रश्नों का जो उत्तर दिया है उससे मालूम होता है कि हर साल कितने आदमी आपके परिवहन सिस्टम से मरते हैं। आपने कहा है कि 1978-79 में 20 हजार आदमियों की जानें गयीं, और 1979-80 में 21 हजार आदमी मरे और 1980-81 में फिगर्स और बढ़ गयीं। 96.7 परसैंट, 100.2 परसैंट पर्सन्स इन्जर्ड। इस तरह से संख्या बराबर बढ़ रही है और दुर्घटनायें हो रही है।

अब आप देखें कि एक साल में परिवहन को नुकसान कितना हुआ है, 1980-81 में आन्ध्र प्रदेश में 16 करोड़ 90 लाख 95 हजार का नुकसान हुआ, असम में 53 लाख 44 हजार, बिहार में 5 करोड़ 20 लाख, कलकत्ता ट्रांसपोर्ट को 1 अरब 7 करोड़, डी० टी० सी० को 30 करोड़ रु० का घाटा हुआ, गुजरात में 25 करोड़ का एक साल में घाटा हुआ, हिमाचल में 11803

लाख, जम्मू कश्मीर में 99.77 लाख का घाटा हुआ। केरल जिससे हमारे स्टीफन साहब आये हुए हैं, वहां 10 करोड़ का घाटा है और यह सालाना घाटा है एक साल का। एक स्टेट का ही नहीं, मध्यप्रदेश का 7 करोड़, महाराष्ट्र का 37 करोड़, मणिपुर का 42 लाख, मेघालय का 46 लाख, नार्थ बंगाल का 4 करोड़, उड़ीसा का ढ़ाई करोड़, पैप्सू का 5 करोड़ 75 लाख, राजस्थान का 7 करोड़ और उत्तरप्रदेश का 9 करोड़ का घाटा है। सारी स्टेट्स में जितनी कार्पोरेशन्ज बनी हुई हैं वहां आपका यह काम है, सब जगह घाटा ही घाटा है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए यह संशोधन किया जा रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : हम स्थिति में सुधार के इच्छुक हैं। मुख्य बात यही है। परन्तु महोदय आप बहुत जल्दी कर रहे हैं और हमें इससे कोई अवसर नहीं मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सड़क परिवहन निगम का प्रशासन सही ढंग से चलाने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है ताकि इन निगमों को घाटा न हो। आप क्या संशोधन चाहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह एक रिपोर्ट है। केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को क्या अंशदान दिया है ?

आप हरेक स्टेट में देख लिजिए आपका कितना कंट्रीबयूशन है। आपने आन्ध्र प्रदेश में 25 करोड़ लगाया है, असम में 390.91 लाख है, बिहार में, जहां से केसरी जी आते हैं, 912.80 लाख है, गुजरात में 27 करोड़ 47 लाख है। इस तरह से सारे स्टेट्स में आपका इतना भारी इन्वैस्टमैंट है। टोटल इन्वैस्टमैंट सब में 1 अरब, 45 करोड़ 11 लाख रुपये है। इतना ह्यूज इन्वैस्टमैंट इन कार्पोरेशन्ज में है, लेकिन आपको हरेक में लास है। कोई कार्पोरेशन ऐसी नहीं है जो घाटे में न चल रही हो। हरेक मैं घाटा है और दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। लेकिन प्राइवेट बसेस सारी की सारी प्राफिट मैं चल रही हैं।

जब हमारे खजाने का अरबों, करोड़ों रुपया इसमें लगता है और रिटंन में घाटा मिलता है और मौतें मिलती हैं, क्योंकि कितने एक्सीडैंट्स होते हैं, तो आपको बतलाना चाहिये था कि आपका परिवहन का क्या इंतजाम है ?

नेशनल ट्रांसपोर्ट पालिसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। उसने भी बताया है कि किस प्रकार से इसका काम चल रहा है। उनका कहना है कि इसका काम बिल्कुल सैटिस्फैक्टरी नहीं है। इस तरह से यह काम बराबर दिनोंदिन बिगड़ रहा है।

आपने जो इन्वैस्टमैंट किया हुआ है, उसका रिटंन मिलना तो दूर रहा, उसके परिणाम क्या निकल रहे हैं। नेशनल ट्रांसपोर्ट पालिसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मई, 1980 में कहा है -

"परिवहन के विभिन्न तरीकों में क्षमता वृद्धि के लिए 1951 से किए जा रहे निरंतर प्रयासों के बावजूद परिवहन क्षेत्र में कमियां पाई गई हैं और क्षमता की कमी है। परिवहन की मांग और सप्लाई में असंतुलन से अर्थव्यवस्था के सही प्रचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पिछले दशक में, विशेषकर परिवहन क्षमता में धन की

आवश्यकता से पिछड गई है।"

"···· औद्योगिक तथा कृषि विकास के लिए आवश्यक सामग्री तथा समुदाय की उपभोक्ता वस्तुओं को लाने-ले जाने के सम्बन्ध में इस प्रकार की समस्याएं तथा कठिनाइयां देश के सभी भागों में हैं।"

नेशनब ट्रांसपोर्ट पालिसी कमेटी की रिपोर्ट में ये बातें कही गई हैं कि ट्रांसपोर्ट का काम विल्कुल ठीक ढंग से और स्मूथली नहीं चल रहा है और वह घाटे में चल रहा है, लोगों की सुविधाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है, लोगों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : विस्तृत विधेयक कब प्रस्तुत कब लाया जाता है, आप पूरा ब्यौरा दे सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अगर मंत्री महोदय कोई काम्प्रिहेंसिव बिल लाते, तो मैं उसे वेलकम करता। वह एक ऐसा बिल लाए हैं, जिसमें कहा गया है :

" बोर्ड में एक सभापति तथा अन्य निदेशक होते हैं जिनकी संख्या कम से कम पांच और अधिक से अधिक सात होती हैं।"

क्या ज्यादा डायरेक्टर बनाकर कार्पोरेशन को ज्यादा एफिशेंट्ली रन किया जा सकेगा ? इसका परवज क्या है ? आफिस की टर्म के बारे में कहा गया है कि **एज में विप्रेसक्राईब्ड**।

श्री स्टीफन एक वकील हैं। कदाचास की परिभाषा क्या है।

मेरे ख्याल से यह बिल उन्होंने नहीं बनाया है।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : हम इसमें संशोधन कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप ऐसा कर रहे हैं ? तो ठीक है।

मेरे ख्याल से मंत्री महोदय अधूरे मन से यह लाए हैं। जिस ढंग से ट्रांसपोर्ट का काम चल रहा है, उससे पब्लिक सेक्टर के प्रति लोगों की श्रद्धा घटती है और वे सोचते हैं कि राजकीय उपक्रमों से देश और समाज का नुकसान होता है। इसलिए इस बारे में एक काम्प्रिहेंसिव बिल लाना चाहिए।

अगर किसी बिल में रूल्ज एंड रेगुलेशन्ज बनाने की पावर ली गई हो, लेकिन उन्हें हाउस में रखने का प्राविजन न हो, तो वह ठीक नहीं है। मैंने इस बारे में कमेटी की कई रिपोर्ट्स का हवाला दिया है। 1950 और 1954 में कमेटी ने कहा है कि जो कोई नया बिल पेश हो, उसमें यह फार्मूला होना चाहिए।

लोक सभा के प्रतिक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 234 में लिखा है कि :

" (एक) जब संविधान के या संसद द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित

विधान कृत्यों के अनुसरण में बनाए गए विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि सभा के सामने रखी जाये, तो संविधान या तत्संगत अधिनियम में उल्लिखित कालावधि जिसके लिए उसके रखें जाने की अपेक्षा हो, सभा के अनिश्चित काल के लिएस्थगित होने तथा बाद में सत्रावसान होने के पहले पूरी की जायेगी, जब तक कि संविधान या संगत अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित न हो ।"

और फिर हम नियम 235 के अन्तर्गत आपत्ति कर सकते हैं, जो इस प्रकार है :

" अध्यक्ष सदन नेता के परामर्श से, ऐसे विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि के किसी संशोधन पर, जिसकी किसी सदस्य द्वारा सूचना दी जाए, विचार करने और उसे पारित करने के लिए, एक या अधिक दिन या दिन का कोई भाग जैसा कि वह ठीक समझे, निश्चित करेगा ।"

परन्तु यहां इसके प्रस्तुत करने की कोई व्यवस्था नहीं है । फिर भी आप प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़क परवहन निगम (संशोधन) विधेयक, जो इस सदन में माननीय मन्त्री जी ने पेश किया है, उसके सम्बन्ध में मैं भी डागा जी की राय से सहमत हूं कि इस बिल को अधूरे मन से यहां पर रखा गया है, पूरे मन से न तो इसकी तैयारी की गई और न ही सारी परिस्थितियों को देखा गया है । यदि सारी परिस्थितियों को देख-भाल कर इस बिल को यहां पर लाया गया होता, जिसकी कि बहुत ही आवश्यकता थी, तो इसका कुछ और ही स्वरूप होता । यह बिल तो राज्य के जो सड़क परिवहन निगम हैं उनको शक्ति देने के लिए, बोर्ड के बजाए निगम कहने के लिए और सदस्यों के बजाए डायरेक्टर कहने के लिए तथा इस प्रकार की अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए ही मुख्य रूप से लाया गया हैं । मेरी तो ऐसी धारणा है कि केवल सड़क परिवह निगम ही नहीं, जितने भी इस देश में निगम हैं—चाहे किसी प्रदेश में, किसी केन्द्र शासित क्षेत्र में—सभी में आप देखेंगे कि बहुत ही गड़बड़ घोटाला चल रहा है और घाटा हो रहा है । जहां तक मैं समझता हूं इसका कारण निगमों का सरकारीकरण करना है । सरकार निरन्तर निगमों का सरकारीकरण करती रही है । उन निगमों में जन-प्रतिनिधि नहीं हैं, केवल प्रशासनिक अधिकारी उनमें बिठा दिए गए हैं । इसीलिए उनमें बड़ा घपला है । मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि इस दृष्टिकोण में आपको परिवर्तन करना होगा । जब तक सरकार लोकतांत्रिक मान्यताओं और परम्पराओं के अन्तर्गत इन निगमों का गठन नहीं करेगी जिसमें अधिकारी भी हों, जन-प्रतिनिधि भी हों और जनता के लोग भी हों, लोक सभा और राज्य सभा के प्रतिनिधि भी उसमें रखे जायें-जब तक इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक इन निगमों का संचालन ठीक प्रकार से नहीं चलाया जा सकता है और न ही उनमें जो गड़बड़ी है या जो घाटा हो रहा है उस पर ही आप कोई नियन्त्रण कर सकते है । इस दृष्टिकोण से यदि आप इस बिल को वापिस लेकर दूसरा व्यापर बिल यहां पर पेश करें तो सम्भवतः कुछ लाभ हो सकता है ।

इस बिल में आपने "अध्यक्ष" रखा है लेकिन अध्यक्ष कौन होगा और डायरेक्टर कौन होगा ? वह होंगे प्रशासनिक अधिकारी । मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से गैर

सरकारी व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो डायरेक्टर आप रखेंगे उनमें कुछ तो ट्रांसपोर्टर रखें, कुछ पब्लिक के व्यक्ति रखें, अगर वह निगम किसी राज्य का हो तो उसमें राज्य विधान सभा के सदस्य होने चाहिए और संसद का भी एक प्रतिनिधि रहे और अगर केन्द्रीय निगम हो तो राज्य सभा और लोक सभा के प्रतिनिधि उसमें होना चाहिए। जब इस प्रकार से आप निगमों का संचालन करेंगे, तो मजबूती के साथ काम होगा और उन पर नियन्त्रण तथा देखभाल हो सकेगी।

सड़क परिवहन निगमों की आज बहुत ही खस्ता हालत है, कितना घाटा है-- इसका उल्लेख माननीय डागा जी ने अपनी स्पीच में किया है। जैसा कि मैंने पहले कहा, जहां-जहां निगमों का सरकारीकरण हुआ है, वहां पर ऐसी स्थिति है। आप देखें कि निजी क्षेत्रों में जो बसें चलती हैं उनकी क्या हालत है और परिवहन निगम के क्षेत्र में जो बसें चलती हैं उनकी क्या हालत है। न तो वे समय पर बसें चला रहे हैं और न सही हालत में चला रहे हैं। मैं अभी सीतापुर से आ रहा था। मुझे वहां पर दो घंटे तक बस के इन्तजार में खड़ा रहना पड़ा। उन्होंने वहां पर बताया कि सीतापुर डिपों में कुल चालीस बसें हैं और उन चालीस बसों में से सिर्फ 19 बसें बड़ी मुश्किल से जोड़-गाठ कर चला पा रहे हैं। मैंने तो आपको यह एक स्थान की बात बताई है। उत्तर प्रदेश में सभी जगह पर हालत बदत्तर है। मैं तो कहूंगा कि सन् 1980 से अब हालत और अधिक बदत्तर हो गई है।

एक राष्ट्रीय परिवहन निगम बनाने की बात भी चली थी। संभवत: परिवहन विकास परिषद् की 16 वीं बैठक में यह फैसला किया गया था कि राष्ट्रीय परिवहन निगम बनना चाहिए। यह इस प्रकार का निगम होना चाहिए जो कि प्रान्तीय निगमों की सहायता करें। जब इस निगम को बनाने की बात हुई थी तब यह विचार हुआ था कि जीवन बीमा निगम, केन्द्रीय वित्त निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं की मदद लेकर एक आर्थिक कोष बने और उससे इनको सहायता पहुचाई जाए। संभवत: जैसी कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि आपके वित्त विभाग ने इसको बनने नहीं दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि इसमें आपको प्रयास करना चाहिए। प्रान्तीय निगमों में जिस प्रकार का घाटा चल रहा है और गोलमाल चल रहे हैं, जब तक उनमें आपका नियन्त्रण नहीं रहेगा, तब तक यह घाटा बना रहेगा। आपका जो कर्त्तव्य है, लोगों को सुविधा पहुंचाने का, वह नहीं पहुंचा पायेंगे। एक बात यह भी चली थी कि इसमें रेल विभाग का भी प्रतिनिधि रहेगा, ताकि दोनों सेवाओं में सामंजस्य बैठे। मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या आपने राष्ट्रीय परिवहन निगम की जो रिपोर्ट आई है, उसको आपने ध्यान में रखा है? उस पर विचार किया है और उसको विचार करने के बाद यदि आप यह बिल लाए हैं तो ठीक है और अगर नहीं तो इसको लाने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई है?

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको इन सारे पहलुओं पर विचार करना चाहिए, अन्यथा आप परिवहन सेवाओं को दुरुस्त नहीं कर पायेंगे। बसों द्वारा रोज मृत्यु की घटनायें हो रही है, क्योंकि आपकी परिवहन सेवा खराब हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं--जो बसों के रख-रखाव और उनकी मरम्मत के लिए पुर्जे खरीदे जाते हैं, वे आपके डिपो तक नहीं पहुंच पाते हैं। उन पुर्जों के बिल तो पहुंच जाते हैं और वहीं बीच में उन पुर्जों का हिसाब-किताब हो

जाता है। इस ओर भी आप को देखने की जरूरत है। इस बारे में भी आपका कोई ऐसा तरीका निकलना पड़ेगा, ताकि जो पुर्जे खरीदे जायें उनकी ब्लैक मार्केटिंग न हो। ये पुर्जे प्राइवेट बस वालों के हाथों में पहुंच जाते हैं जिससे कि उनकी बसें अच्छी हालत में होती हैं और खराब पुर्जों को डिपो पर पहुंचा दिया जाता है। जिससे वहां इन पुर्जों का अम्बार लगा हुआ रहता है। इसलिए आपको परिवहन में सुधार करने की आवश्यकता है। सुधार तभी संभव है, जब आप इसके सरकारीकरण को समाप्त करें और जनतान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत इसका निर्माण करें और देख-भाल करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्ज मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस संशोधन पर भाग लिया है, उनको धन्यवाद देते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं। कुछ सदस्यों ने राज्य स्तर पर जो निगम काम कर रहे हैं, उनके अन्तर्गत कुछ खामियों की चर्चा की है। मेरा ख्याल है कि उनकी जो यह खबर है, समाचार है और जो आरोप है वह निर्मूल भी हो सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : आपका दिया हुआ जवाब ही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप क्यों खड़े हो रहे हैं ? यदि वे स्वीकार कर रहे हैं तो आप खड़े होकर पूछ सकते हैं। ये सभी नियम आपने बनाए हैं।

श्री सीताराम केसरी : हमारे डागा जी ने एक विशेष बात कही है, जो इससे संबंधित नहीं है। उन्होंने इस संशोधन से सम्बन्धित न होते हुए भी परिवहन के बारे में कहीं। जहां तक एक्सीडेंट का सवाल है ... मैं उन को बता देना चाहता हूं कि इसी सदन में एक ही हफ्ता पूर्व; एक-दो हफ्ते पूर्व, हमने दुर्घटनाओं में ग्रसित लोगों की अगर मृत्यु होगी तो उनके सम्बन्धियों को 15 हजार रुपये मिलेंगे और जो डिसरबिल्ड होंगे, उन को साढ़े सात हजार रुपये मिलेंगे। इस तरह का एक बिल तत्काल हमने पास कराया है। बजाय इसके कि इस के लिए ये सरकार को बधाई देते, यह सरकार की आलोचना करते हैं। जो एक्सीडेंट्स देश में होते हैं उनको दृष्टि में रख कर मोटर व्हीकिल्सएक्ट में संशोधन करके और एक बिल उसके लिए पारित करके दुर्घटनाओं में ग्रसित व्यक्तियों के लिए तत्काल सेवा और तत्काल मुआविजे का प्रबन्ध हमने किया है और इसके लिए बजाय बधाई देने के इन्होंने सरकार की आलोचना की है।

दूसरी बात मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई है। बहुत से सदस्यों ने यह कहा है कि राज्य स्तर पर जो निगम काम करते हैं, उनके संचालन में बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों को मद्देनजन रखते हुए में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक घाटे का प्रश्न है, आप जानते हैं कि पिछले तीन-चार सालों में कित्तनी फ्यूल की कीमतें बढ़ी हैं, टायरों की कीमतें बढ़ी हैं और कल-पुर्जों की कीमतें बढ़ी हैं मगर हम किराया नहीं बढ़ा सकते। ...(*व्यवधान*)...

श्री राम लाल राही : ऐसी कोई स्टेट नहीं है, जिसने किराया न बढ़ापा हो और किराया

बढ़ा कर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि लोगों ने पैदल चलना शुरू कर दिया है।

श्री सीता राम केसरी : मुझे अफसोस है राही साहब कि आप ने यह कहा। मैं आप से कहूंगा कि आप डी० टी० सी० का ही उदाहरण ले लीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, चार साल के अन्दर जिस तरह से डीजल की कीमत बढ़ी है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, कल पुर्जों की कीमत बढ़ी है, उसके अनुपात में कोई किराया नहीं बढ़ाया गया है। सड़क परिवहन के द्वारा तकरीबन 4 करोड़ व्यक्ति यात्रा करते हैं। यदि देश में सभी राजनीतिक दल इसको राजनीति का मुद्दा न बनाएं, तो यह देश के हित में होगा। आप ने देखा होगा कि परिवहन को राजनीति का मुद्दा बनाया जाता है और कल ही की बात है कि एक बस को यहां जला दिया गया। हम यह देखते हैं कि जब भी कोई आन्दोलन होता है, तो विरोधी दल का पहला मुद्दा यह होता है कि बसों को नुकसान पहुंचाया जाए। कभी छात्रों को भड़का दिया और उन्होंने बस जला दी। किस तरह से सार्वजनिक प्रोपर्टी, जोकि देश की प्रोपर्टी है, का नुकसान होता है। मैं आप से अपील करूंगा कि आप इस में हमारी मदद करें क्योंकि यह सरकार की ही मदद नहीं है बल्कि इस देश के देशवासियों की मदद है। यह सम्पत्ति सरकार की है। जब आप प्रशासन में रहे, तो आप की थी और अब हम प्रशासन में हैं, तो यह हमारी है। यह देश की सम्पत्ति है मगर इस ओर आपका ध्यान नहीं जाता है और यह आन्दोलन का मुद्दा बन जाता है। यह बात मुझे दुःख के साथ कहनी पड़ती है।

इसलिए मैं आप से यह कहूंगा कि यह जो बिल हम लाए हैं, हमारी सरकार जो यह बिल लाई है, उस के कई कारण हैं। हम यह चाहते हैं कि प्रदेशों में जो राज्य सरकार के निगम हैं, वे आर्थिक रूप से सबल बनें। आप ने इस बिल में देखा होगा कि आर्थिक रूप से उन को सबल बनाने के लिए हम इस में ये संशोधन लाए हैं।

जहा तक निदेशकों की सीमा की बात है, 17 से अधिक नहीं होने चाहिए। इसमें कितने लोग लिए जाएं, उनके बारे में दो दृष्टियां हैं। एक दृष्टि तो भौगोलिक दृष्टि है। अगर त्रिपुरा में 5 निदेशक हो सकते हैं, तो महाराष्ट्र में 17 रखने पड़ेंगे, यू० पी० में 17 रखने पडेंगे, बिहार में 17 रखने पड़ेंगे और डागा साहब तो वैश्य कुल के हैं, वे जानते है कि व्यापार क्या है और कम्पनियां किस तरह से संचालित होती हैं।

श्री मूल चन्द डागा : वे घाटे पर नहीं जाती हैं।

श्री सीता राम केसरी : घाटे के सम्बन्ध में मैंने बता दिया है मगर निदेशकों की सीमा की जो बात है, अगर छोटी कम्पनी होती है, तो उसमें पांच होते हैं। उससे बड़ी कम्पनी में सात, उससे बड़ी कंपनी में 10 रखे जाते हैं। इसलिए जहां तक निदेशक रखने का प्रश्न है उसके लिए एक सीमा रखी गई है कि ज्यादा 17 और कम से कम 5 निदेशक रखे जा सकते हैं और वह सीमा आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से उचित है।

जहां तक मनोनयन का प्रश्न है, आपने कहा कि मनोनयन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसको औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : ज्यादा वे लोग होते हैं जो राजनीति में हार जाते हैं।

श्री सीताराम केसरी : एक चीज शायद आपको मालूम नहीं है कि अधिकांश राज्य निगमों में आफिशिल लोग हैं, इसलिए राजनीतिक दृष्टिकोण कहां आता है । उदाहरण के लिए आप डी० टी० सी० में देख लीजिए । इसी प्रकार अधिकांश जगहों में आफिशियल लोग होते हैं ।

जहां तक चेयरमैन को हटाने का प्रश्न है, आपने कुछ मिस कंडक्ट के बारे में कहा, उसके बारे में संशोधन-8 में पूरा प्रावधान है । और जहां तक आपने कहा है कि केन्द्रीय सरकार का इन्वाल्वमेंट नहीं होना चाहिए तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि यह बिल केन्द्रीय सरकार द्वारा ही लाया जा रहा है । इस तरह से केन्द्रीय सरकार का आर्थिक एन्वाल्वमेंट है । अभी राही साहब ने कहा कि विधि विभाग को शायद फण्डिंग के लिग रिजेक्ट कर दिया है, ऐसी बात नहीं है, विचारणीय है, चर्चा हो रही है । इस तरह से केन्द्रीय सरकार के आर्थिक स-योग से राज्य सरकार में निगम चलाते हैं । जो भी सबसिडी या फण्ड होगा, उसमें केन्द्रीय सरकार की अनुमति अनिवार्य है ।

एक बात और कही गई कि चेयरमैन फण्ड के मुताल्लिक जो भी एक्शन ले या पावर डेलीगेट करे उसके लिए वह स्थानीय सरकार से अनुमति ले। यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि इससे निगम की स्वायत्तता में बाधा पड़ती है इसलिए इसकी भी आवश्यकता नहीं है । निगम को स्वतन्त्र होना चाहिए, क्योंकि उसी को व्यापारिक दृष्टिकोण से उसे संचालित करना ज । इसलिए मैं समझता हूं कि यह संशोधन वापिस ले लिया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कैसे पता कि वे संशोधन ला रहे हैं ? वे संशोधन प्रस्तुत नहीं करेंगे ।

श्री सीताराम केसरी : उन्होंने मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था और मन्त्री महोदय ने फौरन एक संशोधन आपके सामने पेश कर दिया । इसलिए उनकी जो मांग थी वह पूरी हो गई है ।

माननीय सदस्यों ने राज्य परिवहन निगमों के अन्तर्गत बस स्टैंडों की तरफ भी ध्यान दिलाया है । इसके बारे में प्रावधान पहले से ही है । मैं भी तमाम निगमों तक आपके सुझाव को पहुंचा दूंगा । ताकि जहां बस स्टैंड नहीं हैं वहां इनका निर्माण कराया जा सके ।

कुछ मित्रों ने कहा है कि निजी बसें जो चलती है उनमें आमदनी ज्यादा होती है और पब्लिक सैक्टर में जो चलती है उनमें कम होती है । मैं बताना चाहता हूं कि पब्लिक सैक्टर के अन्तर्गत एक बस चलाने के लिए सात मुलाजिमों की आवश्यकता पड़ती है जबकि प्राइवेट ओनर जो चलता है उसके अन्दर आप देखेंगे कि अधिक से अधिक दो मुलाजिमों की ही आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा एक ही मुलाजिम बस को चलता है इससे बहुत ज्यादा अन्तर पड़ता है । हमारे यहाँ कर्मचारियों के वेतनमानों के नियम बने हुए हैं, उनको किस तरह से बोनस मिलना चाहिये, किस तरह से डी० ए० मिलना चाहिये, किस तरह से ओवर टाइम मिलना चाहिये, सब कुछ है । पब्लिक सैक्टर का मूल उद्देश्य यह होता है कि जन हित में, देशहित में परिवहन को चलाया जाए,

यात्रियों के हित में चलाया जाए जब कि जो व्यक्तिगत हित में बसें चलाते हैं वे कभी भी यात्रियों की सुख-सुविधा का ध्यान नहीं रखते हैं—

श्री मूलचन्द डागा : वे विरोध में बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। आप बार-बार उठ रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप आपत्ति तथा कारण संबंधी वक्तव्य पहले वाक्य को पढ़ें और जो कुछ ये बोल रहे हैं उससे उसका मिलान करें। जो कुछ आपत्ति तथा कारण संबन्धी वक्तव्य में दिया गया है ये उसके विपरित बोल रहे हैं।

श्री सीताराम केसरी : जो संशोधन 17 वां है उसमें उन्होंने कहा है कि क्या मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन के अन्तर्गत काम करेंगे ? जो चेयरमैन होता है वह कार्यवाहक चेयरमैन होता है, बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज की मीटिंग होती है तो वह उसका सभापतित्व करता है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उसका काम एग्जैक्टिव काम होता है और उन्हीं के अन्तर्गत सब काम होता है। चेयरमैन हमेशा होता भी नहीं है। इस वास्ते उनका जो संशोधन है उनका कोई औचित्य नहीं है।

मेरी प्रार्थना है कि जिन्होंने संशोधन दिए हैं उनको वे वापिस ले लें और इस बिल को इसी रूप में पास करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सड़क परिवहन निगम, अधिनियम 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे।

खण्ड-2

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1 पंक्ति 11

"1981" के स्थान पर "1982" प्रस्थापित किया जाए

(श्री सीताराम केसरी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड-2 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड-3

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेणु पद दास उपस्थित नहीं हैं।

श्री डागा क्या आप क्रम संख्या 12 और 13 पर आपने संशोधन पेश कर रहे हैं?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं पेश नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड-4

उपाध्यक्ष महोदय : खंड-4 में कोई संशोधन पेश नहीं किये गये है। अतः प्रश्न यह है :

"कि खण्ड-4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-5

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेणु पद दास यहां नहीं हैं। एक सरकारी संशोधन है।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

पृष्ठ 3,—

(i) पंक्ति 6,—

"उपधाराएं" के स्थान पर "उपधारा"

प्रतिस्थापित किया जाए।

(ii) पंक्ति 7 से 35 के स्थान पर निम्नलिखित

प्रतिस्थापित किया जाए—

"(2) राज्य सरकार यथानिर्धारित अवधि की सूचना पर (जो एक महीने की अवधि से कम नहीं होगी) किसी भी निदेशक की नियुक्ति को समाप्त कर सकती है :

परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी निदेशक की नियुक्ति को उस सरकार की सहमति के बिना राज्य सरकार इस उपधारा के अन्तर्गत समाप्त नहीं करेगी।" (-8)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 3,—

(ii) पंक्ति 6,—

"उपधाराएं" के स्थान पर "उपधारा" प्रति स्थापित किया जाए

(ii) पक्ति 7 से 35 के स्थान पर निम्नलिखित

प्रतिस्थापित किया जाए।

"(2) राज्य सरकार यथानिर्धारित अवधि की सूचना पर (जो एक महीने की अवधि से कम नहीं होगी) किसी भी निदेशक की नियुक्ति को समाप्त कर सकती है :

परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति किसी भी निदेशक की नियुक्ति को उस सरकार की सहमति के बिना राज्य सरकार इस उपधारा के अन्तर्गत समाप्त नहीं करेगी।". (8)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुधीर कुमार गिरि (कन्टई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 18 से 29 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये:—

"दोषसिद्धि हुई है।" (9)

पृष्ठ 3, पंक्ति 31,—

"कि सहमति के" के स्थान पर "को उचित सूचना दिये" प्रतिस्थापित किया जाये। (10)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सुधीर कुमार गिरि द्वारा पेश किए गए खंड 5 के संशोधन संख्या 9 और 10 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दि I गया।

खण्ड-6

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द डागा यहां नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड-8

उपाध्यक्ष महोदय : सर्वश्री रेणु पद दास और मूलचन्द डागा यहां नहीं हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड-9

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द डागा यहां नहीं हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्वाव स्वीकृत हुआ ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड-10

श्री सुधीर कुमाम गिरि (कन्टई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 20 और 21,—

"और केन्द्रीय सरकार" का लोप किया जाये । (11)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सुधीर कुमार गिरि द्वारा पेश किए गए खंड 10 में संशोधन 11 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 11 विनेबक में जोड़ दिया गया ।

खंड-12

श्री सीताराम केसरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7, पंक्ति 2,—

"1981" के स्थान पर "1982" प्रतिस्थापित किया जाए । (4)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 7, पंक्ति 2.—

"1981" के स्थान पर "1982" प्रतिस्थापित किया जाए । (4)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्र श्न यह है :

"कि खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 12 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 13 से 16 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खंड-1

श्री सीताराम केसरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1981" के स्थान पर "1982" प्रतिस्थापित किया जाए । (2)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1981" के स्थान पर "1982" प्रतिस्थापित किया जाए। (27)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियम-सूत्र

श्री सीताराम केसरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"बत्तीसवें" के स्थान पर "तेतीसवें" प्रतिस्थापित किया जाय। (1)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सीताराम केसरी द्वारा पेश किया गया संशोधन सभा के समक्ष है। प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"बत्तीसवें" के स्थान पर "तेतीसवें" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियनम सूत्र, संशोधन रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियमन सूत्र संशोधन रूप में विधेयक में, जोड़ दिया गया।

शीर्षक विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री सीता राम केसरी : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : मेरा विचार है कि आप पहले इतने सदस्यों को बोलने के लिए नहीं बुलाने वाले थे। अन्यथा मैं बहुत पहले उठता। अब में सदन को अधिक देरी तक नहीं रोकना चाहता परन्तु में अपने माननीय मित्रों को एक रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूं। अब इस मन्त्रालय में दो मन्त्री हैं। राजनैतिक रूप से वह बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने हाल ही में पारित विधेयक के द्वारा समय की मांग को पूरा करने हेतु अपनी क्षमता का परिचय दे दिया

है। इस घटना के अटित होते ही मन्त्री महोदय तथा मन्त्रालय ने यह विधेयक पेश कर दिया है। जिससे कि बस यात्रियों को बीमा सुविधा दी जा सकें। यह बात मन्त्री महोदय तथा मन्त्रालय की दूरदर्शिता का समर्थन करती है। इसी प्रकार मैं चाहूंगा कि मेरे मित्र यह देखेंगे कि उनका मन्त्रालय बस—परिवहन के बारे में ठोस भूमिका अदा करेगा। बस परिवहन भी रेल परिवहन के समान महत्त्वपूर्ण बनता जा रहा है। यह रेल से अधिक जनता की सेवा करता है।

शीघ्र ही जल मार्गों का विकास किया जाना होगा। काफी समय पूर्व यहां पर हममें से अनेक ने,जब हम दायित्व में थे, यह अनुरोध किया था कि प्रत्येक गांव में एक डाकघर होना चाहिए। अब हर गांव में एक डाकघर खोल दिया गया है। जब मेरे मित्र श्री स्टीफन टेलीफोन तथा दूर-संचार विभाग के प्रभावी थे तो उनकी योजना थी कि निकट भविष्य में प्रत्येक गांव में टेलीफोन दिया जाये। उसी प्रकार इनकी यह योजना होनी चाहिये कि देश भर में प्रत्येक गांव, जिसकी जनसंख्या 500 से अधिक हो बस रूट होना चाहिये। इसके लिये काफी आयोजना अपेक्षित है।

रेलों में दूसरे दर्जे के यात्रियों को दी जी रही सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। फिर भी हमने काफी प्रगति की है उसी प्रकार की सुविजाएं बस यात्रियों को दी जानी चाहिये। इस बात पर विचार करना ही होगा कि किस सीमा तक किस ढंग से ये सुविधाएं दी जा सकती हैं।

प्राथमिक चिकित्सा सहायता बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात है। कुछ दिन पूर्व पारित विधेयक के अनुषंगी रूप में सभी महत्त्वपूर्ण बस डिपुओं पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं दी जानी होंगी ताकि किसी दुर्घटना के घटित होने पर घटना स्थल पर ही कुछ सहायता दी जा सके। इसी प्रकार पानी की सप्लाई तथा कैन्टीनों की व्यवस्था तथा लाइसेंस तथा अन्य सुविधाएं दी जानी होंगी।

समय सारणियां प्रकाशित की जानी हैं। मेरे मित्र श्री शमन्ना ने इसका उल्लेख किया था। उन्होंने अनेक ठोस सुझाव दिये हैं। अनेक अन्य सदस्यों ने भी काफी ठोस सुझाव दिये हैं। मैं चाहता हूं कि मन्त्रालय इन ठोस सुझावों पर विचार करे। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ऐसे तरीकों का पता लगाने के लिए एक संगठन अथवा समिति नियुक्त करें कि बस-यात्रा को अधिक व्यापक अधिक सस्ती, अधिक उपयोगी तथा बस प्रयोक्ताओं के लिये अधिक सुरक्षित किस प्रकार बनाया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि इस बात का भी अध्ययन दिया जाये कि क्या रेलवे प्रयोक्ता समितियों के समान राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और नगर स्तर पर, बस प्रयोक्ता समितियों का गठन किया जा सकता है।

मैं चाहता हूं कि वे इन सभी दिशाओं में योजनायें बनाएं। एक आयोग अथवा समिति बना कर ये सभी ही उसके सामने नहीं रखे जाएं अपितु सुझाव आमन्त्रित भी किए जाएं और कम से कम समय में वह रिपोर्ट तैयार करे तथा उस रिपोर्ट के संदर्भ में वित्तिय तथा विधायी प्रस्ताव पेश किये जाएं।

अंत में मैं चाहूंगा कि वे इस बात की भी जांच करें कि वे राज्य सरकारों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन देकर, बस प्रयोक्ताओं के लिये विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध करने के

लिये केन्द्र से अनुदान देकर राज्य सरकारों के संसाधनों में किस प्रकार से तथा कितनी वृद्धि की जा सकती है ।

श्री सीताराम केसरी : उपाध्यक्ष महोदय, एक समाचार हम इस सदन को देना चाहते हैं। हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो कुछ कहा है, जहां तक एक्सीडेंट्स की बात है, मैंने सभी उप-कुलपतियों को इस सिलसिले में लिखा है कि सदन से विधेयक पारित होने के उपरान्त अपने विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में एक सैल खोलें। मैं आपके द्वारा सदस्यों को सूचित करता हूं कि सभी लोगों का बड़ा उत्साहवर्द्धक उतर आया है, और 50 प्रतिशत उपकुलपतियों ने जवाब भी दिया है और समर्थन तथा सहयोग का आश्वासन भी दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में प्रेरित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कार्य मत्रंणा समिति

36 वां प्रतिवेदन

निर्माण और आवास मंत्रालय तथा ससंदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 36 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० पू० पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है ।

6.12 म० प०

तत्पचात लोक सभा बुधवार, 13 अक्तूबर, 1982/21 आश्विन, 1904 (शक) के 11 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

प्रबन्धक—आर०आर० गुप्ता प्रेस, 472 पं० रामचन्द्र देहलवी मार्ग, दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित ।